



॥ आयुषे सर्वलोकानाम् ॥

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

कार्यालय: टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक-IV, धनवंतरी भवन,

मार्ग नंबर-66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली-110026

National Commission for Indian System of Medicine

Ministry of AYUSH, Govt. of India

Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan,
Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

दूरभाष / Phone

सभापति / Chairman: 25221001

सचिव / Secretary: 25221006

कार्यालय / Office: 25221002/3

पंजीयन / Registration: 25221004

www.ncismindia.org

secretary@ncismindia.org

क्रमांक / Ref. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MES)

दिनांक / Dated: 03.05.2024

To,

1. The Health Secretaries of all State Government/Union Territories.
2. The Commissioner/Director of ISM & H/AYUSH of all State Government /Union Territories.
3. The Registrars of all Universities having Siddha Colleges.
4. The Principal/Dean/Directors of all Siddha Colleges/ Institutes.

Subject:-Gazette Notification of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024-reg.

Sir/Madam,

With reference to the subject mentioned above, it is informed you that as per sub section (1) of section 26 of the National Commission for Indian System of Medicine, Act 2020, the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024 has been notified in the gazette of India vide No. CG-DL-E-01052024-253937 dated 26.04.2024 (copy enclosed) by the National Commission for Indian System of Medicine and the same is hereby forwarded to you for the effective implementation from the date of its notification.

(Dr. B L Mehra)

Secretary I/c,

Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine

प्रो. (डॉ.) बी. एल. मेहरा
Prof. (Dr.) B. L. MEHRA

NCISM
सचिव/Secretary

Copy to:-

1. The Chairman, National Commission for Indian System of Medicine
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of AYUSH, B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023.
3. All Presidents, National Commission for Indian System of Medicine.
4. All Members of the Commission, National Commission for Indian System of Medicine.
5. Guard file.

(Dr. B L Mehra)

Secretary I/c,

Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine

NCISM



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052024-253937
CG-DL-E-01052024-253937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]
No. 293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

फ़ा. सं. 18-12/2021-बीयूएसएस (एसआईडी-यूजी-एमईएस).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 (2020 का 14) की धारा (55) की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: - भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संलग्न अस्पताल के लिए न्यूनतम मानक की आवश्यकताएं) विनियम, 2016 और 'नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने हेतु छोड़े गए विषयों के अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अध्याय 1

प्रारंभिक

2. परिभाषा -(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14);

(बी) किसी संस्था के "मूल्यांकन" से अभिप्राय किसी संस्थान और उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों और कार्यक्षमता के संदर्भ में इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता का सत्यापन करना है;

(सी) "संबद्ध शिक्षण अस्पताल" का अर्थ एक सिद्ध अस्पताल है जो सिद्ध चिकित्सा पद्धति के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक मेडिकल संस्थान से जुड़ा हुआ हो और मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता हो;

(डी) "विस्तारित अनुमति" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इन नियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति स्थिति" के मानदंडों को पूरा करने वाले संस्थान को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति, ताकि संस्थान हर साल प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना छात्रों को प्रवेश देने की परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सके। जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए या निर्दिष्ट न किया जाए;

(ई) "प्रपत्र" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(एफ) "पूरी तरह से स्थापित संस्थान" का अर्थ है संस्थान या कॉलेज ने स्थापना के सभी चार चरणों को पूरा कर लिया है और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पहले, दूसरे और तीसरे नवीनीकरण के लिए अनुमति पत्र जारी किया गया है;

(जी) "स्थापना के तहत संस्थान" का अर्थ इन विनियमों में उल्लिखित चरण स्थापना (यानी स्थापना के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण से गुजरने वाला नया संस्थान या कॉलेज है;

(एच) "आशय पत्र" का अर्थ है नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की स्थापना के लिए इन नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा शर्तों और समय सीमा के साथ जारी किया गया प्रारंभिक अनुमोदन या मौजूदा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्नातकोत्तर या नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन;

(आई) "अनुमति पत्र" का अर्थ है एक नया सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान स्थापित करने, या मौजूदा पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों, या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी स्नातकोत्तर या नया पाठ्यक्रम शुरू करने, और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र को प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए इन नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक को दी गई अनुमति;

(जे) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अर्थ बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के साथ-साथ गुणवत्ता या मानकों के स्तर के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें न्यूनतम के रूप में स्वीकार्य माना जाएगा और न्यूनतम से कम को अस्वीकार्य माना जाएगा;

(के) किसी संस्थान की "रेटिंग" का अभिप्राय उस स्कोर या माप से है कि कोई संस्थान कितना अच्छा है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित रेटिंग एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोवारिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों के आधार पर किसी पूर्णतः स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान की न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक रेटिंग है

(एल) "अनुमति का नवीनीकरण" का अभिप्राय इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति के नवीनीकरण में यथा विनिर्दिष्ट स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु अनुमति पत्र जारी करने के पश्चात क्रमिक अकादमिक वर्षों के दौरान किसी स्थापनाधीन (अर्थात् चरण-वार स्थापना के क्रमशः दूसरे तीसरे और चौथे चरण से गुजर रहे) महाविद्यालय या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अनुमति (अर्थात्, पहला, दूसरा और तीसरा नवीनीकरण) के नवीकरण से है।

(एम) "अनुसूची" का अर्थ इन विनियमों से संलग्न अनुसूची है;

(एन) "शिक्षक दिवस" का अर्थ है एक पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में कॉलेज और उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल में जहां उसे नियुक्त किया गया है बारह महीने की अवधि में उपस्थित होने या ज्यूटी करने वाले दिनों की संख्या,

(ओ) "वार्षिक अनुमति" का अर्थ है वे संस्थान जो "विस्तारित अनुमति" के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वे हर साल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे।

(2) ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

अध्याय II

सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान और उससे संबद्ध शिक्षण अस्पताल की सामान्यतः न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ

3. प्रवेश क्षमता - सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की वार्षिक प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता 60, 100, 150 और 200 के स्लैब में होगी।

4. भूमि की आवश्यकता - (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान और उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः तीन एकड़, पांच एकड़, सात एकड़ और नौ एकड़ से कम नहीं होगी।

(2) भूमि दो भूखंडों से अधिक नहीं होगी और दोनों भूखंडों के बीच रेडियल दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि भूखंड सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो गए हैं लेकिन पुल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा:

बशर्ते कि टियर I और टियर II शहरों (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के मामले में, 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः ढाई एकड़, साढ़े तीन एकड़, पांच एकड़ और छह एकड़ से कम नहीं होगी और कॉलेज या संस्थान के पास प्रमाण के रूप में भूमि की विशिष्ट श्रेणी (जैसा लागू हो) स्थापित करने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए।

बशर्ते कि भूमि दो से अधिक भूखंडों में नहीं होगी और दो भूखंडों के बीच रेडियल दूरी दस किलोमीटर से अधिक नहीं होगी; यदि भूखंड सड़क या नहर या नाले की वजह से अलग हो गए हैं लेकिन पुल से जुड़े हुए हैं तो उन्हें भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा।

(4) किसी सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान, उससे सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल और छात्रावासों के लिए निर्दिष्ट भूमि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा और इसका उपयोग मेडिकल संस्थान की गतिविधियों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(5) जमीन कॉलेज के स्वामित्व में होगी या कॉलेज के नाम पर पट्टे पर होगी, कम से कम 30 वर्ष की अवधि के लिए या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए पट्टे पर होगी। तथापि, पट्टे का नवीनीकरण पट्टे की समाप्ति पर आवश्यक होगा।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र- (1) 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए, सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः 3115 और 3200 वर्ग मीटर होगा।

(2) 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए, सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः 5205 और 4450 वर्ग मीटर होगा।

(3) 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए, सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र क्रमशः 7020 और 5785 वर्ग मीटर होगा।

(4) 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए, सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का निर्माण क्षेत्र क्रमशः 8785 और 7075 वर्ग मीटर होगा, जैसा कि पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

(5) सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल का कुल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र 6315 वर्ग मीटर (60 छात्र प्रवेश क्षमता), 9655 वर्ग मीटर (100 छात्र प्रवेश क्षमता), 12805 वर्ग मीटर (150 छात्र प्रवेश क्षमता) और 15860 वर्ग मीटर (200 छात्र प्रवेश क्षमता) होगा।

(6) उपविनियम (1) से (5) तक में उल्लिखित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र और कुल निर्मित क्षेत्र टियर I और टियर II शहरों (X और Y श्रेणियों) में सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए समान होगा।

(7) कॉलेज और अस्पताल का निर्माण पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार अपने विभागों या अनुभागों या इकाइयों के साथ अलग-अलग भवनों में किया जाएगा।

(8) अलग कॉलेज और अस्पताल भवनों की शर्त केवल 19 फरवरी, 2013 के बाद स्थापित कॉलेजों पर लागू होगी।

6. कॉलेज परिसर और सामान्य बातें- (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी-

(ए) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान, विभागों, सहायक अनुभागों या इकाइयों या सुविधाओं के साथ;

(बी) सहायक अनुभागों या इकाइयों या सुविधाओं के साथ शिक्षण अस्पताल;

(सी) हॉस्टल (प्रशिक्षुओं सहित लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग) कर्मचारी आवास के साथ या उसके बिना;

(डी) दो भूखंडों के मामले में, प्रशिक्षुओं (पुरुष और महिला अलग-अलग) के लिए छात्रावास अस्पताल परिसर में होगा।

(2) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए निर्धारित परिसर में पहुंचने हेतु समुचित मार्ग, सुरक्षा की उचित व्यवस्था सहित परिसर की सुनिर्मित दीवारें होंगी।

(3) सभी भवनों के पास संबंधित अधिकारियों से सभी उपयुक्त अनुमतियां होंगी।

(4) मौजूदा मानदंडों के अनुसार अग्नि सुरक्षा, अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सीवेज ट्रीटमेंट योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति, आपदा प्रबंधन उपाय, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि होंगे।

(5) संस्थान को रैंप और लिफ्ट के अलावा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा के लिए बाधा मुक्त परिवेश प्रदान करना होगा।

(6) परिसर में निःशुल्क वाहनों की आवाजाही और सीमांकित पार्किंग क्षेत्र के लिए एक उचित लेआउट योजना होगी।

(7) पार्किंग क्षेत्र को उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए लेबल या चिह्नित किया जाएगा।

(8) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी प्रणाली और पावर बैक-अप सिस्टम सहित बिजली आपूर्ति होगी।

(9) परिसर में एक केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव प्रकोष्ठ होगा, जो कॉलेज या संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा, साथ ही साइट-इंजीनियर (छठी अनुसूची के अनुसार), विद्युत, प्लंबिंग, कारपेंट्री, स्वच्छता, सिविल कार्य, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, हाउसकीपिंग और अन्य मामलों जैसे क्षेत्रों में रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी या आउटसोर्स कर्मचारी होंगे।

(10) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान पूरी तरह कार्यात्मक होगा और एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के अनुसार सिद्ध के विद्यार्थियों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा और आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा।

(11) कॉलेज या संस्थान का एक शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसमें कॉलेज या संस्थान के सभी हितधारक, सभी विभाग, और कॉलेज या संस्थान की अन्य इकाइयां या अनुभाग विद्यार्थियों को आदर्श शैक्षणिक वातावरण में व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से कार्य करेंगे।

7. आधिकारिक संपर्क विवरण- (1) सभी आधिकारिक संप्रेषण केवल सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान के आधिकारिक संपर्क नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से होंगे।

(2) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान के पास कॉलेज या संस्थान के प्रमुख (डीन या निदेशक या प्रिंसिपल) के लिए एक आधिकारिक मोबाइल नंबर होगा।

(3) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान के पास नीचे दिखाए गए पैटर्न के अनुसार एक आधिकारिक ई-मेल आईडी होगी;

[कॉलेज की स्थापना का वर्ष, MARBISM@सेवा प्रदाता/डोमेन द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट कॉलेज आईडी (जैसे 2023sid00001@gmail.com)]

(4) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान केवल आधिकारिक मोबाइल नंबर और आधिकारिक आईडी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत स्वायत्त बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोगके सचिवालय को सूचित करेगा।

(5) आधिकारिक मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी के अलावा अन्य मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी गई सूचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्ड कोई भी सूचना सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को केवल कॉलेज या संस्थान के प्रमुख के आधिकारिक मोबाइल नंबर से और सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान (डीन या निदेशक या प्रिंसिपल) की आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से सूचित करेंगे।

(7) मामलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को किसी विशेष गतिविधि के लिए अलग या विशिष्ट मोबाइल नंबर और या ई-मेल आईडी के लिए निर्देश दे सकता है; ऐसे विशिष्ट संपर्कों का उपयोग केवल उस निर्दिष्ट उद्देश्य या अवधि के लिए किया जाएगा।

8. बैंक खाते.- (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान और संलग्न शिक्षण अस्पताल के नाम पर गैर-सरकारी संस्थानों के लिए अलग से स्वतंत्र आधिकारिक बैंक खाते होंगे।

(2) यदि कोई दवा निर्माण इकाई (वाणिज्यिक उत्पादन) सिद्ध मेडिकल कॉलेज से जुड़ी है, तो दवा निर्माण इकाई एक अलग बैंक खाता बनाए रखेगी।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित सभी आधिकारिक खाते या तो राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी वाणिज्यिक बैंक में होंगे।

(4) संबंधित इकाइयों (कॉलेज, अस्पताल और दवा निर्माण इकाई, यदि कोई हो) के सभी आधिकारिक लेनदेन (आय और व्यय) केवल निर्दिष्ट आधिकारिक खातों में होंगे।

(5) छात्रों के लिए सभी प्रकार की फीस, जुर्माना (यदि कोई हो) सहित, केवल आधिकारिक बैंक खाते के माध्यम से ली जाएगी।

(6) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को छात्रों से प्राप्त जुर्माना (यदि कोई हो) सहित सभी शुल्क भुगतान के लिए रसीदें जारी करनी होंगी।

(7) सभी प्रकार के संस्थागत व्यय, जैसे शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों का वेतन, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान, खरीदारी, करों का भुगतान, रखरखाव और स्थापना व्यय इत्यादि, केवल आधिकारिक बैंक खाते के माध्यम से होंगे।

(8) खातों का वार्षिक ऑडिट किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या ऑडिट फर्म द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

(9) लेन-देन का विवरण और वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी।

(10) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड केवल उन लेनदेन पर विचार करेगा जो आकलन और रेटिंग उद्देश्यों के लिए संस्थागत आधिकारिक बैंक खातों में परिलक्षित होते हैं।

9. सूचना प्रौद्योगिकी सेल और बुनियादी ढांचा - (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में एक सूचना और प्रौद्योगिकी सेल होगा जो सभी सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करने और कॉलेज या संस्थान की सूचना और

प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त होगा। कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता छठी अनुसूची के अनुसार होगी।

(2) संस्थान के पास, कम से कम 500 एमबीपीएस बैंडविड्थ वाला ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।

(3) सूचना और प्रौद्योगिकी सेल सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की वेबसाइट, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर का रखरखाव करेगा (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य लेखा, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या के साथ संगत), शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट बोर्ड और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, वर्चुअल प्रयोगशालाएं, इंटरनेट, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कनेक्टिविटी, बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वस्तुओं का अनुसरण करेगा।

(4) सूचना और प्रौद्योगिकी सेल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंटरफेस या कनेक्ट करने की स्थिति में होगा। (जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान संख्या के साथ संगत हो), बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली, या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रणाली, या आयोग के कमांड और नियंत्रण केंद्र द्वारा नामित केंद्रीय सर्वर के साथ और आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों को आवश्यकतानुसार और समन्वय करने के लिए डेटा या प्रासंगिक डेटा का वास्तविक समय हस्तांतरण प्रदान करेगा, और आभासी बैठकों, वेबिनारों, व्याख्यानो की वीडियो रिकॉर्डिंग और व्यावहारिक या नैदानिक प्रदर्शनों, यात्रा या मूल्यांकन के आभासी या संकर तरीकों आदि और अन्य सभी सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना। मरीजों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) नंबर के माध्यम से किया जाएगा।

(5) सूचना और प्रौद्योगिकी सेल कॉलेज के सभी सेक्शनों को सहायता करेगा जिसमें सूचना और प्रौद्योगिकी सहायता अनिवार्य रूप से आवश्यक है, जिसमें सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान का मानव संसाधन और विकास सेल भी शामिल है।

10. बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली- (1) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों अस्पताल के कर्मचारी, स्नातकोत्तर छात्रों और प्रशिक्षुओं द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बायोमेट्रिक या आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान उपस्थिति प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(2) सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई जाएंगी और क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी के तहत होंगी। इन मशीनों से शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल कर्मचारियों, स्नातकोत्तर छात्रों और प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

(3) क्लोज-सर्किट टेलीविजन इस तरह स्थापित किया जाएगा कि उपस्थिति का अंकन कर्मचारियों के चेहरे और बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण दोनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(4) बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण के साथ-साथ क्लोज-सर्किट टेलीविजन फ्रीड को आयोग के कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर से जोड़ा या संरेखित किया जाएगा। आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों के पास कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और कॉलेजों में स्थापित उपकरणों में संग्रहीत डेटा की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति होगी।

(5) बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष वास्तविक समय के आधार पर संबंधित नियामक निकाय या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्नातक छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपकरणों को अपनाया जाएगा।

11. सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की वेबसाइट- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को कॉलेज या संस्थान के नाम पर एक विशेष वेबसाइट बनानी होगी।

(2) वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा निर्दिष्ट विवरण अपलोड किया जाएगा।

- (3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विभिन्न स्तरों पर लगातार डेटा एकत्र करेगा।
- (4) यह सुनिश्चित करना सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा, सूचना और विवरण प्रामाणिक हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर अपलोड किए गए हैं।
- (5) हर महीने, दसवें दिन या उससे पहले, पिछले महीने से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन या अपलोड किया जाएगा।
- (6) सिद्ध मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर निम्नलिखित विवरण बनाए रखा जाएगा: -
- (ए) निदेशक या डीन या प्रिंसिपल और चिकित्सा अधीक्षक का विवरण, जिसमें उनका नाम, जन्म तिथि, फोटो, विशिष्ट शिक्षक कोड, परिषद पंजीकरण संख्या, शैक्षिक योग्यता, पदनाम, कार्यग्रहण करने तारीख, अनुभव, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि शामिल है।
- (बी) शिक्षण कर्मचारियों का विवरण, जिसमें उनके विशिष्ट शिक्षक कोड, फोटो, परिषद पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, पदनाम, कार्यग्रहण करने की तारीख, अनुभव, शिक्षण विभाग, संपर्क मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आदि शामिल हैं;
- (सी) शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, विभाग या अनुभाग या इकाई आदि का नाम सहित कॉलेज और अस्पताल के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण;
- (डी) छात्रावासों के वार्डन और डिप्टी वार्डन का विवरण;
- (ई) अस्पताल और सलाहकारों की विशेषताएँ, उनके बाह्य रोगी विभाग के दिन, परामर्श का समय;
- (एफ) अनुमति की स्थिति, स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता और संबद्धता का विवरण;
- (जी) वर्तमान और पिछले वर्षों के दाखिले छात्रों की योग्यता-वार और श्रेणी-वार सूची;
- (एच) विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम और पिछले तीन वर्षों का तुलनात्मक ग्राफ;
- (आई) पिछले वर्ष छात्रों या संकायों द्वारा शोध प्रकाशनों का विवरण;
- (जे) पिछले वर्ष संस्थान द्वारा संचालित सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संकाय विकास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अनुसंधान परियोजनाओं, सहयोगी कार्यक्रमों और किसी भी अन्य शैक्षणिक या नैदानिक कार्यक्रमों का विवरण वर्ष;
- (के) संस्थान द्वारा प्राप्त मान्यता, पुरस्कार, उपलब्धियाँ और प्रशंसा, यदि कोई हो,
- (एल) अस्पताल के मरीजों के आंकड़े और पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक डेटा या ग्राफ;
- (एम) सेमिनार, कार्यशालाएं आदि जैसे आगामी कार्यक्रमों की घोषणाएं।

अध्याय III

सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

12. प्रशासनिक अनुभाग- (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक अनुभाग निम्नलिखित होंगे:-

- (ए) संस्था के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) कक्ष;
- (बी) संस्था के प्रमुख के निजी सहायक के लिए कमरा;
- (सी) संस्थान के प्रमुख के आगंतुकों के लिए आगंतुक कक्ष;
- (डी) कर्मचारी समिति कक्ष या बैठक कक्ष;
- (ई) कार्यालय अधीक्षक कक्ष;
- (एफ) स्थापना और केश काउंटर के साथ लेखा अनुभाग;
- (जी) कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र या लाउंज;
- (एच) रिकॉर्ड रूम;

(आई) केंद्रीय भंडार;

(जे) पेंट्री;

(के) कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय (पुरुष, महिला और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए अलग-अलग)।

(2) प्रशासनिक अनुभाग का कुल निर्मित क्षेत्र न्यूनतम 200 वर्ग मीटर (60 छात्र प्रवेश क्षमता), 250 वर्ग मीटर (100 छात्र प्रवेश क्षमता), 300 वर्ग मीटर (150 छात्र प्रवेश क्षमता) और 350 वर्ग मीटर (200 छात्र प्रवेश क्षमता) होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

13. व्याख्यान कक्ष - (1) कम से कम पांच लेक्चर हॉल या कक्षाएँ होंगी, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर का क्षेत्र होगा। 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्र और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र, और कुल निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है अर्थात् 60, 100 के लिए न्यूनतम 150, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 500, 750, 1000 और 1250 वर्ग मीटर

(2) प्रत्येक व्याख्यान कक्ष या कक्षा में बैठने की क्षमता छात्रों की क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक होगी, यानी 60 छात्रों के लिए 75, 100 छात्रों के लिए 120, 150 छात्रों के लिए 180 और 200 छात्रों के लिए 240 बैठने की क्षमता होगी।

(3) सभी व्याख्यान कक्ष या कक्षाएँ सूचना संचार प्रौद्योगिकी सक्षम कक्षाएँ होंगी जिसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल गैजेट, इंटरनेट कनेक्शन या वायरलेस फ़िडेलिटी सुविधा आदि हो।

(4) सभी लेक्चर हॉल या कक्षाएँ क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी के तहत होंगी, और क्लोज-सर्किट टेलीविजन कवरेज पूरे क्लास रूम के लिए होगा।

(5) कक्षा बहुत लंबी या बहुत चौड़ी नहीं होगी।

(6) कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था गैलरी-प्रकार या थिएटर-प्रकार की होनी चाहिए और अधिमानतः अर्ध-गोलाकार होनी चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक, ब्लैकबोर्ड और स्मार्ट बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हो;

(7) कक्षा में सेंट्रल डिस्प्ले का आकार कक्षा की क्षमता और आकार के अनुपात में होगा, और पीछे के छोर पर बैठे छात्रों के लिए अतिरिक्त डिस्प्ले की व्यवस्था की जा सकती है।

14. सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या योग हॉल - (1) यह एक सौ पचास, तीन सौ, चार सौ पचास और छह सौ वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बहुउद्देशीय हॉल होगा, जिसमें क्रमशः साठ, सौ, एक सौ पचास और दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होगी। जैसा कि दूसरी अनुसूची में दर्शाया गया है;

(2) इस बहुउद्देशीय हॉल का उपयोग बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, परीक्षाओं, योग प्रशिक्षण, कॉलेज समारोहों आदि के आयोजन के लिए किया जाएगा।

(3) इसमें दृश्य-श्रव्य (ऑडियो-विजुअल) सुविधाएं, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और शौचालय सुविधाएं होंगी।

15. केंद्रीय पुस्तकालय.- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में एक केंद्रीय पुस्तकालय होगा जिसमें अच्छे वेंटिलेशन, उचित प्रकाश व्यवस्था, उचित बैठने की व्यवस्था, अच्छी तरह से व्यवस्थित बुकशेल्फ आदि होंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है।

(2) केंद्रीय पुस्तकालय में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए कम से कम 150 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 250 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 350 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 450 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र होगा। जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

(3) केंद्रीय पुस्तकालय में बैठने की क्षमता इसकी छात्रों की प्रवेश क्षमता के 20 प्रतिशत से अधिक होगी। अर्थात्, 75 (60 छात्र प्रवेश क्षमता), 120 (100 छात्र प्रवेश क्षमता), 180 (150 छात्र प्रवेश क्षमता), और 240 (200 छात्र प्रवेश क्षमता) की बैठने की क्षमता होगी।

(4) पुस्तकालय में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम आठ हजार किताबें, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दस हजार किताबें, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए बारह हजार किताबें और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चौदह हजार किताबें रखी जाएंगी।

- (5) केंद्रीय पुस्तकालय में अनुक्रमित वैज्ञानिक पत्रिकाओं की न्यूनतम संख्या, चाहे उनकी प्रवेश क्षमता कुछ भी हो, दस होगी और ऐसी पत्रिकाओं को पबमेड या वेब ऑफ साइंस या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - अकादमिक और अनुसंधान एथिक्स हेतु कंसोर्टियम (यूजीसी-सीएआरई) या साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोपस आदि में अनुक्रमित किया जाएगा।
- (6) सभी छात्रों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएगी।
- (7) पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर एक कैटलॉग कोडिंग पद्धति (भौतिक या स्वचालित) लगाया जाएगा।
- (8) पुस्तकालय में नई पुस्तकों के लिए उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शन की सुविधा होगी।
- (9) सभी नई आने वाली पुस्तकों को संस्थागत पुस्तकालय नीति के अनुसार एक विशिष्ट अवधि या न्यूनतम पंद्रह दिनों के लिए प्रदर्शित करना होगा।
- (10) वाचनालय में बैठने की व्यवस्था एक दिशात्मक पैटर्न में होगी, और आमने-सामने बैठने की व्यवस्था नहीं की जाए, या आमने-सामने बैठने की व्यवस्था के मामले में विभाजन प्रदान किया जाएगा।
- (11) वाचनालय की मेज पर लैपटॉप के लिए पर्याप्त संख्या में चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (12) सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बिना ताला लगाए खुली अलमारियों में रखा जाएगा ताकि छात्र आसानी से पुस्तकें ले सके दुर्लभ और अप्राप्य पुस्तकें, पुरानी पांडुलिपियाँ और सूचीबद्ध पुस्तकें बंद अलमारियों में रखी जा सकती हैं।
- (13) संपूर्ण पुस्तकालय क्लोज-सर्किट टेलीविजन निगरानी में होगा।
- (14) पुस्तकालय शिष्टाचार, संस्थागत पुस्तकालय अनुशासन रखरखाव नीति और कॉलेज परिषद द्वारा अनुमोदित पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (15) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) पर पुस्तकालय का न्यूनतम निर्धारित कार्य समय बिना किसी ब्रेक के सुबह 9:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक होगा।
- (16) रविवार को पुस्तकालय के लिए काम का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। उप-विनियमों (15) और यह उप-विनियम में निर्धारित घंटे, न्यूनतम निर्धारित कार्य घंटे हैं; हालाँकि, कॉलेज पुस्तकालय के विस्तारित घंटों को बनाए रख सकते हैं।
- (17) केंद्रीय पुस्तकालय में एक पुस्तकालय कार्यालय होगा, पुस्तकालयाध्यक्षों और अन्य पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, आने वाली नई पुस्तकों के लिए विशेष स्थान होगा और रखरखाव या बाइंडिंग के तहत रखी पुस्तकों को जारी करने और वापसी के लिए विशेष स्थान होगा, पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय होगा, पीने के पानी की भी (गर्म और ठंडा) सुविधा होगी।
- (18) पुस्तकालय छात्रों और कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय में केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय संस्थान (सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी), आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (राष्ट्रीय महत्व का संस्थान) द्वारा प्रकाशित सभी पत्रिकाओं को रखेगा।
- (19) पुस्तकालय सेवाओं में पुस्तक जारी करना और लौटाना, अनुक्रमण, प्रतिलिपि बनाने की सुविधा, पुस्तक आरक्षण प्रणाली और पुस्तकालय का उपयोग करने में सहायता शामिल हैं।
- (20) पुस्तकालय गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए पत्रिकाएं और समाचार पत्र और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त अध्ययन और पठन सामग्री, प्रतियोगी परीक्षा की किताबें आदि प्रदान करेगा।
- (21) संपूर्ण पुस्तकालय बाधा मुक्त आवाजाही वाला होगा ताकि दिव्यांग छात्रों सहित सभी लोग आसानी से आ जा सकें।
- (22) यदि कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है और विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक अलग भवन में है, तो इस विनियम में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सिद्ध के लिए एक विशेष विंग प्रदान किया जाएगा।

16. डिजिटल लाइब्रेरी - (1) डिजिटल लाइब्रेरी में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 40 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 50 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 60 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता, 70 वर्ग मीटर होगा। जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

(2) डिजिटल लाइब्रेरी में कार्यालय स्थान और डिजिटल लाइब्रेरी प्रभारी के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ स्टेशन, कॉम्पैक्ट डिस्क, के लिए भंडारण सुविधाएं हेडफोन सेट आदि होंगी।

(3) डिजिटल लाइब्रेरी में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए स्टेशनों के साथ 15 कंप्यूटर सिस्टम, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए स्टेशनों के साथ 25 कंप्यूटर सिस्टम, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए स्टेशनों के साथ 35 कंप्यूटर सिस्टम और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए स्टेशनों के साथ 45 कंप्यूटर सिस्टम होंगे।

(4) डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों को इंटरनेट ब्राउज़ करने और ई-जर्नल्स, ई-सामग्री, ई-पुस्तकें, शैक्षिक कॉम्पैक्ट डिस्क, ई-संसाधन इत्यादि तक पहुंचने (एक्सेस) की सुविधाएं प्रदान करेगी।

(5) सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) पर डिजिटल लाइब्रेरी का न्यूनतम कार्य समय बिना किसी ब्रेक के सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।

(6) रविवार को डिजिटल लाइब्रेरी का कार्य समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा

(7) उप-विनियम (5) और (6) में निर्धारित कार्य समय न्यूनतम निर्धारित कार्य समय हैं। हालाँकि, कॉलेज या संस्थान पुस्तकालय का समय बढ़ा सकते हैं।

17. शिक्षण विभाग.- (1) तेरह शिक्षण विभाग होंगे।

(2) प्रत्येक विभाग को शिक्षकों हेतु कमरे या कक्ष, विभागीय पुस्तकालय, गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वर्किंग अकॉमडेशन और प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, विच्छेदन (डिसेक्शन) हॉल, संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, या ट्यूटोरियल कक्ष इन विनियमों में दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विभाग विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप उस विभाग की सभी इकाइयों या अनुभागों को पर्याप्त स्थान सहित विभाग में एक साथ रखा जाएगा;

(3) सभी 13 विभागों के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 1425 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 2650 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 3600 वर्ग मीटर, 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 4550 वर्ग मीटर होगा, और प्रत्येक विभाग और उनके सहायक अनुभागों या इकाइयों के लिए ब्रेक-अप क्षेत्र दूसरी अनुसूची के अनुसार होगा।

(4) शिक्षकों को उनके संबंधित विभागों में समायोजित किया जाएगा, और प्रत्येक विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को उनके संबंधित विभागों में एक अलग निजी कमरा क्यूबिकल्स दिया जाएगा।

(5) प्रत्येक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम क्षेत्र क्रमशः 15, 13 और 10 वर्ग मीटर का होगा।

(6) कॉमन हॉल, कमरे या विभाग में शिक्षकों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) प्रत्येक विभाग को कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(8) प्रत्येक विभाग को प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्येक विभाग में लागू ई-सामग्री जैसे वीडियो, चित्र, पोस्टर, चार्ट, विषय से संबंधित जानकारी, मॉडल, उपचार की विधियां सर्जिकल प्रक्रियाएं, पैथोलॉजिकल स्लाइड, उपकरण, दवाओं की तैयारी, औषधीय पौधों की छवियां, हर्बेरियम, एक्स-रे, नैदानिक उपकरण इत्यादि प्रदर्शित करने के लिए एकत इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले (स्मार्ट बोर्ड या स्मार्ट टेलीविजन या लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले और इसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(9) विशेष प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण, रसायन, रीजेट, ग्लासवेयर आदि सातवीं अनुसूची से चौदहवीं अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार होंगे।

(10) विभागीय संग्रहालय के लिए आवश्यक न्यूनतम मॉडल, नमूने आदि सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची और तेरहवीं अनुसूची के अनुसार होंगे।

(11) प्रैक्टिकल प्रशिक्षण आयोजित करने वाले विभाग, पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध सभी प्रैक्टिकल्स आयोजित करने के लिए छात्र क्षमता के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं बनाए रखेंगे।

(12) शिक्षण विभागों की सभी प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं की कार्यमेजें, यथा प्रयोज्य, कठोर पत्थर या स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए और उचित अलमारियों एवं वॉश बेसिन में बहते पानी के नल की व्यवस्था होनी चाहिए;

(13) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर पाठ्यक्रम को संशोधित कर सकता है, और तदनुसार, उपकरण और अन्य सुविधाओं की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसी सुविधाएं प्रदान करना संस्थान या संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है।

18. भाषा प्रयोगशाला – सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्तुवम् (सिद्ध चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांत) विभाग के तहत भाषा प्रयोगशाला में इंटरनेट सुविधाओं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो-विजुअल सुविधाओं, माइक्रोफोन, हेडसेट और अन्य सुविधाओं के साथ कंप्यूटर होंगे, ताकि भाषा कौशल, संचार कौशल और ध्वन्यात्मक कौशल और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

19. विच्छेदन हॉल.- (1) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) विभाग में डाइसेक्शन हॉल होगा, जिसमें उचित वेंटिलेशन, एक निकास सुविधा, हाथ धोने की पर्याप्त सुविधा और 2-4 शवों को संरक्षित करने के लिए एक भंडारण टैंक या फ्रीजर होगा।

(2) प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डाइसेक्शन हॉल में एक वर्चुअल डाइसेक्शन या ई-विच्छेदन सुविधा भी प्रदान की जा सकती है।

(3) विच्छेदन हॉल में एक प्रदर्शन स्टेशन होगा 10 छात्रों के लिए एक विच्छेदन स्टेशन होगा, अर्थात् 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 6, 10, 15 और 20 विच्छेदन स्टेशन होंगे।

(4) प्रदर्शन स्टेशन में छाया-रहित ऑपरेशन थिएटर लाइटें और एक अंतर्निर्मित उच्च-रिज़ॉल्यूशन क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरा होगा, और विच्छेदन हॉल में एक डिस्प्ले यूनिट (स्मार्ट टेलीविज़न, लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड, आदि) होगा जो क्लोज-सर्किट टेलीविज़न कैमरे से जुड़ा हो।

(5) यदि आवश्यक हो तो एम्बालिंमिंग की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है।

(6) उडल कूरुगल (एनाटॉमी) विभाग में मानदंडों के अनुसार अपशिष्ट निपटान की सुविधा होगी।

20. फार्मैसी शिक्षण (गुणपाडम – मरूनदगवियल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी)- (1) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) विभाग के तहत शिक्षण फार्मैसी छात्रों के शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशिक्षण के लिए होगी, लेकिन दवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के लिए नहीं।

(2) फार्मैसी शिक्षण में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में तैयार की गई दवाएं मरीजों को नहीं दी जाएंगी।

(3) यदि संस्थान व्यावसायिक उत्पादन की फार्मैसी से जुड़ा हुआ है, तो उस फार्मैसी को शिक्षण फार्मैसी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) शिक्षण फार्मैसी कॉलेज भवन के अंत में भूतल पर या परिसर में एक अलग भवन में स्थित हो सकती है और उचित निकास प्रणाली और आग और सुरक्षा उपायों से सुसज्जित होगी।

(5) शिक्षण फार्मैसी में पाठ्यक्रम के अनुसार गुणपाडम – मरूनदगवियल प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए **दसवीं अनुसूची** में उल्लिखित पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होंगी।

21. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला .- (1) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) विभाग के तहत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला गुणपाडम - मरूदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) और गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) दोनों विभागों के लिए एक सामान्य सुविधा है।

(2) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दवाओं की गुणवत्ता परीक्षण और प्रदर्शनात्मक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए **दसवीं अनुसूची** में उल्लिखित उपकरण, उपकरण, रसायन और अभिकर्मकों सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगी।

22. सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) - व्यावहारिक प्रयोगशालासट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग में, विभिन्न जहरों का अध्ययन करने के लिए जहर या विष विषाक्त पदार्थों या खाद्य प्रदूषक का पता लगाने या विश्लेषण करने की सुविधा होगी।

23. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग।- (1) कॉलेज में इस विभाग में पास छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए **ग्यारहवीं अनुसूची** में उल्लिखित पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक स्वतंत्र नोई नाडल नोइ मुदल नाडल व्यावहारिक प्रयोगशाला होगी।

(2) संलग्न शिक्षण अस्पताल की क्लिनिकल पैथोलॉजी प्रयोगशाला को नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल व्यावहारिक प्रयोगशाला नहीं माना जाएगा।

24. पोषण प्रयोगशाला - पाठ्यक्रम के आधार पर विभाग द्वारा तैयार की गई प्रैक्टिकल की सूची के अनुसार आहारों के पोषक तत्व, पाक चिकित्सा और कार्यात्मक खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य का विश्लेषण करने के लिए **तेरहवीं अनुसूची** में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ नोई अनुगाविधि सहितरिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स विभाग में पोषण प्रयोगशाला होंगी।

25. कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी) विभाग शिक्षण उद्देश्यों के लिए संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष में पित्त पथरी, गुर्दे की पथरी, ट्यूमर आदि के नमूने रखेगा।

26. नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला.- (1) प्रत्येक सिद्ध कॉलेज या संस्थान में 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः 125 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 275 वर्ग मीटर और 350 वर्ग मीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा, जैसा कि **दूसरी अनुसूची** में निर्दिष्ट है और **चौदहवीं अनुसूची** में निर्दिष्ट अनुसार पुतलों या सिमुलेटर से सुसज्जित किया जाएगा।

(2) प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आभासी या संवर्धित वास्तविकता सुविधा भी प्रदान की जा सकती है।

(3) नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला में पुतलों, सिमुलेटरों और अन्य प्रशिक्षण सामग्री या उपकरण या उपकरणों के लिए उचित भंडारण सुविधा होगी।

(4) इसमें एक समन्वयक होगा, कार्यालय सहायक होगा उनके लिए पर्याप्त स्थान होगा और परिचारक होगा।

(5) इस विभाग में एक कार्यालय होगा कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी तथा उप-विनियमन (6) के नीचे दी गई **तालिका** में उल्लिखित प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष और सभी प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष में स्मार्ट बोर्ड और अन्य उपयुक्त ऑडियो-विजुअल उपकरण या गैजेट से सुसज्जित होंगे।

(6) इसमें एक रिसेप्शन, एक रिकॉर्ड कीपिंग सुविधा और प्रवेश द्वार पर पर्याप्त स्लॉट वाले शू-रैक होंगे।

तालिका

नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्र.सं.	छात्र प्रवेश क्षमता	प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष	
		संख्या	क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	60	1	प्रत्येक प्रदर्शन सह अभ्यास कक्ष में न्यूनतम 30 छात्र आ सकें
2	100	2	
3	150	3	
4	200	4	

27. मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ - (1) मानव संसाधन एवं विकास प्रकोष्ठ 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः न्यूनतम 130 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर, 170 वर्ग मीटर और 190 वर्ग मीटर के स्थान में होगा और कार्यशाला क्षेत्र, कार्यालय, स्टोर, परिसंचरण क्षेत्र और शौचालयों के लिए न्यूनतम ब्रेक-अप स्थान **दूसरी अनुसूची** में उल्लिखित के अनुसार होगा।

(2) यह सेल शिक्षकों के लिए एक चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण इकाई या गुणवत्ता इनपुट कार्यक्रम इकाई के रूप में और संस्थान के चिकित्सा, पैरामेडिकल, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों के लिए एक ओरिएन्टेशन सह प्रशिक्षण इकाई के रूप में काम करेगा।

(3) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के पास समन्वयक, कार्यालय सहायक और परिचारक के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान वाला एक कार्यालय होगा।

(4) मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ हॉल या कमरा न्यूनतम 30 प्रतिभागियों की बैठने की क्षमता के साथ कार्यशालाओं के संचालन के लिए उपयुक्त होगा और पर्याप्त फर्नीचर से सुसज्जित होगा।

(5) मानव संसाधन और विकास प्रकोष्ठ हॉल या कक्ष में एक ऑडियो-विजुअल सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, वायरलेस फिडेलिटी कनेक्टिविटी, प्रतिभागियों के लिए लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, प्रिंटर, कॉपियर, फोटोग्राफिंग सुविधा होगी। और ई-शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी।

(6) मानव संसाधन विकास समिति, जिसमें एक अध्यक्ष (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल), एक समन्वयक (प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर), और सदस्य (प्रत्येक व्यावसायिक से एक शिक्षक सदस्य, एक चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, और प्रशासन या मानव संसाधन विभाग से एक व्यक्ति शामिल हैं।) सिद्ध मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित की जाएगी, जो मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ की गतिविधियों की योजना बनाएगा, निष्पादित करेगा और निगरानी करेगा। समिति आवश्यकतानुसार किसी विशेषज्ञ या किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

(7) समिति का कार्यकाल दो वर्ष या संस्थागत नीतियों के अनुसार होगा।

(8) समिति प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित या शुरू किए जाने वाले कौशल, तकनीकों या ज्ञान की पहचान करेगी, अनुसूची तैयार करेगी, और इसकी घोषणा करेगी और इसे लागू करेगी।

(9) सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संलग्न शिक्षण अस्पताल के कर्मचारियों की श्रेणी:

(ए) शिक्षण कर्मचारी, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, और पुस्तकालय कर्मचारी;

(बी) प्रशासनिक कर्मचारी;

(सी) नर्सिंग स्टाफ और लैब तकनीशियन;

(डी) वर्मम, पुरेमरुतुवम, और सिरिप्पमरुतुवम (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष मरुतुवम) चिकित्सा अनुभागों में चिकित्सक;

(ई) तकनीकी कर्मचारी (सूचना प्रौद्योगिकी, विद्युत, प्लंबिंग, आदि);

(एफ) अस्पताल की रसोई में कुक (पथ्य उनवु);

(जी) सहायक कर्मचारी (माली, ड्राइवर, सुरक्षा कर्मी, आदि);

(एच) मेनियल स्टाफ, ग्रुप डी, हाउसकीपिंग, मल्टी-टास्किंग स्टाफ, अटेंडेंट आदि।

(10) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ को मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के सुचारू संचालन के लिए छठी अनुसूची में निर्दिष्ट कर्मचारियों के साथ प्रदान किया जाएगा, जिसमें आवश्यकताओं की योजना, भर्ती पद्धति और मानदंड, समावेशन, प्रशिक्षण और विकास शामिल हैं।

(11) मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर और अन्य सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए तकनीकी सहायता संस्थागत सूचना और प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से प्राप्त की जाएगी।

(12) मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ क्षमता निर्माण अभिविन्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाकर संस्थान के 360-डिग्री दृष्टिकोण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करता है।

28. अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ - (1) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ के दूसरी अनुसूची में उल्लिखित न्यूनतम 30 वर्ग मीटर का एक कमरा होगा जिसमें पर्याप्त फर्नीचर और दस्तावेज़ भंडारण की सुविधा होगी।

(2) यह प्रकोष्ठ नवाचार, विकास, अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।

(3) कॉलेज संस्थागत अनुसंधान और नवाचार समिति का गठन करेगा अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए समन्वयक, तीन संकाय सदस्य, प्रत्येक व्यावसायिक से एक-एक और दो छात्र (एक लड़का और एक लड़की)। प्रत्येक बैच से संस्थान का प्रमुख समिति का अध्यक्ष होगा।

(4) अनुसंधान और नवाचार प्रकोष्ठ का समन्वयक (एक वरिष्ठ शिक्षक, जो दूरदर्शी और रचनात्मक गतिविधि के लिए जाना जाता है) संस्थागत अनुसंधान और नवाचार समिति का समन्वयक होगा।

(5) संस्थागत अनुसंधान और नवाचार समिति को या छात्रों, शिक्षकों और कॉलेज के अन्य कर्मचारियों से नवीन विचारों के लिए नए विचारों की पहचान करनी चाहिए आमंत्रित करना चाहिए और विचारों को विकसित करने या पोषित करने और उपयोगी उत्पादों या परिणामों में बदलने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(6) नवाचार शिक्षण, प्रशिक्षण, निदान, चिकित्सीय उपकरण, सर्जिकल उपकरण, खुराक के रूप, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, ऐप्स, मूल्यांकन स्केल आदि में हो सकते हैं।

(7) अनुसंधान एवं नवाचार कक्ष के समन्वयक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित या आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। यदि उसने यह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो उसे समन्वयक के रूप में नियुक्ति के छह महीने के भीतर यह प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(8) अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए समन्वयक: अनुसंधान, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों से परिचित या इन पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कॉलेज के एक संकाय सदस्य को समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा।

(9) प्रत्येक संस्थान नवाचार, विकास, अनुसंधान, प्रकाशन, बौद्धिक संपदा अधिकार, अनुसंधान अनुदान केवितरण, अनुसंधान प्रोत्साहन, प्रकाशन प्रोत्साहन आदि से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संस्थागत नीति विकसित करेगा।

(10) नीति सभी हितधारकों के लिए अनुकूल होनी चाहिए और कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र विकसित होना चाहिए।

29. सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ- (1) संस्थान सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं:

(ए) शारीरिक शिक्षा

(बी) मनोरंजनात्मक

(सी) राष्ट्रीय सेवा योजना

(डी) विभिन्न क्लबों की गतिविधियां जैसे विज्ञान क्लब, पर्यावरण क्लब, ललित कला क्लब, खेल क्लब, साहित्यिक क्लब, तमिल भाषा क्लब, फोटोग्राफी क्लब, एडवेंचर्स क्लब, पशु प्रेमी क्लब, आदि;

(ई) सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम

(एफ) चिकित्सा शिविर या गांव गोद लेना या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

(जी) क्षेत्र का दौरा या सर्वेक्षण

(एच) सेमिनार, कार्यशाला, विचार-मंथन, संगोष्ठी आदि आयोजित करना।

30. छात्रों के लिए कॉमन रूम - दो कॉमन रूम (एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए अलग-अलग), 60, 100 के 150, और 200 छात्र प्रवेश क्षमता क्रमशः के लिए 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर और 400 वर्ग मीटर के न्यूनतम कुल क्षेत्रफल के साथ प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, जिसमें कुल छात्रों के 20% छात्र आ सकें और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था हो संलग्न टॉयलेट हो।

31. स्टाफ सुविधाएं - (1) शिक्षण स्टाफ के लिए दो कॉमन रूम (एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए अलग-अलग), 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 50 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 70 वर्ग मीटर और 80 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, और पर्याप्त फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, संलग्न शौचालय, पीने का पानी और जलपान की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) प्रत्येक मंजिल में शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला) के लिए अलग-अलग उपयुक्त और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की भी व्यवस्था की जाएगी।

(3) महिला शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर लगाया जाएगा।

32. छात्र सुविधाएं- (1) परिवहन, बैंक या स्वचालित टेलर मशीन, खेल का मैदान (इनडोर और आउटडोर खेल), स्टेशनरी स्टोर, कैफेटेरिया आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी।

(2) प्रत्येक मंजिल पर पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग उचित और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय होंगे।

(3) महिला शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर लगाया जाएगा।

33. छात्रावास- (1) परिसर में लड़कों, लड़कियों और प्रशिक्षु लड़कों और प्रशिक्षु लड़कियों के लिए पर्याप्त आवास, फर्नीचर, वाचनालय, मनोरंजन सुविधा, संलग्न स्नानघर और शौचालय की सुविधा और सुरक्षा के साथ अलग-अलग छात्रावास होंगे।

(2) विनियम 34 में उल्लिखित कॉलेज कैटीन के अलावा, यदि आवश्यक हो तो छात्रावास एक अलग मेस की भी व्यवस्था कर सकता है।

(3) प्रशिक्षुओं को अलग-अलग छात्रावास प्रदान किए जाएंगे, अधिमानतः अस्पताल के पास, ताकि निर्धारित नैदानिक कर्तव्यों को आसानी से पूरा किया जा सके।

(4) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेज, परिसर में या परिसर के बाहर या आउटसोर्स भवन में छात्रावास जारी रख सकते हैं।

34. कैंटीन- (1) 60 और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए लगभग 100 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था वाली कैंटीन सुविधा उपलब्ध होगी और 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 200 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी और कैंटीन के लिए आवश्यक न्यूनतम स्थान होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है अर्थात् 60 छात्र की प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर, 150 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 200 वर्ग मीटर और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 250 वर्ग मीटर।

(2) यदि कॉलेज और अस्पताल एक ही परिसर में हैं, तो ऐसे मामले में एक कॉमन कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, या यदि अस्पताल एक अलग परिसर में है, तो अस्पताल परिसर में एक अलग कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी।

(3) कैंटीन में अस्पताल के सलाहकारों सहित शिक्षण कर्मचारियों के लिए अलग अनुभाग होंगे।

35. वनौषधी उद्यान(1) कॉलेज में तीसरी अनुसूची में उल्लिखित गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) के अधीन 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर और 100, 150 तथा 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 4000 वर्ग मीटर का एक सुविकसित औषधीय पादप उद्यान होगा, जिसमें विभाग के अधीन प्रदर्शन कक्ष होगा। इसमें सामान्य और दुर्लभ या लुप्तप्राय प्रजातियों सहित न्यूनतम दो सौ पचास प्रजातियों के औषधीय पौधे होंगे।

(2) उद्यान में औषधीय पौधों को देशी भाषा के नाम, स्थानीय नाम, वनस्पति नाम, फैमिली नाम, पहचान बिंदु, औषधीय गुण आदि सहित औषधीय पौधों का विवरण प्रदान करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया कोड के साथ लेबल किया जाना चाहिए।

36. क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन- (1) बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित क्षेत्र, कक्षाओं, पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रायोगिक प्रयोगशालाओं, नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, गलियारों, परीक्षा हॉल, प्रवेश और निकास पर कॉलेज और अस्पताल, स्वागत और पंजीकरण क्षेत्र, बाह्य रोगी क्षेत्र, और अस्पताल की फार्मसी में क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरे स्थापित किए जाएंगे।

(2) संस्थान की आवश्यकता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में स्थापना की जा सकती है।

(3) कैमरे उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले होंगे और दिन और रात के समय की रिकॉर्डिंग करने में सक्षम होंगे।

(4) डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में न्यूनतम तीन महीने तक के डेटा संग्रहीत करने की क्षमता होगी।

37. कॉलेज काउंसिल- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में एक कॉलेज काउंसिल होगी जिसमें विभागों के प्रमुख, चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक सदस्यों के रूप में और संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे।

(2) सह-पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यान्वयन रणनीति तैयार करने, अनुशासन को लागू करने और अन्य शैक्षणिक मामलों के लिए कॉलेज परिषद वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करेगी और उसका रिकॉर्ड रखेगी।

(3) कॉलेज परिषद संस्थान में नियमित अंतरविभागीय बैठकें जैसे ग्रैंड राउंड, सांख्यिकीय समीक्षा बैठकें, नैदानिक बैठकें और आवधिक अनुसंधान समीक्षा आयोजित करेगी।

(4) कॉलेज काउंसिल संस्थान की शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान और सह-पाठ्यक्रम या पाठ्येतर गतिविधियों, रणनीतिक योजना और कार्यान्वयन, छात्रों के प्रदर्शन और सुधार की योजना बनाएगी, समीक्षा करेगी और उन्नयन करेगी।

(5) कॉलेज परिषद सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की वार्षिक (जनवरी से दिसंबर) तक शैक्षणिक घटनाओं की समीक्षा करेगी और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान की अकादमिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी और संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर और निर्धारित प्रारूप भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अकादमिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करेगा।

(6) कॉलेज काउंसिल रूम के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 60 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 50 वर्ग मीटर, 100 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर और 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, जैसा कि दूसरी-अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(7) अकादमिक समिति- (ए) कॉलेज परिषद एक अकादमिक समिति का गठन करेगी जिसमें बाइस प्रिंसिपल, उप निदेशक, उप डीन (यदि कोई हो), या अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ संकाय सदस्य और सदस्य के रूप में प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य शामिल होगा;

(बी) शिक्षण कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी अकादमिक समिति की जिम्मेदारी होगी;

(सी) शिक्षण कार्यक्रम एकीकृत प्रकृति का होगा और एक महीने पहले घोषित किया जाएगा;

(डी) शिक्षण कार्यक्रम को संस्थागत वेबसाइट के साथ-साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर भी होस्ट किया जाएगा।

38. विद्यार्थी परिषद- (1) विद्यार्थी परिषद के पास दूसरी अनुसूची में उल्लिखित न्यूनतम 20 वर्ग मीटर का एक कमरा होगा जिसमें पर्याप्त बैठने की क्षमता होगी, फाइलों को बनाए रखने के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) विद्यार्थी परिषद छात्र समुदाय का प्रतिनिधि निकाय है, और यह कॉलेज के मामलों में अभिव्यक्ति और सहायता के साधन प्रदान करने, विभिन्न कार्यक्रम या संस्थागत, उत्सव कार्यक्रम या गतिविधियां संचालित करने छात्रों को नेतृत्व में अनुभव के अवसर प्रदान करने और छात्र या संकाय या सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संकाय सलाहकार के साथ मिलकर काम करने वाले महत्वाकांक्षी, मेहनती और समर्पित छात्रों का एक समूह होगा।

(3) विद्यार्थी परिषद संस्था के प्रमुख को छात्रों के कल्याण, अनुशासन, छात्रावास प्रबंधन, कला और खेलकूद, छात्रों के स्वास्थ्य, सामाजिक गतिविधियों, पुस्तकालय की कार्यप्रणाली, पाठ्येतर सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों आदि के संबंध में सुझाव देती है।

(4) विद्यार्थी परिषद छात्र कल्याण अधिकारी (संस्थान द्वारा नामित संकाय सदस्य) के माध्यम से छात्र समस्याओं के संबंध में संस्थान के प्रमुख को अपने विचार, टिप्पणियां और सिफारिशें बताएगी।

(5) कॉलेज चयन प्रक्रिया द्वारा या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट अनुसार छात्र परिषद का गठन करेगा।

(6) संस्थान को छात्र परिषद के गठन और उसकी कार्यप्रणाली के लिए नीति विकसित करनी होगी।

(7) यदि विश्वविद्यालय के ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो छात्र परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी:

(ए) सभापति

(बी) सचिव;

(सी) सदस्य (सभी बैचों के कक्षा प्रतिनिधि, साहित्यिक क्लब सचिव, ललित कला क्लब सचिव, खेल क्लब सचिव, विज्ञान क्लब सचिव, किसी अन्य क्लब के सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रतिनिधि, और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सदस्य)।

39. कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल सहित छात्र सहायता और मार्गदर्शन- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में छात्र सहायता और मार्गदर्शन सहित कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल होगा। जिसका उद्देश्य शैक्षणिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत, करियर विकास और प्लेसमेंट में छात्रों को सहायता, मार्गदर्शन करना और प्रोत्साहित करना है।

(2) छात्रों के नए बैच को आत्मविश्वासी व्यवसायी बनने और अपने स्नातक कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में आने वाली शैक्षणिक सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(3) छात्र सहायता और मार्गदर्शन सह कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल उच्च शिक्षा और प्लेसमेंट के लिए विभिन्न अवसरों की पहचान करेगा और तदनुसार छात्रों को सलाह देगा।

(4) सेल छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और साक्षात्कार का सामना करने के लिए उन्मुख करता है।

(5) कॉलेज या संस्थान संबद्ध विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र सहायता और मार्गदर्शन सह कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल का गठन करेगा।

(6) यदि ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो इसे निम्नलिखित के अनुसार गठित किया जाएगा:

(ए) संयोजक: एक वरिष्ठ संकाय;

(बी) सदस्य;

(i) तीन संकाय सदस्य (प्रत्येक व्यवसाय से एक सदस्य, कम से कम एक महिला);

(ii) प्रत्येक बैच से दो छात्र प्रतिनिधि (एक पुरुष और एक महिला);

(iii) अभिभावक-शिक्षक संघ के दो प्रतिनिधि।

(7) संस्थान के पास छात्र सहायता और मार्गदर्शन तथा कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल के गठन और इसकी कार्यक्षमता की नीति होगी।

(8) छात्र सहायता और मार्गदर्शन तथा कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 25 वर्ग मीटर होगा जैसा कि दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है।

40. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ.- (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान शिकायत निवारण सेल स्थापित करेगा और शिकायत निवारण समिति का गठन करेगा।

(2) शिकायत या सुझाव पेटियां उचित रूप से अगले उद्घाटन के विवरण सहित लेबल की जाएंगी और संस्थान के उचित स्थानों पर रखी जाएंगी।

(3) शिकायत या सुझाव पेटियां समय-समय पर शिकायत निवारण समिति द्वारा खोली जाएंगी, शिकायतों या सुझावों, की गई कार्रवाई रिपोर्ट और परिणाम का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(4) संस्थान के पास शिकायत निवारण समिति के गठन और उसकी कार्यप्रणाली की नीति होगी।

(5) शिकायत निवारण कक्ष बैठकों के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में छात्र सहायता और मार्गदर्शन तथा कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल कक्ष का उपयोग कर सकता है और संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को अलग से रखने के लिए अलग अलमारी रख सकता है।

41. फार्माकोविजिलेंस सेल.- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में दूसरी अनुसूची में उल्लिखित न्यूनतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक स्थापित फार्माकोविजिलेंस सेल होगा। यह सेल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस सेल के साथ मिलकर काम करेगा।

(2) फार्माकोविजिलेंस सेल की संरचना निम्नानुसार होगी:

(ए) एक समन्वयक के रूप में गुणपाडम - मरुंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) या गुणपाडम - मरुन्दगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्माक्यूटिक्स) या सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य;

(बी) मरुतुवम् (मेडिसिन), वर्मम पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाहरी थैरेपी और विशेष चिकित्सा), कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरुवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान) सहित अरुवइ के प्रत्येक विभाग से एक संकाय सदस्य, सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), और कुजंतइ मरुतुवम् (बाल रोग) सदस्य के रूप में।

(3) समिति दो महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं और अन्य संबंधित मुद्दों की पहचान करेगी, विश्लेषण करेगी और प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस को रिपोर्ट करेगी।

42. (1) यौन उत्पीड़न के खिलाफ समिति- (ए) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक आंतरिक शिकायत समिति होगी और यह सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अनुसार अनिवार्य है।

(बी) समिति परिसर में छात्रों, संकाय कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों या शिकायतों से निपटेगी और यौन उत्पीड़न पर जागरूकता पैदा करेगी।

(सी) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि शिकायतों को प्राप्त करने और निपटाने में गोपनीय प्रक्रिया का पालन किया जाए।

(डी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा और समिति की जिम्मेदारियां, शिकायत करने और जांच करने की प्रक्रिया, अंतरिम निवारण, सजा और मुआवजा आदि संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

(ई) संस्थान के उत्पीड़न के खिलाफ समिति बैठकों के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल रूम सहित छात्र समर्थन और मार्गदर्शन का उपयोग कर सकती है और संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को अलग से रखने के लिए अलग अलमारी हो सकती है।

(2) **रैगिंग रोधी समिति और रैगिंग रोधी दस्ते**-(ए) रैगिंग एक आपराधिक अपराध है। रैगिंग के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, कॉलेज या संस्थान के लिए सतर्क निगरानी और नए छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनियमन) विनियम, 2009 के अनुसार एक रैगिंग-रोधी समिति और एक रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन करना अनिवार्य है।

(बी) एंटी-रैगिंग समिति और दस्ते के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, रैगिंग के निषेध और रोकथाम के लिए संस्थान द्वारा किए जाने वाले उपाय, निगरानी और परामर्श तंत्र, शिकायत और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, दंड, गैर-अनुपालन के मामले में परिणाम आदि (ए) में उल्लिखित विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट संबंधित दिशानिर्देशों, परिपत्रों, संचारों के अनुसार होंगे।

43. आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ- (1) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता संवर्धन गतिविधियों की योजना बनाने, मार्गदर्शन करने निगरानी रखने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष होगा।

(2) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति की संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी: -

(ए) संस्था का प्रमुख (प्रिंसिपल या निदेशक या डीन) - सभापति;

(बी) चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक - सदस्य

(सी) तीन वरिष्ठ संकाय सदस्य (प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम से एक-एक सदस्य)

(डी) वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी (एक कॉलेज से और एक अस्पताल से) - सदस्य;

(ई) गुणवत्ता प्रबंधन पर एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य;

(एफ) एक वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य सचिव।

(3) (सी) और (एफ) में उल्लिखित सदस्यों और सदस्य सचिव को संस्था के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा।

(4) मनोनीत सदस्यों की सदस्यता गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(5) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन समिति तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(6) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल के मुख्य कार्य हैं:

(ए) संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक, नैदानिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणवत्ता मापदंडों का विकास और अनुप्रयोग;

(बी) शिक्षार्थी-केंद्रित माहौल बनाने की सुविधा प्रदान करना;

(सी) गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रिया के संबंध में 360-डिग्री प्रतिक्रिया की व्यवस्था;

(डी) गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में हितधारकों को संवेदनशील बनाना;

(ई) विभिन्न गुणवत्ता इनपुट कार्यक्रमों का संगठन;

(एफ) गुणवत्ता में सुधार लाने वाली कॉलेज की सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण;

(जी) गुणवत्ता संबंधी गतिविधियों का समन्वय करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करना;

(एच) डाटा-बेस का विकास।

(7) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल संस्थान में गुणवत्ता परिवर्तन के लिए एक गतिशील प्रणाली होगी।

44. मानव संसाधन (कॉलेज के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता)।- (1) पांचवी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट 60, 100, 150 और 200 छात्र क्षमता के लिए नियमित आधार पर न्यूनतम क्रमशः 30, 45, 69 और 89 पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और, अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी सिखाने के लिए एक अंशकालिक बायोस्टैटिस्टिशियन,

पूर्णकालिक योग प्रशिक्षक (60, 100 और 150 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए एक योग प्रशिक्षक, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए दो योग प्रशिक्षक, एक पुरुष और एक महिला), और एक पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक या प्रशिक्षक, नियुक्त किया जाएगा।

- (2) बायोस्टैटिस्टिशियन के पास भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित न्यूनतम योग्यता होगी और अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी सहित नोई अनुगविधि विभाग में काम कर रहा हो (निवारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और अनुशासन)।
- (3) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम स्नातक डिग्री धारक होगा।
- (4) योग प्रशिक्षक की न्यूनतम योग्यता भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित के अनुसार होगी।
- (5) योग प्रशिक्षक वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग में काम कर रहा हो और कॉलेज और अस्पताल दोनों में काम करेगा।
- (6) हर सिद्ध कॉलेज या संस्थान संस्था का प्रमुख प्रिंसिपल या निदेशक को आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित शैक्षिक प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम से गुजरना होगा और संस्था के प्रमुख का पद धारण करने के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है ऐसा न करने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा संस्था के प्रमुख के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (7) कॉलेज की विभिन्न इकाइयों या अनुभागों या विभागों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी और अन्य कर्मचारियों) की न्यूनतम संख्या और उनकी शैक्षणिक योग्यता **छठी अनुसूची** में निर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगी।
- (8) 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए नियमित आधार पर क्रमशः न्यूनतम 46, 48, 66 और 72 गैर-शिक्षण कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।

45. अध्यापन के दिन- (1) शिक्षण स्टाफ की उपस्थिति का मूल्यांकन शिक्षक दिवसों के अनुसार किया जाएगा।

- (2) अध्यापन के दिनों की गणना प्रत्येक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्था के सभी शिक्षकों के लिए संचयी रूप से की जाएगी;
- (3) अध्यापन के दिनों की गणना निम्नानुसार की जायेगी:-
 - (ए) 'गणना की अवधि' को परीक्षा या मूल्यांकन के महीने से पहले के बारह महीने के रूप में माना जाएगा;
 - (बी) किसी शिक्षक के कार्य दिवसों को केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध उपस्थिति (बायोमेट्रिक या आईरिस पहचान या चेहरा पहचान या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य) से माना जाएगा;
 - (सी) किसी संस्थान के कार्य दिवसों को उस विशेष मूल्यांकन अवधि में दिनों की कुल संख्या में से आधिकारिक छुट्टियां घटाकर उस अवधि को माना जाएगा;
 - (डी) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छुट्टियां और जिला कलेक्टर द्वारा घोषित छुट्टियां ही छुट्टियां मानी जाएंगी;
 - (ई) कॉलेज को किसी भी स्थानीय आधिकारिक छुट्टियों आदि को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से छुट्टी की घोषणा के दस दिनों के भीतर उचित दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा ;
 - (एफ) दस दिनों के बाद किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा;
 - (जी) संस्थान के लिए व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों के साथ-साथ संचयी शिक्षक दिनों की गणना के लिए केंद्रीय सर्वर पर उपलब्ध डेटा को ही माना जाएगा;
 - (एच) "व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों की गणना" गणना की अवधि के दौरान एक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कॉलेज के कार्यों में भाग लेने वाले दिनों की संख्या और गणना की अवधि दौरान शिक्षक द्वारा संस्था से जुड़े कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर की जाती है।
 - (आई) व्यक्तिगत अध्यापन के दिनों की गणना नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार की जाती है:

पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में महाविद्यालय में उपस्थिति वाले दिवसों की संख्या	X100
शिक्षक के संस्था से संबद्धरहने वाली अवधि में कार्य दिवसों की संख्या	

(जे) प्रत्येक शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट कार्य दिवसों की संख्या का न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थित होना होगा और मानवत्व अवकाश और लंबी बीमारी के लिए चिकित्सा अवकाश को छोड़कर शिक्षण से शेष 25 प्रतिशत के लिए निरंतर अनुपस्थिति को अनुमति नहीं दी जाएगी;

(के) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यदि आवश्यक हो तो लंबे समय तक ली गई चिकित्सा अवकाश की जांच और सत्यापन के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकता है;

(एल) संस्थान के संचयी अध्यापन के दिनों की गणना नीचे दिए गए फार्मूला के अनुसार की जाती है:

मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा उपस्थित कुल कार्य दिवसों की संख्या*	X 100
मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्था के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या#	

स्पष्टीकरण।-

* मूल्यांकन अवधि के दौरान सभी शिक्षकों द्वारा उपस्थित कुल कार्य दिवसों की गणना सभी शिक्षकों की व्यक्तिगत उपस्थिति को जोड़कर की जा सकती है;

#मूल्यांकन अवधि के दौरान संस्थान के सभी शिक्षकों के कार्य दिवसों की कुल संख्या की गणना उस मूल्यांकन अवधि में कार्य दिवसों की संख्या को उस विशेष छात्र प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट शिक्षकों की न्यूनतम संख्या से गुणा करके की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मूल्यांकन की पूरी अवधि के लिए कॉलेज में 30 शिक्षक उपस्थित थे और बारह महीने की उस मूल्यांकन अवधि के लिए कार्य दिवस 300 दिन थे, तो कुल कार्य दिवस होंगे: 30X300 = 9000।

46. शिक्षण स्टाफ की कार्यमुक्ति और प्रतिस्थापन.- (1) शिक्षण स्टाफ को नियुक्ति आदेश में दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार या अधिकतम तीस दिनों की नोटिस अवधि के भीतर, जो भी कम हो, इस्तीफा देने पर कार्यमुक्त किया जाएगा। लंबित कानूनी मुद्दों वाले शिक्षकों के मामले को छोड़कर।

(2) निर्दिष्ट अवधि से अधिक कर्मचारियों को रोकने और कार्यमुक्ति आदेश और अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने वाले सिद्ध मेडिकल कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दंडित किया जाए।

(3) यदि शिक्षक को सरकारी नियुक्ति मिल जाती है, तो उसे उसके अनुरोध के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

(4) संस्थान से कार्यमुक्त किए गए शिक्षण कर्मचारियों के मामले में, संस्थान शिक्षक को कार्यमुक्त करने की तारीख से तीन महीने के भीतर रिक्त पद को एक योग्य शिक्षक भर देगा। नियुक्ति में देरी की स्थिति में, कॉलेज को प्रति माह न्यूनतम वेतन का तीन गुना या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट देरी अवधि के प्रत्येक महीने के लिए दंडित किया जाएगा।

(5) विलंब की अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(6) तीन महीने से अधिक की देरी को गैर-नियुक्ति माना जाएगा।

(7) शिक्षक की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्तियों के मामलों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के लिए तीन महीने के समय का प्रावधान लागू नहीं होगा।

47. अनुमति पत्र जारी होने से पहले की अवधि के लिए परामर्शदाताओं और शिक्षण स्टाफ का अनुभव।- (1) शिक्षण संकाय के अनुभवकी गणना (ए) यदि शिक्षक ने आशय पत्र प्राप्त करने के बाद कार्यग्रहण किया है तो शिक्षण अनुभव को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गिना जाएगा।

(बी) यदि शिक्षक आशय पत्र जारी होने से पहले कार्यभार ग्रहण करता है, तो शिक्षण अनुभव आशय पत्र जारी होने की तारीख से गिना जाएगा;

(2) परामर्शदाताओं का अनुभवकी गणना (ए) आशय पत्र प्राप्त करने से पहले की अवधि के लिए, शिक्षण अनुभव को वास्तविक कार्य की अवधि के लिए अधिकतम दो वर्ष तक के लिए गिना जाएगा।

(बी) यदि आशय पत्र प्राप्त होने के बाद कार्यभार ग्रहण किया तो अनुभव की गणना नियुक्ति की तारीख से की जाएगी।

48. जुर्माना आदि। शिक्षण और अन्य कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में किसी भी कदाचार में शामिल कॉलेजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के अनुसार दंडित किया जाएगा या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी;

49. शिक्षण स्टाफ की प्रतिनियुक्ति.-(1) कॉलेज या संस्थान निम्नलिखित स्थितियों में कर्मचारियों को आधिकारिक ड्यूटी पर नियुक्त करेगा, अर्थात्:

(क) आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा आधिकारिक असाइनमेंट के मामलों में;

(बी) उस स्थिति में जब आयोग कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम या क्षमता निर्माण कार्यक्रम या ऐसे किसी अन्य कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए कहा गया है;

(2) ऐसे मामलों में, यात्रा के दिनों के साथ-साथ आयोग के आधिकारिक पत्र में निर्दिष्ट ड्यूटी दिनों के लिए ऑन-ड्यूटी छुट्टी स्वीकृत की जाएगी।

अध्याय- IV

संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

50. सामान्यतः सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल - (1) सिद्ध मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक पूरी तरह कार्यात्मक शिक्षण अस्पताल, जो इन विनियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता मानकों को पूरा करता है मेडिकल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और परामर्श, निदान (नैदानिक और जांच), उपचार (चिकित्सा, प्रक्रियात्मक और शल्य चिकित्सा), निवारक स्वास्थ्य देखभाल, उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ दवा वितरण, चिकित्सा सलाह, परामर्श, नर्सिंग देखभाल, आपातकालीन देखभाल, सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियाँ सहित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे और अस्पताल प्रबंधन प्रणालियों को बनाए रखेंगे। सभी संबंधित खर्च अस्पताल के आधिकारिक बैंक खाते में दर्शाए जाएंगे, और अस्पताल अपनी जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के साथ किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज करने या उसकी देखभाल करने के लिए तैयार रहेगा।

(2) शिक्षण अस्पताल, अस्पताल को स्थापित करने और चलाने के लिए संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या मंजूरी की अद्यतन प्रतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डको और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(3) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसी अनुमति या मंजूरी की उपलब्धता की पुष्टि करने के बाद आवेदक कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(4) सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल रोगियों के लिए आसानी से सुलभ होगा और एम्बुलेंस सहित वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए प्रावधान होगा;

(5) अस्पताल की सभी प्रवेशों और निकासों को स्पष्ट रूप से सीमांकित और समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा;

(6) उचित एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं होंगी।

(7) सभी प्रवेश द्वार और निकास सहित पूरा अस्पताल, गैर-एम्बुलेंट (व्हीलचेयर, स्ट्रेचर), अर्ध-एम्बुलेंट, दृष्टिबाधित और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त चौड़ा और बाधा मुक्त होगा;

(8) अस्पताल के सभी गलियारों में कम से कम आठ फीट की चौड़ाई होनी चाहिए ताकि स्ट्रेचर की सुगम आवाजाही और मोड़ सुनिश्चित हो सके;

(9) सीढ़ियों, एस्केलेटर या लिफ्ट होने के बावजूद, सभी मंजिलों को जोड़ने वाला एक रैंप अनिवार्य है।

(10) स्ट्रेचर की मुक्त आवाजाही की सुविधा के लिए उचित घुमावदार मोड़ के साथ रैंप भी कम से कम आठ फीट चौड़ा होना चाहिए।

(11) अलग-अलग विकलांग-अनुकूल शौचालय; पुरुषों और महिलाओं के लिए

- (12) आपातकालीन स्थिति में मरीजों को बचाने के लिए शौचालयों और स्नानघरों के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
- (13) आपातकालीन घोषणाओं और अलर्ट के लिए पूरे अस्पताल से जुड़ी एक केंद्रीकृत घोषणा प्रणाली होगी।
- (14) पूरा अस्पताल टेलीफोन से जुड़ा होगा, और प्रत्येक इकाई में एक इंटरकॉम सुविधा होगी।
- (15) पूरे अस्पताल में उचित अग्नि सुरक्षा और आग बुझाने की व्यवस्था होगी।
- (16) आपदा रोकथाम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन उपाय भी होने चाहिए।
- (17) अस्पताल में उचित स्थानों पर पीने के पानी (गर्म और ठंडे) की सुविधाएं और पुरुष और महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय (मरीजों, अस्पताल के कर्मचारियों, मेडिकल छात्रों, प्रशिक्षुओं, डॉक्टरों और सलाहकारों के लिए अलग-अलग) होंगे।
- (18) पूरे अस्पताल में उचित चित्र डिस्प्ले करते हुए कम से कम दो भाषाओं में स्पष्ट संकेत होना चाहिए, जिसमें एक स्थानीय भाषा भी शामिल है।
- (19) प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी को आवश्यक समय उचित स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। मरीजों के अधिकारों, जिम्मेदारियों और झूटी पर चिकित्सा पेशेवरों पर हमला करने के कानूनी पहलुओं के बारे में विवरण प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (20) प्रशासनिक उद्देश्य के लिए अस्पताल को रिसेप्शन और पंजीकरण क्षेत्र, बाह्य-रोगी क्षेत्र, डायग्नोस्टिक क्षेत्र, आंतरिक-रोगी क्षेत्र, प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है।

51. स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र.- (1) इस क्षेत्र में पहली अनुसूची के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा, अर्थात्, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर, 100 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर 150 छात्रों के लिए छात्र प्रवेश क्षमता, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 250 वर्ग मीटर क्षेत्र होगा और यह जोन रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर पंजीकरण और बिलिंग काउंटर, मेडिकल रिकॉर्ड रूम, प्रवेश लाँबी और परिचालन क्षेत्र आदिको समायोजित करेगा।

(2) (ए) रिसेप्शन और पूछताछ काउंटर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख स्थान पर उपलब्ध होगा;

(बी) रिसेप्शनिस्ट को अधिमानतः बहुभाषी होना चाहिए और अस्पताल की सभी सेवाओं, विभाग या विशेषज्ञता-वार परामर्शदाताओं और उनके बाह्य रोगी विभागों के दिन, अस्पताल सेवाओं की उपलब्धता के दिन और समय आदि की अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए;

(सी) काउंटर पर अस्पताल सेवाओं पर अद्यतन जानकारी वाला एक कंप्यूटर सिस्टम और कॉल ट्रांसफर सुविधा के साथ एक टेलीफोन कनेक्शन होगा;

(डी) इस काउंटर में जनसंपर्क अधिकारी, यदि कोई हो, के लिए स्थान होगा;

(ई) इस क्षेत्र में एक सुझाव बॉक्स, शिकायत बॉक्स या फीडबैक बॉक्स रखा जाएगा।

(3) पंजीकरण और बिलिंग काउंटर (ए) नए रोगियों या ग्राहकों के लिए केंद्रीय बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण, पुराने रोगियों या ग्राहकों के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण, केंद्रीय अंतः रोगी विभाग पंजीकरण और दाखिला, और बिलिंग और भुगतान विभाग के लिए प्रतीक्षा क्षेत्रों के साथ पर्याप्त संख्या में पंजीकरण काउंटर होंगे।

(बी) यहां एक कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय पंजीकरण सिस्टम होगा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को वास्तविक समय के डेटा की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी;

(सी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग किसी भी अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश करता है, अतः अनुशासित सॉफ्टवेयर में बदलाव करना अनिवार्य है;

(डी) अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या आयुष-अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित राष्ट्रीय आयुष रूग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ("नमस्ते" पोर्टल) के साथ जोड़ा जाना चाहिए;

(4) (ए) बाह्य रोगी विभाग और अन्तः-रोगी विभाग के रोगियों से संबंधित सभी चिकित्सा अभिलेखों को अस्पताल द्वारा चिकित्सा अभिलेख कक्ष में रखा जाएगा।

(बी) जो अस्पताल पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, उन्हें सभी मेडिकल रिकॉर्ड भौतिक रूप में बनाए रखने होंगे, और मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन होगा;

(सी) पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत अस्पतालों में, भौतिक रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता नहीं है;

(डी) अस्पताल बाह्य-रोगी विभाग के रोगियों, आंतरिक रोगी विभाग के रोगियों, प्रयोगशाला, रेडियोलॉजिकल या सोनोग्राफिक जांच रिपोर्ट, दवा वितरण रजिस्टर, आंतरिक रोगी विभाग के रोगियों के लिए आहार रजिस्टर, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् के बाह्य चिकित्सा एवं विशेष मेडिसिन) थेरेपी सेक्शन रजिस्टर, लेबर रूम रजिस्टर, ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर, फार्मसी स्टॉक रजिस्टर, दवा इंडेंट रजिस्टर, अस्पताल के कर्मचारियों का झूठी रोस्टर, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, आदि विभाग-वार केस रिकॉर्ड रखेगा ताकि इस विनियम 52 के उप-विनियम (19) और विनियम 54 के उप-विनियम (16) और (17) में निर्दिष्ट मानक को पूरा करने वाला वास्तविक कार्यात्मक सिद्ध अस्पताल के दावे की पुष्टि की जा सके।

(ई) अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी (रोग रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और अनुशासन) सहित नोइ अनुगाविधी विभाग, महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से अस्पताल के आंकड़ों तक पहुंच और विश्लेषण कर सकता है।

(5) प्रवेश लॉबी और सर्कुलेशन क्षेत्र - (ए) प्रवेश लॉबी में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर रखने की व्यवस्था की जाएगी।

(बी) चिकित्सा, पैरामेडिकल और सहायक कर्मचारियों, रोगियों, छात्रों, प्रशिक्षुओं, आगंतुकों, आदि के मुक्त आवागमन के लिए पर्याप्त सर्कुलेशन क्षेत्र;

52. बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र.- (1) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र में पहली अनुसूची के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा अर्थात्, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 400 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 600 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 800 वर्ग मीटर, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 1000 वर्ग मीटर।

(2) बाह्य-रोगी विभाग क्षेत्र में स्क्रीनिंग बाह्य-रोगी विभाग, विभागवार बाह्य-रोगी विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयाँ, विशेष बाह्य-रोगी विभाग, एक ऑनलाइन परामर्श सुविधा, बाह्य-रोगी विभाग क्षेत्र प्रभारी का कार्यालय, एक दवा की दुकान या फार्मसी या औषधालय, एक रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, स्नानपान के लिए क्षेत्र, एक स्टोर, पीने के पानी की सुविधा, रोगियों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय, आदि, न्यूनतम स्थान के साथ पहली अनुसूची के अनुसार होगा।

(3) संस्था के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) द्वारा अधिकृत बाह्य-रोगी विभाग की ओर से कोई भी वरिष्ठ संकाय सदस्य बाह्य-रोगी विभाग क्षेत्र का प्रभारी होगा।

(4) बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष में प्रशिक्षुओं द्वारा प्रारंभिक परामर्श और सलाहकारों द्वारा परामर्श के लिए पर्याप्त स्थान और बैठने की व्यवस्था होगी और बीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए पदचिन्ह, चिकित्सा उपकरण और उपकरण, फर्नीचर आदि के साथ एक परीक्षा मेज से सुसज्जित होगा।

(5) एक आदर्श बाह्य रोगी विभाग परामर्श कक्ष में पर्याप्त स्थान और फर्नीचर होगा, अधिमानतः दो परस्पर जुड़े हुए कक्ष, एक प्रशिक्षुओं द्वारा प्रारंभिक परामर्श के लिए (रोगी की हिस्ट्री लेना, महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्ड करना और जांच) और दूसरा परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श के लिए।

(6) अस्पताल में कम से कम नौ बाह्य रोगी विभाग होंगे - स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग, मरूतुवम् (चिकित्सा), वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा), कन, काद, मूक्कु, तोंदड़, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग), कुजंतइ मरूतुवम् (बाल चिकित्सा), नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य), नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), और अवसरा मरूतुवम् (आपातकालीन चिकित्सा या दुर्घटना) शामिल हैं।

(7) (ए) सभी नए पंजीकृत रोगियों (आपातकालीन रोगियों को छोड़कर) की संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार जांच की जाएगी और परामर्श के लिए संबंधित बाह्य रोगी विभाग को रेफर किया जाएगा;

(बी) स्क्रीनिंग प्रणाली उपयुक्त बाह्य रोगी विभाग के साथ रोगी परामर्श की सुविधा परामर्श की सुविधा प्रदान करेगा;

(सी) स्थापना के तहत कॉलेजों के मामले में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा और पूरी तरह से स्थापित कॉलेजों के मामले में प्रशिक्षकों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी;

(डी) स्क्रीनिंग मानदंड प्रत्येक सिद्ध संस्थान द्वारा विभागीय बाह्य-रोगी विभागों और मौजूदा विशेष बाह्य-रोगी विभागों के अनुसार बनाए जाएंगे और संबंधित विभाग के लिए उचित ओरिएन्टेशन और प्रशिक्षण के बाद लागू किए जाएंगे;

(ई) बाह्य रोगी विभाग में, मुख्य शिकायत, ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, तापमान, नाडीनडई परिसोथानाई (पल्स रीडिंग), यक़्काई इलक्कनम (स्वभाव) और अन्य बुनियादी मापदंडों को दर्ज किया जाएगा; पल्स रीडिंग के लिए, कोई भी विश्वसनीय उपकरण या उपकरण उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

(एफ) रोगी संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्क्रीनिंग काउंटर होंगे यानी 60 और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो काउंटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार;

(जी) प्रत्येक काउंटर के लिए, बीसवीं अनुसूची के अनुसार अस्पताल प्रबंधन सॉफ्टवेयर और उपकरणों से जुड़ा एक कंप्यूटर प्रदान किया जाएगा।

(एच) बाह्य-रोगी विभाग परामर्श के लिए एक टोकन सिस्टम होगा और रोगियों या ग्राहकों को बाह्य-रोगी विभाग संख्या उद्धृत करके संबंधित बाह्य-रोगी विभाग के पास भेजा जाएगा;

(आई) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग पहले और दूसरे व्यावसायिक छात्रों को पूर्व नैदानिक एक्सपोजर के लिए अवसरा प्रदान करेगा; तदनुसार, छात्रों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी;

(जे) क्लिनिकल एक्सपोजर और क्लिनिकल प्रशिक्षण अलग-अलग हैं; नैदानिक माहौल से परिचित होने और महत्वपूर्ण लक्षणों, शरीर के टेम्परेमेंट आदि की जांच में प्रशिक्षित होने के लिए छात्रों को नैदानिक एक्सपोजर; छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें नैदानिक निदान, नैदानिक जांच और रोग के बीच संबंध और रोग के उपचार में प्रशिक्षित करना है;

(के) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी या उप चिकित्सा अधीक्षक या नामित बाह्य रोगी विभाग जोन प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

(8) मरूतुवम् (मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग, मरूतुवम् (मेडिसिन) विभाग के तहत कार्य करेगा; संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार सामान्य शिकायतों या हालत वाले मरीज़ इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करते हैं।

(9) (ए) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरैप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरैप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग के तहत काम करेगा।

(बी) विशिष्ट हालत वाले रोगियों को जिन्हें संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार वर्मा थेरेपी, पुरेमरूतुवम् (बाह्य उपचार), योग मरूतुवम् (योग थेरेपी), कायाकार्पम या कायाकल्प चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा और अन्य विशेष उपचार की आवश्यकता है, वे इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करेंगे।

(सी) अन्य बाह्य रोगी विभाग और विशेष बाह्य रोगी विभाग (यदि कोई हो) ऐसे उपचारों की आवश्यकता के आधार पर रोगियों को वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरैप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) बाह्य रोगी विभाग में भेज सकते हैं।

(डी) रेफरल के मामले में, बाह्य रोगी विभाग के सलाहकार उस सलाहकार के साथ समन्वय में काम करेंगे जिसने मामले को विभाग को संदर्भित किया था; और

(ई) यह बाह्य रोगी विभाग माइनर थेरेपी/प्रक्रिया कक्ष से जुड़ा होगा जिसमें बाह्य रोगी विभाग आधारित वर्मम चिकित्सा, बाह्य थेरेपी, विशेष चिकित्सा, थोक्कनम सहित पुरेमरूतुवम् और अन्य विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी;

(10) (ए) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी) शामिल हैं। यह बाह्य रोगी विभाग अरूवइ कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(बी) विशिष्ट हालत वाले रोगियों को जिन्हें अरूवइ (सर्जिकल) या अग्नि (थर्मल) या करम (क्षार या कास्टिक) उपचार की आवश्यकता होती है, कन (आंख), काद (कान), मूक्कु (नाक), तोंदइ (गले) पल (दांत), और तोल (त्वचा) से संबंधित समस्या है उन्हें संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार को इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जाएगा;

(सी) यह बाह्य-रोगी विभाग बाह्य-रोगी विभाग आधारित माइनर सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक माइनर प्रोसीजर कक्ष से जुड़ा होगा;

(11) सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग)।- (ए) यह बाह्य रोगी विभाग सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(बी) संस्थागत स्क्रीनिंग मानदंडों के अनुसार सूल और मागलिर मरूतुवम् प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान, प्रसवोत्तर और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के लिए इस बाह्य रोगी विभाग से परामर्श लें;

(सी) इस बाह्य रोगी विभाग में शौचालय की सुविधा के साथ एक संलग्न जांच सह लघु प्रक्रिया कक्ष होगा;

(12) कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)।- (ए) यह बाह्य रोगी विभाग कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(बी) संस्थागत जांच मानदंडों के अनुसार सामान्य शिकायतों वाले बाल रोगियों (18 अठारह वर्ष की आयु तक) कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)को बाह्य रोगी विभाग से परामर्श करने की आवश्यकता होगी; और

(सी) सिद्ध प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली दवाएं और टीकाकरण या टीकाकरण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(13) (ए) नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य) बाह्य रोगी विभाग अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी (रोग निवारण के सिद्धांत और अनुशासन और जन स्वास्थ्य) सहित नोई अनुगाविधी विभाग के तहत कार्य करेगा और यह बाह्य रोगी विभाग आहार, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य के संदर्भ में लोगों की जरूरतों को पूरा करता है;

(बी) नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् बाह्य रोगी विभाग (नोई अनुगाविधी ओझुक्कम स्वास्थ्य कार्ड) जारी करेगा जिसके माध्यम से याक्कई (शरीर की संरचना या स्वभाव) और मुथ्थथु आधारित व्यक्तिगत या अनुकूलित थिनई ओझुक्कम (भू-विशिष्ट नियम), नाल ओझुक्कम (दिन-वार नियम), काल ओझुक्कम (मौसम के अनुसार नियम), मौसम के अनुसार सफाई के तरीके, उनवमुराई (आहार), जीवनशैली में संशोधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य, व्यायाम, योग, आदि को निर्धारित किया जाना और बढ़ावा दिया जाना है;

(सी) यह बाह्य रोगी विभाग मरीजों के लिए दवाएँ निर्धारित करने और उपचार प्रक्रियाएँ करने के लिए नहीं है;

(डी) किसी अन्य विभाग से संबंधित रोगियों को निवारक या प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल, जीवनशैली और आहार नियमों, व्यायाम, योग आदि पर परामर्श के लिए नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर एंड पब्लिक हेल्थ) इस बाह्य रोगी विभाग में भेजा जा सकता है;

(ई) आहार और जीवन शैली प्रबंधन, निवारक और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल उपायों और अन्य संबंधित मामलों के परिप्रेक्ष्य में सलाह प्रदान करने के लिए बाह्य रोगी विभाग के सलाहकारों की सेवाओं का उपयोग रोगी विभागों में किया जा सकता है।

(एफ) यह बाह्य रोगी विभाग मौसमी या महामारी फैलने की स्थिति में सिद्ध निवारक या प्रोत्साहन या रोगनिरोधी दवाओं और उपायों की सलाह देता है;

(जी) विभाग कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग) विभाग के समन्वय से टीकाकरण सुविधा प्रदान कर सकता है; और

(एच) इस बाह्य रोगी विभाग में परामर्श उद्देश्यों के लिए क्यूबिकल होंगे (क्रमशः 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 1, 2, 3, और 4 क्यूबिकल)।

(14) (ए) नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग के तहत कार्य करेगा ;

(बी) जहरीली हालत जैसे जहरीले जीव के काटने या डंक, इडुमारुन्थु नशा, पोरुथौनावु (असंगत भोजन) के कारण विषाक्त प्रभाव, विषाक्त लक्षण या दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव आदि वाले रोगी संस्थागत स्क्रिनिंग मानदंडों के अनुसार, नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग से परामर्श लें।

(15) (ए) अवसरा मरुतुवम् (आपातकालीन चिकित्सा या कैजुअल्टी यूनिटयूनिट मरुतुवम् विभाग के तहत कार्य करेगी; आवश्यकतानुसार अस्पताल के अन्य विभागों के परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा;

(बी) आपातकालीन चिकित्सा या कैजुअल्टी यूनिट चौबीस घंटे काम करेगी और आपातकालीन चिकित्सा या कैजुअल्टी यूनिट के लिए कोई छुट्टी नहीं होगी;

(सी) इस यूनिट में ओबजर्वेश बेड होंगे, और ऐसे बेडों को अंतःरोगी विभाग के बेड के रूप में नहीं गिना जाएगा। ओबजर्वेश बेड 60 और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम दो, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए तीन, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए चार होंगे;

(डी) आपातकालीन रोगियों को देखने लिए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर और आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे;

(ई) यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस से संबंधित राज्य के नियमों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो तो संस्थान बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) योग्य डॉक्टर को नियुक्त कर सकता है;

(एफ) बीसवीं अनुसूची के अनुसार यह यूनिट उपकरणों और उपकरणों से सुसज्जित होगी ;

(जी) चौथी अनुसूची के अनुसार आधुनिक मेडिकल स्टाफ के तहत चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवा का उपयोग किया जाएगा।

(16) (ए) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थागत में विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लीनिक हो सकते हैं;

(बी) विभागों से कोई भी सिद्ध संकाय सदस्य जैसे कि मरुतुवम् (चिकित्सा), वर्मम पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा), कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) और नोई अनुगविधि मरुतुवम् (सिद्ध डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और पब्लिक हेल्थ), यदि रुचि रखते हैं और विशेषज्ञता या अनुभव रखते हैं, तो संबंधित रोग या चिकित्सीय प्रक्रिया के नाम पर एक विशेष बाह्य रोगी विभाग प्रदान किया जा सकता है;

(सी) सिद्ध मरुतुवम् मूलतत्तुवम (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत) उडल कूरुगल (एनाटॉमी), उडल तत्वम (फिजियोलॉजी), गुणपाडम - मरुंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी), गुणपाडम - मरुनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्माक्यूटिक्स), और नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी), विभागों से संबंधित कोई भी सिद्ध संकाय सदस्य, यदि नैदानिक सेवाएं प्रदान करने में रुचि रखते हैं, तो विशेष प्रशिक्षण या विशेष अस्पतालों आदि काम करने से प्राप्त उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विशेष बाह्य-रोगी विभाग प्रदान किया जा सकता है, और ऐसे विशेष बाह्य-रोगी विभाग संबंधित रोग या चिकित्सीय प्रक्रिया के नाम पर होगा;

(डी) खंड (बी) और (सी) में ये विशेष बाह्य रोगी विभाग उल्लिखित नैदानिक प्रासंगिकता के अनुसार निम्नलिखित विभागों में से किसी एक के तहत कार्य करेगा जैसे कि मरुतुवम् (चिकित्सा), वर्मम पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा), अरूवइ तथा जिसमें कन, काद, मूक्कु, तोंदइ शामिल हैं। पल और तोल मरुतुवम् (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा) और सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) उपरोक्त विभाग का प्रमुख उस विशेष विशेष बाह्य रोगी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होगा, और संबंधित विभाग सभी रिकॉर्ड बनाए रखेगा;

(ई) स्पेशलिटी क्लीनिक या स्पेशलिटी बाह्य रोगी विभाग न्यूनतम आवश्यकता से अधिक हैं, इसलिए इन्हें अस्पताल की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

(17)(ए) संस्थान टेलीपरामर्श प्लेटफार्मों के माध्यम से एक ऑनलाइन परामर्श सुविधा प्रदान करेगा;

(बी) उसका बाह्य-रोगी विभाग अनुभाग बाह्य-रोगी विभाग प्रभारी के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(सी) टेलीपरामर्श के समय के साथ-साथ विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की उपलब्धता, टेलीपरामर्श प्लेटफार्मों और संस्थागत वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जाएगी।

(18) (ए) प्रत्येक सिद्ध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्रग स्टोर या डिस्पेंसरी या फार्मैसी होगी।

(बी) गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्माक्स्यूटिक्स) विभाग का एक नामित संकाय सदस्य या एक विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति (बीएसएमएस योग्यता और सिद्ध फार्मैसी या डिस्पेंसरी या ड्रग स्टोर में पांच साल का अनुभव) दवा स्टोर या औषधालय या फार्मैसी का प्रभारी होगा;

(सी) दवा खरीद या खरीद समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अस्पताल सूत्र होगा।

(डी) दवा खरीद या खरीद समिति में मरूतुवम् (चिकित्सा), वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा), अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल और तोल मरूतुवम् (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग सहित), कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)। चिकित्सा और विष विज्ञान) और नोइ अनुगाविधि मरूतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य); के विभागों के प्रमुख शामिल होंगे

(ई) समिति हर तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी और आवश्यकतानुसार फॉर्मलरी को ताज़ा या अपडेट करेगी;

(एफ) दवाएं केवल गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस-प्रमाणित फार्मैसियों से खरीदी जाएंगी; प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए या फार्मैसी शिक्षण या व्यावहारिक प्रयोगशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में छात्रों द्वारा तैयार की गई दवाएं मरीजों को नहीं दी जाएंगी, क्योंकि ऐसी दवाएं अच्छे विनिर्माण पद्धति के तहत तैयार नहीं की जाती हैं और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के अधीन नहीं होती हैं;

(जी) दवाओं के तौल, मिश्रण, पैकिंग और वितरण की सुविधाएं होंगी;

(एच) योग्य और प्रशिक्षित फार्मासिस्ट, जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट है, दवाएं वितरित करेंगे;

(आई) समाप्त हो चुकी दवाओं को हटाने का एक उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा।

(जे) दवा स्टोर प्रभारी, प्रशिक्षुओं और छात्रों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी;

(के) फार्मैसी चिकित्सा छात्रों को दवा, प्रिस्क्रिप्शन, दवा की खुराक, अनुपनम या सहायक, चक्रवृद्धि, वितरण, शेल्फ-लाइफ आदि का अनुभव प्रदान करेगी; और

(एल) दवा की दुकान और औषधालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया होगा।

(19) (ए) बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति वाले छात्रों का अनुपात 1:2 होगा, और संस्थान की छात्र सेवन क्षमता के अनुसार बाह्य रोगी विभागों में रोगियों की न्यूनतम प्रति दिन औसत संख्या नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होगी।

तालिका

बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता

छात्र सेवन क्षमता	पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान ओपीडी में प्रतिदिन न्यूनतम मरीजों की औसत संख्या (300 दिन) (1:2 छात्र-रोगी अनुपात)
(1)	(2)
साठ	120
सौ	200
एक सौ पचास	300
दो सौ	400

(बी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष के लिए बाह्य-रोगी विभाग के रोगी के उपचार डेटा की गणना 300 दिनों की बाह्य-रोगी विभाग के रोगियों की औसत संख्या के आधार पर की जाएगी।

53. डायग्नोस्टिक जोन- (1) इस क्षेत्र में पहली अनुसूची के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा अर्थात्, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 175 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 200 वर्ग मीटर और 200 छात्रों के लिए 225 वर्ग मीटर।

- (2) यह क्षेत्र नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग के तहत कार्य करेगा।
- (3) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल के विभाग के प्रमुख या संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकृत नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल के एक संकाय सदस्य निदान क्षेत्र का प्रशासनिक प्रमुख होगा और सिद्ध सिद्धांतों के संदर्भ में व्याख्या करके जांच रिपोर्ट को प्रमाणित करेगा।
- (4) इस जोन में नैदानिक प्रयोगशाला, इमेजिंग सेक्शन अन्य नैदानिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और अठारहवी अनुसूची और उन्नीसवीं अनुसूची में उल्लिखित उपकरण शामिल होंगे।
- (5) इस क्षेत्र में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ एक रोगी प्रतीक्षा क्षेत्र, सैम्पल लेने और प्रोसेसिंग के लिए एक क्षेत्र, रिपोर्ट जारी करने और भुगतान के लिए एक काउंटर, डायग्नोस्टिक जोन प्रभारी के लिए एक कार्यालय, एक स्टोर, पुरुष और महिला मरीजों के लिए अलग-अलग शौचालय होंगे।
- (6) मानकों के अनुरूप बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली होगी।
- (7) क्लिनिकल प्रयोगशाला को हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से संबंधित परीक्षण करने के लिए अलग-अलग अनुभागों से सुसज्जित किया जाना चाहिए।
- (8) इमेजिंग अनुभाग में उन्नीसवीं अनुसूची में उल्लिखित एक्स-रे (अधिमानत: डिजिटल) और अल्ट्रासोनोग्राफी शामिल होगी।
- (9) रेडियोलॉजी अनुभाग परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।
- (10) इमेजिंग अनुभाग में एक ड्रेस चेंजिंग रूम होगा; रेडियोलॉजी स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- (11) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) आदि जैसी अनिवार्य जानकारी का उचित प्रदर्शन किया जाएगा।
- (12) इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि जैसे अन्य निदान के लिए एक अलग अनुभाग प्रदान किया जाएगा।
- (13) नाडी परिशोधनई (नाडी मूल्यांकन या पठन), सिरुनीर परिशोधनई (नीरकुरी, नैक्कुरी), मन्कडई नूल (कलाई की परिधि आय कर सिद्ध मानवनिती), याक्कई ईलक्कनम (शरीर की बनावट या हालत) और करने के लिए सिद्ध नैदानिक उपकरण या उपस्करों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाएगा।

54. अंत:रोगी विभाग क्षेत्र- (1) इन-पेशेंट डिपार्टमेंट जोन में पहली अनुसूची के अनुसार न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा अर्थात्, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 1250 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 2000 वर्ग मीटर, 150 छात्रों के प्रवेश क्षमता के लिए 2750 वर्ग मीटर, और 200 छात्रों के प्रवेश क्षमता के लिए 3500 वर्ग मीटर होगी और इसमें रोगी विभाग के बाद वार्ड, संबंधित प्रक्रिया कक्ष, नर्सिंग स्टेशन, क्लिनिकल क्लासरूम आदि होंगे। जैसा कि इन विनियमों में उल्लिखित है।

- (2) विभाग-वार ऐसे वार्ड होंगे जिनमें इन विनियमों में निर्दिष्ट किए गए बेड की संख्या संबंधित विभागों के लिए निर्दिष्ट संख्या में बेड होंगे।
- (3) पुरुष और महिला बेड के बीच स्पष्ट सीमांकन होगा; पुरुष और महिला रोगियों और उनके परिचारकों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध होंगे और स्नान के लिए गर्म पानी की सुविधा होगी।
- (4) सभी अंत:रोगी विभाग वार्डों में पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाएगा;
- (5) प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक नर्सिंग काउंटर या स्टेशन होगा, जिसमें नर्सों और प्रशिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, एक इंटरकॉम सुविधा, एक दवा भंडारण सुविधा, एक दवा मिश्रण सुविधा, दवा ट्रॉली, एक वॉश बेसिन, एक रिकॉर्ड रखने की सुविधा वगैरह होगी।

- (6) प्रत्येक वार्ड में ट्रॉलियों और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए निर्दिष्ट स्थान होंगे।
- (7) रात्रि ड्यूटी स्टाफ, यानी नर्सिंग स्टाफ, प्रशिक्षुओं और डॉक्टरों या सलाहकार के लिए आवास प्रदान किया जाएगा।
- (8) सामान्य वार्ड (पुरुष और महिला) में उचित स्थानों पर और विशेष, अर्ध-डीलक्स, डीलक्स वार्ड, यदि कोई हो, में प्रत्येक बिस्तर पर एक आपातकालीन नर्स कॉल-बेल व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- (9) अंतःरोगी विभाग के मरीजों के लिए कपड़े धोने और सुखाने की सुविधा या कपड़े धोने की सुविधा होगी।
- (10) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, विभागीय अंतःविभाग वार्डों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समूहीकृत और रख-रखाव किया जा सकता है:

(ए) चिकित्सा अंतः रोगी विभाग अनुभाग - मरूतुवम् (मेडिसिन), वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थैरेपी और विशेष चिकित्सा), कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग), और नंजु मरूतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के इन-पेशेंट विभाग वार्ड, मेडिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग के तहत समूहीकृत किए जाएंगे और रखरखाव किया जाना है; मेडिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 750 वर्ग मीटर(60 छात्र प्रवेश क्षमता), 1250 वर्ग मीटर(100 छात्र प्रवेश क्षमता), 1750 वर्ग मीटर(150 छात्र प्रवेश क्षमता) और 2250 वर्ग मीटर(200 छात्र प्रवेश क्षमता) होगा। जैसा कि पहली अनुसूची में बताया गया है;

(बी) सर्जिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग - अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् (नेत्र, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विभाग सहित सर्जरी), और सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग से संबंधित अंतःरोगी विभाग वार्ड को सर्जिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग के तहत समूहीकृत किया जाएगा ; सर्जिकल आईपी अनुभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र 500 वर्ग मीटर(60 छात्र प्रवेश क्षमता), 750 वर्ग मीटर(100 छात्र प्रवेश क्षमता), 1000 वर्ग मीटर(150 छात्र प्रवेश क्षमता) और 1250 वर्ग मीटर(200 छात्र प्रवेश क्षमता) होगा। इन विनियमों में जैसा कि पहली अनुसूची में उल्लेख किया गया है।

(11) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम बिस्तरों की संख्या वाले विभागीय अंतःरोगी विभाग वार्डों को इन विनियमों को संबंधित वार्ड प्रक्रिया कक्षों के साथ मेडिकल अंतःरोगी विभाग अनुभाग और सर्जिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग के तहत अलग-अलग समूहीकृत किया जाएगा और रख-रखाव किया जाएगा।

(12) (ए) प्रत्येक अंतःरोगी विभाग वार्ड में लघु वार्ड प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिए एक संलग्न संबंधित वार्ड प्रक्रिया कक्ष और दवा तैयार करने के लिए संलग्न रसोईघर होगा यानी चिकित्सा अंतःरोगी विभाग अनुभाग के तहत चार विभागवार वार्ड प्रक्रिया कक्ष और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग अनुभाग के तहत दो प्रक्रिया कक्ष होंगे; प्रमुख उपचार प्रक्रियाएं प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र में की जाएंगी;

(बी) प्रत्येक प्रक्रिया कक्ष नैदानिक परीक्षण के लिए बुनियादी उपकरणों और उपस्करों के साथ-साथ संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार माइनर वार्ड प्रक्रियाएं करने के लिए यंत्रों, उपभोग्य सामग्रियों और दवाओं से अच्छी तरह से सुसज्जित होगा।

(13) संबंधित प्रक्रिया कक्ष के साथ उस विशेष नैदानिक विभाग के सभी अंतःरोगी विभाग के बिस्तरों का एक ही स्थान पर होना आवश्यक है ताकि वार्ड प्रक्रियाएं सुविधाजनक और कुशल तरीके से रोगियों की कार्रवाई की जा सके।

(14) यदि अस्पताल विभिन्न श्रेणियों के रोगियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के बिस्तरों, जैसे सामान्य वार्ड (पुरुष और महिला), विशेष वार्ड, अर्ध-डीलक्स, डीलक्स, आदि का रखरखाव कर रहा है, तो ऐसी सभी श्रेणियों के बिस्तर उपरोक्त अनुभागों अर्थात् मेडिकल अंतःरोगी अनुभाग और सर्जिकल इन-पेशेंट विभाग अनुभाग अलग-अलग के तहत संबंधित प्रक्रिया कक्षों के साथ एक ही स्थान पर रखा जाना चाहिए,

(15) चिकित्सा अंतःरोगी विभाग:खण्ड और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग:खण्ड के तहत वार्डों का ऐसा समूहन, उपकरण और मानव संसाधनों के दोहराव को कम करता है और विभागों को मरीजों को सुविधाजनक, कुशलतापूर्वक, प्रभावी और आर्थिक रूप से विशेषज्ञता-वार सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है;

(16) अस्पताल के अंतःरोगी विभाग में बिस्तरों का वितरण (विभागवार) नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार होगा ।

तालिका

विभागवार अंत:रोगी विभाग बिस्तरों की न्यूनतम आवश्यकता

विभाग	वितरण	छात्रों की सेवन क्षमता और रोगी विभाग के बिस्तर			
		60	100	150	200
मेडिकल अंत:रोगी विभाग अनुभाग					
मरुतुवम्	25%	15	25	38	50
वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम	25%	15	25	38	50
कुजंतइ मरुतुवम्	05%	03	05	07	10
नंजु मरुतुवम्	05%	03	05	07	10
सर्जिकल अंत:रोगी विभाग अनुभाग					
कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरुवइ भी शामिल हैं	20%	12	20	30	40
सूल और मागलिर मरुतुवम्	20%	12	20	30	40
	बिस्तरों की कुल संख्या	60	100	150	200

(17) बिस्तरों की संख्या और छात्रों का अनुपात क्रमशः 1:1 अंत:रोगी विभाग में भरे हुए बिस्तर में चालीस प्रतिशत होगा। जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और सामान्य वार्ड में दो बिस्तरों के बीच की दूरी डेढ़ मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका

बेड और बेड अधिभोग की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता

प्रति वर्ष छात्र प्रवेश क्षमता (1)	1:1 छात्र-बिस्तर अनुपात पर आंतरिक अंत: रोगी विभाग में बिस्तरों की न्यूनतम संख्या (2)	पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन) के दौरान अन्त:- रोगी विभाग में रोगियों की न्यूनतम प्रतिदिन औसत संख्या (40% बेड अधिभोग) (3)
साठ	60 बिस्तर	24
सौ	100 बिस्तर	40
एक सौ पचास	150 बिस्तर	60
दो सौ	200 बिस्तर	80

(18) भरे हुए बिस्तरों की संख्या की गणना करने के लिए, कॉलेज प्रत्येक रोगी के भर्ती होने और छुट्टी की तारीख और समय का रिकॉर्ड रखेगा।

(19) मध्य रात्रि में रोगी द्वारा गृहीत बेड को एक दिन के रूप में गिना जाएगा और यदि किसी रोगी को मध्य रात्रि से पहले छुट्टी दे दी जाती है तो इसे 0.5 बेड-दिवस के रूप में गिना जाएगा। बेड अधिभोग की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

बेड- अधिभोग दिवसों की संख्या x 100

बिस्तरों की संख्या x दिनों की संख्या

(20) (ए)(i) मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग वार्ड यह मरूतुवम् (सामान्य चिकित्सा) विभाग के अधीन होगा;

(ii) मरूतुवम् और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक के सलाहकार, यदि कोई हों, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(iii) मरूतुवम् (मेडिसिन) विभाग का प्रमुख मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग वार्ड और गहन देखभाल इकाई अनुभाग का प्रशासनिक प्रमुख होगा;

(iv) आपातकालीन चिकित्सा या आकस्मिक बाह्य रोगी विभाग या इकाई के मरीजों को, यदि आवश्यक हो, आगे ओबजर्वेशन और उपचार के लिए अवसरा मरूतुवम् पिरिवु (आपातकालीन या आकस्मिक इकाई) द्वारा मरूतुवम् आंतरिक रोगी विभाग वार्ड में भर्ती किया जा सकता है। संबंधित विभाग के सलाहकार नैदानिक स्थिति की प्रकृति के अनुसार रोगी का उपचार करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे;

(v) मरूतुवम् (मेडिसिन) अंतःरोगी विभाग वार्ड में एक अलग गहन देखभाल इकाई अनुभाग होगा, जो वातानुकूलित होगा और ऐसे भर्ती करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार दो से चार बेड होंगे, प्रत्येक रोगियों की गहन देखभाल इकाई बिस्तर में पर्याप्त विद्युत बिंदुओं के साथ ऑक्सीजन, वैक्यूम, संपीडित वायु आउटलेट होंगे;

(vi) मरूतुवम् अन्तः-रोगी विभाग में गहन देखभाल इकाई खण्ड में आकस्मिकता मामलों की वही सुविधाएं होंगी जो बीसवीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(बी)(i) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थैरेपी और विशेष चिकित्सा) अंतःरोगी विभाग वार्ड, वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थैरेपी और विशेष चिकित्सा) विभाग के अधीन होगा;

(ii) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थैरेपी और विशेष चिकित्सा) के परामर्शदाता और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हों, इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(iii) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थैरेपी और विशेष चिकित्सा) विभाग का प्रमुख वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थैरेपी और विशेष चिकित्सा) अंतःरोगी विभाग वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;

(सी) - (i) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ शामिल हैं, अंतःरोगीवार्ड, अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् (नेत्र रोग, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा रोग सहित सर्जरी) विभाग के अंतर्गत होगा ;

(ii) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी) और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, के परामर्शदाता इस वार्ड में मरीजों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं।

(iii) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र रोग, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा रोग सहित सर्जरी) विभाग के प्रमुख, अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् (नेत्र रोग, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा रोग सहित सर्जरी) अंतः रोगी विभाग वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(डी)(i) सूल और मागलिर मरूतुवम् इन-पेशेंट विभाग वार्ड. यह सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के अधीन होगा;

(ii) सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, के परामर्शदाता इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(iii) सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग का प्रमुख सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) अंतःरोगी विभाग वार्ड का प्रशासनिक प्रमुख होगा;

(iv) नवजात शिशुओं की देखभाल कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग) परामर्शदाताओं द्वारा की जाएगी है।

(ई)(i) कुजंतइ मरूतुवम् अंतःरोगी विभाग वार्ड, कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग) विभाग के अधीन होगा;

(ii) कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा) और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, के परामर्शदाता इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(iii) कुजंतइ मरुतुवम् (बाल रोग) विभाग के प्रमुख, कुजंतइ मरुतुवम् (बाल रोग) अंतः रोगी विभाग वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(एफ) (i) नंजु मरुतुवम् अंतःरोगी विभाग वार्ड, सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग के अधीन होगा;

(ii) नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, के परामर्शदाता इस वार्ड में रोगियों को भर्ती करने के लिए अधिकृत हैं;

(iii) सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग के प्रमुख, नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) अंतःरोगी वार्ड के प्रशासनिक प्रमुख होंगे।

(जी) नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (सिद्ध आहारशास्त्र, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य) बाह्य रोगी विभाग और संबंधित विशेष बाह्य रोगी विभाग या क्लिनिक, यदि कोई हो, जो नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य) विभाग के अंतर्गत हैं। के परामर्शदातावर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) अंतःरोगी विभाग वार्ड में सामान्य व्यक्तियों को भर्ती करने, मौसमी सफाई थैरेपी, निवारक या प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल उपचार और कायाकल्प उपचार प्रदान करने के लिए अधिकृत है;

(ii) वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) अंतःरोगी विभाग के परामर्शदाता नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य;) के परामर्शदाताओं के परामर्श से खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों का इलाज करेंगे।

(iii) नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (सिद्ध आहारविज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जन स्वास्थ्य) अंतःरोगी वार्डों में किसी भी प्रकार के रोगी को भर्ती करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।

(एच) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) शिक्षण विभाग के शिक्षण संकाय, संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचित करके आवंटित नैदानिक समय या गैर-व्याख्यान घंटों के दौरान सिद्ध निदान और नैदानिक उपकरणों और विधियों के संबंध में अंतःरोगी के वार्डों में दूसरे व्यावसायिक छात्रों को पढ़ा या प्रशिक्षित कर सकते हैं।

(21)(ए) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम (इंटरैक्टिव पैनल या बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या लिक्विड-क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर, अन्य उन्नत ऑडियो-विजुअल सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन आदि) के साथ अंतःरोगी वार्डों (मेडिकल अंतःरोगी अनुभाग के लिए न्यूनतम दो नैदानिक कक्षाएं और सर्जिकल अंतःरोगी विभाग अनुभाग के लिए न्यूनतम एक नैदानिक कक्षा) से जुड़े न्यूनतम तीन नैदानिक कक्षाएं होंगी;

(बी) क्लिनिकल कक्षाओं में क्लिनिकल कक्षाओं या बेडसाइड क्लीनिक के संचालन के लिए क्लिनिकल बैच या न्यूनतम 30 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी;

(सी) प्रत्येक क्लिनिकल कक्षा में एक जांच टेबल, एक एक्स-रे व्यू बॉक्स और सामान्य नैदानिक उपकरण (स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर उपस्कर, थर्मामीटर, टॉर्च लाइट, जीभ डिप्रेसर, मापने वाला टेप, त्वचा मार्किंग पेंसिल, नी-हैमर, आदि) होना चाहिए। ;

(डी) सर्जिकल अंत रोगी विभाग के तहत कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी) और सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग) से जुड़ी नैदानिक कक्षा अनुभाग में सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं के लाइव प्रदर्शन के लिए ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा इंटरैक्टिव क्लोज-सर्किट टेलीविजन होगा।

55. प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र - (1) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र में वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) थैरेपी या प्रक्रिया अनुभाग, अरूवइ मारुतुवा पिरिवु (ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर), मगप्पेरु या प्रसव अराई (प्रसूति कक्ष) और अन्य चिकित्सा अनुभाग होंगे।

(2) (ए) वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाहरी थैरेपी और विशेष चिकित्सा) थैरेपी या प्रक्रिया अनुभाग में दो उप अनुभाग हैं अर्थात् मुत्थोडा समाना थैरेपी अनुभाग (क्लीजिंग थैरेपी अनुभाग) और वर्मम,

पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग);

(बी) इस अनुभाग के लिए क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता पहली अनुसूची के अनुसार 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 500 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 575 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 700 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 775 वर्ग मीटर होगी। और उपस्करण, उपकरण और अन्य सुविधाएं सत्रहवीं अनुसूची के अनुसार होंगी और जनशक्ति चौथी अनुसूची के अनुसार होगी;

(सी) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग क्लीजिंग थेरेपी, वर्मम थेरेपी, बाहरी थेरेपी, विशेष थेरेपी, योग थेरेपी, मनोरोग चिकित्साआदि जैसे उपचार प्रदान करेगा; हालाँकि, अरूवइ मरूतुवम् (सर्जरी) वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले कुछ बाहरी उपचार रोगियों की नैदानिक स्थिति के आधार पर अरूवइ मरूतुवा पिरिवु (माइनर ऑपरेशन थियेटर) में किए जाएंगे।

(डी) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग में रिसेप्शन, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था वाला रोगी प्रतीक्षा कक्ष, परामर्श कक्ष, तैयारी कक्ष, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष, स्टोर रूम, रिकॉर्ड रूम, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा है। गर्म और ठंडा), और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रावधान होगा;

(ई) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग बाह्य रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग दोनों प्रकार के रोगियों के लिए एक कॉमन सुविधा है;

(एफ) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग, वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग के अधीन होगा और वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग के प्रमुख या विभाग के नामित संकाय या संबंधित विषय में स्नातकोत्तर के साथ विशेष रूप से नियुक्त विशेषज्ञ के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।;

(जी) अस्पताल प्रबंधन प्रणाली या अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली के साथ कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए और उस दिन के लिए उपचारों का शेड्यूल और ड्यूटी पर सलाहकार, नर्सों और चिकित्सकों का विवरण रखना चाहिए;

(एच) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, एक्सटर्नल थेरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन) थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग में परामर्श कक्ष में सलाहकारों और इंटर्न के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एक परीक्षा टेबल, नैदानिक उपकरण जैसे स्टेथोस्कोप, रक्तचाप उपकरण, थर्मामीटर, वजन मशीन, घुटने का हथौड़ा, टॉर्च लाइट और अन्य सुविधाएं होंगी।

(आई) प्रत्येक रोगी या क्लाइट को बाहरी चिकित्सा प्रक्रियाओं से पहले और बाद में फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए परामर्श करना होगा;

(जे) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग खण्ड में उचित निकास सुविधा और इलेक्ट्रिक चिमनी और रेफ्रिजरेटर आदि सहित भंडारण सुविधाओं के साथ दवा तैयारी कक्ष होगा, नवीन दवाओं की आपूर्ति के लिए व्यवस्था होगी;

(के) स्वच्छ और गंदे उपयोग सामान के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र, उपयोग की गई वस्तुओं की सफाई के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के साथ एक धुलाई क्षेत्र और बायोमेडिकल प्रबंधन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र और तंत्र होगा;

(एल) मुत्थोडा समाना चिकित्सा अनुभाग (सफाई चिकित्सा अनुभाग) और वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) चिकित्सा या प्रक्रिया अनुभाग को उपचार प्रक्रिया के अनुसार जहां भी आवश्यक हो, पोशाक और संलग्न शौचालय बदलने के लिए पर्याप्त जगह और गोपनीयता प्रदान की जाएगी।

(एम) चिकित्सकों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और किसी भी संक्रामक बीमारी से बचने और क्रॉस-संक्रमण से बचने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जांच की जाएगी;

(एन) पुरुष और महिला थेरेपिस्टों के लिए अलग-अलग कमरा होगा, जिसमें पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, व्यक्तिगत लॉकर और संलग्न स्नानघर और शौचालय होंगे;

(ओ) उपस्कर, दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों आदि के भंडारण के लिए इस अनुभाग में भंडार बनाए रखा जाना है;
 (पी) एक आपातकालीन किट भी एक प्रमुख स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी, और दवाओं की समाप्ति से बचने के लिए दवाओं को समय-समय पर बदला जाना चाहिए।

(3) (ए) अरूवइ मरुतुवा पिरिवु (ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर), कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी) विभाग के अंतर्गत आंगे;

(बी) यह अनुभाग सामान्य सर्जिकल, सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियात्मक उपचार सुविधाएं प्रदान करता है;

(सी) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी) विभाग के प्रमुख या विभाग के नामित संकाय इस अनुभाग के प्रशासनिक प्रमुख होंगे;

(डी) पहली अनुसूची के अनुसार न्यूनतम कुल निर्मित क्षेत्र 60 छात्रों के लिए 175 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 225 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 275 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 325 वर्ग मीटर होगा। सोलहवीं अनुसूची के अनुसार उपस्कर और अन्य सुविधाएं होंगी ;

(ई) इस अनुभाग में रिसेप्शन, मरीजों के लिए एक प्रतीक्षा कक्ष, एक तैयारी कक्ष, सभी उपकरणों और उपस्करों के साथ एक ऑपरेशन थिएटर, असैप्टिक मैजर्स, एक पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी रूम, एक स्क्रब रूम, एक उपकरण कक्ष, एक सर्जन और एनेस्थेतिस्ट रूम कमरा नर्स का कमरा, सहायक का कमरा, आदि होगा;

(एफ) वहां स्टरलाइजेशन और आटोक्लेव सुविधाएं होंगी;

(जी) सोलहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल उपचार प्रदान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर से जुड़ा एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित माइनर ऑपरेशन थिएटर (सिद्ध अरूवइ मरुतुवम् प्रक्रिया कक्ष) होगा।

(4) मगाप्पेरु या प्रसव अराई (प्रसव कक्ष)- (ए) प्रसव कक्ष सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के अंतर्गत आएगा और इसमें 60 और 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम जगह यानी 50 वर्ग मीटर होगी। 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 60 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 75 वर्ग मीटर जैसा कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है और पंद्रहवीं अनुसूची के अनुसार उपकरण, उपकरण और सुविधाएं होंगी;

(बी) एक स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, तैयारी कक्ष, प्रसव कक्ष, प्रसवोत्तर रिकवरी कक्ष, उपकरण कक्ष, भंडार कक्ष, शौचालय और स्नानघर होगा;

(सी) सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के प्रमुख इस अनुभाग के प्रशासनिक प्रमुख होंगे, और विभाग के नामित संकाय प्रसव कक्ष के प्रभारी होंगे।

(5) (ए) यह इकाई वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगी;

(बी) वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग का प्रमुख या विभाग का नामित संकाय इस इकाई का प्रशासनिक प्रमुख होगा और एक फिजियोथेरेपिस्ट इस इकाई का प्रभारी होगा; और

(सी) पहली अनुसूची के अनुसार 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए कम से कम 75 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 125 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 वर्ग मीटर और सत्रहवीं अनुसूची के अनुसार फिजियोथेरेपी देने के लिए उपकरण या उपकरण होंगे।

(6) सिद्धर योगम थेरेपी अनुभाग: (ए) एक योग शिक्षक या प्रशिक्षक इस अनुभाग या इकाई का प्रभारी होगा, और वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) विभाग का प्रमुख या विभाग का नामित संकाय इस अनुभाग या इकाई का प्रशासनिक प्रमुख होगा;

(बी) यह अनुभाग वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरैप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) विभाग के तहत कार्य करेगा;

(सी) पहली अनुसूची में निर्धारित अनुसार स्थान होगा अर्थात् 60 और 100 छात्रों के लिए प्रवेश क्षमता 50 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता 75 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए सत्रहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार उपरोक्त उपकरण और सुविधाएं होंगी ;इस खंड में प्रतीक्षा क्षेत्र, योग चिकित्सा कक्ष, प्रभारी कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा आदि होंगे।

(डी) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरैप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाहरी थेरेपी और विशेष चिकित्सा) या किसी अन्य बाह्य रोगी या आंतरिक रोगी विभाग के परामर्शदाता सिद्धर योगम मरूतुवम् (सिद्धर योग थेरेपी) प्रीस्क्राइव करते हैं और योग शिक्षक या प्रशिक्षक परामर्शदाताओं के पर्चे के अनुसार योग चिकित्सा, सरपयिरची और अन्य प्रक्रियाएं प्रदान करेंगे;

(ई) यह अनुभाग रोगियों को योग चिकित्सा, स्वस्थ व्यक्तियों, कर्मचारियों और छात्रों को योग प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

56. प्रशासनिक क्षेत्र.- (1) प्रशासनिक क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान होगा, अर्थात् 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 400 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 450 वर्ग मीटर, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 500 वर्ग मीटर और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 550 वर्ग मीटर और चिकित्सा निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक के निजी सहायक, उप चिकित्सा अधीक्षक, निवासी चिकित्सा अधिकारी, निवासी शल्य चिकित्सा अधिकारी, आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी, मेट्रन, सहायक मेट्रन, कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार और अन्य कार्यालय कर्मचारियों के कार्यालयों को समायोजित करेगा, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, डॉक्टर का लाउंज, इंटर्न का कमरा, कर्मचारी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, बैठक कक्ष, दुकान, शौचालय, पेंट्री आदि।

(2) पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, संलग्न शौचालय, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि जैसी मनोरंजक सुविधाएं और कॉफी वेंडिंग मशीन इत्यादि जैसी जलपान सुविधाओं वाला एक डॉक्टर लाउंज उपलब्ध होगा।

(3) डॉक्टर के लाउंज में महिला सलाहकारों के लिए पर्याप्त गोपनीयता उपलब्ध होगी।

(4) व्यक्तिगत सामान, फर्नीचर और मनोरंजन सुविधाओं जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि के पर्याप्त भंडारण के साथ इंटर्न रूम में संलग्न शौचालय प्रदान किए जाएंगे।

(5) अस्पताल के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त बैठने की सुविधा और व्यक्तिगत लॉकर या पिजन अलमारी कम्पार्टमेंट के साथ एक स्टाफ रूम उपलब्ध कराया जाएगा; कमरों में संलग्न शौचालय होना चाहिए।

(6) बैठकों में भाग लेने के लिए कम से कम 30 सदस्यों को समायोजित करने के लिए ऑडियो-विजुअल सुविधाओं से युक्त और ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वाला एक बैठक हॉल अस्पताल से संबंधित बैठकों और अस्पताल सलाहकारों की नियमित नैदानिक बैठकों के संचालन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) अस्पताल से संबंधित वस्तुओं के रखरखाव के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं वाला एक स्टोर उपलब्ध कराया जाएगा और स्टोर कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए।

(8) अस्पताल में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट एक स्थापित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होगी।

(9) सभी अस्पताल कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को निर्दिष्ट बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए।

57. सेवा क्षेत्र.- (1) सेवा क्षेत्र में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट पर्याप्त स्थान होगा अर्थात् 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए न्यूनतम 50 वर्ग मीटर, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 75 वर्ग मीटर, 150 छात्रों के लिए 100 वर्ग मीटर छात्रों की प्रवेश क्षमता, और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 125 वर्ग मीटर।

(2) (ए) तत्काल चिकित्सा तैयारी अनुभाग सहित पथ्यौनावु (पथ्य आहार) में अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी (रोग रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और अनुशासन) सहित नोई अनुगविधि विभाग का प्रमुख होगा या पथ्यौनावु (पथ्य आहार) अनुभाग के प्रभारी के रूप में अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी (रोग

रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और अनुशासन) सहित नोई अनुगविधि का एक नामित संकाय सदस्य होगा।

(बी) इस अनुभाग में प्रशिक्षित रसोइये और बहु-कार्य कर्मचारी होंगे;

(सी) अनुभाग में धुलाई, सफाई, खाना पकाने, पैकिंग, आपूर्ति आदि के लिए पर्याप्त जगह और आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी;

(डी) पथ्यौनावु के लिए मांगपत्र, जिसमें सुरसम, चारु, कुडिनेर, कर्ककम, उत्कली आदि जैसी तत्काल दवाएं शामिल हैं, जो संबंधित परामर्शदाताओं के नुस्खे पर संबंधित वार्डों द्वारा तैयार किए गए हैं, वे सब दवाएं पथ्य आहार अनुभाग द्वारा तैयार और आपूर्ति की जाएगी;

(ई) तत्काल संदर्भ के लिए उपलब्ध तैयारियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की एक निर्देशिका या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होगा;

(एफ) सुरसम, चारु, कुदिनीर, कर्ककम, उत्कली आदि तैयार करने के लिए कच्चे माल और ताजी जड़ी-बूटियों की आपूर्ति की व्यवस्था होगी ;

(जी) रसोइयों और अन्य कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

(3) अस्पताल में शवों को रखने या संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के साथ एक मुर्दाघर हो सकता है या उन चिकित्सा प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है जिनके पास मुर्दाघर की सुविधा है, और मुर्दाघर के कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

(4) कॉलेजों के पास प्रतिदिन 24 घंटे के लिए अपनी स्वयं की एम्बुलेंस सेवा हो या अधिकृत एम्बुलेंस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हो ।

(5) (ए) बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की एक पर्याप्त प्रणाली होगी;

(बी) संस्थान की अपनी बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली हो सकती है या अधिकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन हो सकता है।

(6) अस्पताल को गंदे और साफ किए गए लिनेन को धोने, सुखाने और प्रेस करने, भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(7) कॉलेज, अस्पताल और अन्य इकाइयों के लिए हाउसकीपिंग सेवाएं पर्याप्त हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ प्रदान की जाएंगी। हाउसकीपिंग स्टाफ अनुबंध के आधार पर हो सकता है या पंजीकृत आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स किया जा सकता है।

(8) (ए) एक स्वतंत्र केंद्रीय स्टरलाइजेशन इकाई होगी जो ऑपरेशन थिएटर, कैजुअल्टी रूम, लेबर रूम, प्रयोगशालाओं, बाह्य रोगी विभाग प्रक्रिया कक्ष, विभाग वार्ड प्रक्रिया कक्ष आदि का कुल कार्य भार लेने में सक्षम होगा। जहां स्टरलाइजेशन की आवश्यकता होती है;

(बी) महाविद्यालय में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अलग-अलग छोर, स्टेराइल रैक, पैकेजिंग मशीन, उपकरण सफाई मशीन, स्टेरिलाइज़र, ऑटोक्लेव, पास बॉक्स और ट्रे और आवश्यकतानुसार अन्य सुविधाओं के साथ पर्याप्त उपकरण होंगे।

(9) (ए) परिसर, कॉलेज, अस्पताल और संस्थान की अन्य इकाइयों के लिए सुरक्षा सेवाएँ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रदान की जाएंगी।

(बी) महाविद्यालय पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षा सेवाओं को आउटसोर्स कर सकता है।

(10) (ए) यदि कॉलेज और अस्पताल एक ही परिसर में हैं, तो विनियम 6 के उप-विनियम (9) में उल्लिखित एक सामान्य रखरखाव सेल पर्याप्त होगा; यदि एक ही परिसर में नहीं है, तो अस्पताल और कॉलेज के लिए एक अलग रखरखाव कक्ष की आवश्यकता है;

(बी) यह रखरखाव सेल सिविल, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, बड़ईगीरी, मैकेनिकल, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन उपकरण, आदि से संबंधित कार्यों का ख्याल रखेगा;

(सी) पर्याप्त स्थान, रखरखाव के लिए उपकरण होंगे और उपयुक्त जनशक्ति, या तो नियुक्त या आउटसोर्स की जाएगी।

(11) (ए) चिकित्सा गैसों के लिए पाइप गैस आपूर्ति के लिए स्थिर सिलेंडरों के साथ-साथ पोर्टेबल सिलेंडरों को उचित रूप से रखा जाएगा।

(बी) सभी गैस पाइपलाइनों का समय पर उचित रिकॉर्ड के साथ रख-रखाव किया जाएगा; सुरक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित रीफिलिंग और प्रतिस्थापन प्रणाली होनी चाहिए।

(12) (ए) नैदानिक प्रस्तुतियों और नैदानिक सफलता की कहानियों को दस्तावेज रूप में रखने के लिए फोटोग्राफी और ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुविधाएं शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;

(बी) यह अनुभाग एक हरे रंग की पृष्ठभूमि, एक उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, एक कैमरा, एक वीडियो कैमरा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और एक ऑडियो-वीडियो संपादन सुविधा से सुसज्जित होगा;

(सी) महाविद्यालय इस अनुभाग के लिए कर्मचारियों को आउटसोर्स कर सकता है।

58. अस्पताल के लिए मानव संसाधन.-(1) चौथी अनुसूची के अनुसार, 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए अस्पताल के कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः 60, 72, 99 और 121 होगी।

(2) कॉलेज या संस्थान का संलग्न शिक्षण अस्पताल चिकित्सा निदेशक के रूप में डीन या प्रिंसिपल या निदेशक के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होगा।

(3) अस्पताल के कर्मचारियों के लिए योग्यता निम्नानुसार होगी-(ए) चिकित्सा अधीक्षक निम्नलिखित में से किसी भी विषय में प्रोफेसर के समान योग्यता के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, मरुतुवम् (चिकित्सा), सिरेप्पमरुतुवम् (विशेष चिकित्सा), वर्मम मरुतुवम् (वर्मम चिकित्सा), सिद्धर योग मरुतुवम् (सिद्धर योग विज्ञान), पुरेमरुतुवम् (बाह्य थैरेपी या बाहरी चिकित्सा), सिद्धर अरुवइ मरुतुवम् (सिद्ध सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) या नन्जु नूलम मरुमवम् निधी नूलम (टॉक्सिकोलॉजी) या नंजु मरुतुवम् क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), तोल मरुतुवम् (त्वचा विज्ञान) और नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य) जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है के प्रमुख के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है; या

निम्नलिखित विषयों में से किसी में स्नातकोत्तर, अर्थात् मरुतुवम् (चिकित्सा), सिरेप्पमरुतुवम् (विशेष चिकित्सा), वर्मम मरुतुवम् (वर्मम चिकित्सा), सिद्धर योग मरुतुवम् (सिद्धर योग विज्ञान), पुरेमरुतुवम् (बाह्य थैरेपी या बाहरी चिकित्सा), सिद्धर अरुवइ मरुतुवम् (सिद्ध सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल रोग), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) या नन्जु नूलम मरुमवम् निधी नूलम (टॉक्सिकोलॉजी) या नंजु मरुतुवम् क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), थोल मरुतुवम् (त्वचा रोग) और नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य)को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा पद्धति केंद्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, सिद्ध अस्पताल में उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में दस साल का अनुभव या

सिद्ध चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक, के साथ मास्टर डिग्री या अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री के साथ सिद्ध अस्पतालों में उप चिकित्सा अधीक्षक के रूप में दस वर्ष का अनुभव; (या) अस्पतालों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल में अस्पताल प्रशासक या मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में;

(बी) चिकित्सा अधीक्षक एक पूर्णकालिक नियमित पदधारी होगा और समवर्ती रूप से किसी भी विभाग का शिक्षण कर्मचारी नहीं होगा;

(सी) चिकित्सा अधीक्षक को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर होना चाहिए यथा- मरुतुवम् (मेडिसिन), सिरेप्पमरुतुवम् (स्पेशल मेडिसिन), वर्मम मरुतुवम् (वर्मा मेडिसिन), सिद्धर योग मरुतुवम् (सिद्धर

योगिक विज्ञान), पुरेमरुतुवम् (बाह्य थैरेपी या बाहरी चिकित्सा), सिद्धर अरुवइ मारुतुवा (सिद्ध सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) या नन्जू नूलम मरुमवम् निधी नूलम (टॉक्सिकोलॉजी) या नंजु मरुतुवम् क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), तोल मरुतुवम् (त्वचा विज्ञान) और नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं से नियुक्त या प्रतिनियुक्त एक उप चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) (ए) उप चिकित्सा अधीक्षक को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर होना चाहिए यथा- मरुतुवम् (मेडिसिन), सिरेप्पमरुतुवम् (स्पेशल मेडिसिन), वर्मम मरुतुवम् (वर्मा मेडिसिन), सिद्धर योग मरुतुवम् (सिद्धर योगिक विज्ञान), पुरेमरुतुवम् (बाह्य थैरेपी या बाहरी चिकित्सा), सिद्धर अरुवइ मारुतुवा (सिद्ध सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) या नन्जू नूलम मरुमवम् निधी नूलम (टॉक्सिकोलॉजी) या नंजु मरुतुवम् क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, तोल मरुतुवम् (त्वचा विज्ञान) और नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अथवा

बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी के साथ मास्टर डिग्री या अस्पताल प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन या अस्पताल और हेल्थकेयर प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दस वर्ष का नैदानिक या पेशेवर अनुभव;

(बी) उप चिकित्सा अधीक्षक एक पूर्णकालिक नियमित पदधारी होगा और समवर्ती रूप से किसी भी विभाग का शिक्षण कर्मचारी नहीं होगा।

(सी) उप चिकित्सा अधीक्षक को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक में स्नातकोत्तर होना चाहिए यथा मरुतुवम् (मेडिसिन), सिरेप्पमरुतुवम् (स्पेशल मेडिसिन), वर्मम मरुतुवम् (वर्मा मेडिसिन), सिद्धर योग मरुतुवम् (सिद्धर योगिक विज्ञान), पुरेमरुतुवम् (बाह्य थैरेपी या बाहरी चिकित्सा), सिद्धर अरुवइ मारुतुवा (सिद्ध सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल चिकित्सा), सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) या नन्जू नूलम मरुमवम् निधी नूलम (टॉक्सिकोलॉजी) या नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी), तोल मरुतुवम् (त्वचा विज्ञान) और नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (जीवनशैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं से नियुक्त या प्रतिनियुक्त एक उप चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(5) मानव संसाधन प्रबंधन या संचालन प्रबंधन या स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री धारक उम्मीदवार को अस्पताल के सामान्य प्रशासन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वह प्रशासक, चिकित्सा अधीक्षक के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(6) पांच वर्ष के नैदानिक या पेशेवर अनुभव के साथ एक सिद्ध स्नातक (बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी) को रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या रेजिडेंट सर्जिकल ऑफिसर या आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(7) फिजियोथेरेपिस्ट के पास न्यूनतम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की योग्यता होगी।

(8) मेट्रन के पास दस साल के अनुभव के साथ नर्सिंग में विज्ञान स्नातक या बारह साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी होगी, जो नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होगी या आयुष में नर्सिंग या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या सिद्ध में नर्सिंग होना चाहिए, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा कम से कम तीन वर्ष की अवधि का हो, और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या यूनानी अस्पताल में दस वर्ष का अनुभव हो।

(9) असिस्टेंट मेट्रन के पास पांच साल के अनुभव के साथ नर्सिंग में विज्ञान स्नातक या सात साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी होगी, जो नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होगी, या आयुष या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या सिद्ध में नर्सिंग की अवधि तीन साल से कम नहीं होगी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आयुष या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या सिद्ध अस्पताल में पांच साल के अनुभव के साथ प्रदान की जाएगी।

(10) नर्सिंग परिषद या आयुष या भारतीय चिकित्सा प्रणाली या सिद्ध में नर्सिंग के साथ पंजीकृत नर्सिंग या सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई तीन साल की अवधि के उम्मीदवार को नर्सिंग कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(11) चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा या डिग्री धारक उम्मीदवार को प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(12) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिद्ध फार्मैसी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या 10 + 2 कक्षा के उम्मीदवार, योग्य पंजीकृत सिद्ध चिकित्सा व्यवसायी के तहत सिद्ध फार्मैसी में न्यूनतम पांच साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है या औषधालय या दवा की दुकान को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(13) संबंधित विशेषज्ञता या विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या विशेषज्ञ के साथ आधुनिक मेडिकल स्टाफ को अस्पताल के संबंधित क्षेत्र या अनुभाग या इकाई में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि चौथी अनुसूची में उल्लिखित है।

(14) उपरोक्त सूची के अलावा अन्य अस्पताल कर्मचारियों की योग्यताएं चौथी अनुसूची के अनुसार होंगी।

अध्याय-V

इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा इस विनियमन में निर्दिष्ट अतिरिक्त न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की समय-सीमा

59.(1) इस विनियमन के प्रारंभ होने से पहले स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान, अवसंरचना निर्माण को छोड़कर, विशिष्ट समय-सीमा के भीतर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक कर्मचारियों के साथ इन नियमों में उल्लिखित अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेंगे; ऐसे सभी अतिरिक्त मानकों को मौजूदा भवन में ही समायोजित किया जा सकता है।

(2) अतिरिक्त न्यूनतम अनिवार्य मानक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उप-विनियमन (3) के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित समयसीमा अधिकतम है, और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(3) जब संस्थान किसी मौजूदा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या में वृद्धि या या आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए आवेदन कर रहा हो, तो इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम निर्माण क्षेत्र के अनुसार ऐसी अतिरिक्त इकाइयों या अनुभागों या सुविधाओं या मानकों को समायोजित करने के लिए नवीन निर्माण अनिवार्य होगा।

तालिका

इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुपालन की समय-सीमा।

क्र. सं.	मानक/इकाई/अनुभाग/सुविधा	अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करने की समयसीमा (इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से)
(1)	(2)	(3)
सामान्यतः कैम्पस		
1	केंद्रीय कार्यशाला/रखरखाव प्रकोष्ठ	18 माह
2	क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न	06 माह
कॉलेज		
3	सूचना प्रौद्योगिकी सेल और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	06 माह
4	डिजिटल लाइब्रेरी	18 माह
5	क्लिनिकल स्किल/सिमुलेशन लैब	24 माह

6	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	18 माह
7	अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन कक्ष	18 माह
8	कॉलेज परिषद कक्ष	18 माह
9	विद्यार्थी परिषद कक्ष	18 माह
10	कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल सहित छात्र सहायता और मार्गदर्शन	18 माह
11	फार्माकोविजिलेंस सेल कक्ष	18 माह
12	भाषा प्रयोगशाला	18 माह
13	पोषण प्रयोगशाला	18 माह
14	गुणपाडम मरूदियल प्रैक्टिकल लैब	18 माह
15	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (उपकरण एवं यंत्र)	18 माह
अस्पताल		
16	स्क्रीनिंग ओपीडी	तत्काल
17	मेडिकल रिकॉर्ड रूम	18 माह
18	नोई अनुगविधि मरूतुवम् ओपीडी	तत्काल
19	नंजु मरूतुवम् ओपीडी	तत्काल
20	लघु चिकित्सा/प्रक्रिया कक्ष (वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् ओपीडी)	06 माह
21	लघु प्रक्रिया कक्ष (अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् ओपीडी)	06 माह
22	लघु प्रक्रिया कक्ष (सूल और मागलिर मरूतुवम् ओपीडी)	06 माह
23	नैदानिक कक्षाएँ	24 माह
24	मेडिकल आईपीडी अनुभाग और सर्जिकल आईपीडी अनुभाग के तहत आईपीडी वार्ड संलग्न प्रक्रिया कक्ष	24 माह
25	वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी/प्रक्रिया अनुभाग	24 माह
26	फिजियोथेरेपी यूनिटके लिए उपकरण एवं यंत्र	24 माह
27	सिद्धर योगम थेरेपी अनुभाग	24 माह
28	सिद्ध सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए लघु शल्य कक्ष (ऑपरेशन थिएटर से संबद्ध)।	24 माह
29	पथ्या आहार केंद्र	18 माह
30	डॉक्टर्स लाउंज	24 माह
31	प्रशिक्षु कक्ष	24 माह
32	अस्पताल स्टाफ कक्ष	24 माह
33	प्रशासनिक क्षेत्र में अस्पताल बैठक	24 माह

अध्याय-VI

पूर्णतः स्थापित मौजूदा सिद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों का निरीक्षण या मूल्यांकन

60. निरीक्षण या भ्रमण या मूल्यांकन- इस विनियमन के शुरू होने के बाद, अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित सिद्ध चिकित्सा संस्थान को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा: अर्थात्, 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान और जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन, अनुमति एवं प्रवेश उद्देश्यों हेतु 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान।

(1) (ए) धारा 28 के अधीन कोई पूर्ण स्थापित संस्थान जिसके लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पहले पिछले तीन वर्षों से लगातार अनुमति दी गई है, उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत कॉलेज या संस्थान माना जाएगा;

(बी) विस्तारित अनुमति का प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू नहीं होगा:-

(i) यदि कॉलेज या संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 28 उपधारा (1) खंड (एफ) में उल्लिखित प्रावधानों के भीतर कार्रवाई की है;

(ii) यदि कॉलेज या संस्थान के खिलाफ कोई लंबित कानूनी मुद्दे या अनुशासनात्मक कार्रवाई की है;

(iii) यदि कॉलेज या संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा जारी परामर्श और प्रवेश दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट छात्रों के प्रवेश पर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है;

(iv) यदि वह कॉलेज या संस्थान जिसने स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को आवेदन किया है; और

(v) यदि किसी संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए डिजिटलीकरण शुल्क सहित वार्षिक निरीक्षण शुल्क राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के बैंक खाते में जमा नहीं किया है;

(सी) विस्तारित अनुमति की श्रेणी के तहत चिकित्सा संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति मांगे बिना या प्राप्त किए बिना ही स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार हर साल छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के तब तक हकदार हैं, जब तक कि अन्यथा इनकार या निर्दिष्ट न किया जाए, जब तक कि वार्षिक जाँच या निरीक्षण एवं मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा मना या विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(2) (ए) धारा 28 के अधीन पूर्ण रूप से स्थापित चिकित्सा संस्थान जो विनियम 60 के उप-विनियमन (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;

(बी) वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत चिकित्सा संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रतिवर्ष छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

(3)(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा हर साल किया जाने वाला स्वतः (suo-moto) जाँच या निरीक्षण एवं मूल्यांकन विस्तारित अनुमति जारी रखने या छात्रों को प्रवेश देने के लिए वार्षिक अनुमति देने या अधिनियम की धारा 28 उप-धारा (1) के खंड (एफ), में उल्लिखित प्रावधानों के तहत ऐसे उपाय करने के लिए होगा।

(बी) सभी चिकित्सा संस्थान, विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति श्रेणी की परवाह किए बिना, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और समय-सीमा में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर (स्व-प्रकटीकरण) डेटा (वास्तविक समय या आवधिक) या जानकारी या दस्तावेज़ अपलोड करते रहेंगे;

(सी) सभी चिकित्सा संस्थान, चाहे वे किसी भी श्रेणी (विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति) के हों, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि और विधि के भीतर नीचे दिए गए अनुसार वार्षिक निरीक्षण या जांच शुल्क (जांच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क) जमा करेंगे;

(i) जांच शुल्क 60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए 2 लाख रुपये; 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 3 लाख रुपये; 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 4 लाख रुपये और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 5 लाख रुपये होगा;

(ii) डिजिटलीकरण शुल्क: 50,000 रुपये होगा,

(iii) लागू करों के साथ 60, 100, 150 और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए कुल मिलाकर वार्षिक जांच शुल्क (जांच शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क) क्रमशः 2,50,000 रुपये, 3,50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये और 5,50,000 रुपये होगा;

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत चिकित्सा संस्थान इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों का पूर्ण अनुपालन करते हुए एक शपथ पत्र (समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार) प्रस्तुत करेगा;

(ई) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज या संस्थान द्वारा इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष किसी भी समय वार्षिक जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन (भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर विकसित मैन्युअल में विनिर्दिष्ट तरीके और मोड में) आयोजित करेगा;

(एफ) मूल्यांकन की अवधि जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन के महीने से बारह महीने पहले होगी;

(जी) स्पष्टीकरण: यदि किसी संस्थान का मूल्यांकन या निरीक्षण किया जा रहा है या अगस्त 2024 के महीने में दौरा किया जा रहा है, तो मूल्यांकन की अवधि 1 अगस्त, 2023 से 31 जुलाई, 2024 तक होगी;

(एच) मूल्यांकन के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए अखिल भारतीय केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा केंद्रीय परामर्श प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से साठ दिन पूर्व वार्षिक अनुमति श्रेणी के तहत संस्थानों को मूल्यांकन या निरीक्षण या दौरे के निर्णय की सूचना देगा;

(आई) यदि विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत किसी कॉलेज को हर साल प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा केंद्रीय परामर्श से सामान्य रूप से साठ दिन पहले कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाता है कि कॉलेज को विस्तारित अनुमति का दर्जा प्राप्त है और उसे संबंधित विनियमों के प्रावधान के अनुसार परामर्श और प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(जे) मूल्यांकन या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, दस्तावेजों में, आंकड़ों में, या न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने में या विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत संस्थान या कॉलेज की कार्य क्षमता में कोई कमी पाई जाती है, और इस के आधार पर, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28, उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने के कारण कोई कार्रवाई शुरू करता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020, ऐसे मामले में, ऐसे संस्थानों के लिए विस्तारित अनुमति की स्थिति वापस ले ली जाएगी, और इसे 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और वार्षिक अनुमति श्रेणी से संबंधित सभी नियम और विनियम लागू होंगे; ऐसे संस्थान इन विनियमों में विनियम 60 के उप-विनियमन (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद ही 'विस्तारित अनुमति' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं;

(के) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को किसी भी समय और वर्ष में कितनी भी बार जाँच अथवा निरीक्षण या मूल्यांकन के लिए संस्थानों का पुनः दौरा करने की शक्ति होगी;

(एल) जो कॉलेज छात्रों को प्रवेश न देने की अनुमति मांग रहे हैं या जिस कॉलेज या संस्थान ने भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार पांच शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, उसे बंद माना जाएगा; यदि ऐसा कॉलेज फिर से शुरू करना चाहता है, तो उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के तहत नई स्थापना की प्रक्रिया से गुजरना होगा।;

(एम) नए चिकित्सा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के तहत विनिर्दिष्ट 'दोषों को सुधारने' का प्रावधान धारा 28 के तहत मौजूदा पूरी तरह से स्थापित संस्थानों पर लागू नहीं होगा; चूंकि ये आवश्यक न्यूनतम मानक हैं, इसलिए धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मौजूदा चिकित्सा संस्थानों को का कोई मौका नहीं दिया जाएगा "दोषों को सुधारने"; हालांकि, अनुमति से इनकार करने या सीटों की कमी आदि का आदेश जारी करने से पहले, ऐसे चिकित्सा संस्थान को अपील और सुनवाई को प्राथमिकता देने का अवसर दिया जाएगा;

(एन) (i) यदि कोई कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के निर्णय से व्यथित है, तो अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा ऐसे निर्णय की सूचना के तीस दिनों के भीतर आयोग में अपील (प्रथम अपील) कर सकता है;

(ii) यदि कोई संस्थान आयोग के किसी निर्णय से व्यथित है, तो अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (6) के अनुसार आयोग द्वारा ऐसे निर्णय की सूचना के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार को अपील कर सकता है।

अध्याय-VII

पूर्ण स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों की मूल्यांकन

61. मूल्यांकन -(1) इस विनियमन के लागू होने के बाद, विस्तारित अनुमति प्रस्थिति रखने वाले प्रत्येक पूर्ण स्थापित मौजूदा सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को हर वर्ष रेट किया जाएगा।

(2) योग्यता के निर्धारण करने की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 28 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नामित किसी भी एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोवारिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों और मानकों पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से की जाएगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की पहचान करेगा और रेटिंग एजेंसियों की सूची बनाएगा।

(4) समिति द्वारा पहचान की गई स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की सूची को समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के समक्ष रखा जाएगा ताकि सूची को अंतिम रूप दिया जा सके और " भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड - एम्पैनल रेटिंग एजेंसीज" को तैयार किया जा सके और संबंधित वित्तीय निहितार्थों के लिए भी आयोग का अनुमोदन किया जा सके।

(5) उप-विनियमन (1) में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार योग्यता के निर्धारण (रेटिंग) हेतु पात्र ऐसे चिकित्सा संस्थानों पर ऐसी रेटिंग एजेंसी तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा।

(6) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को न्यूनतम आवश्यक मानकों के अलावा मानदंड या मानकों के आधार पर रेट किया जाएगा;

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ऑनलाइन मंच पर संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों पर रेटिंग उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।

(8) संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन डेटा और रेटिंग के लिए भौतिक सत्यापन या मूल्यांकन के बीच वेटेज का अनुपात 70:30 होगा (सत्तर प्रतिशत. ऑनलाइन डेटा सत्यापन और तीस प्रतिशत. भौतिक सत्यापन)।

(9) (ए) योग्यता का निर्धारण (रेटिंग) के लिए मूल्यांकन के बाद, विस्तारित अनुमति श्रेणी के तहत सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को कॉलेज या संस्थान द्वारा प्राप्त मूल्यांकन स्कोर के आधार पर ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी' या ग्रेड 'डी' में वर्गीकृत किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, आयोग की वेबसाइट या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा, अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग; भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर मूल्यांकन और रेटिंग के ऐसे डेटा अपलोड करने के लिए प्रारूप और प्रक्रिया तैयार करेगा।

(बी) ऐसे सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान जो रेटिंग के लिए पात्र नहीं हैं, वे हैं -

(i) अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों के तहतस्थापित किया जा रहा है;

(ii) वार्षिक अनुमति श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत;

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति देने से इनकार करना;

(iv) अधिनियम की धारा 28 के खंड (एफ) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किए गए उपाय।

(10) ग्रेड 'ए' प्राप्त सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित शुल्क निर्धारण प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ग्रेड 'ए' धारण करने के वर्षों के दौरान भर्ती किए गए विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त पांच प्रतिशत विकास शुल्क वसूलने के हकदार हैं।

(11) ऐसी स्थिति में जब किसी डीम्ड विश्वविद्यालय या स्वायत्त संस्थान को ग्रेड 'ए', से सम्मानित किया जाता है, तो ऐसे चिकित्सा संस्थान पाठ्यचर्या की स्वतंत्रता के लिए पात्र हैं, यानी, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा पाठ्यक्रम और सिलेबस में उल्लिखित "नाइस टू नो श्रेणी" में संशोधन किया गया है।

(12) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या 'ए' और 'बी' श्रेणी के संस्थान केवल मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि को लागू करने या अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई नया या स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए पात्र होंगे;

(13) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या किसी भी ग्रेड के संस्थान, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 28 के खंड (एफ), उपधारा (1) के प्रावधानों के लिए कार्रवाई की जाती है, तो ग्रेड को वापस ले लिया गया माना जाएगा, और ग्रेड की वापसी के लिए कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। यदि ऐसा कोई कॉलेज या संस्थान ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो ऐसे संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन माना जाएगा।

(14) सिद्ध मेडिकल कॉलेज को संस्थान द्वारा प्राप्त रेटिंग स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है।

तालिका

रेटिंग स्कोर और ग्रेड

रेटिंग स्कोर	ग्रेड
75 और उससे अधिक	A
50-74	B
25-49	C
24 तक	D

(15) वार्षिक रेटिंग शुल्क का भुगतान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि में ऑनलाइन (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से लागू करों के साथ किया जाएगा और शुल्क विवरण निम्नानुसार हैं।

(i) साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले स्नातकीय कॉलेज: दो लाख पचास हजार रुपये;

(ii) एक सौ छात्रों की प्रवेश क्षमता: तीन लाख रुपये;

(iii) एक सौ पचास विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता: तीन लाख पचास हजार रुपये;

(iv) दो सौ विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता: चार लाख रुपये।

अध्याय-VIII

नए सिद्ध स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना

62. सामान्य- नए सिद्ध स्नातक कॉलेज या संस्थान की स्थापना भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अनुसार होगी और नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की स्थापना के बारे में सामान्य विचार निम्नानुसार होंगे: -

- (1) नई योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (2) किसी व्यक्ति (एक विश्वविद्यालय, समाज, ट्रस्ट, या किसी अन्य निकाय, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है) द्वारा प्रस्तुत आवेदन निर्धारित प्रारूप में होंगे, साथ ही विनियमन 66 में उल्लिखित लागू गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क भी शामिल होंगे।
- (3) अपूर्ण आवेदनों पर किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा।
- (4) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है और अंतिम तिथि से पूर्व वापसी के ऐसे मामले में, प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (5) स्थानीय भाषा में किसी भी दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी में प्रतिलेख के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) कोई भी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना एक नया सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान स्थापित नहीं करेगा।
- (7) यह समझा जाता है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 और संबंधित विनियमों का अध्ययन और समझ होनी चाहिए।

63. पूर्व-आवश्यकता- (1) नए सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन प्रति वर्ष साठ, एक सौ, एक सौ पचास और दो सौ सीटों की छात्र प्रवेश क्षमता के लिए होगा

- (2) आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करते समय, कार्यात्मक सिद्ध अस्पताल उचित पंजीकरण के साथ स्थापना के बाद न्यूनतम चौबीस माह (अर्थात्, दो वर्ष से कम नहीं) के लिए पूरा किया जाना चाहिए।
- (3) अस्पताल के लिए स्थानीय अधिकारियों से उचित पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- (4) अस्पताल की दो वर्षों की कार्यात्मकता के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा।

(ए) अस्पताल के नाम पर एक स्वतंत्र खाते में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सलाहकारों और अन्य अस्पताल कर्मचारियों के वेतन को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन;

(बी) अस्पताल की कार्यात्मकता को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन, जैसे दवाओं और अस्पताल के उपभोग्य सामग्रियों की आवधिक खरीद, प्रासंगिक करों का भुगतान, अस्पताल की आय आदि;

(सी) सु-प्रलेखित (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) अस्पताल रिकॉर्ड, जिसमें बाह्य-रोगी विभागों और अंतःरोगी विभागों में रोगी की उपस्थिति, अस्पताल के रखरखाव को दर्शाने वाले दस्तावेज और स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीनीकरण शामिल है;

(डी) आवेदन के समय अस्पताल के पास न्यूनतम प्रवेश स्तर का राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन होना चाहिए;

(ई) पहली अनुसूची एवं दूसरी अनुसूची के अनुसार, आवश्यक निर्माण क्षेत्र वाले प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को प्रमाणित या अनुमोदित करने वाले स्थानीय प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र, जिसे निर्दिष्ट भूमि में समायोजित किया जाएगा, आवेदन के समय प्रदान किया जाना चाहिए।

- (5) एक ही ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो सिद्ध मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।

64. न्यूनतम दो वर्ष की कार्यात्मकता के साथ अस्पताल की आवश्यकताएं - सिद्ध मेडिकल स्नातक कॉलेज या संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य वाली सोसायटी या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या कोई अन्य निकाय चरण-वार तरीके से अस्पताल आरम्भ कर सकता है:

(1) अस्पताल की शुरुआत मरूतुवम् (मेडिसिन), वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरिप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थेरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन), अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति और स्त्री रोग सहित), कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग), नोइ अनुगाविधी मरूतुवम् (सिद्ध आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य), नंजु मरूतुवम् और अवसरा मरूतुवम् (आपातकालीन चिकित्सा या हताहत इकाई) (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के बाह्य रोगी विभागों से होगी।

(2) न्यूनतम तीस इन-पेशेंट डिपार्टमेंट बेड के साथ एक ऑपरेशन थिएटर, एक मामूली ऑपरेशन थिएटर, एक लेबर रूम, एक नैदानिक प्रयोगशाला, एक इमेजिंग सेक्शन, एक औषधि भंडार, एक वर्मम पुरेमरूतुवम् - सिरिप्पमरूतुवम् थेरेपी या प्रोसीजर सेक्शन, एक फिजियोथेरेपी यूनिट और एक सिद्धर योगम थेरेपी सेक्शन के साथ चालीस प्रतिशत बेड अधिभोग होनी चाहिए।

(3) अस्पताल की स्थापना के दूसरे वर्ष के दौरान, अस्पताल धीरे-धीरे रोगी विभाग की क्षमता में वृद्धि करेगा ताकि आवेदन के समय, अस्पताल में 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 60 बेड, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 बेड, 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 बेड और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 200 बेड होंगे।

(4) बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों में क्रमिक वृद्धि चार से अधिक चरणों में नहीं होगी, जिसे भूमि, निर्माण, उपकरणों की खरीद, मानव संसाधनों की नियुक्ति, वेतन और अन्य अस्पताल व्यय जैसे उचित दस्तावेजों द्वारा सहायता की जाएगी।

(5) आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के समय अस्पताल, इन नियमों में अस्पताल हेतु उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के साथ सभी बाह्य-रोगी विभागों, अंतःरोगी विभागों और अन्य इकाइयों या अनुभागों के साथ पूरी तरह कार्यात्मक होगा।

(6) बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति, अंतःरोगी विभाग के विस्तारों की संख्या और बेड अधिभोग: आवेदन के समय अस्पताल में विनियमन 52 के उप-विनियमन (19) के अनुसार प्रत्येक प्रवेश क्षमता के लिए प्रति दिन औसत बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति निर्दिष्ट होगी (उदाहरण के लिए, 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए प्रति दिन 120 रोगी, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 200 रोगी; 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 300 रोगी और 200 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 400 रोगी); अंतःरोगी विभाग के विस्तारों की न्यूनतम संख्या के साथ उदाहरण के लिए 60 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 60 बेड, 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 100 बेड; 150 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 150 बेड और 200 छात्रों के लिए 200 बेड; इन विनियमों में विनियम 54 के उप-विनियमन (16) और 40 प्रतिशत की न्यूनतम औसत बेड अधिभोग क्षमता है; इन विनियमों के विनियम 54 के उप-विनियमन (17) के अनुसार।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के माह से पिछले चौबीस माह के लिए दो वर्ष की कार्यात्मकता पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए; यदि आवेदन अक्टूबर 2024 के महीने में जमा किया जाता है, तो अस्पताल की स्थापना और इसकी कार्यात्मकता के दो वर्षों की गणना 1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2024 तक की जाएगी;

65. आवेदन करने के लिए पात्रता- इन विनियमों के तहत नए सिद्ध चिकित्सा स्नातक कॉलेज या संस्थान की स्थापना के लिए आवेदन करने हेतु, एक व्यक्ति या आवेदक (समाज या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या कोई अन्य निकाय) पात्र होगा यदि, -

(1) आवेदक का एक उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा प्रदान करना होगा।

(2) आवेदक के पास विनियमन 4 के अनुसार छात्र ग्रहण क्षमता के अनुसार भूमि की न्यूनतम आवश्यकता होगी।

(3) आवेदक निकाय के नाम पर कम से कम तीस वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि का मालिक या स्वामित्व होगा और पट्टे की समाप्ति से पूर्व इसका नवीनीकरण किया जाएगा।

(4) भूमि के लिए पट्टा करने वाली संस्थाओं के मामले में, संस्थान को पट्टे की अवधि के अंतिम पांच वर्षों में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीशुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें

पट्टे की समाप्ति से पूर्व पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा और बाद में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत पट्टा समझौते को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) एक ही ट्रस्ट या समाज या विश्वविद्यालय या किसी अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी भी दो सिद्ध मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।

(6) आवेदक संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से **फॉर्म-सी** में अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, जिसे आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) आवेदक एक नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानून के तहत स्थापित संबंधित विश्वविद्यालय से **फॉर्म-ई (अनुबंध-V)** में संबद्धता-सहमति प्राप्त की जाए, जिसमें संबद्धता के लिए शैक्षणिक वर्ष या वर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो, को आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाएगा; यदि विश्वविद्यालय स्वयं एक आवेदक है, तो संबद्धता-सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) आवेदक ने आवेदन के समय स्थापना के पहले चरण के लिए विनियमन 72 के उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यात्मकता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया जाए; इसके अलावा, संस्थान विनियम 72 के उप-विनियमन (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट समय पर दूसरे, तीसरे और चौथे चरणों के लिए बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और जनशक्ति की स्थापना करेगा।

(9) आवेदक एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि छात्रों का प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए योग्यता के आधार पर केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परामर्श के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट है।

(10) आवेदक एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि सिद्ध मेडिकल कॉलेज और सम्बद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को छोड़कर कोई अन्य पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या कॉलेज आयोजित नहीं किए जाएंगे।

(11) आवेदक एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाए कि पाठ्यक्रमों का नामकरण और शिक्षक-छात्र अनुपात, संबंधित विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रखा जाएगा।

(12) आवेदक एक वचन-पत्र के रूप में प्रस्तुत करेगा कि आवेदक ने प्रस्तावित सिद्ध मेडिकल कॉलेज के किसी भी कक्षा, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम या प्रशिक्षण में छात्रों को पहले से ही प्रवेश नहीं दिया है।

(13) आवेदक नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में पांच वर्ष हेतु वैध प्रतिभूति जमा करने की स्थिति में हो।

तालिका

छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार सुरक्षा जमा राशि का विवरण

क्र. सं. (1)	छात्र प्रवेश क्षमता (2)	सुरक्षा जमा राशि (रुपये में) (3)	भुगतान की विधि (4)
1	60	1.0 करोड़	"भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में ऑनलाइन स्थानांतरण (एनईएफटी / आरटीजीएस)
2	100	2.0 करोड़	
3	150	3.0 करोड़	
4	200	4.0 करोड़	

(14) आवेदक को ज्ञात हो कि कॉलेज की स्थापना के बाद से पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही संस्थान को सुरक्षा राशि वापस की जाएगी।

(15) सुरक्षा राशि पांच वर्ष के बाद बिना किसी ब्याज के कॉलेज के खाते में वापस कर दी जाएगी; बशर्ते कि कॉलेज के विरुद्ध कोई वित्तीय शिकायत लंबित न हो या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण जुर्माना राशि लंबित न हो।

बशर्ते कि केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शासित कॉलेजों पर सुरक्षा राशि लागू नहीं होगी यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से वित्त उपलब्ध करने का वचन-पत्र देते हैं जब तक कि उनके द्वारा इंगित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूर्णतः प्रदान नहीं की जाती हैं।

66. आवेदन की विधि और शुल्क का विवरण.-(1) नया सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों और गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क (दो लाख रुपये) और प्रसंस्करण शुल्क (पांच लाख रुपये) के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फॉर्म-ए ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों में, 60, 100, 150 और 200 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः दस लाख, पंद्रह लाख और पच्चीस लाख का भुगतान लागू करों के साथ "भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में ऑनलाइन (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर-एनईएफटी या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट-आरटीजीएस) कर आवेदन जमा करेगा।

(2) आवेदक को एक आधिकारिक ई-मेल आईडी और संपर्क नंबर प्रदान करना होगा, जिसका उपयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा सभी आधिकारिक संचार के लिए किया जाएगा; ये संपर्क विवरण आवेदन या प्रस्ताव या योजना स्वीकृत या अस्वीकृत होने तक वैध होगा।

(3) एक बार योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, कॉलेज विनियम 7 में निर्दिष्ट एक आधिकारिक ई-मेल आईडी बनाएगा और इसे एक आधिकारिक मोबाइल नंबर के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को सूचित करेगा, जो सभी आधिकारिक संचार के लिए उपयोग किया जाएगा।

67. आवेदन की प्रक्रिया:- (1) सभी प्राप्त आवेदनों को एक अस्थायी आईडी (आवेदन का वर्ष जिसके बाद "टी" (अस्थायी), "एस" (सिद्ध) व इसके बाद उस विशेष वर्ष में प्राप्त आवेदनों की क्रम संख्या) प्रदान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 2023 में प्राप्त पहला आवेदन 2023 टीएस001 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा; एवं दूसरा आवेदन 2023 टीएस002 के रूप में; और इसी प्रकार आगे का भी किया जाएगा।

(2) आवेदक द्वारा सभी आधिकारिक पत्राचार में एक ही अस्थायी आईडी उद्धृत की जाएगी और यह अस्थायी आईडी भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन की अनुमति या अस्वीकृत पत्र के जारी होने तक मान्य होगी।

(3) सभी प्राप्त आवेदन, निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जांच के अधीन होगा:

- (ए) आवेदक पात्रता;
- (बी) पूर्व-आवश्यकताएं;
- (सी) स्थापना के प्रथम चरण के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करना;
- (डी) आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क;
- (ई) सहायक दस्तावेज;
- (एफ) अस्पताल के आंकड़े;
- (जी) आधिकारिक बैंक खातों में लेनदेन (अस्पताल और कॉलेज के लिए अलग खाता);
- (एच) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य।

68. आशय पत्र जारी करना.- जांच के बाद आवेदनों को निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत संसाधित किया जाएगा अर्थात् ऐसे आवेदन जो प्रस्तुत सूचना के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों एवं अन्य अपेक्षित मानकों को पूरा करते हैं और ऐसे आवेदन जिनमें कुछ कमियां हों:

(1) प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों एवं अन्य अपेक्षित मानकों को पूरा करने वाले आवेदनों के संबंध में - (ए) इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों एवं अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक संस्थान का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निरीक्षण या दौरा किया जाएगा;

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आवेदक संस्थान द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सूचना एवं दस्तावेजों और निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापन करेगा और यदि इनमें कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो आवेदक संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत आशय पत्र जारी किया जाएगा।

(सी) यदि निरीक्षण या दौरे के दौरान निरीक्षकों द्वारा कोई कमी पाई जाती है, तो आवेदक संस्थान को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और विनियम 68 के उप-विनियम (2) के खंड (घ) में उल्लिखित कमियों को छोड़कर शेष अन्य दोषों के सुधार का और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(डी) आवेदक संस्थानों, जिन्हें दोषों में सुधार करने का अवसर दिया गया है, द्वारा सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट कमियों की जांच के विषयाधीन होगी और यदि इसमें कोई कमी नहीं पाई जाती है तो आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि इसमें कोई कमी पायी जाती है या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन अस्वीकृत एवं रद्द कर दिया जाएगा।

(2) कमियों वाले आवेदन.- (ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कमियों वाले आवेदनों में सुधार करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवेदक संस्थान को सूचित किया जाएगा;

(बी) आवेदक संस्थान द्वारा कमियों के सुधार के बाद निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट और आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा फिर से जांच की जाएगी; यदि कोई कमी नहीं पाई जाती है तो आवेदक संस्थान का निरीक्षण या दौरा किया जाएगा;

(सी) निरीक्षण या दौरे के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या दौरे के दौरान निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा; यदि कोई कमी नहीं पाई जाती है तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि कमी पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकृत एवं रद्द कर दिया जाएगा।

(डी) गंभीर प्रकृति की कमियां, जैसे न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमी जैसे अस्पताल की गैर-कार्यात्मकता, भूमि उपलब्धता या भूमि विवाद की अपर्याप्तता, कार्यरत अस्पताल के अस्तित्व की अपर्याप्त अवधि, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता, विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति की अनुपलब्धता, कॉलेज या अस्पताल के निर्मित क्षेत्र में कमी, आदि दोषों को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे आवेदन अस्वीकृत हो जाएंगे।

(3) नए आवेदनों के लिए कोई छूट नीति लागू नहीं होगी।

(4) आशय पत्र केवल उस वर्ष विशेष के लिए ही वैध होगा; यदि आवेदक अनुमति पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है, तो जारी किया गया आशय पत्र क्रमिक वर्षों के लिए लागू नहीं रहेगा और ऐसे मामले में, आवेदक को एक नए कॉलेज की स्थापना के लिए एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(5) आशय पत्र जारी करने के लिए यात्रा शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क विनियमन 60 के उप-विनियमन (3) के खंड (सी) के अनुसार होगा।

69. अनुमति पत्र जारी करना.- (1) जिन संस्थानों को आशय पत्र प्राप्त हुआ है, उन्हें सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करते हुए अनुपालन रिपोर्ट, संस्थान की स्थापना के पहले चरण के लिए निर्दिष्ट के रूप में नियुक्त शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारी और अस्पताल कर्मचारियों का विवरण और विनियम 65 के उप-विनियम (13) में उल्लिखित जमानत राशि आशय पत्र मिलने के साठ दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करनी होगी।

(2) सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड एक निरीक्षण या दौरा आयोजित करेगा।

- (3) निरीक्षण या जाँच के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या जाँच के दौरान आगंतुकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और यदि यह पाया जाता है कि आवेदक संस्थान सभी अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा कर रहा है, तो उस संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विशिष्ट संस्थागत आईडी (जारी करने का वर्ष, उसके बाद 'एसआईडी' और उसके बाद 5 अंकों का सीरियल नंबर; उदाहरण के लिए, वर्ष 2024 के दौरान अनुमति प्राप्त करने वाले पहले कॉलेज की आईडी 2024SID00001 होगी; दूसरे कॉलेज की आईडी 2024SID00002 और इसी प्रकार अन्यो की); सहित अनुमति पत्र जारी करेगा जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के लिए संस्थागत लॉग-इन क्रेडेंशियल्स भी होंगे; यदि न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं पाया जाता है, तो आवेदन अस्वीकृत और रद्द कर दिया जाएगा।
- (4) आवेदक को आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।
- (5) अनुमति पत्र प्राप्त करने वाले संस्थान को दस कार्य दिवसों के भीतर अपना आधिकारिक मोबाइल नंबर और अध्याय-2 के तहत विनियम 7 में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार बनाई गई आधिकारिक ई-मेल आईडी भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड (president.marbism@ncismindia.org) को एनसीआईएसएम विशिष्ट संस्थागत आईडी का हवाला देते हुए सूचित करनी होगी, और उसके बाद सभी आधिकारिक पत्राचार केवल इन आधिकारिक मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से होंगे।
- (6) अनुमति पत्र जारी करने के लिए यात्रा शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क विनियम 60 के उप-विनियमन (3) के खंड (सी) के अनुसार होगा।

70. अपील - अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, पीड़ित आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में नीचे निर्दिष्ट तरीके से अपील कर सकता है:

- (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा योजना या आवेदन या प्रस्ताव की अस्वीकृति के मामले में, अथवा नए सिद्ध चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए योजना या आवेदन या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए जाने पर व्यथित आवेदक अस्वीकृति या मनाही सूचित किए जाने या योजना प्रस्तुत करने की तिथि से छह माह की अवधि समाप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है।
- (2) अपील ऑनलाइन, ऑफलाइन या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) अपील प्राप्त होने पर, आयोग अपील की जांच करेगा, और पीड़ित आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा; यदि आयोग को पता चलता है कि आवेदक सभी न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आयोग आवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को निर्देश दे सकता है; यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग आवेदन को अस्वीकार कर देगा; किसी भी मामले में, आयोग अपील प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगा।
- (4) आयोग द्वारा अस्वीकृति या इनकार के मामले में या आयोग द्वारा प्राथमिक अपील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किए जाने पर पीड़ित आवेदक ऐसी अस्वीकृति या प्राथमिक अपील दायर करने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने के सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय) को दूसरी अपील कर सकता है।

71. अनुमति के नवीनीकरण का मुद्दा.- (1) एक बार एक नया सिद्ध मेडिकल कॉलेज शुरू करने और छात्रों के पहले बैच को प्रवेश देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाता है। यह अनुमति पत्र केवल एक वर्ष के लिए वैध होगा और छात्रों को प्रवेश देने के लिए अधिनियम की धारा 29 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति वार्षिक आधार पर नवीनीकृत की जाएगी जब तक कि संस्थान धारा 28 के तहत पूर्णतः स्थापित संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। जैसा कि उप-विनियमन (8) में नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

- (2) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को अनुमति पत्र प्राप्त संस्थान की स्थापना के दूसरे चरण के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी;
- (3) अनुपालन रिपोर्ट अनुमति पत्र की वैधता की समाप्ति से छह माह पहले संस्थान द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या जाँच करेगा।
- (5) निरीक्षण एवं जाँच के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड कॉलेज या संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जाँच करेगा, और न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने के लिए अनुमति का पहला नवीनीकरण पत्र जारी करेगा जैसा कि उप-विनियमन (8) के नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।
- (6) छात्रों के तीसरे और चौथे बैच को प्रवेश देने की अनुमति के लिए, दूसरे और तीसरे नवीनीकरण के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- (7) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान को अधिनियम की धारा 28 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा बाद के वर्षों के दौरान उप-विनियमन (8) के लिए तालिका में दिखाए गए अनुसार बाद के वर्षों के दौरान पूरी तरह से स्थापित संस्थान के रूप में माना जाएगा जब तक कि अन्यथा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति से इनकार नहीं किया जाता है।
- (8) सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने और वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की स्थिति में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्र प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर देगा।

तालिका

आशय पत्र, अनुमति पत्र और अनुमति का नवीनीकरण

क्रमांक (1)	धारा 28 और धारा 29 (2)	अनुमति / नवीनीकरण (3)	वर्ग (4)	बैच (5)
1	29	आशय का पत्र	विचाराधीन संस्थान	कोई प्रवेश नहीं
2		अनुमति पत्र	स्थापनाधीन संस्थान	पहला बैच
3		पहला नवीनीकरण		दूसरा बैच
4		दूसरा नवीनीकरण		तीसरा बैच
5		तीसरा नवीनीकरण		चौथा बैच
6	28	पूर्णतः स्थापित संस्थान- रेटिंग के लिए पात्र		पांचवां बैच के बाद

72. संस्थापनाधीन नए सिद्ध स्नातक कॉलेजों या संस्थानों के लिए चरण-वार न्यूनतम आवश्यक मानकों संबंधी आवश्यकताएँ। - संस्थापनाधीन श्रेणी के तहत किसी नए सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज या संस्थान को पूर्णतः स्थापित संस्थान बनने के लिए और क्रमशः विद्यार्थियों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच को प्रवेश देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति पत्र, अनुमति का पहला नवीनीकरण, दूसरा नवीनीकरण और तीसरा नवीनीकरण प्राप्त करने हेतु इन नियमों में उल्लिखित सभी चार चरण-वार आवश्यकताओं अर्थात् चरण- I, चरण- II, चरण- III और चरण- IV को पूरा करना होगा। विवरण निम्नानुसार है:-

(1) **चरण- I:** विद्यार्थियों के पहले बैच को प्रवेश देने से पहले सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज या संस्थान में होगा -

(ए) इन विनियमों (अध्याय-IV, पहली अनुसूची, पंद्रहवीं अनुसूची और बीसवीं अनुसूची) में अस्पताल के लिए उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों सहित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त (कम से कम प्रवेश-स्तर) पूर्णतः स्थापित अस्पताल रखना होगा।

(बी) अनुसूची चौथी में निर्दिष्ट अस्पताल कर्मचारी; जहां तक परामर्शदाताओं का प्रश्न है, मरुतुवम् (चिकित्सा), वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा), अरुवइ कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् (नेत्र विज्ञान, कान, नाक और गला, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी), सूल और मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग), कुजंतइ मरुतुवम् (बाल रोग), नोई अनुगविधि मरुतुवम् (सिद्ध आहारशास्त्र, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य) और नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी); में से प्रत्येक में कम से कम एक पात्र परामर्शदाता या विशेषज्ञ चिकित्सक या नैदानिक शिक्षक उपलब्ध होंगे।

(सी) दूसरी अनुसूची में निर्दिष्टानुसार प्रथम व्यवसायिक बीएसएमएस के विभाग, अर्थात् (i) सिद्धा मरुतुवम् मूलतत्वम् जिसमें भाषा प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष शामिल है, (ii) उदल कुरुगल जिसमें विच्छेदन हॉल, प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष शामिल है, (iii) उदल तत्वम् जिसमें उदल तत्वम् प्रैक्टिकल लैब, उयिर वेधियल प्रैक्टिकल लैब और ट्यूटोरियल कक्ष शामिल है, और (iv) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल जिसमें नुनुयिरियाल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष शामिल है और सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची और ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्टानुसार उपकरण या उपस्कर;

(डी) पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्टानुसार प्रथम व्यवसायिक विषयों या विभागों के लिए आवश्यक अपेक्षित पात्रताओं वाले शिक्षण कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे;

(ई) छठी अनुसूची में निर्दिष्टानुसार अपेक्षित पात्रताओं वाले सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों (द्वितीय एवं तृतीय पेशेवर विभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर) की नियुक्ति की जाएगी;

(एफ) विनियम 13 में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ न्यूनतम दो व्याख्यान कक्ष;

(जी) औषधियों का एक सुविकसित बगीचा जिसमें तीसरी अनुसूची के अनुसार सामान्य औषधीय पौधों और लुप्तप्राय प्रजातियों की न्यूनतम 250 प्रजातियों के पौधे हों;

(एच) विनियम 11 के अनुसार एक अद्यतन गतिशील संस्थागत वेबसाइट;

(आई) विनियम 10 में निर्दिष्ट उपस्थिति प्रणाली;

(जे) इन विनियमों में निर्दिष्ट अन्य संबंधित न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले और योग्य मानव संसाधन वाले नीचे तालिका में निर्दिष्ट अन्य अनुभाग या इकाइयां या सेल या सुविधाएं।

तालिका

स्थापना के चरण-I में अनुभागों/ इकाइयों/ सेल की अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्र.सं.	अनुभाग/ इकाइयाँ/ सेल
1	प्रशासनिक अनुभाग
2	केंद्रीय पुस्तकालय जिसमें 60, 100, 150 और 200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए क्रमशः न्यूनतम 4000, 5000, 6000, 7000 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं हों
3	डिजिटल पुस्तकालय
4	नैदानिक कौशल/सिमुलेशन प्रयोगशाला (सिम्युलेटर/पुतलों का 25 प्रतिशत)
5	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ
6	आईटी प्रकोष्ठ और आईटी आधारभूत ढांचा
7	अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन सेल

8	सह-सहशैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर सुविधाएं
9	विद्यार्थी सुविधाएं
10	कर्मचारियों को सुविधाएं
11	छात्रों छात्राओं के लिए कॉमन रूम
12	शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रूम
13	परीक्षा हॉल/ बहुउद्देशीय हॉल / योग हॉल / सम्मेलन हॉल
14	कॉलेज परिषद कक्ष
15	विद्यार्थी परिषद कक्ष
16	कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल सहित छात्र सहायता और मार्गदर्शन
17	फार्माकोविजिलेंस सेल
18	केंद्रीय कार्यशाला
19	सीसीटीवी
20	हॉस्टल
21	जलपान गृह

(2) **चरण-2:** विद्यार्थियों के दूसरे बैच के प्रवेश से पहले, सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज या संस्थान के पास- (ए) द्वितीय व्यवसायिक बीएसएमएस के विभाग उदाहरणार्थ (i) गुणपाडम मरूंदियल - प्रैक्टिकल लैब सहित गुणपाडम - मरूंदियल, मरूतुवा तावरवियल प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, (ii) शिक्षण फार्मैसी सहित गुणपाडम मरून्दगवियल -, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष, (iii) नोई नाडल प्रैक्टिकल लैब सहित नोई नाडल और नोई मुदल नाडल (iv) प्रैक्टिकल लैब और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम, और (v) **दूसरी अनुसूची** में निर्दिष्ट अनुसार पोषण प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष सहित अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी सहित नोई अनुगाविधी और **नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं अनुसूची** में निर्दिष्ट उपकरण या उपस्कर होने चाहिए;

(बी) द्वितीय व्यवसायिक विभागों के लिए आवश्यक **पांचवीं अनुसूची** में निर्दिष्ट अपेक्षित पात्रताओं वाले शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं;

(सी) द्वितीय व्यवसायिक विभागों के लिए आवश्यक **छठी अनुसूची** में निर्दिष्ट अपेक्षित पात्रताओं वाले गैर-शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं।

(डी) विनियम 13 में निर्दिष्ट सुविधाओं वाले न्यूनतम तीन व्याख्यान हॉल (चरण-I में पहले से विद्यमान दो हॉल में कम से कम एक व्याख्यान हॉल और जुड़ना चाहिए);

(ई) विद्यार्थियों की क्रमशः 60, 100, 150, और 200 प्रवेश क्षमता पर केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम क्रमशः 6000, 7500, 9000 और 10500 की जाएं;

(एफ) क्लिनिकल स्किल लैब का न्यूनतम पचास प्रतिशत मैनिकिन या सिमुलेटर **चौदहवीं अनुसूची** में निर्दिष्टानुसार उपकरणों के साथ विस्तार किया जाए।

(3) **चरण-III:** विद्यार्थियों के तीसरे बैच के प्रवेश से पहले, कॉलेज या संस्थान- (ए) विद्यार्थियों की क्रमशः 60, 100, 150, और 200 प्रवेश क्षमता पर केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 7000, 8500, 10500 और 12000 तक की जाएं;

(बी) क्लिनिकल स्किल लैब का न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत मैनिकिन या सिमुलेटर **चौदहवीं अनुसूची** में निर्दिष्टानुसार उपकरणों के साथ विस्तार किया जाए।

(4) **चरण-IV** : विद्यार्थियों के चौथे बैच के प्रवेश से पहले, सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज या संस्थान- (ए) तृतीय व्यवसायिक बीएसएमएस के विभाग, उदाहरणार्थ मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्, अरूवइ जिसमें कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम्, सूल और मागलिर मरूतुवम् और कुजंतइ मरूतुवम् शामिल हैं और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य अनुभाग या सुविधाएं होनी चाहिए;

(बी) तीसरा व्यवसायिक विभागों के लिए आवश्यक, **पांचवीं अनुसूची** में निर्दिष्ट अपेक्षित पात्रताओं वाले शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए;

(सी) तीसरा व्यवसायिक विभागों के लिए आवश्यक, **छठी अनुसूची** में निर्दिष्ट अपेक्षित पात्रताओं वाले गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए;

(घ) विनियम 13 में निर्दिष्ट सुविधाओं वाले न्यूनतम पांच व्याख्यान हॉल (चरण-1 एवं चरण-2 में पहले से विद्यमान तीन हॉल में कम से कम दो व्याख्यान हॉल और जुड़ने चाहिए);

(इ) विद्यार्थियों की क्रमशः 60, 100, 150, और 200 प्रवेश क्षमता पर केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 8000, 10000, 12000 और 14000 तक की जाएं;

(एफ) सभी मैनिकिन या सिमुलेटर **चौदहवीं अनुसूची** में निर्दिष्ट विशिष्ट उपकरणों सहित पूर्णतः स्थापित क्लिनिकल स्कूल लैब।

73. अनुमति पत्र प्राप्त संस्थानों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्: - (1) यदि कॉलेज की स्थापना करने वाली अभिभावक सोसाइटी या ट्रस्ट या निकाय कॉलेज को किसी अन्य सोसाइटी या ट्रस्ट या निकाय में स्थानांतरित करना चाहता है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

(2) यदि कॉलेज संबद्ध विश्वविद्यालय को बदलना चाहता है या डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे आवेदन करने से पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अध्याय नौ

पूर्णतः स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में मौजूदा स्नातक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों में सीटों या विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता की संख्या में वृद्धि करना

74. विद्यार्थियों प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना- अधिनियम की धारा 28 के तहत पूर्णतः स्थापित संस्थान, 60, 100 और 150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातक कार्यक्रम का संचालन करते हुए, अधिनियम की धारा 29 के तहत मौजूदा स्नातक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। और इस संबंध में पूर्व-अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं,-

(1) यह अधिनियम की धारा 28 के तहत 60, 100, या 150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ पूर्णतः स्थापित सिद्ध मेडिकल कॉलेज हों।

(2) कॉलेज या संस्थान ने स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के कम से कम चार साल और छह महीने पूरे कर लिए हों; हालाँकि, केंद्र या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के स्वामित्व या प्रबंधन वाले कॉलेज को चार साल और छह महीने के स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को पूरा करने के इस पूर्व-आवश्यक मानदंड को पूरा करने से छूट दी गई है।

(3) कॉलेज विस्तारित अनुमति की श्रेणी के अंतर्गत हों और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड ने आवेदन वाले वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों में प्रवेश की अनुमति से इनकार नहीं किया हों या प्रवेश को अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत प्रावधानों के विषयाधीन न रखा हों।

(4) कॉलेज को आवेदन के वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "ए" या "बी" ग्रेड के साथ दर्जा दिया जाएगा।

(5) स्थापित कॉलेज के लिए अतिरिक्त मानकों हेतु भवन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाएं **अध्याय-5** में उल्लिखित हैं।

(6) कोई भी व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति प्राप्त किए बिना सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान में सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा।

75. पात्रता - अधिनियम की धारा 29 के तहत आवेदन करने के लिए कॉलेज पात्र होगा यदि उस:-

- (1) आवेदक संस्थान ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार से **फॉर्म-डी** में विद्यार्थी प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है (**अनुलग्नक-IV**)
- (2) आवेदक संस्थान ने संबद्ध विश्वविद्यालय से **फॉर्म-ई** में संबद्धता की सहमति प्राप्त की है (डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए लागू नहीं)।
- (3) आवेदक संस्थान ने विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम संख्या सहित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है (यह पूर्ति इस विनियमन में निर्दिष्ट चरणों में हो सकती है)।
- (4) स्नातक कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का प्रवेश केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परामर्श के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के योग्य छात्रों की योग्यता के आधार पर किया जाता है जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 2022 में निर्दिष्ट किया गया है।
- (5) प्रवेश की अधिकतम संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत विद्यार्थी प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी।

76. आवेदन की विधि.- (1) कॉलेज सीटों की संख्या या विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए **फॉर्म-बी** इन विनियमों से जुड़ा हुआ है, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को निर्धारित अवधि के भीतर गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क (लागू कर सहित), सुरक्षा राशि और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) अपूर्ण आवेदन पत्रों एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है और अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने की स्थिति में प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (4) यह ज्ञातव्य है कि आवेदक ने आवेदन जमा करने से पहले, अधिनियम और संबंधित नियमों को पढ़ एवं समझ लिया होगा।
- (5) आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में दिए गए हैं।

तालिका-1**सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क**

विद्यार्थियों की मौजूदा प्रवेश क्षमता	आवेदन शुल्क	विद्यार्थियों की प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए प्रसंस्करण शुल्क			
		60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	2 लाख	-	5 लाख	10 लाख	15 लाख
100		-	-	5 लाख	10 लाख
150		-	-	-	5 लाख
200		-	-	-	-

तालिका- 2**सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए सुरक्षा जमा**

विद्यार्थियों की मौजूदा	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के लिए सुरक्षा जमा (रुपये में)
-------------------------	---

प्रवेश क्षमता (1)	60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (2)	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (3)	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (4)	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता (5)
60	-	1 करोड़	2 करोड़	3 करोड़
100	-	-	1 करोड़	2 करोड़
150	-	-	-	1 करोड़
200	-	-	-	-

(6) सुरक्षा जमा राशि पांच साल के बाद संस्थागत आधिकारिक बैंक खाते में बिना व्याज के वापस कर दी जाएगी; बशर्ते, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण कॉलेज के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत या जुर्माना राशि लंबित नहीं हों।

बशर्ते कि राज्य या संघराज्यक्षेत्र सरकार द्वारा शासित कॉलेज यदि इस बात का वचन दें कि अपने द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जब तक अपेक्षित सुविधाएं पूरी प्रदान नहीं कर ली जाती तब तक वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करेंगे, उन पर सुरक्षा जमा संबंधी शर्त लागू नहीं होगी।

(7) गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और जमानत राशि "द नेशनल कमिशन फण्ड फॉर इण्डियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन" के खाते में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर – एनईएफटी, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट-आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में जमा की जाएगी।

(8) आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ आशय पत्र, अनुमति पत्र, पहला नवीनीकरण, दूसरा नवीनीकरण और तीसरा नवीनीकरण इन विनियमों के अध्याय-VIII के अनुसार जारी किए जाएंगे;

(9) छात्रों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आशय पत्र और अनुमति पत्र जारी करने के लिए यात्रा शुल्क और डिजिटलीकरण शुल्क विनियमन 60 के उप-विनियमन (3) के खंड (सी) के अनुसार होगा।

अध्याय - दस

दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां

77. (1) सिद्ध स्नातक मेडिकल कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों और समय-सीमा का अनुपालन करना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।

(2) गैर-अनुपालन कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल है, अर्थात्, -

(ए) नियमों का पालन न करना;

(बी) संस्थानों की कोई भी गतिविधि, जो स्नातक सिद्ध चिकित्सा शिक्षा और दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं, शुल्क पर छात्रों का शोषण, उपस्थिति की दुर्भावना आदि के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है;

(सी) इन विनियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, व्यावहारिक सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं और अन्य संस्थागत कार्यक्षमता आदि के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता;

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या किसी अन्य गतिविधियों के लिए निरीक्षण या दौरे की प्रक्रिया में सहयोग न करना या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना;

(ई) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या स्वायत्त बोर्डों को झूठी जानकारी या मनगढ़ंत डेटा या जानकारी या साक्ष्य प्रदान करना;

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मूल्यांकनकर्ताओं या अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव डालने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई भी प्रयास;

(3) जैसा कि (2) में उल्लिखित किसी भी गैर-अनुपालन या चिकित्सा संस्थान द्वारा जानबूझकर गैर-अनुपालन कार्य या चूक के प्रयास के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित ऐसे उपाय करेगा और/या ऐसी घटनाओं की आगे जांच करेगा, अर्थात्, -

(ए) एक करोड़ रुपये से अधिक का मौद्रिक जुर्माना न लगाना।

(बी) चेतावनी जारी करना;

(सी) उस शैक्षणिक वर्ष के लिए या इतने वर्षों के लिए किसी भी नई योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को रोकना;

(डी) अगले शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश दी जाने वाली सीटों की संख्या में कमी करना;

(ई) अगले या बाद के शैक्षणिक वर्ष में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोकना;

(एफ) मान्यता वापस लेने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करना;

(जी) पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग रोकना या वापस लेना;

(एच) यदि संस्था की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पर दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है तो चिकित्सा संस्थान द्वारा किए गए आवेदन या अनुरोध पर प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी, या अनुमति वापस ले ली जाएगी, विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में कमी कर दी जाएगी या आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

पहली अनुसूची

(विनियम 5, विनियम 51, विनियम 52, विनियम 53, विनियम 54, विनियम 55, विनियम 56, विनियम 57, विनियम 63 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: सिद्ध मेडिकल कॉलेज से जुड़े शिक्षण अस्पताल संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	विवरण	निर्मित/निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में (वर्ग मीटर)			
		60 छात्रों की प्रवेश क्षमता	100 छात्रों की प्रवेश क्षमता	150 छात्रों की प्रवेश क्षमता	200 छात्रों की प्रवेश क्षमता
स्वागतकक्ष एवं पंजीकरण क्षेत्र					
	प्रवेश लाॅबी और प्रसार क्षेत्र में शामिल हैं				
1	पी. आर. ओ. के साथ स्वागत और पूछताछ काउंटर				
2	पंजीकरण एवं बिलिंग काउंटर	100	150	200	250
3	प्रतीक्षा हेतु क्षेत्र				
4	मेडिकल रिकॉर्ड कक्ष और मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन के लिए स्थान				
बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी क्षेत्र)		400	600	800	1000
5	स्क्रीनिंग ओपीडी	15	20	30	40
6	मरुतुवम् ओपीडी	25	40	50	60
7	वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् ओपीडी (ओपीडी सहित आधारित प्रक्रियाओं के लिए संलग्न लघु चिकित्सा/	40	50	60	70

	प्रक्रिया कक्ष)				
8	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् अरुवइ ओपीडी (ओपीडी आधारित सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए संलग्न प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
9	सूल और मागलिर मरुतुवम् ओपीडी (संलग्न लघु प्रक्रिया कक्ष सहित)	40	50	60	70
10	कुजंतइ मरुतुवम् ओपीडी	25	40	50	60
11	नोइ अनुगाविधि मरुतुवम् ओपीडी (परामर्श के लिए कक्ष सहित)	25	40	50	60
12	नन्जू मरुतुवम् ओपीडी	25	40	50	60
13	अवसार मरुतुवम् (आपातकालीन चिकित्सा/हताहत)	25	25	30	35
14	दवा की दुकान/डिस्पेंसरी/फार्मसी	40	50	60	80
15	ओपीडी जोन प्रभारी कार्यालय				
16	ऑनलाइन परामर्श सुविधा				
17	पीने के पानी की सुविधा के साथ मरीजों के लिए प्रतीक्षालय और स्तनपान के लिए क्षेत्र।				
18	व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के लिए क्षेत्र, गृह-रक्षण सामग्री रखने के लिए क्षेत्र	100	195	300	395
19	मरीजों, कर्मचारियों और छात्रों/प्रशिक्षुओं के लिए अलग-अलग पुरुष एवं महिला शौचालय				
20	स्टोर				
21	विशेष ओपीडी	20 वर्गमीटर/विशेष ओपीडी (विशेष ओपीडी के लिए उल्लिखित स्थान न्यूनतम आवश्यक स्थान से इतर है, इसलिए इसे न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं गिना जाए)			
नैदानिक जोन					
22	नैदानिक प्रयोगशाला				
23	रेडियोलॉजी/इमेजिंग अनुभाग				
24	अन्य निदान जैसे ईसीजी आदि,				
25	रोगियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र	150	175	200	225
26	नैदानिक जोन प्रभारी कार्यालय				
27	रिपोर्ट जारी करने के लिए काउंटर				
28	महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय				
अंतःरोगी विभाग (आईपीडी क्षेत्र)		1250	2000	2750	3500
क. चिकित्सा अन्तः रोगी अनुभाग					
29	मरुतुवम्, वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम्	750	1250	1750	2250

	मरुतुवम् में आवंटित आईपी बिस्तरों को समायोजित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र, कुजंतइ मरुतुवम् और नंजु मरुतुवम् आईपीडी वार्ड				
30	रसोईघर सहित वार्ड प्रोसिजर कक्ष (चार)।				
31	नर्सिंग काउंटर और स्टोर				
32	प्रशिक्षुओं के बैठने का क्षेत्र				
33	रात्रि ड्यूटी चिकित्सकों/परामर्शदाताओं के लिए कक्ष				
34	रात्रि ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ के लिए कक्ष				
35	रात्रि ड्यूटी प्रशिक्षुओं के लिए कक्ष				
36	नैदानिक कक्षा कक्ष (न्यूनतम दो)				
37	प्रसार क्षेत्र और गलियारे				
38	वार्डों से जुड़े शौचालय (पुरुष और महिला अलग-अलग)				
39	पीने के पानी की सुविधा, ट्रॉली/स्ट्रेचर, स्वच्छ एवं अस्वच्छ सुविधाएं, हाउसकीपिंग सामग्री, बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान, कपड़े धोने आदि के लिए क्षेत्र।				
ख. सर्जिकल अन्तः रोगी अनुभाग					
40	अरूवइ सहित कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् और सूल और मागलिर मरुतुवम् के तहत आवंटित अन्तः रोगी बिस्तरों को समायोजित करने के लिए आवश्यक क्षेत्र				
41	रसोईघर सहित वार्ड प्रोसिजर कक्ष (दो)।				
42	नर्सिंग काउंटर और स्टोर				
43	प्रशिक्षुओं के बैठने का क्षेत्र				
44	रात्रि ड्यूटी चिकित्सकों/परामर्शदाताओं के लिए कक्ष	500	750	1000	1250
45	रात्रि ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ के लिए कक्ष				
46	रात्रि ड्यूटी प्रशिक्षुओं के लिए कक्ष				
47	नैदानिक कक्षाकक्ष (न्यूनतम एक)				
48	प्रसार क्षेत्र और गलियारे				
49	वार्डों से जुड़े शौचालय (पुरुष एवं महिला हेतु अलग-अलग)				
50	पीने के पानी की सुविधा, ट्रॉली/स्ट्रेचर, स्वच्छ एवं अस्वच्छ सुविधाएं, हाउसकीपिंग सामग्री, बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान, कपड़े धोने आदि के लिए क्षेत्र।				
प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र					
51	क. वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् थेरेपी अनुभाग (मुत्थोडा समाना थेरेपी अनुभाग और वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् थेरेपी/प्रक्रिया अनुभाग)	500	575	700	775

52	ख. अरूवइ मरुतुवा पिरिवु [ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर (सिद्ध अरूवइ मरुतुवम् प्रोसिजर कक्ष) सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं हेतु]	175	225	275	325
53	ग. मगाप्पेरु अराई/ प्रसव अराई (प्रसव कक्ष)	50	50	60	75
54	घ. फिजियोथेरेपी अनुभाग	75	100	125	150
55	ङ. सिद्ध योगम थेरेपी	50	50	75	100
प्रशासनिक क्षेत्र					
56	चिकित्सा निदेशक कक्ष	400	450	500	550
57	चिकित्सा अधीक्षक कक्ष				
58	चिकित्सा अधीक्षक के निजी सहायक का कक्ष				
59	उप चिकित्सा अधीक्षक कक्ष				
60	आवासीय चिकित्सा अधिकारी/आवासीय सर्जिकल अधिकारी कक्ष				
61	मैट्रन कक्ष				
62	सहायक मैट्रन कक्ष				
63	अधीक्षक के लिए कार्यालय स्थान				
64	लेखाकार और अन्य कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान				
65	आगंतुकों के लिए प्रतीक्षालय				
66	चिकित्सकों हेतु लाउंज				
67	इंटरन हेतु कक्ष				
68	स्टाफ कक्ष				
69	बैठक हॉल				
70	पेंट्री				
71	स्टोर				
72	शौचालय				
सेवा क्षेत्र					
73	अस्पताल हेतु रसोई: पथ्या उनावु जिसमें तत्काल दवा तैयार करने हेतु अनुभाग भी शामिल है	50	75	100	125
74	सेवा क्षेत्र में अन्य प्रावधान				
	कुल	3200	4450	5785	7075

दूसरी अनुसूची

(विनियम 5, विनियम 12, विनियम 13, विनियम 14, विनियम 15, विनियम 16, विनियम 17, विनियम 26, विनियम 27, विनियम 28, विनियम 30, विनियम 31, विनियम 34, विनियम 37, विनियम 38, विनियम 39, विनियम 41, विनियम 63, और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: सिद्ध मेडिकल कॉलेज हेतु अनिवार्यता

क्र.सं.	विभाग/अनुभाग/इकाई	निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर में (वर्ग मीटर)			
		60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
1	प्रशासनिक अनुभाग	200	250	300	350
	संस्था प्रधान (प्रिंसिपल/डीन/निदेशक) कक्ष जिसमें प्रवेश कक्ष और संलग्न शौचालय शामिल है				
	संस्था प्रधान के निजी सहायक का कक्ष				
	संस्थान प्रधान के आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज				
	कर्मचारी समिति कक्ष/बैठक कक्ष				
	उप प्राचार्य/उप डीन/उप निदेशक (यदि कोई हो)				
	कार्यालय अधीक्षक				
	कार्यालय-प्रतिष्ठान एवं लेखा अनुभाग एवं कैश काउंटर				
	कार्यालय आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र				
	रिकार्ड रूम				
	केंद्रीय भण्डार				
	कार्यालय कर्मचारियों के लिए शौचालय				
पेंट्री					
2	व्याख्यान कक्ष (कक्षा कक्ष)	500 (5X100)	750 (5X150)	1000 (5X200)	1250 (5X250)
	पांच व्याख्यान कक्ष				
3	सेमिनार/सम्मेलन/परीक्षा/योग हॉल (बहुउद्देशीय हॉल)	150	300	450	600
4	पुस्तकालय	150	250	350	450
	केंद्रीय पुस्तकालय				
	डिजिटल लाइब्रेरी				
5	शिक्षण विभाग	1425	2650	3600	4550
	सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्त्वम् (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत) विभाग, जिसमें:-	75	125	150	175
	क. विभागीय पुस्तकालय				
	ख. ट्यूटोरियल कक्ष				
ग. भाषा प्रयोगशाला					
उडल कूरुगल (एनाटॉमी) विभाग, जिसमें:-	125	250	350	450	
क. डिसेक्शन कक्ष					
ख. प्रैक्टिकल लैब					
ग. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष					

उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) विभाग, जिसमें:- क. उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब ख. उयिर वेधियल (जैव रसायन) प्रयोगशाला लैब ग. ट्यूटोरियल कक्ष	175	350	475	600
गुणपाडम मरूदियल (मटेरिया मेडिका एवं फार्माकोलॉजी) विभाग, जिसमें:- क. गुणपाडम मरूदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब ख. मरुतुवा तावरवियल (औषधीय वनस्पति विज्ञान और फार्माकोग्रांसी) प्रैक्टिकल लैब ग. हर्बेरियम और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175	350	475	600
गुणपाडम -मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) विभाग, जिसमें:- क. फार्मेसी शिक्षण (गुणपाडम) मरूनदगवियल प्रैक्टिकल लैब) ख. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला ग. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175	350	450	550
नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग, जिसमें:- क. नोइ नाडल नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब ख. नुत्तुयिरियल (माइक्रोबायोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब ग. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175	350	475	600
सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विभाग, जिसमें:- क. सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल लैब ख. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	50	100	150	200
नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स मेडिकल स्टैटिस्टिक्स (रोग निवारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत एवं विषय) विभाग, जिसमें:- क. पोषण प्रयोगशाला ख. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	100	150	200	250
मरुतुवम् (औषधि) विभाग ट्यूटोरियल कक्ष सहित	75	125	175	225
वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् विभाग (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा) ट्यूटोरियल कक्ष सहित ।	75	125	175	225
कन, काद, मूक्कु, तोदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरुवइ (नेत्र विज्ञान, ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित शल्य चिकित्सा) विभाग, संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष।	75	125	175	225

	सूल और मगालिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग, ट्यूटोरियल कक्ष सहित।	75	125	175	225
	कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग) विभाग, ट्यूटोरियल कक्ष सहित।	75	125	175	225
6	नैदानिक कौशल/सिमुलेशन प्रयोगशाला (सामान्य क्षेत्र + डेमो/अभ्यास कक्ष)	125 (75+50X1)	200 (100+50X2)	275 (125+50X3)	350 (150+50X4)
7	मानव संसाधन एवं विकास प्रकोष्ठ (एचआरडीसी) (कार्यशाला क्षेत्र + कार्यालय, स्टोर, प्रसार क्षेत्र, शौचालय)	130 (80+50)	150 (100+50)	170 (120+50)	190 (140+50)
8	अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन प्रकोष्ठ	30	30	30	30
9	कॉलेज परिषद बैठक कक्ष	50	100	150	150
10	विद्यार्थी परिषद कक्ष	20	20	20	20
11	छात्र सहायता एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ सहित कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ (एसएसजीसी) कक्ष।	25	25	25	25
12	फार्माकोविजिलेंस सेल-रूम	20	20	20	20
13	विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग)	100 (50+50)	200 (100+100)	300 (150+150)	400 (200+200)
14	शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला अलग-अलग)	50 (25+25)	60 (30+30)	70 (35+35)	80 (40+40)
15	कॉलेज कैंटीन	100	150	200	250
	कुल	3115	5205	7020	8785
<p>नोट: 1. केंद्रीय कार्यशाला (विनियम 6 देखें), सूचना प्रौद्योगिकी सेल (विनियम 9 देखें) और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल (विनियम 43 देखें) के लिए, कॉलेज या संस्थान द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक के लिए अलग से पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।</p> <p>2. कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ सहित छात्र सहायता एवं मार्गदर्शन कक्ष शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (विनियम 40 देखें) और यौन उत्पीड़न हेतु समिति (विनियम 42 देखें) के लिए उनकी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को रखने के लिए एक सामान्य सुविधा हो सकती है।</p>					

तीसरी अनुसूची

(विनियम 35 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: वनौषधि उद्यान की अनिवार्यता

क्र.सं.	विवरण	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र वर्ग मीटर में (वर्ग मीटर)			
		60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
1	वनौषधि उद्यान (औषधीय पौधों की न्यूनतम 250 प्रजातियों वाला सुविकसित हर्बल गार्डन जिसमें 25 से 50 वर्ग मीटर का प्रदर्शन कक्ष हों)	2500	4000	4000	4000

चौथी अनुसूची

(विनियम 52, विनियम 55, विनियम 58 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	विभाग/अनुभाग/इकाई	अस्पताल कर्मचारियों की न्यूनतम अनिवार्यता (प्रवेश क्षमता के अनुसार)			
		60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
प्रशासनिक क्षेत्र					
1	चिकित्सा निदेशक	प्राचार्य/डीन/निदेशक विनियम 58 के उप विनियम (2) के अनुसार।			
2	चिकित्सा अधीक्षक	एक	एक	एक	एक
		शिक्षण स्टाफ के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदाधिकारी। विनियम 58 के उप विनियम (3) खंड (सी), के अनुसार योग्यता।			
3	उप चिकित्सा अधीक्षक	एक	एक	एक	दो
		शिक्षण स्टाफ के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदाधिकारी। विनियम 58 के उप विनियम (4) के अनुसार योग्यता।			
4	प्रशासक	एक	एक	एक	दो
		विनियम 58 उप विनियम (5) के अनुसार योग्यता।			
5	परामर्शदाता	मरूतुवम्, वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्, कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित, अरूवइ, सूल और मागलिर मरूतुवम्, कुजंतइ मरूतुवम्, सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवम् और नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स विभाग के शिक्षक शामिल हैं।			
6	मैट्रन/नर्सिंग अधीक्षक	एक	एक	एक	एक
		विनियम 58 के उप विनियम (8) के अनुसार पात्रता।			
7	सहायक मैट्रन	एक	एक	दो	तीन
		विनियम 58 के उप विनियम (9) के अनुसार पात्रता।			
8	कार्यालय अधीक्षक (स्नातक एवं पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव)	एक	एक	एक	एक
9	लिपिक कर्मचारी (स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान)/ लेखा कर्मचारी (बी. कॉम / एम. कॉम के साथ कंप्यूटर ज्ञान)	एक	दो	तीन	चार
10	स्टोरकीपर (न्यूनतम 12 वीं कक्षा)	एक	एक	एक	एक
आधुनिक चिकित्सा कर्मचारी					
11	चिकित्सा विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
12	शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
13	प्रसूति/स्त्री रोग विशेषज्ञ	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
14	एनेस्थिसियोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
15	पैथोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			

16	रेडियोलॉजिस्ट	एक (पूर्णकालिक या अंशकालिक या अनुबंध के आधार पर)			
स्वागत कक्ष एवं पंजीकरण ज़ोन					
17	रिसेप्शनिस्ट सह टेलीफोन ऑपरेटर (स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान और संप्रेषण कौशल)	दो	दो	तीन	चार
18	पंजीकरण सह बिलिंग क्लर्क (स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान)	एक	दो	तीन	चार
19	मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन (स्नातक) (अस्पताल पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत होने की स्थिति में मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन की कोई आवश्यकता नहीं है)	एक	एक	एक	एक
बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र (ओपीडी क्षेत्र)					
20	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ)	एक	एक	एक	एक
		विनियम 58 के उप विनियम (6) के अनुसार पात्रता।			
21	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	एक	एक	एक	एक
		विनियम 58 के उप विनियम (6) के अनुसार पात्रता।			
22	नर्सिंग स्टाफ (एक हताहत के लिए और एक सूल और मगालिर मरुतुवम् ओपीडी के लिए)	दो	दो	दो	दो
		विनियम 58 के उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
23	फार्मासिस्ट- डिस्पेंसरी/फार्मोसी में	दो	दो	तीन	चार
		विनियम 58 के उप विनियम (12) के अनुसार पात्रता।			
नैदानिक ज़ोन					
24	प्रयोगशाला तकनीशियन	दो	दो	तीन	चार
		विनियम 58 के उप विनियम (11) के अनुसार पात्रता।			
25	लैब अटेंडेंट (10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
26	एक्स-रे तकनीशियन (एक्स-रे तकनीशियन पाठ्यक्रम में योग्यता प्राप्त)	एक	एक	एक	एक
27	डार्क रूम असिस्टेंट (जीव विज्ञान विषय के साथ बारहवीं) (गैर-डिजिटल एक्स-रे यूनिट के मामले में)	एक	एक	एक	एक
28	यूएसजी और ईसीजी के लिए नर्सिंग स्टाफ	एक	एक	एक	एक
		विनियम 58 के उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
अंतःरोगी क्षेत्र					
चिकित्सा अंतःरोगी अनुभाग					
29	स्थानिक चिकित्सा अधिकारी (आरएमओ)	दो	दो	दो	दो
		विनियम 58 के उप विनियम (6) के अनुसार पात्रता।			

30	नर्सिंग स्टाफ (प्रत्येक दस बिस्तरों के लिए एक)	चार	छह	नौ	बारह
		विनियम 58 उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
31	वार्ड बॉय/आया (प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक)	दो	तीन	चार	छह
शल्य चिकित्सा अंतःरोगी अनुभाग					
32	स्थानिक शल्य चिकित्सा अधिकारी (आरएसओ)	दो	दो	दो	दो
		विनियम 58 के उप विनियम (6) अनुसार पात्रता।			
33	नर्सिंग स्टाफ (प्रत्येक दस बिस्तरों के लिए एक)	दो	चार	छह	आठ
		विनियम 58 के उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
34	वार्ड बॉय/आया (प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक)	एक	दो	तीन	चार
प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र					
वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी/प्रक्रिया अनुभाग					
35	वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् विशेषज्ञ	वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् विभाग के शिक्षक			
36	नर्सिंग स्टाफ	एक	एक	एक	दो
		विनियम 58 के उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
37	थेरेपिस्ट (स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर थेरेपिस्ट में प्रमाण पत्र प्राप्त या मसूर में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण या एक्सटर्नल थेरेपी में प्रशिक्षित व्यक्ति)	चार (2 पुरुष + 2 महिला)	आठ (4 पुरुष + 4 महिला)	बारह (6 पुरुष + 6 महिला)	सोलह (8 पुरुष + 8 महिला)
38	हाउस ऑफिसर/क्लिनिकल रजिस्ट्रार/ सीनियर रेजिडेंट (बी एस एम एस डिग्री)	एक	एक	एक	एक
39	परिचारक (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	दो	दो
अरूवइ मरुतुवा पिरिवु (ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर)					
40	अरूवई मरुतुवम् विशेषज्ञ	कन, काद, मुक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरूवइ विभाग के शिक्षक।			
41	नर्सिंग स्टाफ	एक	एक	दो	दो
		विनियम 58 के उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
42	ओटी अटेंडेंट (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा और प्रशिक्षित)	एक	एक	दो	दो
43	ट्रेसर (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा और प्रशिक्षित)	एक	एक	दो	दो
मगाप्पेरू / प्रसव अराई (प्रसव कक्ष)					
44	सूल तथा मागलिर मरुतुवम् विशेषज्ञ	सूल तथा मागलिर मरुतुवम् विभाग के शिक्षक			
45	नर्सिंग स्टाफ	एक	एक	दो	दो

		विनियम 58 उप विनियम (10) के अनुसार पात्रता।			
46	आया (परिचारिक)	एक	एक	दो	दो
फिजियोथेरेपी यूनिट					
47	फिजियोथेरेपिस्ट (न्यूनतम बीपीटी)	एक	एक	दो	दो
48	परिचारक (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा और प्रशिक्षित)	एक	एक	दो	दो
सेवा क्षेत्र					
49	पथ्या उनावु – रसोइया	दो	दो	तीन	चार
50	मल्टी-टास्किंग कर्मचारी	एक	एक	एक	एक
कुल (शिक्षण विभागों के शिक्षकों को छोड़कर और छह आधुनिक चिकित्सा स्टाफ सहित)		60	72	99	121
<p>नोट: 1. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, अटेंडेंट/चपरासी, रसोइया, माली, रखरखाव स्टाफ आदि आउटसोर्सिंग से प्राप्त किए जा सकते हैं।</p> <p>2. यदि आवश्यक हो, तो ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन में स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन में ऑपरेशन थियेटर सहायक एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स पूर्णकालिक, नियमित आधार पर ऑपरेशन थियेटर में नियुक्त किया जा सकता है।</p> <p>3. वर्मा विशेषज्ञ और अस्थि सेटर को पूर्णकालिक आधार पर, नियमित आधार पर वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरिप्पमरूतुवम् प्रक्रिया या थेरेपी अनुभाग में (अधिमानत: बीएसएमएस योग्यता के साथ) नियुक्त किया जा सकता है।</p>					

पांचवी अनुसूची

(विनियम 44 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: सिद्ध मेडिकल कॉलेज में शिक्षण स्टाफ संबंधी अनिवार्यता

शिक्षण विभाग	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक अनिवार्यता															
	60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता				100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता				150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता				200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता			
	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर	
1. सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्तुवम् (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत)	1 या 1		1 सिद्ध+ 1 तमिल / अंग्रेज़ी	1	1	1 सिद्ध+ 1 तमिल / अंग्रेज़ी	1	1	2 सिद्ध+ 2 तमिल /अंग्रेज़ी	1	2	2 सिद्ध+ 2 तमिल /अंग्रेज़ी				
2. उडल कूरुगल (शरीर रचना)	1 या 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2					
3. उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)	1 या 1		1 सिद्ध + 1 जैव	1	1	1 सिद्ध + 1 जैव	1	1	2 सिद्ध + 2 जैव	1	2	2 सिद्ध + 2 जैव				

		रसायन			रसायन			रसायन			रसायन
4. गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी)	1 या 1	1 सिद्ध + 1 वनस्पति विज्ञान/ भेषज विज्ञान (फार्माको ग्रॉसी)	1	1	1 सिद्ध + 1 वनस्पति विज्ञान/भे षज विज्ञान (फार्माको ग्रॉसी)	1	1	2 सिद्ध + 2 वनस्पति विज्ञान/भेष ज विज्ञान (फार्माकोग्रॉ सी)	1	2	2 सिद्ध + 2 वनस्पति विज्ञान/भे षज विज्ञान (फार्माको ग्रॉसी)
5. गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)	1 या 1	1	1	1	2	1	1	3	1	2	3
6. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी)	1 या 1	1 सिद्ध + 1 माइक्रोबा योलॉजी	1	1	1 सिद्ध + 1 माइक्रोबा योलॉजी	1	1	2 सिद्ध + 2 माइक्रोबायो लॉजी	1	2	2 सिद्ध + 2 माइक्रोबा योलॉजी
7. सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजू मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी)	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
8. नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स (रोग निवारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और शास्त्र)	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
9. मरूतुवम् (मेडिसिन)	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
10. वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य चिकित्सा और विशेष चिकित्सा)	1 या 1	1	1	1	2	1	2	3	2	2	4
11. कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान,	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3

ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी)											
12. सूल तथा मागलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
13. कुजंतड मरुतुवम् (बाल रोग)	1 या 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
उप योग	13	17	13	13	19	13	20	36	20	26	43
कुल योग	30		45			69			89		

नोट: 1. उपरोक्त के अलावा, कॉलेज में वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् विभाग में पूर्णकालिक आधार पर योग प्रशिक्षक (60,100,150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए एक और 200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के लिए दो अर्थात् 1 पुरुष और 1 महिला), नोड अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स विभाग में अंशकालिक आधार पर एक बायोस्टैटिस्टिशियन, और एक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक पूर्णकालिक आधार पर लगाया जाएगा;

2. विभाग में जहां कहीं भी अतिरिक्त प्रोफेसर या रीडर उपलब्ध होंगे, वहां रीडर या लेक्चरर की अनिवार्यता के विरुद्ध अतिरिक्त प्रोफेसर पर विचार किया जा सकता है और उसी विभाग में लेक्चरर की अनिवार्यता के विरुद्ध अतिरिक्त रीडर पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज में, यदि उडल कूरुगल विभाग में एक प्रोफेसर, एक रीडर और एक व्याख्याता की अनिवार्यता के विरुद्ध तीन प्रोफेसर हों या एक प्रोफेसर और दो रीडर हों या एक प्रोफेसर, एक रीडर और एक व्याख्याता हों तो कॉलेज के इस विभाग में संकाय संबंधी अनिवार्यता पूरी हो रही है और उडल कूरुगल विभाग में संकाय संबंधी कोई कमी नहीं है।

3. किसी अन्य विभाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) या सहायक प्रोफेसर (लेक्चरर) को उस विभाग में नहीं गिना जाएगा या उन पर विचार नहीं किया जाएगा जहां संकाय की कमी है।

छठी अनुसूची

(विनियम 6, विनियम 9, विनियम 27, विनियम 44 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: सिद्ध मेडिकल कॉलेज में गैर-शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी और अन्य कर्मचारियों) संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	विभाग/अनुभाग/इकाई	गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम अनिवार्यता (विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के अनुसार)			
		60 विद्यार्थियों प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों प्रवेश क्षमता
क. प्रशासनिक अनुभाग					
1	प्रधानाचार्य/डीन अध्यक्ष/निदेशक के निजी सहायक (पीए) या निजी सचिव (पीएस)। (सचिवालयी प्रशिक्षण के साथ स्नातक)	एक	एक	एक	एक
2	कार्यालय अधीक्षक (पांच वर्ष के प्रशासनिक अनुभव के साथ स्नातक)	एक	एक	एक	एक
3	लिपिक कर्मचारी (स्नातक एवं कंप्यूटर ज्ञान) और लेखा कर्मचारी (बी.कॉम/एम.कॉम एवं कंप्यूटर ज्ञान)	तीन	चार	पाँच	छह

4	परिचारक (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	दो	तीन	तीन
ख. केन्द्रीय पुस्तकालय					
5	लाइब्रेरियन (लाइब्रेरी विज्ञान में परास्नातक या स्नातक एवं पांच साल का पुस्तकालयी अनुभव)	एक	एक	एक	एक
6	सहायक लाइब्रेरियन (लाइब्रेरी विज्ञान में स्नातक)	एक	एक	दो	तीन
7	लाइब्रेरी अटेंडेंट (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	दो	दो
ग. शिक्षण विभाग (13)					
(1) सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्त्वम् (सिद्ध चिकित्सा के मूल सिद्धांत)					
8	परिचारक (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	एक	एक
(2) उडल कूरुगल (शरीर रचना)					
9	लैब असिस्टेंट (जीव विज्ञान के साथ न्यूनतम 12 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	दो	दो
10	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम संग्रहालय कीपर (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	दो	दो
(3) उडल तत्वम् (शरीर क्रिया विज्ञान)					
11	लैब तकनीशियन (उडल तत्वम् लैब) (न्यूनतम डीएमएलटी के साथ)	एक	एक	एक	एक
12	लैब अटेंडेंट (उडल तत्वम् लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
13	लैब तकनीशियन (उयिर वेधियल लैब) (न्यूनतम डीएमएलटी के साथ)	एक	एक	एक	एक
14	लैब अटेंडेंट (उयिर वेधियल लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
(4) गुणपाडम - मरुंदियल (मटेरिया मेडिका एवं फार्माकोलॉजी) और हर्बल गार्डन					
15	प्रयोगशाला सहायक (गुणपाडम मरुंदियल - लैब) (जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान के साथ 12 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	एक	दो
16	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर संग्रहालय (गुणपाडम मरुंदियल -लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
17	प्रयोगशाला सहायक (मरूतुवा तावरवियल लैब) (जीव विज्ञान के साथ 12 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	एक	एक
18	लैब अटेंडेंट सह औषधि संग्रहालय, संग्रहालय (मरूतुवा तावरवियल लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो

गुणपाडम मरूंदियल -विभाग के अंतर्गत हर्बल गार्डन					
19	माली	एक	एक	एक	एक
20	बहुउद्देशीय कर्मचारी	दो	दो	दो	दो
(5) गुणपाडम मरूनदगवियल - (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स)					
21	प्रशिक्षक (फार्मसी शिक्षण) (बीएसएमएस)	एक	एक	एक	एक
22	लैब असिस्टेंट (शिक्षण फार्मसी) (जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान के साथ 12 ^{वीं} कक्षा)	--	--	एक	दो
23	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (शिक्षण फार्मसी और म्यूजियम संग्रहालय) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
24	लैब तकनीशियन (गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला) (बी. फार्मा/एम. फार्मा)	एक	एक	एक	एक
25	लैब अटेंडेंट (गुणवत्ता परीक्षण लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	एक	एक
(6) नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी)					
26	लैब तकनीशियन (नोई नाडल लैब) (डीएमएलटी)	एक	एक	एक	एक
27	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (नोइ नाडल लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	दो	दो
28	लैब तकनीशियन नुसुयिरियल लैब) (डीएमएलटी के साथ)	एक	एक	एक	एक
29	लैब अटेंडेंट (नुसुयिरियल लैब) (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
(7) सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान)					
30	लैब असिस्टेंट (जीव विज्ञान के साथ न्यूनतम 12 ^{वीं} कक्षा)	एक	एक	एक	एक
31	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
(8) नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिक्स (रोग निवारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत एवं शास्त्र)					
32	लैब तकनीशियन (पोषण लैब) (डीएमएलटी के साथ)	एक	एक	एक	एक
33	लैब अटेंडेंट सह म्यूजियम कीपर (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	एक	एक
(9) मरूतुवम् (चिकित्सा), (10) वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरिप्पमरूतुवम् (वर्मम, बाह्य थेरेपी और विशेष चिकित्सा), (11) कन, काद, मूक्कु, तौंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरुवई (नेत्र विज्ञान, ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी), (12) सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) और (13) कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)					

34	परिचारक (न्यूनतम 10 ^{वीं} कक्षा के साथ)	एक	एक	दो	दो
घ. नैदानिक कौशल/सिम्युलेशन प्रयोगशाला					
35	समन्वयक (पुतलों और सिमुलेटरों को संभालने संबंधी प्रशिक्षण/ज्ञान के साथ बीएसएमएस स्नातक)	एक	एक	एक	एक
36	कार्यालय सहायक (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	एक	एक	एक	एक
37	परिचारक	एक	एक	एक	एक
ङ. मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ (एचआरडीसी)					
38	समन्वयक (एमबीए सहित बीएसएमएस स्नातक या एमबीए सहित स्नातक)	एक	एक	एक	एक
39	कार्यालय सहायक (कंप्यूटर ज्ञान सहित स्नातक)	एक	एक	दो	तीन
40	परिचारक	एक	एक	एक	एक
च. डिजिटल लाइब्रेरी सहित आईटी सेल					
41	आईटी अधिकारी (बी.ई या बी.टेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर)	एक	एक	एक	एक
42	आईटी सहायक (बीएससी कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन)	एक	एक	दो	तीन
43	बहुउद्देशीय कर्मचारी	एक	एक	एक	एक
छ. केंद्रीय कार्यशाला/ रखरखाव प्रकोष्ठ					
44	साइट इंजीनियर (बीई/ बीटेक) अधिमानतः सिविल)	एक	एक	एक	एक
	कुल	46	48	66	72
नोट: अतिरिक्त कर्मचारी जैसे स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढई, ड्राइवर, बहुउद्देशीय कर्मचारी आदि आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।					

सातवीं अनुसूची

(विनियम 17 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: उडल कूरुगल (शरीर रचना विज्ञान) विभाग के तहत डिस्सेक्शन हॉल और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरणों एवं उपस्करों संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	उपकरण एवं उपस्कर	60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
क. डिस्सेक्शन हॉल					
1	2-4 शवों को सुरक्षित रखने की क्षमता वाला टैंक	अनिवार्य			
2	विच्छेदन सेट	दस	पंद्रह	बाईस	उनतीस

3	विच्छेदन हेतु मेज				
	क. स्टेनलेस स्टील या मार्बल टॉप वाली पूर्ण आकार की मेज	तीन	चार	छह	आठ
	ख. स्टेनलेस स्टील या मार्बल टॉप वाली आधे आकार की मेज	सात	ग्यारह	सोलह	इक्कीस
4	एक्स-रे देखने का बॉक्स	तीन	चार	पाँच	छह
5	$\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ नम्बर वाले अस्थि कटर - बारीक नुकीला छेनी अस्थि विच्छेदनकर्ता	वर्गीकृत			
6	शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) के दस्ताने	आवश्यकता अनुसार			
7	सर्जिकल ब्लेड	आवश्यकता अनुसार			
8	डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई	आवश्यकता अनुसार			
9	वाँश बेसिन	आवश्यकता अनुसार			
10	परिरक्षक रसायन	आवश्यकता अनुसार			
11	कांच का जार	वर्गीकृत			
12	विद्यार्थियों हेतु अधिमानतः रिवाँल्विंग स्टूल	आवश्यकता अनुसार			
13	शवलेपन मशीन (वैकल्पिक)	एक			
14	बैंड आरा (वैकल्पिक)	एक			
15	हाथ आरी	एक			
16	ऊतक विज्ञान स्लाइड	वर्गीकृत			
17	दूरबीन माइक्रोस्कोप	चार	छह	आठ	दस
18	फर्नीचर और अन्य उपकरण	वर्गीकृत			
<p>नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अनिवार्यताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, नमूने आदि सहित पर्याप्त सुविधाएं बनाए रखेगा।</p>					
ख. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष					
1	कंकाल, हड्डियाँ, जोड़, संरक्षित अंग आदि जैसे नमूने,	आवश्यकता अनुसार			
2	मॉडल	आवश्यकता अनुसार			

आठवीं अनुसूची

(विनियम 71 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) विभाग के तहत उडल तत्वम (फिजियोलॉजी) व्यावहारिक प्रयोगशाला, और उयिर वेधियल (जैव रसायन) व्यावहारिक प्रयोगशाला के लिए उपकरणों एवं उपस्करों संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	उपकरण एवं उपस्कर	60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
ए. उदल तत्वम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	तेल निमज्जन वाला माइक्रोस्कोप	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
2	ईएसआर के लिए वेस्टरग्रेन का पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
3	वेस्टरग्रेन का स्टेण्ड	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
4	हेमेटोक्रिट ट्यूब	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
5	पीसीवी पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
6	साहली का हीमोग्लोबिनोमीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
7	हीमोसाइटोमीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
8	स्टैथोस्कोप	दस	बीस	तीस	चालीस
9	क्लिनिकल थर्मामीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
10	नी हैमर	दस	बीस	तीस	चालीस
11	बीपी एपेरेट्स	दस	बीस	तीस	चालीस
12	ट्यूरनिंग फॉर्क्स	दस	बीस	तीस	चालीस
13	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	एक	एक	दो	दो
14	स्टॉपवाचेज	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
15	वजन मशीन	एक	दो	तीन	चार
16	ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक	दो	तीन	चार
17	वैलेंस-इलेक्ट्रॉनिक	एक	दो	तीन	चार
18	स्रेलन चार्ट	दो	दो	चार	चार
19	गति नियंत्रण वाला सेंट्रीफ्यूज	एक	दो	तीन	चार
20	पीएच मीटर (इलेक्ट्रिक)	एक	दो	तीन	चार
21	न्यूटन का कलर व्हील	एक	दो	तीन	चार
22	स्टेरीलाइजर	एक	एक	दो	दो
23	पीक एक्सपाइरेटरी फ्लो मीटर	एक	दो	तीन	चार
24	श्वसनमापी	एक	दो	तीन	चार
25	मूत्रमापी	एक	दो	तीन	चार
26	कम्पास एस्थेसियोमीटर	एक	एक	दो	दो
27	थर्मल एस्थेसियोमीटर	एक	एक	दो	दो
28	हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर	एक	एक	दो	दो
29	हार्वर्ड स्टेप	एक	एक	दो	दो
30	लैंसेट पेन	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस

31	डिस्पोजेबल सिरिंज और सुई	आवश्यकता अनुसार			
32	सुई नाशक	आवश्यकता अनुसार			
33	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
34	कवर स्लिप्स	आवश्यकता अनुसार			
35	कांच के बर्तन	वर्गीकृत			
36	माइक्रोस्लाइड्स	आवश्यकता अनुसार			
37	रीएजेंट	आवश्यकता अनुसार			
38	टॉर्च	आवश्यकता अनुसार			
39	मापने का टेप	आवश्यकता अनुसार			
40	ब्लॉटिंग पेपर	आवश्यकता अनुसार			
41	विद्यार्थियों हेतु रिवाँल्विंग स्टूल	आवश्यकता अनुसार			
<p>नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अनिवार्यताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन, रीएजेंट आदि सहित पर्याप्त सुविधाएं बनाए रखेगा।</p>					
ख. उयिर बेधियल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	पीएच मीटर	एक	दो	तीन	चार
2	क्रोमैटोग्राफी	एक	एक	दो	दो
3	इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट	एक	एक	दो	दो
4	गति नियंत्रण वाला सेंट्रीफ्यूज	एक	दो	तीन	चार
5	तेल निमज्जन माइक्रोस्कोप	दो	चार	छह	आठ
6	कलरीमीटर	एक	दो	तीन	चार
7	वाटरबाँध	एक	दो	तीन	चार
8	बन्सन बर्नर	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
9	राइल ट्यूब	एक	एक	दो	दो
10	यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	एक	एक	एक	एक
11	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस	एक	दो	तीन	चार
12	फिजिकल बैलेंस	एक	दो	तीन	चार
13	इन्क्यूबेटर	एक	एक	दो	दो
14	होट प्लैट	एक	दो	तीन	चार
15	फ्लेम फोटोमीटर	वैकल्पिक			
16	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
17	इलेक्ट्रोलाइट एनेलाइजर	वैकल्पिक			
18	माइक्रोपिपेट (स्थिर एवं परिवर्तनशील आयतन वाला)	दो	दो	चार	चार

19	हॉट एयर ओवन	एक	एक	दो	दो
20	स्प्रिट लैंप	तीन	छह	नौ	बारह
21	जल आसवन इकाई	एक	एक	एक	एक
22	रीफ्रिजरेटर	एक	दो	तीन	चार
23	मेजरिंग सिलेंडर	वर्गीकृत			
24	पिपेट	वर्गीकृत			
25	मानक फ्लास्क	वर्गीकृत			
26	कोनिकल फ्लास्क	वर्गीकृत			
27	बीकर	वर्गीकृत			
28	टेस्ट ट्यूब स्टैंड	आवश्यकता अनुसार			
29	परखनली (टेस्ट ट्यूब)	आवश्यकता अनुसार			
30	टेस्ट ट्यूब धारक	आवश्यकता अनुसार			
31	टेस्ट ट्यूब रैक	आवश्यकता अनुसार			
32	फ़नल	आवश्यकता अनुसार			
33	फोलिनबु ट्यूब 25 मि.ली	विभिन्न क्षमता वाले (आवश्यकतानुसार)			
34	ग्लास ड्रॉपर	आवश्यकता अनुसार			
35	ट्राइपोड स्टैंड	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
36	रीएजेंट्स	आवश्यकता अनुसार			
37	विद्यार्थियों हेतु अधिमानतः रिवाँल्विंग स्टूल	आवश्यकता अनुसार			

नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक अनिवार्यताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन/रीएजेंट्स आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।

नौवीं अनुसूची

(विनियम 17 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: मरुतुवा तावरवियल (औषधीय वनस्पति विज्ञान और फार्माकोगोसी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, गुणपाडम - मरुंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और गुणपाडम - मरुंदियल (मटेरिया मेडिका और फार्माकोलॉजी) विभाग के अंतर्गत संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरणों एवं उपस्करों संबंधी अनिवार्यता।

क्र.सं.	उपकरण एवं उपस्कर	60 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता
क. गुणपाडम मरुंदियल - प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	कलवम				
	क. छोटा	दो	चार	आठ	दस

	ख. मध्यम	दस	बीस	तीस	चालीस
2	यन्थिराम				
	क. थुलायन्थिराम	एक	एक	दो	दो
	ख. अवियन्थिराम	दो	तीन	चार	पाँच
	ग. वालुकायन्थिराम	दो	तीन	चार	पाँच
3	आसवन उपकरण	एक	एक	एक	एक
4	ईदी करुवी (पाउंडिंग हेतु)	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
5	सेंट्रीफ्यूज	दो	चार	छह	आठ
6	पेस्टल एवं मोटार	दस	बीस	तीस	चालीस
7	हीटिंग यूनिट के साथ सॉक्सलेट उपकरण	एक	एक	दो	दो
8	सेंट्रीफ्यूज ट्यूब	आवश्यकता अनुसार			
9	परखनली (टेस्ट ट्यूब)	वर्गीकृत			
10	टेस्ट ट्यूब धारक	वर्गीकृत			
11	टेस्ट ट्यूब रैक	वर्गीकृत			
12	कोनिकल फ्लास्क	वर्गीकृत			
13	ग्लास रॉड	आवश्यकता अनुसार			
14	ड्रॉपर	आवश्यकता अनुसार			
15	बीकर (100, 250, 500, 1000 मि.ली.)	आवश्यकता अनुसार			
16	मापक जार (ग्लास) (10, 25, 100, 500 मि.ली.)	आवश्यकता अनुसार			
17	मापक जार (प्लास्टिक/फाइबर) (10, 25, 100, 500 मि.ली.)	आवश्यकता अनुसार			
18	तापन (हीटिंग) उपकरण				
	क. गैस - चूल्हा	आवश्यकता अनुसार			
	ख. बन्सन बर्नर	आवश्यकता अनुसार			
	ग. इंडकशन चूल्हा	आवश्यकता अनुसार			
19	संतुलन				
	क. भौतिक	एक	एक	दो	दो
	ख. इलेक्ट्रोनिक	एक	दो	तीन	चार
20	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
21	वेसल्स				
	क. ताँबे के	वर्गीकृत			

	ख. स्टील के	वर्गीकृत			
	ग. लोहे के	वर्गीकृत			
	घ. मिट्टी के	वर्गीकृत			
22	लैडल, स्पैटुला, चम्मच आदि,	वर्गीकृत			
23	ज्यूस एक्सट्रैक्टर	आवश्यकता अनुसार			
24	कांच का जार	वर्गीकृत			
25	पाश्चर पिपेट 1 मि.ली.	आवश्यकता अनुसार			
26	पिपेट	आवश्यकता अनुसार			
27	फ़नल	आवश्यकता अनुसार			
28	लोहे की जाली वाला गोल तली वाला फ्लास्क	आवश्यकता अनुसार			
29	वाँच ग्लास 80 मि.मी.	आवश्यकता अनुसार			
30	प्लैटिनम तार	आवश्यकता अनुसार			
31	ब्रश	आवश्यकता अनुसार			
32	फिल्टर पेपर	आवश्यकता अनुसार			
33	पीएच सूचक कागज	आवश्यकता अनुसार			
34	चाकू	वर्गीकृत			
35	स्टील प्लेट्स	वर्गीकृत			
36	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत			
37	सुपारी काटने वाला	आवश्यकता अनुसार			
38	चॉपिंग पैड	वर्गीकृत			
39	शल्य चिकित्सा हेतु दस्ताने	आवश्यकता अनुसार			
40	वाटर बाथ	एक	एक	दो	दो
41	स्प्रीट लैंप	आवश्यकता अनुसार			
42	रसायन और रीएजेंट	आवश्यकता अनुसार			
43	भंडारण हेतु अलमारियाँ और रैक	आवश्यकता अनुसार			
44	आग बुझाने का यंत्र	एक			
ख. मरुतुवा तावरवियल प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
प्लांट एनाटॉमी					
1	डिजिटल कैमरे के साथ ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप	एक	एक	दो	दो
2	फ्रील्ड आवर्धक	छह	दस	पंद्रह	बीस
3	कंपाउंड माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
4	वाँच ग्लास	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास

5	माइक्रोस्लाइड्स	पाँच डिब्बे	दस डिब्बे	पन्द्रह डिब्बे	बीस डिब्बे
6	कवर ग्लास	पाँच डिब्बे	दस डिब्बे	पन्द्रह डिब्बे	बीस डिब्बे
7	स्थायी स्लाइड के साथ स्लाइड बॉक्स	पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक है			
8	प्लास्टिक ड्रॉपर बोतल-10 मि.ली.	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
9	पेट्री डिश-सेट	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
10	रसायन और रीएजेंट्स	आवश्यकता अनुसार			
पादप वर्गीकरण					
11	डिस्सेक्शन माइक्रोस्कोप	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
12	इनेमल ट्रे	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
13	हैंड मैग्निफायर	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
14	ब्रश, सुई और रेजर या ब्लेड के साथ डिस्सेक्शन बॉक्स	तीस	पचास	पचहत्तर	सौ
15	फॉर्मेलिडहाइड (प्रिजर्वेशन)	आवश्यकता अनुसार			
क्रोमैटोग्राफी					
16	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी चैंबर	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
17	टीएलसी प्री-कोटेड प्लेट्स (डिब्बे)	एक	दो	तीन	चार
18	टीएलसी ग्लास प्लेटें	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
19	ओखल और मूसल	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
20	अभिकर्मक बोतल	दस	बीस	तीस	चालीस
21	माइक्रोपिपेट	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
22	कोनिकल फ्लास्क	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
23	बीकर-250 मि.ली	दस	बीस	तीस	चालीस
24	बीकर-100 मि.ली	दस	बीस	तीस	चालीस
25	कांच की कीप	दस	बीस	तीस	चालीस
26	मापक सिलेंडर-10 मिली	दस	बीस	तीस	चालीस
27	मापक सिलेंडर-25 मिली	दस	बीस	तीस	चालीस
28	व्हाट्समैन फिल्टर पेपर रोल	एक	दो	तीन	चार
29	केपिलरी ट्यूब (डिब्बे)	एक	दो	तीन	चार
30	कांच के बर्तन, रसायन और रीएजेंट्स	आवश्यकता अनुसार			
विविध					
31	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस	एक	दो	तीन	चार
32	स्पिट लैप	चार	आठ	दस	पंद्रह

33	ओक्युलर माइक्रोमीटर	एक	दो	तीन	चार
34	स्टेज माइक्रोमीटर	एक	दो	तीन	चार
35	रेफ्रिजरेटर	एक			
36	कैमरा ल्यूसिडा प्रिज्म प्रकार और दर्पण प्रकार (वैकल्पिक)	एक			
37	विद्यार्थियों हेतु रिवाँल्विंग स्टूल	आवश्यकता अनुसार			
सूखी वनस्पतियों का संग्रह (हर्बेरियम)					
38	वुडन फील्ड प्रेस	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
39	वास्कुलम/वानस्पतिक बॉक्स	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
40	प्लांट प्रेस	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
41	हर्बल गार्डन हेतु बागवानी उपकरण (कुदाल, हाथ की कुदाल, रेक, क्राउबार, गार्डन कैंची, सेकेटर्स, पानी की नली, हैंड स्प्रेकलर, सेंड बॉर्ड आदि।)	आवश्यकता अनुसार			
<p>नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थी प्रवेश क्षमता के अनुसार उपकरण, उपस्कर, रसायन/रीएजेंट्स आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।</p>					
ग. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष					
1	मूलिगाई (जडी-बूटियाँ)	नमूना			
2	थाथु (धातु एवं खनिज)	नमूना			
3	जीवम (पशु व्युत्पन्न)	नमूना			
4	26 वर्णमाला केसेज वाला हर्बेरियम कैबिनेट	100 नमूने	150 नमूने	200 नमूने	250 नमूने
5	स्थायी माइक्रोस्लाइड नमूने	बीस			
6	मरुतुवा तावरवियल हेतु नमूने	वर्गीकृत			
<p>नोट: जहरीले पदार्थों को संग्रहालय में डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट लॉक करके सुरक्षित तरीके से परिरक्षित किया जाना चाहिए।</p>					

दसवीं अनुसूची

(विनियम 17, विनियम 20, विनियम 21 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) शिक्षण फार्मैसी (प्रेक्टिकल प्रयोगशाला), गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका और फार्मास्यूटिक्स) विभाग के अंतर्गत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपकरणों एवं उपस्करों संबंधी अनिवार्यता

क्र.सं.	उपकरण एवं वाद्ययंत्र	60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थी प्रवेश क्षमता
---------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

ए. गुणपाडम – मरूनदगवियल शिक्षण फार्मैसी (पैक्टिकल प्रयोगशाला)					
1	कलवम				
	क. छोट्टा	दस	बीस	तीस	चालीस
	ख. मध्यम	दस	बीस	तीस	चालीस
	ग. चीनी मिटटी के बर्तन	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
	घ. थाप्या कलवम	दो	चार	छह	आठ
2	यन्थिराम				
	क. अवियन्थिराम	एक	दो	तीन	चार
	ख. थुलायन्थिराम	एक	दो	तीन	चार
	ग. सुदरथाइलाकरुवी	एक	दो	तीन	चार
	घ. वालुकायन्थिराम	एक	दो	तीन	चार
3	आसवन उपकरण				
4	पाउंडिंग हेतु ईदी करुवी				
5	मूसई (विभिन्न आकार)				
6	पुदम (विभिन्न प्रकार)				
7	ब्लोअर				
8	तापन उपकरण				
	क. गैस - चूल्हा	पंद्रह	बीस	पच्चीस	तीस
	ख. इंडक्शन चूल्हा	आवश्यकता अनुसार			
	ग. अडुप्पु (चारकोल/ विराकु)	दो	चार	छह	आठ
	घ. होट प्लेट	आवश्यकता अनुसार			
9	बैलेंस				
	क. भौतिक	एक	दो	तीन	चार
	ख. इलेक्ट्रोनिक	एक	दो	तीन	चार
	ग. रासायनिक	एक	एक	दो	दो
10	बर्तन, जार, प्लेट, ट्रे आदि।				
	क. पीतल के	वर्गीकृत			
	ख. ताँबे के	वर्गीकृत			
	ग. स्टील के	वर्गीकृत			
	घ. लोहे के	वर्गीकृत			
	ङ. मिट्टी/मृदा के	वर्गीकृत			
	च. फ्राइंग पैन	वर्गीकृत			
	छ. स्पैचुला	वर्गीकृत			

	ज. करछुल और चम्मच				वर्गीकृत
	झ. स्टील के प्लेट्स				वर्गीकृत
	ञ. इनेमल ट्रे				वर्गीकृत
	ट. प्लास्टिक ट्रे				वर्गीकृत
	ठ. जार/कंटेनर				वर्गीकृत
11	पीसने वाली मशीनें				
	क. मिक्सर ग्राइंडर	एक	दो	तीन	चार
	ख. वेट ग्राइंडर	एक	एक	दो	दो
12	प्यरोमीटर				वर्गीकृत
13	थर्मामीटर				आवश्यकता अनुसार
14	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
15	चाकू				वर्गीकृत
16	स्कैपर्स				वर्गीकृत
17	हैंड स्टिरर				वर्गीकृत
18	चॉपिंग पैड				वर्गीकृत
19	मापक उपकरण (विभिन्न मात्रा वाले)				वर्गीकृत
20	किण्वन प्रयोजनार्थ चीनी मिट्टी के जार				वर्गीकृत
21	छलनी (विभिन्न आकार की और भिन्न-भिन्न संख्या में)				वर्गीकृत
22	ज्यूस एक्सट्रेक्टर				वर्गीकृत
23	प्रेसर कुकर				वर्गीकृत
24	आग बुझाने का यंत्र				एक
25	स्प्रीट लैप				वर्गीकृत
26	भंडारण के लिए अलमारियाँ और रैक				वर्गीकृत
<p>नोट: 1. विभिन्न पुदमों को प्रदर्शित करने के लिए कॉलेज परिसर में किसी उपयुक्त क्षेत्र में "पुडा सलाई " का रखरखाव किया जाएगा।</p> <p>2. तालिका में सूचीबद्ध मदें न्यूनतम आवश्यक मानक अनिवार्यताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध व्यावहारिक कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए उपकरण, यंत्र आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।</p> <p>3. अग्नि सुरक्षा उपाय उपलब्ध हों।</p>					
बी. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (क्यूटीएल)					
1	टेबलेट डिस्इंटीग्रेशन परीक्षक				
2	टेबलेट फ्राएबिलिटी परीक्षक				
3	टेबलेट हार्डनेस परीक्षक				
4	टेबलेट डिज़ॉल्युशन परीक्षक				
5	शराब निर्धारण उपकरण				

6	वाॅलेटाइल ऑयल निर्धारण उपकरण
7	बल्क डेन्सिटी परीक्षक
8	क्वथनांक और गलनांक निर्धारण उपकरण
9	विस्कोमीटर
10	नमी निर्धारण उपकरण
11	मफल फर्नेस
12	रिफ्रेक्टोमीटर
13	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस
14	फिजिकल बैलेंस
15	मॅग्नेटिक स्टीरर
16	हॉट एयर ओवन
17	रेफ्रिजरेटर
18	ग्लास/स्टील आसवन उपकरण
19	बर्नर सहित एलपीजी गैस सिलेंडर
20	वाटर बाथ (तापमान नियंत्रित)
21	हीटिंग मेंटल/हॉट प्लेटें
22	सभी सहायक उपकरणों सहित टीएलसी उपकरण
23	सभी सहायक उपकरणों सहित पेपर क्रोमैटोग्राफी उपकरण
24	छलनी शेकर सहित 10 से 120 तक के आकार वाली छलनी।
25	सेंट्रीफ्यूज
26	डिह्युमिडिफायर
27	पीएच मीटर (डिजिटल)
28	लिमिट टेस्ट पेपर
29	पाइकोनोमीटर/विशिष्ट गुरुत्व बोतल
30	हाइड्रोमीटर
31	रोटेटरी शेकर
32	प्यरोमीटर
33	ओखली एवं मूसल
34	कांच के बर्तन (आवश्यकतानुसार)
35	माइक्रोस्कोप (दूरबीन)
36	डिस्सेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी
37	कम्पाउंड सूक्ष्मदर्शी
38	एल्यूमिनियम स्लाइड ट्रे

39	स्टेज माइक्रोमीटर	
40	ओक्युलर माइक्रोमीटर	
41	कैमरा ल्यूसिडा (प्रिज्म और दर्पण प्रकार) (वैकल्पिक)	
42	रसायन (आवश्यकतानुसार)	
43	हीटिंग यूनिट के साथ सॉक्सलेट उपकरण	
44	चालकता मीटर	
45	नेफेलोमीटर और टर्बिडीमीटर	
46	टाइट्रेशन ट्यूब	
47	वर्नियर कैलिपर	
48	होट प्लेट	
49	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (वैकल्पिक)	
50	माइक्रोस्लाइड कैबिनेट	
51	डिस्सेक्शन बॉक्स	
52	माइक्रोटोम	
53	पिपेट	
54	कवर स्लिप सहित स्लाइड	
55	हाइड्रियन पीएच पेपर	
56	टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब रैक	
57	स्पैटुला और चम्मच	
58	फिल्टर पेपर	
59	स्पिरिट लैंप	
60	लोहे की जाली वाला गोल तली वाला ग्लास	
61	प्लैटिनम तार	
62	वाँच ग्लास	
63	बंन्सेन बर्नर	
64	ट्राइपोड स्टैंड	
65	सिलिका कूसिबल	
नोट: 1. विभाग गुणवत्ता मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों को प्रदर्शित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा।		
2. तालिका में सूचीबद्ध मदें न्यूनतम मानक आवश्यकताएं हैं। क्यूटीएल दवाओं के गुणवत्ता विश्लेषण, प्रदर्शनात्मक शिक्षण और दवा विश्लेषण एवं अनुसंधान के लिए उपकरण, उपस्कर, रसायन/रीएजेंट्स आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा।		
3. क्यूटीएल गुणपाडम मरूंदियल -और गुणपाडम मरूनदगवियल - विभाग के लिए सामान्य सुविधा होगी।		
सी. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष		
1	मूलिगाई	नमूना

2	उलोगांकल	नमूना
3	कारसाराम	नमूना
4	पदानंगल	नमूना
5	उपरसाम	नमूना
6	वैष्णु चरक्कुगल	नमूना
7	सिद्ध औषधियों का उच्च क्रम (परपम, चेंदुराम, चुन्नम, पथनगम, कट्टू आदि)	कांच के जार में नमूना
8	कुप्पी पुडा करुवी	एक
9	कुझी थाइला करुवी	एक
10	मेझुगु थाइला यन्थिराम	एक
11	चेंदुराम एरिक्कम करुवी	एक
12	पथंगा करुवी	एक
13	द्रवगा यन्थिराम	एक
14	वालुका यन्थिराम	एक
15	धूपा यन्थिराम	एक
16	अवि यन्थिराम	एक
17	थुला यन्थिराम	एक
18	सुदर थाइला करुवी	एक
19	पुडम - मॉडल	विभिन्न प्रकार के
20	अगल	वर्गीकृत
21	कुप्पी	वर्गीकृत
22	अडाइप्पन	वर्गीकृत
23	चट्टी	वर्गीकृत
नोट: जहरीले पदार्थों को संग्रहालय में डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट में लॉक करके सुरक्षित रूप से परिरक्षित किया जाना चाहिए।		

ग्यारहवीं अनुसूची

(विनियम 17, विनियम 23 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग के अंतर्गत नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, नुन्नियिरियल (माइक्रोबायोलॉजी कीटाणु-विज्ञान) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर एवं उपकरण	60 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता
ए. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	बायनोक्वूलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास

2	ऑयल इमर्शन के साथ माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
3	ऑयल इमर्शन लेंस 20 (ई) के साथ मोनोकुलर माइक्रोस्कोप	पंद्रह	पच्चीस	चालीस	पचास
4	एक्स-रे व्यू बॉक्स	एक	एक	दो	दो
5	साहली की स्केवयर ट्यूब (हीमोग्लोबिनोमीटर)	तीस	पचास	पचास	पचास
6	एचबी पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
7	डब्ल्यूबीसी पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
8	ड्रॉपर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
9	रेड सेल पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
10	इम्प्रूव्ड न्यूबॉयर चैम्बर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
11	इन्क्यूबेटर	एक	दो	तीन	चार
12	विंट्रोब की ट्यूब	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
13	पाश्चर की पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
14	सेंट्रीफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन	एक	दो	तीन	चार
15	वेस्टरग्रेन की पिपेट	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
16	वेस्टरग्रेन का स्टैंड	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
17	यूरीनोमीटर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
18	आटोक्लेव	एक	एक	एक	एक
19	सेल काउंटर (हेमो-ऑटो एनेलाईजर)	एक	एक	एक	एक
20	बीपी उपकरण	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
21	स्टेथस्कोप	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
22	थर्मामीटर	दस	बीस	तीस	चालीस
23	थर्मल स्कैनर	एक	दो	तीन	चार
24	टंग डिप्रैसर	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
25	स्टॉपवॉच	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
26	फिजिकल बैलेंस	एक	एक	दो	दो
27	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस	एक	एक	दो	दो
28	हॉट एयर ओवन	एक	एक	दो	दो
29	बनसेन बर्नर	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
30	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
31	नमूने एकत्र करने के लिए जीवाणुरहित बर्तन/बोतल	आवश्यकतानुसार			
32	टॉर्च	आवश्यकतानुसार			

33	मेजरिंग टेप	आवश्यकतानुसार			
34	वेइंग मशीन	एक	एक	एक	एक
35	ट्यूनिंग फोर्क्स	वर्गीकृत			
36	नेजल स्पैक्युलम	आवश्यकतानुसार			
37	लार्येन्जोस्कोप	आवश्यकतानुसार			
38	कैथेटर्स	आवश्यकतानुसार			
39	प्रोब्स	वर्गीकृत			
40	स्टर्ली डिस्पोजेबल लैंसेट/नीडल	वर्गीकृत			
41	ग्लास रॉड	वर्गीकृत			
42	सिरिज नीडल डैस्ट्रोयर	आवश्यकतानुसार			
43	कवर स्लिप	आवश्यकतानुसार			
44	साफ की गई स्लाइडें	आवश्यकतानुसार			
45	लिट्मस पेपर	आवश्यकतानुसार			
46	पीएच सूचक कागज स्ट्रिप्स	आवश्यकतानुसार			
47	टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक	वर्गीकृत			
48	फ़नल	आवश्यकतानुसार			
49	कोनिकल फ्लास्क	वर्गीकृत			
50	विभिन्न आकारों के ढक्कन वाले कांच के जार	वर्गीकृत			
51	केपिलैरी ट्यूब	वर्गीकृत			
52	रबर टैट	वर्गीकृत			
53	मैग्रीफाइंग ग्लास	आवश्यकतानुसार			
54	मल्टी स्टिक	आवश्यकतानुसार			
55	सिद्ध निदान	वर्गीकृत			
	क. नीरक्कुरी-नेईक्कुरी टैस्ट किट (बाउल, जीवाणुरहित यूरीन कंटेनर, नारियल के पत्ते का मध्य का टुकड़ा, कोल्ड प्रेस्ड लकड़ी के मोर्टार से निकला तिल का तेल)	आवश्यकतानुसार			
	ख. मणिक्कुरी नूल टैस्ट किट (इनेलास्टिक टिवन)	आवश्यकतानुसार			
56	विद्यार्थियों के लिए घूमने वाला स्टूल	आवश्यकतानुसार			

नोट: 1. विभाग छात्रों को सिद्ध निदान विधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने या प्रशिक्षित करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा।

2. तालिका में सूचीबद्ध मदें न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपस्कर, उपकरण, रसायन/अभिकर्मकों आदि सहित सुविधाएं

बनाए रखेगा।					
बी. नुसुयिरियल (माइक्रोबायोलॉजी कीटाणु-विज्ञान) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	आटोकलेव (वर्टिकल)	एक	एक	दो	दो
2	हॉट एयर ओवन	एक	एक	एक	एक
3	इनक्यूबेटर (बैक्टीरियोलॉजिकल)	एक	दो	दो	दो
4	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	दो	दो
5	माइक्रोस्कोप (ऑयल इमर्शन के साथ बायनोक्युलर)	तीस	पचास	पचहत्तर	एक सौ
6	लामिनार एयरफ्लो चैम्बर (वर्टिकल)	एक	एक	एक	एक
7	वाॉटर बाथ	एक	एक	एक	एक
8	कॉलोनी काउंटर	एक	एक	एक	एक
9	वीडीआरएल रोटेटर (180 आरपीएम)	एक	दो	दो	दो
10	फिजिकल बैलेंस	एक	एक	दो	दो
11	बनसेन बर्नर	पंद्रह	बीस	पच्चीस	तीस
12	सेंट्रीफ्यूज	एक	दो	दो	दो
13	पीएच मीटर	एक	दो	तीन	तीन
14	स्टेनिंग ट्रे/रेक	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
15	डीप फ्रीजर (-20 सेल्सियस)	एक	एक	एक	एक
16	कोलरीमीटर	एक	एक	दो	दो
17	मॅग्नेटिक स्टीरर	दो	दो	तीन	तीन
18	वैर्टक्स मिक्सर	दो	दो	तीन	तीन
19	डिस्टिलेशन यूनिट	एक	एक	एक	एक
20	ऑर्बिटल शेकर	एक	दो	तीन	चार
21	सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा	एक	एक	दो	दो
22	माइक्रोवेव ओवन	एक	एक	दो	दो
23	माइक्रोपिपेट (फिक्सड और परिवर्तनशील वाल्यूम)	वर्गीकृत			
24	पेट्री डिश (ग्लास)	आवश्यकतानुसार			
25	कैविटी स्लाइड	आवश्यकतानुसार			
26	माइक्रोस्कोप ग्लास स्लाइड	आवश्यकतानुसार			
27	कवर स्लिप	आवश्यकतानुसार			
28	टेस्ट ट्यूब (15 मिली, 30 मिली)	वर्गीकृत			
29	पिपेट ग्लास ग्रेजुएटेड	आवश्यकतानुसार			
30	कोनिकल फ्लास्क (100 मिली, 250)	वर्गीकृत			

	मिली, 500 मिली, 1एल)				
31	बीकर (100 मिली, 250 मिली, 500 मिली)	वर्गीकृत			
32	फनल	आवश्यकतानुसार			
33	स्पिरिट लैंप	आवश्यकतानुसार			
34	अलमारी	आवश्यकतानुसार			
35	इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस - डिजिटल	एक	दो	तीन	चार
36	ट्रिपल बीम बैलेंस (1 ग्राम-100 ग्राम)	एक	दो	तीन	चार
37	रफ बैलेंस (100 ग्राम-1 किग्रा)	एक	दो	तीन	चार
38	प्रेसर कुकर (15 ली.)	एक	एक	दो	दो
39	इनोक्यूलेशन चैम्बर	एक	दो	तीन	चार
40	वैक्यूम पंप के साथ अवायवीय जार	एक	एक	दो	दो
41	मापने का सिलेंडर	वर्गीकृत			
42	इनोक्यूलेशन लूप	आवश्यकतानुसार			
43	स्पेटुला, चम्मच	वर्गीकृत			
44	ड्रॉपर	आवश्यकतानुसार			
45	डिस्टिल्ड वॉटर	आवश्यकतानुसार			
46	देवदार की लकड़ी का तेल	आवश्यकतानुसार			
47	रसायन और अभिकर्मक	आवश्यकतानुसार			
48	स्टेनिंग किट	आवश्यकतानुसार			
49	मिडिया	आवश्यकतानुसार			
50	टैस्ट किट/सीरोलॉजिकल किट	आवश्यकतानुसार			
51	विद्यार्थियों के लिए घूमने वाला स्टूल	आवश्यकतानुसार			
<p>नोट: 1. तालिका में सूचीबद्ध मदें न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल कार्यों के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपस्कर, उपकरण, रसायन/अभिकर्मकों आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।</p> <p>2. माइक्रोबियल संदूषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।</p>					
सी. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष					
1	पैथोलॉजिकल नमूने और मॉडल	आवश्यकतानुसार			
2	विशिष्ट एक्स-रे/सीटी/एमआरआई	आवश्यकतानुसार			

बारहवीं अनुसूची

(विनियम 17 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: सट्टम सारंघ मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) विंभाग के अंतर्गत सट्टम सारंघ मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के लिए उपस्कर और उपकरणों की आवश्यकता।

क्र.सं.	उपस्कर एवं उपकरण	60 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता
ए. सट्टम सारंघ मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला					
1	टेस्ट ट्यूब्स	आवश्यकतानुसार			
2	टेस्ट ट्यूब स्टैंड और होल्डर	आवश्यकतानुसार			
3	ग्लास जार 200 मि.ली	आवश्यकतानुसार			
4	स्टेनलेस स्टील स्पून	वर्गीकृत			
5	ग्लास प्लेट (छोटी)	वर्गीकृत			
6	स्पिरिट लैंप	दस	पंद्रह	बीस	पच्चीस
7	ग्लास बाऊल	आवश्यकतानुसार			
8	प्लास्टिक स्पॉटर कंटेनर	बीस	तीस	चालीस	पचास
9	स्टमक वॉश ट्यूब	दो	दो	चार	चार
10	राइलस ट्यूब	दो	दो	चार	चार
11	ग्लास बीकर 200 मि.ली	आवश्यकतानुसार			
12	नमूना जार (मध्यम)	दस	दस	बीस	बीस
13	एक्स-रे व्यू बॉक्स	एक	एक	दो	दो
14	कम्पाउंड माइक्रोस्कोप	पाँच	आठ	बारह	सोलह
15	ड्रॉपर	आवश्यकतानुसार			
16	फीजिकल बैलेंस	एक	एक	एक	एक
17	डिजिटल वजन मापने की मशीन	एक	एक	एक	एक
18	स्पैचुला	वर्गीकृत			
19	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत			
20	भंडारण के लिए अलमारियाँ और रैक	वर्गीकृत			
21	आर्टियरी फोरसेप्स (बड़ा)	चार	चार	चार	चार
22	कोनिकल फ्लास्क	आवश्यकतानुसार			
23	मैग्रेट के टुकड़े	आवश्यकतानुसार			
24	ग्लास रॉड	आवश्यकतानुसार			
नोट: तालिका में सूचीबद्ध मर्दे न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। विभाग पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध प्रैक्टिकल्स के सुचारू संचालन और प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपस्कर, उपकरण, रसायन / अभिकर्मकों आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।					
बी. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष					
1	कंकाल मॉडल	पुरुष-एक, स्त्री-एक			

2	हथियार (पिस्तौल, रिवाल्वर, राइफल, शॉर्ट गन, हथौड़ा, लोहे की रॉड, चाँपर चाकू, दरांती, भाला, तलवार, उस्तरा और कुल्हाड़ी आदि)	मॉडल*
3	चोट और विषाक्त पदार्थ	इमेजिस
4	विषैले पदार्थ- नमूना (धातु, खनिज, पशु और पौधे)	नमूने*
5	फोरेंसिक मेडिसिन	मॉडल
6	मानव अंग (फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यकृत, गर्भाशय आदि)	नमूने

नोट: संग्रहालय में *मॉडलों और नमूनों में मौजूद जहरीले पदार्थों/हानिकारक हथियारों को बंद डिस्प्ले शेल्फ कैबिनेट में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए।

तेरहवीं अनुसूची

(विनियम 17, विनियम 24 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी (रोग निवारण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सिद्धांत और अनुशासन) सहित नोइ अनुगाविधि विभाग के तहत पोषण प्रयोगशाला के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर/उपकरण	60 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता
ए. पोषण प्रयोगशाला					
1	डिजिटल वजन मापने की मशीन	एक	एक	एक	एक
2	केल्डाल प्रणाली (पाचन यूनिट + डिस्टिलेशन यूनिट)	एक	एक	एक	एक
3	डिजिटल मफल फर्नेस	एक	एक	एक	एक
4	सॉक्सलेट फैट एक्सटर्शन सिस्टम	एक	एक	एक	एक
5	अब्बे का डिजिटल रेफ्रेक्टोमीटर	एक	एक	एक	एक
6	फ्लेम फोटोमीटर	एक	एक	एक	एक
7	हॉट एयर ओवन	एक	एक	एक	एक
8	रेफ्रिजरेटर	एक	एक	एक	एक
9	वॉटर बाथ	दो	दो	चार	चार
10	ग्राइंडर	एक	एक	दो	दो
11	मॅग्नेटिक स्टीरर	दो	दो	चार	चार
12	होट प्लैट	दो	दो	चार	चार
13	डिजिटल पीएच मीटर	एक	एक	एक	एक
14	वैक्यूम फिल्टर सिस्टम	एक	एक	एक	एक
15	सोनिकेटर	एक	एक	एक	एक

16	फ्यूम हुड	एक			
17	डेसीकेटर	एक	एक	एक	एक
18	वॉर्टक्स मिक्सर	एक	एक	एक	एक
19	विस्कोमीटर	एक	एक	एक	एक
20	रेफ्रिजरेटिड सेंट्रीफ्यूज	एक			
21	डिजिटल पोलारिमीटर	एक			
22	ब्यूरेट	बीस	तीस	चालीस	पचास
23	ग्लास पिपेट	बीस	तीस	चालीस	पचास
24	माइक्रोपिपेट (विभिन्न क्षमताएं)	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच
25	हीटिंग मेंटल (विभिन्न क्षमताएं)	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच	प्रत्येक के लिए पांच

नोट: 1. तालिका में सूचीबद्ध मर्दाने न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग प्रैक्टिकल प्रशिक्षण/प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उपस्कर, उपकरण आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा;

2. पाक औषधियों/कार्यात्मक भोजन की तैयारी में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं

बी. संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष

1	थिनैओइडकम , नालओइडकम और कालाओइडकम पर जानकारी
2	सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सिद्ध अवधारणाओं पर जानकारी
3	अनवेमारुन्धु; मारुन्धेउनावु अवधारणा पर जानकारी
4	सिद्ध निवारक दवाओं पर जानकारी
5	सिद्ध कायाकल्पम पर जानकारी
6	सिद्ध अट्टंगयोगम पर जानकारी
7	वाथम, पिथम और कबम बाँडी के घटकों के लिए सिद्ध आहार नियम
8	पौष्टिक एवं संतुलित आहार की जानकारी
9	सिद्ध में जैव-सफाई और विषहरण उपायों पर जानकारी
10	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर जानकारी
11	वेक्टर जनित रोगों की जानकारी
12	संचारी रोगों की जानकारी
13	गैर संचारी रोगों पर जानकारी
14	निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल परिप्रेक्ष्य में मेडिकेटिड पौधों, उपयोग और महत्व पर जानकारी
15	नमूने- थिरिथोडासमानापोरुल
16	छह स्वादों के अंतर्गत नमूने और शरीर पर इसका प्रभाव
17	नमूने - शरीर के सात घटकों को पोषण देने वाली औषधियाँ
18	नमूने- सिद्ध में निवारक औषधियाँ

19	नमूने- सिद्ध में धूमन औषधियाँ
20	आहार में उपयोग किए जाने वाले वाथपोरुल , पिथापोरुल और काबापोरुल के नमूने
21	नमूने- कायाकार्पम
22	नमूने- नवाधनियांगल / सिरुधनियांगल
23	पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल
24	विभाग द्वारा तय किया गया कोई अन्य मॉडल/नमूना/जानकारी

चौदहवीं अनुसूची

(विनियम 17, विनियम 26 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: कॉलेज में नैदानिक कौशल प्रयोगशाला के लिए पुतलों/सिम्युलेटर/विशेष उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	पुतला/सिम्युलेटर का नाम	60 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	100 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	150 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता	200 विद्यार्थी की प्रवेश क्षमता
तीसरा (अंतिम) प्रोफेशनल					
ए. मरुतुवम् विभाग					
1	चेस्ट ऑसकलेशन ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
2	एब्डोमिनल एक्जामिनेशन ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
3	इंजेक्शन और IV ट्रेनर	दो	चार	छह	आठ
4	IV इनफ्यूजन और ड्रिप दर की गणना	एक	दो	तीन	चार
5	कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन प्रशिक्षण (सीपीआर) प्रशिक्षण	दो	तीन	चार	पाँच
6	ऑक्सीजन थेरेपी	एक	एक	दो	दो
7	एरोसोल थेरेपी/नेबुलाइजेशन	एक	एक	दो	दो
बी. वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरिप्पमरुतुवम् विभाग					
1	फुल बॉडी पुतला - मल्टीपर्पस (थोक्कनम, पोडीथिमिरथल, वर्मा थेरेपी और लागू पुरमारुथुवम प्रविधियों आदि के प्रदर्शन के लिए)	एक	एक	दो	दो
2	एनिमा ट्रेनर	दो	दो	तीन	चार
सी. कन, काद, मूक्कु, तौंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरुवइ विभाग					
1	राइलस ट्यूब इनशर्शन	एक	एक	दो	दो
2	ट्रॉमा और ट्रॉमा लाईफ सपोर्ट का प्रारंभिक प्रबंधन	एक	एक	एक	एक
3	पेलुरल और एक्साइटिक फल्यूड एसपिरेशन	एक	एक	दो	दो

4	यूरीनरी कैथीटेराइजेशन - पुरुष	एक	दो	तीन	चार
5	यूरीनरी कैथीटेराइजेशन - महिला	एक	दो	तीन	चार
6	बेसिक इनसिजन और स्यूचर ट्रेनर	दो	तीन	चार	पाँच
7	बेसिक घाव की देखभाल	एक	एक	दो	दो
8	बेसिक पट्टी बांधना	एक	एक	दो	दो
9	इनसिजन और ड्रेनेज (आई एंड डी) ट्रेनर	दो	तीन	चार	पाँच
10	बेसिक फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन मैनेजमेंट ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
11	प्रोस्टेट जांच ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
12	प्रति-रेक्टल जांच ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
13	विशेष यंत्र				
	क. ऑपथलमो स्कोप	एक	दो	तीन	चार
	ख. फंडोस्कोप	एक	दो	तीन	चार
	ग. डर्मो स्कोप	एक	दो	तीन	चार
	घ. ईएनटी जांच सेट	एक	दो	तीन	चार
डी. सूल और मागलिर मरुतुवम् विभाग					
1	प्रति-स्पैक्युम और प्रति-वैजाइनल जांच ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
2	सर्विक्स का दृश्य निरीक्षण	एक	एक	दो	दो
3	इंट्रा यूटेराइन गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) इनशार्शन और रिमूवल ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
4	प्रसूति जांच ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
5	एपीसीओटमी ट्रेनर	दो	तीन	चार	पाँच
6	सामान्य प्रसव	एक	एक	एक	एक
7	इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन (आईयूआई) ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
8	स्तन गांठ की जांच	एक	दो	तीन	चार
ई. कुर्जंतइ मरुतुवम् विभाग					
1	बाल चिकित्सा IV इनफ्यूजन और ड्रिप दर की गणना	एक	एक	दो	तीन
2	नियोनेटल रिससिटेशन	एक	एक	दो	तीन
एफ. नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग					
1	डीक्यूबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर	एक	एक	दो	दो
2	रक्त नमूनाकरण	एक	एक	दो	दो
जी. सट्टम सारंध मरुतुवमुम नंजु मरुतुवमुम विभाग					

1	ट्रॉमा का दस्तावेज़ीकरण और प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
2	मृत्यु का निदान एवं प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
3	आपातकालीन मामलों से संबंधित कानूनी दस्तावेज़ीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
4	मेडिको-लीगल मामलों का प्रमाणीकरण	दो	तीन	चार	पाँच
5	पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों और अन्य संबंधित विभागों के साथ चिकित्सा-कानूनी मामलों में संचार स्थापित करना	दो	तीन	चार	पाँच

नोट: तालिका में सूचीबद्ध मर्दाने न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, आवश्यकता के अनुसार, कॉलेज छात्रों को नैदानिक कौशल प्रदान करने के लिए पुतला/सिमुलेटर की संख्या बढ़ा सकता है।

पंद्रहवीं अनुसूची

(विनियम 55 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में सूल एवं मगलिर मरुतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग) विभाग के अंतर्गत मगापेहुर /प्रसव अराई (प्रसूति कक्ष) के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर एवं उपकरण	न्यूनतम आवश्यक मात्रा
1	छाया रहित लैंप	एक
2	सक्शन मशीन (नियोनेटल)	एक
3	ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क	एक
4	फिटल टोको कार्डियोग्राफ	एक
5	रेडियेंट वार्मर	एक
6	फोटो थैरेपी यूनिट	एक
7	वजन मापने की मशीन (बाल चिकित्सा)	एक
8	रोगी ट्रॉली	दो
9	एनेस्थीसिया ट्रॉली	एक
10	इन्फैन्टोमीटर	एक
11	वैक्यूम एक्सट्रैक्टर	एक
12	फिटल डॉपलर	एक
13	लो कैविटी फोसेप्स	दो
14	सटर्लाइजर	दो
15	मैकिंतोश रबर शीट	वर्गीकृत
16	प्रसूति और एपीसीओटमी के लिए उपकरण। (कैंची, फोसेप्स, नीडल होल्डर आदि)	वर्गीकृत

17	बेबी ट्रे	दो
18	नेब्यूलाइजर	एक
19	फोटोस्कोप	पाँच
20	ऑटो क्लेव	एक
21	ड्रम	वर्गीकृत
22	इन्सट्रूमेंटल ट्रॉली	वर्गीकृत
23	ओटी टेबल और हेड अप और हेड लो सुविधा के साथ	एक
24	पल्स ऑक्सीमीटर	एक
25	रिससिटेशन किट	एक
26	बाँयल उपकरण	एक
27	इलैक्ट्रोक्वूटरी	एक
28	गर्भावस्था सकशन मशीन की चिकित्सा समाप्ति	एक
29	एनेस्थीसिया किट	एक
30	बलन्ट और शॉर्प क्यूरेट्स	दस
31	डिलेटर्स सेट (हेगर, हॉकिन्स)	पाँच
32	सिम्स स्पेक्यूलम	पाँच
33	सिस्को स्पेक्यूलम	पाँच
34	एन्टीरियर वैजाइनल वॉल रिट्रैक्टर	पाँच
35	यूटेराइन साऊंड	पाँच
36	वोल्सेलम	पाँच
37	एमटीपी सकशन क्यूरेट	पाँच
38	एबडोमिनल रिट्रैक्टर (डॉयने आदि)	पाँच
39	स्पंज होल्लिंग फोर्सेप्स	पाँच
40	ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स	पाँच
41	यूटरस होल्लिंग फोर्सेप्स	पाँच
42	कोचर फोर्सेप्स	पाँच
43	आरटीरीय फोर्सेप्स (लंबा, छोटा, मोस्कटो)	प्रत्येक के लिए पाँच
44	कैंची- विभिन्न आकार	पाँच
45	फोर्सेप्स ओबस्ट्रैटिक्स	पाँच
46	एंडोट्रैचियल ट्यूब	पाँच
47	कॉर्ड काटने के उपकरण	पाँच
48	आईयूसीडी रिमूविंग हुक	पाँच
49	ब्लैडर साऊंड	पाँच

50	बीपी उपकरण	दो
51	आपातकालीन रोगियों के लिए एचआईवी किट	वर्गीकृत
52	सादे और होल वाले तौलिये	वर्गीकृत
53	तौलिया क्लिप्स	वर्गीकृत
54	कैटगट्स और ग्रेड	वर्गीकृत
55	नीडल	वर्गीकृत
56	नीडल होल्डर	वर्गीकृत

नोट: 1. तालिका में सूचीबद्ध मर्दाने न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग प्रसूति संचालन और नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपस्कर, उपकरण, रसायन, मेडिसिन आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

2. लेबर रूम में एसेप्टिक प्रक्रियाओं/प्रथाओं का पालन किया जाएगा।

सोलहवीं अनुसूची

(विनियम 55, विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् सहित अरुवइ (नेत्र विज्ञान, ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचाविज्ञान सहित सर्जरी) विभाग के अंतर्गत अरुवइ मारुतुवा पिरिवु (ऑपरेशन थिएटर और लघु ऑपरेशन थिएटर), के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर एवं उपकरण	आवश्यक मात्रा
ए. ऑपरेशन थिएटर		
सिद्ध सर्जिकल प्रक्रियाओं जैसे:- अरुवाई (एक्ससीजन), कीरल (इनसीजन), सालागाई आइडल (प्रोविंग), वर्थी वैथथल (मेडिकेटिड विक/कपडा इनशर्शन), छुट्टिगाई (कोटराजेशन), और यूरिनचल (सकिंग) सहित सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाएं।		
1	ऑपरेशन टेबल	एक
2	स्पॉटलाइट (छाया रहित सेलिंग फिटिड)	एक
3	नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स (बड़ा-मध्यम-छोटा)	प्रत्येक के लिए चार
4	वर्गीकृत आकार के ड्रेसिंग ड्रम	प्रत्येक के लिए दो
5	ड्रम स्टैंड	प्रत्येक के लिए दो
6	IV स्टैंड	दो
7	कैंची स्ट्रेट (टेलर)	चार
8	विभिन्न आकारों की घुमावदार कैंची	प्रत्येक के लिए पांच
9	स्टिच हटाने वाली कैंची	प्रत्येक के लिए पांच
10	नुकीली कैंची	चार
11	डिस्सेक्शन/कर्वड फोर्सेप्स	प्रत्येक के लिए चार
12	आयताकार ट्रे	वर्गीकृत
13	स्टिचिंग सुई	बीस
14	प्रोब्स (कॉपर, सिल्वर) - वर्गीकृत आकार	प्रत्येक के लिए पांच

15	आरटियरी फोर्सेप्स (छोटा, बड़ा, मध्यम)	प्रत्येक के लिए चार
16	बैरन पाइल गन	दो
17	आटोक्लेव	एक
18	वजन मापने की मशीन	एक
19	प्रॉक्टोस्कोप - विभिन्न आकार	चार
20	स्टेथस्कोप	दो
21	बीपी उपकरण	एक
22	गेन्नियल सिरिंज	एक
23	नेजल स्पेकुलम	चार
24	इयर स्पेकुलम	चार
25	आई वॉश ग्लासिस	दस
26	ओरल सिरिंज	वर्गीकृत
27	इलेक्ट्रिक स्टरलाइज़र	दो
28	वेपोराइज़र	एक
29	नेबुलाइज़र	दो
30	आपातकालीन पावर बैक अप सुविधा	वर्गीकृत
31	आपातकाल लाइट	चार
32	आग बुझाने का यंत्र	दो
33	रेफ्रिजरेटर	एक
34	एक्स-रे व्यू बॉक्स (डबल)	दो
35	घूमने वाला स्टूल	छह
36	वर्टिकल बीपी उपकरण	एक
37	एसएस कंटेनर	वर्गीकृत
38	सर्जिकल ब्लेड	वर्गीकृत
39	ग्लूटियल रिट्रेक्टर्स	वर्गीकृत
40	रबर कैथेटर	आवश्यकतानुसार
41	वर्गीकृत आकार की स्टिचिंग सुई (सीधी/घुमावदार)।	आवश्यकतानुसार
42	सर्जिकल धागा	आवश्यकतानुसार
43	विभिन्न आकार का बीपी हैंडल	आवश्यकतानुसार
44	सुई होल्डर	आवश्यकतानुसार
45	किडनी ट्रे	आवश्यकतानुसार
46	सर्जिकल स्पिरिट	आवश्यकतानुसार
47	गौज़ रोल	आवश्यकतानुसार

48	काँटन रोल	आवश्यकतानुसार
49	कैंची	आवश्यकतानुसार
50	पोविडोन-आयोडीन सोल्यूशन	आवश्यकतानुसार
51	छुट्टिगाई (कोटराईजेशन) उपकरण	आवश्यकतानुसार
52	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
53	फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
54	एसएस ट्रे	वर्गीकृत
55	मेडिसिन ट्रॉली	आवश्यकतानुसार
56	यूरिनजल उपकरण (सकिंग)	वर्गीकृत
57	कचरे के डिब्बे	वर्गीकृत
बी. विशिष्ट सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए माइनर ऑपरेशन थिएटर (सिद्ध अरूवइ मरुतुवम प्रक्रिया कक्ष)।		
1	I. कुरुथीवंगल (ब्लडलेटिंग) सेक्शन	
	क.18- गेज नीडल	आवश्यकतानुसार
	ख. बैंडेज रोल	वर्गीकृत
	ग.स्पिरिट	आवश्यकतानुसार
	घ.गौज़ रोल	वर्गीकृत
	ङ.काँटन रोल	वर्गीकृत
	च.पडिकारा नीर	आवश्यकतानुसार
	छ.टूर्निकेट	आवश्यकतानुसार
	ज.कैंची	वर्गीकृत
	झ.बीपी उपकरण	एक
	ञ. स्टेथस्कोप	एक
	ट.किडनी ट्रे	वर्गीकृत
	ठ.मेजरिंग फ्लास्क	वर्गीकृत
	ड.काँटन होल्डिंग फोर्सेप्स	वर्गीकृत
	ढ.होल तौलिया	आवश्यकतानुसार
	ण.माइक्रो पोर प्लास्टर	आवश्यकतानुसार
	त.मैकिंतोश शीट	आवश्यकतानुसार
	थ.सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
	द.सीटी और बीटी किट	आवश्यकतानुसार
	ध.प्रोसिड्योर टेबल	एक
	न.फुटस्टेप स्टूल	एक
	प.प्रोसिड्योर चेयर	एक

2	II. अट्टई विडल (लीच एप्लीकेशन) सेक्शन	
	क.नल्ला अट्टई (अटाई के भंडारण के लिए एक्वेरियम)	आवश्यकतानुसार
	ख.बैंडेज रोल	वर्गीकृत
	ग.गौज़ रोल	आवश्यकतानुसार
	घ.बीपी उपकरण	एक
	ड.स्टेथस्कोप	एक
	च.कैंची	वर्गीकृत
	छ.किडनी ट्रे	वर्गीकृत
	ज.होल तौलिया	आवश्यकतानुसार
	झ.मंजल /हल्दी पाउडर	आवश्यकतानुसार
	ञ.करिउप्पु पाउडर	आवश्यकतानुसार
	ट.एलु पाउडर	आवश्यकतानुसार
	ठ.बेंगारा पोडी	आवश्यकतानुसार
	ड.पडिकारा पोडी	आवश्यकतानुसार
	ढ.पुतरू मैन	आवश्यकतानुसार
	ण.उवर मैन	आवश्यकतानुसार
	त.कावी मैन	आवश्यकतानुसार
	थ.माइक्रो पोर प्लास्टर	आवश्यकतानुसार
	द.सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
	ध.23-गेज नीडल	आवश्यकतानुसार
न.सीटी और बीटी किट	आवश्यकतानुसार	
प.प्रोसिड्योर टेबल	एक	
फ.फुटस्टेप स्टूल	एक	
ब. प्रक्रिया चेयर	एक	
3	III. कोम्बूकत्तल (स्प्लिटिंग) और मुरीचल (हड्डियों और जोड़ों की रीसेटिंग) सेक्शन	
	क.बैम्बू स्पलिट्स	वर्गीकृत
	ख.बूडन स्पलिट्स	वर्गीकृत
	ग.गौज़ रोल	वर्गीकृत
	घ.कॉटन रोल	वर्गीकृत
	ड.बैंडेज रोल	वर्गीकृत
	च.कैंची	वर्गीकृत
	छ.फोर्सेप्स (आरटियरी, कर्वड, डिस्सेक्टिंग)	वर्गीकृत
ज.एसएस कंटेनर	वर्गीकृत	

	झ.एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	आवश्यकतानुसार
	ञ.किडनी ट्रे	वर्गीकृत
	ट.बीपी उपकरण	एक
	ठ.स्टेथस्कोप	एक
	ड.प्रोसिड्योर टेबल	एक
	ढ.फुटस्टेप स्टूल	एक
	ण.प्रोसिड्योर चेयर	एक
4	IV. कॉरम (मेडिकेटिड कास्टिक) जिसमें करणूल सेक्शन भी शामिल है	
	क. होल तौलिया	आवश्यकतानुसार
	ख. सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
	ग. गौज़ रोल	वर्गीकृत
	घ. बैंडेज रोल	वर्गीकृत
	ङ पडिकारा नीर	आवश्यकतानुसार
	च. कैंची	वर्गीकृत
	छ. कॉटन होल्डिंग फोर्सेप्स	वर्गीकृत
	ज. पंचलोगा कारम एप्लिकेटर और अन्य एप्लिकेटर	आवश्यकतानुसार
	झ. करणूल धागा	आवश्यकतानुसार
	ञ. प्रोब	वर्गीकृत
	ट. ट्रे	वर्गीकृत
	ठ.प्रोसिड्योर टेबल	एक
	ड. फुटस्टेप स्टूल	एक
	ढ. प्रोसिड्योर चेयर	एक
5	V. कट्टुथल (बैंडिंग) सेक्शन	
	क. सर्जिकल स्पिरिट	आवश्यकतानुसार
	ख. गौज़ रोल	वर्गीकृत
	ग. कॉटन रोल	वर्गीकृत
	घ. कैंची	वर्गीकृत
	ङ. पडिकारा नीर	आवश्यकतानुसार
<p>नोट: 1. तालिका में सूचीबद्ध मर्चे न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, विभाग सिद्ध सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के संचालन और नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपस्कर, उपकरण, मेडिसिन आदि सहित सुविधाएं बनाए रखेगा।</p> <p>2. सिद्धार अरुवई मरुथुवम की 25 प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत जैसे थोक्कनम (फीजिकल मैनुपुलेशन), वेधु (स्टीमिंग), पुगई (फ्यूमिगेशन), ओट्टाडम (फोमेशन), पोट्टानम (मेडिकेटिड पाउच), पीचल (एनीमा), सीलाई (मेडिकेटिड प्लास्टर), कलिम्बु (मेडिकेटिड पेस्ट), नीर (मेडिकेटिड तरल), काली (मेडिकेटिड डो), पसाई (ओएंटमेंट), पोडी (मेडिकेटिड पाउडर), और ऊथल (ब्लोइंग), वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरिप्पमरुतुवम् थेरेपी सेक्शन की सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है।</p>		

3. ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर में एसेप्टिक प्रक्रियाओं/प्रथाओं का पालन किया जाएगा।

सत्रहवीं अनुसूची

(विनियम 55, विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: संबद्ध शिक्षण अस्पताल में वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम थेरेपी, एक्सटर्नल थेरेपी और स्पेशल मेडिसिन) विभाग के तहत वर्मम, पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् थेरेपी/प्रोसिड्योर सेक्शन के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर/उपकरण	छात्र प्रवेश क्षमता			
		60 छात्रों की प्रवेश क्षमता	100 छात्रों की प्रवेश क्षमता	150 छात्रों की प्रवेश क्षमता	200 छात्रों की प्रवेश क्षमता
ए. मुत्थोडा समाना थेरेपी सेक्शन (क्लीनजिंग थेरेपी सेक्शन)					
I	काञ्चिचल/पीचू/विरेचनम सेक्शन				
1	प्रोसिड्योर टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
2	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
3	एनीमा किट	आवश्यकतानुसार			
4	एनीमा स्टैंड (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
5	बीपी उपकरण (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
6	स्टेथोस्कोप (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
7	रबड़ शीट	आवश्यकतानुसार			
8	मेडिसिन ट्रांली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
9	शौचालय (पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग)	आवश्यकतानुसार			
II	वनथी/छट्टी/वामनम सेक्शन				
1	वामनम थेरेपी चेर/पीदम (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
2	मेडिसिन ट्रांली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)

	लिए अलग-अलग)				
3	मेजरमेंट जार	वर्गीकृत			
4	बर्तन/बाउल्स	वर्गीकृत			
5	बीपी उपकरण (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
6	स्टेथोस्कोप (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
III	नसीयम सेक्शन				
1	प्रोसिड्योर टेबल/नासियापीदम (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
2	नसीयम एप्लीकेटर	आवश्यकतानुसार			
3	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1 महिला)
नोट: तालिका में सूचीबद्ध आइटम न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं, विभाग कुशल तरीके से क्लीनजिंग थेरेपी प्रदान करने के लिए उपस्कर, उपकरण, फर्नीचर, उपभोग्य वस्तुएं, मेडिसिन, मेडिसिन तैयार करने के लिए आवश्यक वस्तुएं आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा;					
बी. वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरिप्पमरुतुवम् थेरेपी/प्रोसिड्योर सेक्शन					
I	यूनिट 1				
	थोक्कनम (फीजिकल मैनुपुलेशन/मसाज थेरेपी), किज़ी वैठल (मेडिकेटिड पाऊच), एन्नाई ओझुक्कू (ऑयल पोरिंग), एन्नाई कत्तल (ऑयल पूलिंग), थाराई (ऑयल ड्रीपिंग), पोडी थिमिरथल (मेडिकेटिड पाउडर मसाज) सेक्शन				
1	थोक्कनम टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह (3पुरुष+3 महिला)	आठ (4पुरुष+4 महिला)	दस (5पुरुष+5 महिला)
2	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह (3पुरुष+3 महिला)	आठ (4पुरुष+4 महिला)	दस (5पुरुष+5 महिला)
3	प्रोसिड्योर स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह (3पुरुष+3 महिला)	आठ (4पुरुष+4 महिला)	दस (5पुरुष+5 महिला)
4	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह (3पुरुष+3 महिला)	आठ (4पुरुष+4 महिला)	दस (5पुरुष+5 महिला)
5	एन्नाई कत्तल के लिए सामग्री	आवश्यकतानुसार			
6	किज़ी वैठल के लिए सामग्री	आवश्यकतानुसार			
7	थाराई वैसल (पुरुष वर्ग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह	आठ	दस (5पुरुष+5 महिला)

	और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	महिला)	(3पुरुष+3महिला)	(4पुरुष+4महिला)	
8	बर्नर के साथ गैस सिलेंडर (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	चार (2पुरुष+2 महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)	दस (5पुरुष+5महिला)
9	बीपी उपकरण (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
10	स्टेथोस्कोप (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
11	मेडिसिन तैयार करने की सुविधाएँ	आवश्यकतानुसार			
II	यूनिट 2 वेधु (स्टीमिंग) सेक्शन				
1	स्टीम बाथ चैम्बर (लेटने की सुविधा के साथ) (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग- अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)
2	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)
3	स्टेम बाथ चैम्बर (बैठने की सुविधा के साथ) (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग- अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)
4	स्टीम जनरेटर (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)
5	मेडिसिन ट्रांली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	छह (3पुरुष+3महिला)	आठ (4पुरुष+4महिला)
6	बीपी उपकरण (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
7	स्टेथोस्कोप (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
8	वेधु के लिए कच्चा माल/दवाएँ	आवश्यकतानुसार			

III	यूनिट 3 वर्मम (वर्मा प्वाइंट्स का फीजिकल मैनुपुलेशन) सेक्शन				
1	प्रोसिञ्चोर स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
2	प्रोसिञ्चोर टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
3	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
4	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
5	बीपी उपकरण	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
6	स्टेथस्कोप	दो (1पुरुष+1 महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
IV	यूनिट 4 कद्दू (पट्टी लगाना), पतरू (पोल्टिस), पूचू (स्मयरिंग), कलिम्बु(ओएंटमेंट), नीर (मेडिकेटिड तरल पदार्थ), पसाई(मेडिकेटिड क्रीम), काली (मेडिकेटिड डो), पोडी (मेडिकेटिड पाउडर), ऊथल(ब्लौइंग), पोद्दानम (मेडिकेटिड पाऊच) एवं सीलाई(मेडिकेटिड क्लोथ) सेक्शन				
1	प्रोसिञ्चोर टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
2	प्रोसिञ्चोर स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
3	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
4	गौज बैंडेज	वर्गीकृत			
5	कॉटन रोल	वर्गीकृत			
6	कैंची	वर्गीकृत			
7	सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार			
8	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत			
9	सर्जिकल स्पिरिट	आवश्यकतानुसार			
10	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)	चार (2पुरुष+2महिला)
11	गैस - चूल्हा	आवश्यकतानुसार			
12	मेडिसिन तैयार करने की	आवश्यकतानुसार			

	सुविधाएँ				
V	यूनिट 5 ओट्रादम (फोमेटेशन) सेक्शन				
1	प्रोसिड्योर टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
2	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
3	प्रोसिड्योर स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
4	बंडल बनाने के लिए कपडा	आवश्यकतानुसार			
5	कैंची	वर्गीकृत			
6	इनेमल ट्रे	वर्गीकृत			
7	गैस चूल्हा (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
8	फ्राईंग पैन	वर्गीकृत			
9	स्पैचुला/स्पून	वर्गीकृत			
10	ओट्राडैम के लिए प्रयुक्त सामग्री जैसे भूसी, रेत आदि।	आवश्यकतानुसार			
11	मेडिसिन ट्राॅली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
VI	यूनिट 6 पुगई (फ्यूमिगेशन) सेक्शन				
1	पुगई /फ्यूमिगेशन चैम्बर (पूरे शरीर के लिए - बैठने/लेटने की सुविधा) (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
2	मेडिकेटिड पुगई इनड्यूस करने की सुविधा (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
3	प्रोसिड्योर टेबल (लोकल एप्लीकेशन के लिए)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)

	लिए) (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)				
4	फुटस्टेप स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
5	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)	दो (1पुरुष+1महिला)
6	एक्जॉस्ट फैन	आवश्यकतानुसार			
7	चारकोल	आवश्यकतानुसार			
8	फ्यूमिगेटिड की जाने वाली दवाएं	आवश्यकतानुसार			
VII	यूनिट-7 माई (कोलीरियम), कलिक्रम (आइस्लेव), नासिकापरणम् (नेजल स्प्रफ) सेक्शन				
1	प्रोसिड्योर टेबल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)
2	फुटस्टेप स्टूल	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)
3	प्रोसिड्योर स्टूल (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)
4	माई ऐप्लिकेटर	आवश्यकतानुसार			
5	कलिक्रम ऐप्लिकेटर	आवश्यकतानुसार			
6	नासिकापरणम् ऐप्लिकेटर	आवश्यकतानुसार			
7	मेडिसिन तैयार करने की सुविधाएँ	आवश्यकतानुसार			
8	मेडिसिन ट्रॉली (पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए अलग-अलग)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)	दो (1 एम+1एफ)
VIII	यूनिट -8 सिद्धर योगम थेरेपी सेक्शन				
1	योग मैट	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
2	योग फोर्लिडड ब्लैकैट	पाँच	दस	पंद्रह	बीस
3	योग फोम रोलर्स	आवश्यकतानुसार			
4	योग व्यायाम गेंद	आवश्यकतानुसार			
5	योग व्हील	आवश्यकतानुसार			
6	योग व्हेज	आवश्यकतानुसार			
7	योग बोल्लसटर	आवश्यकतानुसार			
8	योग बेल्ट या स्ट्रैप्स	आवश्यकतानुसार			

9	योग-प्रतिरोध बैंड	आवश्यकतानुसार			
10	मेडिकेशन कुशन	आवश्यकतानुसार			
11	योग गुरुत्वाकर्षण विरोधी दीवार रस्सी पूरा सेट	आवश्यकतानुसार			
12	योग हेड स्टैंड बेंच	एक	एक	दो	दो
IX	यूनिट-9 फिजियोथेरेपी यूनिट				
1	ट्रांसक्यूटेनस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिम्युलेशन (टीईएनएस)	एक			
2	इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन (आईएफटी)	एक			
3	इलेक्ट्रिकल स्टीमुलेटर	एक			
4	क्वाड्रिसेप्स टेबल	एक			
5	एंजल एक्ससाइजर	आवश्यकतानुसार			
6	फिंगर एक्ससाइजर	आवश्यकतानुसार			
7	अल्ट्रासाउंड मशीन	एक			
8	इन्फ्रारेड लैंप	दो			
9	शोल्डर पुल्ले	आवश्यकतानुसार			
10	शोल्डर व्हील	आवश्यकतानुसार			
11	पैरलल बार	एक			
12	स्टेयरकेस ट्रेनर	एक			
13	वाकिंग ऐड	आवश्यकतानुसार			
14	दैनिक जीवन गतिविधियां किट	आवश्यकतानुसार			
15	वैक्स बाथ	एक			
16	स्विस बॉल	आवश्यकतानुसार			
17	थेरा बैंड	आवश्यकतानुसार			
18	पेग बोर्ड	आवश्यकतानुसार			
19	वोबल बोर्ड	आवश्यकतानुसार			
20	विभिन्न वजन के डम्बल	वर्गीकृत			
21	स्तैतिक साइकिल	एक			
22	व्हीलचेयर	एक			
23	अलग-अलग वजन के वजन वाले कफ	वर्गीकृत			
<p>नोट: 1. तालिका में सूचीबद्ध मर्दाने न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग सिद्ध वर्मम / पुरेमरूतुवम् / सिरेप्पमरूतुवम् प्रोसिड्योर करने, योग थेरेपी, फिजियोथेरेपी प्रदान करने और छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपस्कर, उपकरण, मेडिसिन आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा।</p>					

अठारहवीं अनुसूची

(विनियम 53, विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: शिक्षण अस्पताल में नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग के तहत नैदानिक प्रयोगशाला के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर एवं उपकरण
हेमेटोलॉजी/पैथोलॉजी सेक्शन	
1	पूर्ण/अर्ध-स्वचालित हेमेटोलॉजी एनलाईजर
2	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
3	कोलरीमीटर
बायोकेमिस्ट्री सेक्शन	
1	पूर्ण/अर्ध-स्वचालित बायोकेमिस्ट्री एनलाईजर
2	इलेक्ट्रोलाइट एनलाईजर
3	सेंट्रीफ्यूज
4	हॉट एयर ओवन
5	केमिलुमिनसेंस/एलिज़ा
6	ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन विश्लेषक या कार्ड आधारित (एचबीए1सी)
माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन	
1	बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप
2	इनक्यूबेटर
3	आटोक्लेव (वर्टिकल)
4	हॉट एयर ओवन
5	स्वचालित ब्लड कल्चर सिस्टम
6	बायो सेफ्टी कैबिनेट
<p>नोट : 1. तालिका में सूचीबद्ध मर्दाने न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, विभाग नियमित हेमेटोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के संचालन के लिए उपस्कर, उपकरण, मेडिसिन आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा।</p> <p>2. अठारहवीं अनुसूची में नैदानिक प्रयोगशाला के लिए उल्लिखित उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता केवल इस विनियमन की अधिसूचना के बाद स्थापित होने वाले नए कॉलेजों पर लागू है; सभी मौजूदा कॉलेजों (अधिसूचना से पहले) को नैदानिक प्रयोगशालाओं में मौजूदा सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति है; हालाँकि, उन्हें भविष्य में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं को अपग्रेड करने की अनुमति है।</p> <p>3. उच्च नैदानिक टेस्टों के लिए, कॉलेज निकटतम एनएबीएल-मान्यता प्राप्त नैदानिक प्रयोगशाला के साथ टाई-अप कर सकता है।</p> <p>4. नाडी परिसोथानाई, सिरुनीर परिसोथानाई, यक्कई इलक्कनमेत् आदि (यदि कोई हो) का समर्थन करने के लिए सिद्ध निदान उपस्कर या उपकरण का उपयोग किया जाएगा।</p>	

उन्नीसवीं अनुसूची

(विनियम 53, विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: शिक्षण अस्पताल में नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल (पैथोलॉजी) विभाग के तहत रेडियोलॉजी/इमेजिंग सेक्शन के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	उपस्कर/उपकरण	आवश्यकताएं
1	मशीन और सहायक उपकरणों के साथ एक्स-रे यूनिट	आवश्यक
2	अल्ट्रासाउंड स्कैन	आवश्यक
3	इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम	आवश्यक
4	डिजिटल एक्स-रे	वैकल्पिक

नोट: कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पाँजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी, डॉपलर आदि जैसे उच्च इमेजिंग अध्ययनों के लिए, कॉलेज निकटतम नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज मान्यता प्राप्त डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ टाई-अप कर सकता है

बीसवीं अनुसूची

(विनियम 52, विनियम 54 और विनियम 72 देखें)

न्यूनतम आवश्यक मानक: शिक्षण अस्पताल में बाह्य रोगी विभागों के लिए उपस्करों और उपकरणों की आवश्यकता

क्र.सं.	बाह्य रोगी विभाग	उपस्कर/उपकरण	आवश्यक मात्रा
1	मरुतुवम् (मेडिसिन)	स्टेथस्कोप	चार
		बीपी उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	दस
		मेजरिंग टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एक्जामिनेशन टेबल	एक
		ट्रूनिंग फोर्क	वर्गीकृत
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
फेस मास्क	आवश्यकतानुसार		
मणिक्कडै नूल	वर्गीकृत		
शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक		
2	वर्मम, पुरेमरुतुवम् और	स्टेथस्कोप	चार

	सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम थेरेपी, एक्सटर्नल थेरेपी और स्पेशल मेडिसिन)	बीपी उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रैसर	दस
		मेजरिंग टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एकजामिनेशन टेबल	एक
		ट्यूनिंग फोर्क	वर्गीकृत
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
		मणिक्कडै नूल	वर्गीकृत
शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक		
3	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (नेत्र विज्ञान, ईएनटी, दंत चिकित्सा और त्वचा विज्ञान सहित सर्जरी)	स्टेथस्कोप	चार
		बीपी उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रैसर	दस
		एनो-रेक्टल जांच के लिए उपकरण	वर्गीकृत
		ऑप्थाल्मोस्कोप/ फंडोस्कोप	एक
		ईएनटी जांच सेट	एक
		मेजरिंग टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एकजामिनेशन टेबल	एक
ट्यूनिंग फोर्क	वर्गीकृत		

		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
		चीटल का फोर्सेप्स	चार
		मणिक्कडै नूल	वर्गीकृत
		शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक
4	सूल और मागलिर मरूतुवम् (प्रसूति एवं स्त्री रोग)	स्टेथस्कोप	चार
		बीपी उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रैसर	दस
		मेजरिंग टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		लैप स्टैंड	एक
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
		सिम का स्पेकुलम	दो
		कुस्को का स्पेकुलम	दो
		स्त्री रोग संबंधी एक्जामिनेशन टेबल	एक
		मणिक्कडै नूल	वर्गीकृत
		शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक
5	कुजंतइ मरूतुवम् (बाल रोग)	स्टेथस्कोप	दो
		बाल चिकित्सा स्टेथोस्कोप	चार
		विभिन्न कफ के साथ बीपी उपकरण	दो
		बाल चिकित्सा कफ के साथ बीपी उपकरण	दो
		नी हैमर	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक

		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		मेजरिंग टेप	दो
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एकजामिनेशन टेबल	एक
		नवजात शिशुओं का वजन मापने का पैमाना	एक
		बाल चिकित्सा वजन मापने का पैमाना	एक
		इन्फैन्टोमीटर	एक
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
		शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक
6	नंजु मरुतुवम् (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	स्टेथस्कोप	दो
		बीपी उपकरण	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक
		टंग डिप्रेसर	तीन
		मेजरिंग टेप	एक
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एकजामिनेशन टेबल	एक
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
मणिक्कडै नूल	वर्गीकृत		
शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	दो		
7	नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् (सिद्ध आहारशास्त्र, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य)	स्टेथस्कोप	दो
		बीपी उपकरण	दो
		टॉर्च	एक
		एक्स-रे व्यूइंग बॉक्स	एक
		थर्मामीटर	दो
		थर्मल स्कैनर	एक
		पल्स ऑक्सीमीटर	एक

		टंग डिप्रैसर	तीन
		मेजरिंग टेप	एक
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		वेइंग मशीन	एक
		एकजामिनेशन टेबल	एक
		सर्जिकल दस्ताने	आवश्यकतानुसार
		फेस मास्क	आवश्यकतानुसार
		मणिक्रुडै नूल	वर्गीकृत
		शारीरिक तापमान मूल्यांकन चार्ट	एक
		पीणि अनुगाविधि ओझुक्कम - स्वास्थ्य कार्ड	आवश्यकतानुसार
8	अवसरा मरुतुवम् (कैजुअल्टी)	गद्दे के साथ मोटराईज्ड बेड 4 सेक्शन	आवश्यकता के अनुसार (विनियम 52 का उप-विनियम 15 देखें)
		फुटस्टेप	बिस्तरों की संख्या के अनुसार
		स्टेनलेस स्टील रॉड और कैस्टर बेस के साथ इन्ट्राविनस (IV) स्टैंड	बिस्तरों की संख्या के अनुसार
		व्हीलचेयर	आवश्यकतानुसार
		रोगी स्थानांतरण स्ट्रेचर ट्रॉली	आवश्यकतानुसार
		दवा ट्रॉली	आवश्यकतानुसार
		पोर्टेबल एक्स-रे मशीन	एक
		स्टैटरिंग सेट	आवश्यकतानुसार
		एक्स-रे व्यू बॉक्स	एक
		मल्टीपारा मॉनिटर	दो
		सक्शन मशीन	एक
		सक्शन कैथेटर	आवश्यकतानुसार
		रिससिटेशन किट	आवश्यकतानुसार
		नेजल हुड/मास्क के साथ ऑक्सीजन यूनिट	आवश्यकतानुसार
		लैरिन्गोस्कोप	एक
		एन्डोट्रैकियल ट्यूब	आवश्यकतानुसार
		अलग-अलग मास्क के साथ अंबू बैग	आवश्यकतानुसार
		डिफाइब्रिलेटर	एक
		ईसीजी और मॉनिटर	दो
		बीपी उपकरण	दो
नियोनेटल/बाल चिकित्सा बीपी कफ	एक		
स्टेथस्कोप	दो		

		टॉर्च	दो
		एकजामिनेशन टेबल	एक
		आईसीयू-थर्मामीटर	दो
		टंग डिप्रेसर	दो
		वजन और ऊंचाई मापने का स्टैंड	एक
		मेजरिंग टेप	दो
		नी हैमर	दो
		आपातकालीन मेडिसिन	आवश्यकतानुसार
9	स्क्रीनिंग ओपीडी	स्टेथस्कोप	तीन
		बीपी उपकरण	तीन
		क्लिनिकल थर्मामीटर	तीन
		थर्मल स्कैनर	तीन
		ऊंचाई मापने का स्टैंड	दो
		वेइंग मशीन	दो
		तापमान मूल्यांकन चार्ट	आवश्यकतानुसार
		नाड़ी रिकॉर्डिंग उपकरण (यदि कोई हो)	एक (वैकल्पिक)
		मणिक्कडै नूल	आवश्यकतानुसार
<p>नोट: तालिका में सूचीबद्ध मदें न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएं हैं। हालाँकि, ओपी विभाग ओपीडी नैदानिक गतिविधियों के संचालन और नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपस्कर, उपकरण, मेडिसिन आदि सहित सभी सुविधाएं बनाए रखेगा;</p> <p>2. ओपीडी के लिए सिरुनीर पैरिसोथनानी (नीरक्कुरि, नेडक्कुरि) करने की सामान्य सुविधा प्रदान की जाएगी।</p>			

फार्म-ए

नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज (स्नातक) की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन

(विनियम 66 देखें)

क्र.सं	विवरण	ब्योरा
भाग-1: आवेदकों का विवरण		
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पूरा पता	
3	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
4	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5	आवेदक की स्थिति चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी	

6	ट्रस्ट या सोसायटी की संरचना	
7	आवेदक निकाय के न्यास या सोसायटी का पंजीकरण या निगमन (संख्या और तिथि, यदि कोई हो)	
8	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
9	क्या इसी ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा कोई अन्य सिद्ध मेडिकल कॉलेज चलाया जाता है?	हाँ / नहीं
	यदि हाँ, तो दो महाविद्यालयों के बीच की दूरी बतायें	
	कॉलेज का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक उसी की प्रिंट कॉपी के साथ प्रदान करें।	
10	वित्तीय क्षमता: यदि आवेदक एक ट्रस्ट या सोसायटी है तो पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों का विवरण।	
11	वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)	
12	परियोजना के वित्तपोषण के साधन: आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	अनुदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	दान (प्रमाण संलग्न करें)	
	इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें)	
	सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें)	
	अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें)	
भाग- II: शुल्क विवरण		
13	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क लेन-देन आईडी	
	भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य शुल्क	
भाग-III: अनिवार्य आवश्यकता विवरण		
14	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि।	
15	अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता	----- से ----- तक
16	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता	
	योजना के लिए संबद्धता की सहमति की तिथि	
	योजना के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष	----- से ----- तक
भाग-IV: प्रस्तावित कॉलेज का विवरण		
17	प्रस्तावित सिद्ध मेडिकल कॉलेज का नाम	
18	पिन कोड सहित पूरा पता	

19	प्रस्तावित महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम	
20	प्रस्तावित वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता (60 या 100 या 150 या 200)	
21	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
22	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
23	प्रिंट प्रति के साथ कॉलेज और अस्पताल का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लिंक प्रदान करना	
24	भूमि का कुल क्षेत्रफल	
25	जमीन पट्टे पर है या स्वयं की है	
	यदि यह पट्टे पर है, तो पट्टे की अवधि	
	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष पूर्व, भूमि की कर भुगतान रसीद	
	भारमुक्ति प्रमाण पत्र	
26	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II) - स्थानीय प्राधिकारी से प्रमाण संलग्न करें	
27	संबंधित प्राधिकारियों से प्रासंगिक भवन निर्माण की अनुमति	
28	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा प्रस्तावित भवन योजना की वास्तविक प्रति संलग्न करें	
भाग-V: कॉलेज की स्थापना (चरण-I) विवरण		
29	प्रशासनिक अनुभाग	
30	केंद्रीय पुस्तकालय	
31	डिजिटल लाइब्रेरी	
32	शिक्षण विभाग:-	
	सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्त्वम विभाग के साथ भाषा प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	
	उडल कूरुगल विभाग के साथ सहित विच्छेदन हॉल, व्यावहारिक प्रयोगशाला, और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	
	उडल तत्वम विभाग के साथ उडल तत्वम प्रैक्टिकल लेबोरेटरी, उयिर वेधियल प्रैक्टिकल लेबोरेटरी और ट्यूटोरियल रूम	
	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग के साथ नुत्तुयिरियल प्रयोगशाला और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल रूम	
33	लेक्चर हॉल	
34	हर्बल उद्यान	
35	कॉलेज वेबसाइट	
36	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (आयोग द्वारा निर्दिष्ट)	
37	छात्रावास (लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग)	
38	जलपान गृह	
	अन्य आवश्यकताएं:	

39	परीक्षण/बहुउद्देशीय/योग/सम्मेलन कक्ष	
40	पच्चीस प्रतिशत सिमुलेटर या मैनक्रिन के साथ नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला	
41	सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा	
42	मानव संसाधन विकास कक्ष कक्ष	
43	अनुसंधान एवं नवाचार कक्ष	
44	छात्र सुविधाएं	
45	स्टाफ सुविधा	
46	लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम	
47	शिक्षण संकाय सदस्यों के लिए कॉमन रूम	
48	कॉलेज परिषद कक्ष	
49	विद्यार्थी परिषद कक्ष	
50	छात्र सहायता एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ कक्ष	
51	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ कक्ष	
52	फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ कक्ष	
53	केंद्रीय कार्यशाला	
54	क्लोज-सर्किट टेलीविजन सुविधा	
55	कॉलेज के मानव संसाधन:-	
	शिक्षण स्टाफ (चरण-I आवश्यकता के अनुसार)	
	गैर-शिक्षण कर्मचारी	
भाग-VI: कॉलेज का बैंकिंग विवरण		
56	खाते का नाम	
	कॉलेज के नाम पर खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	आईएफएससी कोड सहित बैंक की शाखा का नाम	
भाग-VII: अस्पताल का विवरण		
57	प्रस्तावित कॉलेज से संबद्ध अस्पताल का नाम	
58	अस्पताल की स्थापना की तिथि	
59	अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
60	मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
61	पंचायत लाइसेंस	
62	अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र	
63	अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र	
64	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र	

65	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र	
66	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता	
67	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति का नवीनीकरण और वैधता अवधि (प्रमाण संलग्न करें)	
68	राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) प्रमाणपत्र (स्तर, वैधता और तिथि)	
69	एक्स-रे यूनिट के लिए अनुमति	
70	अंतःरोगी विभागों (आईपीडी) में बेडों की संख्या:-	
	मरुतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् आईपीडी सहित अरुवइ अंतःरोगी विभाग	
	सूल और मागलिर मरुतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	कुजंतइ मरुतुवम् अंतःरोगी विभाग	
	नंजु मरुतुवम् अंतःरोगी विभाग	
71	बाह्य रोगी विभाग:	
	मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	वर्मम, पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग जिसमें माइनर थेरेपी रूम भी शामिल है	
	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग सहित अरुवइ में लघु प्रक्रिया कक्ष शामिल हैं।	
	सूल और मागलिर मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग सहित परीक्षा सह प्रक्रिया कक्ष	
	कुजंतइ मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	नोइ अनुगाविधी मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	नंजु मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	अवसरा मरुतुवम् बाह्य रोगी विभाग	
	स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	
विशेषता बाह्य रोगी विभाग (यदि कोई हो, तो निर्दिष्ट करें)		
72	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में बाह्य रोगी विभाग उपस्थिति की कुल संख्या	
73	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन बाह्य रोगी विभाग की औसत संख्या	
74	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में औसत बेड अधिभोग	
75	नैदानिक प्रयोगशाला	
76	रेडियोलॉजी या इमेजिंग अनुभाग	
77	फार्मैसी या ड्रग स्टोर या डिस्पेंसरी	
78	वर्मम पुरेमरुतुवम् और सिरेप्पमरुतुवम् थेरेपी या प्रक्रिया अनुभाग	

79	ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर सहित अरूवइ मारुतुवा पिरिवु	
80	मगाप्पेरु /प्रसव अराई (प्रसूति कक्ष)	
81	फिजियोथेरेपी अनुभाग	
82	सिद्धार योगम थेरेपी अनुभाग	
83	अस्पताल में मानव संसाधन	
	क. आवेदन जमा करने से पहले दो वर्ष के लिए अस्पताल के कर्मचारी (नाम, पदनाम, अनुभाग या इकाई, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति आदेश, जॉइनिंग लेटर और तिथि, रिलीविंग लेटर और तिथि, राज्य पंजीकरण प्रमाण पत्र या लागू मामलों में शिक्षक कोड के विवरण के साथ), जोन-वार, -	
	प्रशासन क्षेत्र	
	स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र	
	बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र	
	अंतःरोगी विभाग क्षेत्र	
	नैदानिक क्षेत्र	
	प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र	
	सेवा क्षेत्र	
	ख. आधुनिक मेडिकल स्टाफ विवरण	
84	अस्पताल रिकॉर्ड (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)	कम्प्यूटरीकृत या मैनुअल
नोट: यदि अस्पताल चरणबद्ध रूप से स्थापित है: इन नियमों में उल्लिखित सभी प्रमाणों के साथ अस्पताल के चरणवार प्रतिष्ठानों का विवरण प्रस्तुत करें (विनियमन 64 देखें)		
भाग-VIII: अस्पताल का बैंकिंग विवरण		
85	खाते का नाम	
	अस्पताल का खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम और आईएफएससी कोड	
	आवेदन जमा करने की तिथि से दो वर्ष या 24 माह पहले तक निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं: -	
	क. अस्पताल के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का बैंक विवरण (माह-वार)	
	ख. दवाओं की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)	
	ग. अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)	
	घ. प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)	
	ड. अस्पताल की आय का विवरण (प्रति संलग्न करें)	
	च. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) विवरण	
86	क्या अस्पताल चरणबद्ध रूप से स्थापित या विकसित	हां/नहीं

किया गया है				
यदि हाँ तो चरणवार विवरण उपलब्ध करायें				
चरण या स्टेज	अवधि		विकास की स्थापना का विवरण	प्रदर्शन या कार्यक्षमता
	से	तक		
पहला				
दूसरा				
तीसरा				
चौथा (अंतिम)				

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

स्थान:

तिथि:

अनुबंधों की सूची:

1. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपनियम/ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख/ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।
2. ट्रस्ट या सोसायटी के पंजीकरण/निगमन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व या पट्टा समझौते के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति।
5. उपलब्ध स्थलों के भूमि उपयोग को दर्शाने वाली ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति।
6. अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र और इसकी वैधता अवधि के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।
7. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए किसी केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।
9. अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाण पत्र।
10. आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड / भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
11. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज और संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड/ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्ध पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए हैं।
12. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि छात्रों को केवल एनईईटी योग्यता के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा।

13. यह उल्लेख करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना कि पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का नामकरण, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित मानव संसाधनों को संबंधित नियमों में निर्दिष्ट आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- 14 हलफनामा प्रस्तुत करना कि प्रस्तावित सिद्ध मेडिकल कॉलेज के किसी भी कक्षा या मानक या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।
15. एक वचन पत्र प्रस्तुत करना कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने की स्थिति में है।
16. आवेदन शुल्क और जमा किए गए प्रोसेसिंग शुल्क का प्रमाण।
17. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रतिलिपि: कॉलेज और अस्पताल
18. पिछले दो वर्षों के लिए अस्पताल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रतिलिपि
19. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें):-
- क. सर्वे क्रमांक सहित भूमि का वितरण।
- ख. भूमि की श्रेणी जैसे टियर I और टियर II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रमाण, स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र।
- ग. भारमुक्ति प्रमाण पत्र।
- घ. भूमि और अस्पताल भवन के लिए कर भुगतान की रसीद।
- ङ. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।
- च. वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।
- छ. अस्पताल की स्थापना के लिए पंचायत लाइसेंस।
- ज. अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाणपत्र।
- झ. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
- ञ. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।
- ट. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।
- ठ. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
- ड. अस्पताल में रेडियोलॉजी यूनिट की अनुमति
- ढ. बायोमेट्रिक अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।
- ण. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।
- त. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
20. समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
(नोट: सभी प्रतियां आवेदक द्वारा स्व-संलग्न/होंगी)

फार्म- बी

(विनियमन 76 देखें)

सिद्ध मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता की संख्या बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन।

1	आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में)	
2	पिन कोड के साथ पूरा पता	

	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3	आवेदक की स्थिति चाहे राज्य सरकार या केंद्र क्षेत्र या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसाइटी	
4	ट्रस्ट या समाज का पंजीकरण या निगमन (संख्या और तिथि आदि)	
5	सिद्ध मेडिकल कॉलेज का नाम और पता	
6	अनुमति की स्थिति की श्रेणी: आवेदन या योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति	
7	संस्था ने आवेदन या योजना या प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' के रूप में मूल्यांकन किया है	
8	राज्य सरकार या केंद्र क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' या 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की तिथि।	
9	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता प्रथम संबद्धता की तारीख नई योजना या प्रस्ताव के लिए पहली संबद्धता की तारीख	
10	स्नातक पाठ्यक्रम के लिए पहले बैच के प्रवेश का वर्ष	
11	प्रवेशित छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का माह और वर्ष	
12	मौजूदा स्नातक पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या और मान्यता या अनुमति की तिथि	
13	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू अध्ययन के पाठ्यक्रम का नाम	
14	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता (60 या 100 या 150 या 200) में वृद्धि के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या, निर्दिष्ट करें	
15	इनका विवरण: क. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन ख. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं ग. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त कर्मचारियों (शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और अस्पताल के कर्मचारी) की भर्ती	
16	शुल्क विवरण: - आवेदन शुल्क ट्रांज़ैक्शन आईडी प्रोसेसिंग शुल्क ट्रांज़ैक्शन आईडी	
17	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

स्थान:

दिनांक:

संलग्नकों की सूची:

1. संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' या 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की सत्यापित प्रति।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रारूप में 'संबद्धता की सहमति' की सत्यापित प्रति, जिससे कॉलेज या संस्थान संबद्ध है।
3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र पूछताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से पत्र की सत्यापित प्रति, यदि पहले से ही स्नातक डिग्री कोर्स संचालित करने की अनुमति दी गई है, तो कॉलेज या संस्थान की मान्यता को मंजूरी दी गई है।
5. शपथपत्र में कहा गया है कि छात्रों को स्पष्टतः राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षण और केवल काउंसिलिंग (केन्द्रीय या राज्य या केंद्र राज्य-क्षेत्र, जैसा भी मामला हो) योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाएगा और स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं किया जाएगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
6. शपथपत्र में कहा गया है कि छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार मानव संसाधन को छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में बनाए रखा जाएगा जैसा कि संबंधित विनियमों में उल्लेख किया गया है।
7. आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क का प्रमाण।
8. अन्य अनुबंध-

क उप-कानूनों या ज्ञापन की प्रमाणित प्रति और ट्रस्टियों के नाम के साथ एसोसिएशन या ट्रस्ट डीड के लेख और ट्रस्ट या सोसाइटी पंजीकरण या निगमन की नवीनीकृत प्रतिलिपि।

ख स्वामित्व या पट्टे के समझौते के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

ग पहला अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र या मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नवीनीकृत किया गया।

घ अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र।

ड. आपदा प्रबंधन प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।

च प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।

छ बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

ज कॉलेज और अस्पताल का निर्माण अधिभोग प्रमाण पत्र।

झ कॉलेज और अस्पताल का निर्माण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र।

ञ बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित

ट आर्किटेक्ट द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाण पत्र।

ठ मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए उपकरण, यंत्र आदि के क्रय का बिल।

ड पिछले एक वर्ष के लिए बिलों के साथ तैयार या खरीदी गई दवाओं की सूची।

ढ पिछले एक वर्ष के लिए बिलों के साथ खरीदी गई राँ-ड्रग्स की सूची।

ण पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए इंटेन्ट रजिस्टर।

त पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए स्टॉक रजिस्टर।

थ अस्पताल का समेकित डेटा: पिछले एक वर्ष के लिए रोगी डेटा (बाह्य-रोगी विभाग, अन्तःरोगी विभाग और बेड अधिभोग)

द अस्पताल इमारत सहित भूमि, भवन के लिए कर भुगतान रसीद।

ध एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें कहा गया हो कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध सावधि सुरक्षा जमा करने में सक्षम है।

न एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उल्लिखित हो कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है, जिसमें प्रस्तावित प्रवेश क्षमता के अनुसार अध्याय-5 के तहत समय-सीमा में निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे के साथ नए न्यूनतम अनिवार्य मानक शामिल हैं।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य अनुबंध।

नोट: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होनी चाहिए।

फॉर्म- सी

(देखें विनियम 65)

(राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाएगा)

एक नया स्नातक सिद्ध मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भ संख्या.....

दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पता के साथ)	
2	संस्था का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या मानित विश्वविद्यालय)	
3	प्रस्तावित सिद्ध मेडिकल कॉलेज या संस्थान का नाम	
	प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता	
	प्रस्तावित छात्र प्रवेश क्षमता (60/100/150/200)	
4	क्या आवेदक पहले से ही सिद्ध मेडिकल कॉलेज संचालित कर रहा है	हाँ या नहीं
5	यदि हाँ, तो निकटतम कॉलेज और प्रस्तावित कॉलेज के बीच की दूरी क्या है (यदि दूरी 25 है या 25 किमी से कम अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा)	
अन्य विवरण		
6	राज्य में पहले से मौजूद सिद्ध संस्थानों की संख्या	
7	राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में जनसंख्या अनुपात के लिए चिकित्सक (सभी प्रणालियों के पंजीकृत चिकित्सक)	
8	नए सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा	निम्न या पर्याप्त
9	अस्पताल की पंजीकरण संख्या	
10	राज्य में अधिवासित नहीं होने पर राज्य में प्रवेश प्राप्त करने से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हो, निर्दिष्ट किया जाना है।	

अनिवार्यता प्रमाणपत्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ----- (आवेदक का नाम)(प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का नाम) छात्र प्रवेश क्षमता (60/100/150/200) के साथ(प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता)..... की स्थापना के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों या निबंधनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्य है।

निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश तभी देगा जब भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त की जाएगी।
2. कॉलेज के पास कोई अन्य कॉलेज नहीं होगा या उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।
3. कॉलेज छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
4. कॉलेज समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए निर्धारित विनियमन या दिशा-निर्देशों या नीति के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पात्र छात्रों को प्रवेश देगा।
5. संस्थान हमेशा स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करेगा।
6. कॉलेज को किसी अन्य सोसायटी या ट्रस्ट में परिवर्तन के मामले में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार सिद्ध मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं का निर्माण या रखरखाव करने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय मेडिकल की अनुमति से कॉलेज में पहले से भर्ती छात्रों को प्राप्त करेगा।
8. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज का अनुपालन न करने के कारण कॉलेज को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, उन छात्रों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी जिन्हें पहले से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में प्रवेश दिया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म- डी

(विनियम 75 देखें)

(राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाएगा)

सिद्ध मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों की संख्या या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

सन्दर्भ. सं.....

दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम	
2	पता	
3	आवेदन का विषय	छात्र की सेवन क्षमता को---से--- तक बढ़ाने के लिए
4	कॉलेज या संस्थान का नाम और पता जिसमें आवेदक मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है	
5	संस्था की स्थापना का वर्ष	
अन्य विवरण		
6	राज्य में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (सभी प्रणालियों के पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सक)	
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (पंजीकृत सिद्ध चिकित्सा चिकित्सक)	
8	सिद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा	निम्न/पर्याप्त

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है..... (आवेदक का नाम) से सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए..... से..... द्वारा संचालित मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में.....(महाविद्यालय या संस्थान का नाम) में..... (महाविद्यालय या संस्थान का पता)। यह प्रमाण पत्र उपरोक्त विवरण या तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए मान्य है।

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आकलन बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को केवल भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन एवं आकलन बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रवेश देगा।
2. कॉलेज में कोई अन्य कॉलेज नहीं होगा या उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।
3. महाविद्यालय छात्र ग्रहण क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवसंरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
4. महाविद्यालय समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन या दिशानिर्देश या नीति के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
5. संस्थान हमेशा स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
6. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार सिद्ध मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं का निर्माण या रखरखाव करने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं और विश्वविद्यालय

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में पहले से प्रवेश छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।

7. यदि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है या स्थायी अस्वीकृति जारी की जाती है, तो राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जिन्हें पहले से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में प्रवेश दिया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर

तिथि:

स्थान:

फॉर्म-ई

(देखें विनियम 65 और 75)

संबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाना है)

(एक नया सिद्ध मेडिकल कॉलेज स्थापित करने या सिद्ध मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए पूर्व-आवश्यकता)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय विवरण	
1	विश्वविद्यालय का नाम	
2	पता	
3	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या मानित-सरकारी या मानित-निजी या निजी राज्य
4	संपर्क विवरण	
5	संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम)	
	मोबाइल नंबर	
	ई-मेल आईडी	
6	स्थापना का वर्ष	
7	मौजूदा संकाय	
8	मान्यता यदि कोई हो	
9	विश्वविद्यालय से अब तक संबद्ध आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा महाविद्यालयों की संख्या	

संबद्धता की सहमति

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय को संबद्धता की सहमति जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है..... (कॉलेज का नाम) की छात्र प्रवेश क्षमता के साथ (60/100/150/200 स्नातक)

प्रस्तावित कॉलेज की सीटों या सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धिसे..... तक पहले से मौजूद स्नातक कार्यक्रम में।

संबद्धता की सहमति शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी की जाती है.....

संबद्धता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाती है:

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
2. कॉलेज राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पात्र छात्रों को केवल परामर्श प्रक्रिया (केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से प्रवेश देगा, जैसा कि संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
3. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।
4. कॉलेजों को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन माह पहले प्रत्येक वर्ष जारी-संबद्धता प्राप्त करनी होगी।
5. किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता में परिवर्तन या मानित दर्जे के लिए आवेदन करने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किया जाएगा।
6. वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ असंबद्धता के मामले में, मौजूदा बैच वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान नहीं की जाती।

कुल सचिव

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि:

डॉ. बी. एल. मेहरा, प्रभारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./062/2024-25]

[नोट: यदि "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024" के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा]

NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2024

F. No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MES).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for Under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 and the Establishment of New Medical College, Opening of new or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER-I
PRELIMINARY

2. Definitions.-(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);
- (b) "assessment of an institutions" means the act of verification of availability of minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality of an institution and its attached teaching hospital;
- (c) "attached teaching hospital" means a Siddha hospital that offers standard healthcare services, attached to a medical institution for the purpose of teaching and training to the students of Siddha System of Medicine;
- (d) "extended permission" means permission for admitting students extended by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to medical institution fulfilling the criteria for "extended permission status", so that the institution may participate in the counseling process for admitting students without waiting for permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for admission every year unless otherwise denied or specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (e) "Form" means Form annexed to these regulations;
- (f) "fully established institution" means the institution or college completed all four phases of establishments and issued first, second and third renewal of permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (g) "institution under establishment" means the new institution or college undergoing phase wise establishments, that is, first, second, third and fourth phase of establishment;
- (h) "letter of intent" means preliminary approval, along with conditions and timelines, issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to the applicant through the procedure to establish a new Siddha Medical College or institution or to increase student intake capacity in existing courses or programmes or to start any postgraduate or new course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine;
- (i) "letter of permission" means permission granted to the applicant by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine through the procedure to establish a new Siddha Medical College or institution, or to increase student intake capacity in existing courses or programmes, or to start any postgraduate or new course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine, and to admit the students as per the students intake capacity sanctioned by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine;
- (j) "minimum essential standards" means mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, and functionality as well as a level of quality or standards that is thought to be acceptable as a minimum and below the minimum which is unacceptable;
- (k) "rating" of an institution means a score or measurement of how good an institution is. Rating of fully established recognised institutions through a rating process carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or any designated rating agency based on the standards and parameters laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa over and above the minimum essential standards;
- (l) "renewal of permission" means the renewal of permission, that is, the first, second and third renewal granted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to a Siddha Medical College or institution under establishment, that is, undergoing second, third and fourth phase-wise establishments respectively through the procedure mentioned in these regulations during successive academic years after the issuance of letter of permission for admitting students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as specified in the renewal of permission;
- (m) "Schedule" means schedule annexed to these regulations;
- (n) "teaching days" means the number of days attended or performed duty in a twelve-month period in the college and its attached teaching hospital as a full-time regular teacher wherein he or she has been appointed; and
- (o) "yearly permission" means those institutions that are not fulfilling the criteria for "extended permission" shall participate in the counseling process for admitting students, only after obtaining permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS OF A SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION AND ITS ATTACHED TEACHING HOSPITAL IN GENERAL

3. Admission capacity.-The annual admission capacity or students intake capacity of the Siddha Medical College or institution shall be in the slabs of 60, 100, 150 and 200.

4. Land requirement.- (1) The minimum requirement of land for Siddha Medical College or institution and its attached teaching hospital shall not be less than three acres, five acres, seven acres and nine acres for 60, 100, 150 and 200 student intake capacity, respectively.

(2) The land shall not be more than two plots or piece of lands and the radial distance between the two plots shall not exceed five kilometers.

(3) If the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land:

Provided that in case of Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, the minimum requirement of land for 60, 100, 150 and 200 student intake capacity shall not be less than two and half acres, three and half acres, five acres and six acres respectively and the college or institution shall have a certificate obtained from the concerned local authorities to establish the specific category of land (as applicable) as a proof.

Provided further that the land shall not be in more than two plots and the radial distance between two plots shall not be more than ten kilometres; If the plots are separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land.

(4) The designated land for a Siddha Medical College or institution, its attached teaching hospital and hostels shall be clearly demarcated and should not be used for any other purpose other than activities of medical institution.

(5) The land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college, for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and the renewal of lease shall, however, be required on expiry of lease.

5. Minimum Constructed Area.- (1) For sixty students intake capacity, the Siddha Medical College and attached teaching hospital shall have the minimum constructed area of 3115 and 3200 square meters.

(2) For one hundred students intake capacity, the Siddha Medical College and attached teaching hospital shall have the minimum constructed area of 5205 and 4450 square meters, respectively.

(3) For one hundred and fifty students intake capacity, the Siddha Medical College and attached teaching hospital shall have the minimum constructed area of 7020 and 5785 square meters, respectively.

(4) For two hundred students intake capacity, the Siddha Medical College and attached teaching hospital shall have the constructed area of 8785 and 7075 square meters, respectively as mentioned in the **First Schedule** and the **Second Schedule**.

(5) The total minimum constructed area of the Siddha Medical College and attached teaching hospital shall be 6315 square meters (60 students intake capacity), 9655 square meters (100 students intake capacity), 12805 square meters (150 students intake capacity) and 15860 square meters (200 students intake capacity).

(6) The minimum constructed area and the total constructed area mentioned from sub-regulations (1) to (5) shall be the same for the Siddha Medical College and attached teaching hospital constructed in Tier I and Tier II cities (X and Y categories).

(7) The college and hospital shall be constructed in separate buildings with its departments or sections or units as per the details specified in the **First Schedule** and the **Second Schedule**.

(8) The requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after the 19th day of February, 2013.

6. The College Campus and general considerations.- (1) The campus designated for Siddha Medical College or institution shall accommodate-

- (a) Siddha Medical College or institution along with Departments, ancillary sections or units or facilities;
- (b) teaching hospital along with ancillary sections or units or facilities;
- (c) hostels, separately for boys and girls including interns, with or without staff quarters;

(d) in case of two plots, hostel for interns, male and female separately, shall be in the teaching hospital campus.

(2) The campus designated for Siddha Medical College or institution and attached teaching hospital shall have proper road, well-constructed compound wall with proper arrangements for security.

(3) Every building shall have all relevant permissions from concerned authorities.

(4) There shall be fire safety, fire No Objection Certificate (if applicable), sewage treatment plan, permission from pollution control board, disaster management measures, bio-medical waste management etc. as per extant norms.

(5) Institution must provide a barrier free environment for the independence, convenience, and safety of the physically challenged persons apart from ramp and lift.

(6) The campus shall have an appropriate layout plan for free vehicular movement and demarcated parking area.

(7) The parking area shall be labeled or marked for higher officials, employees, and students.

(8) The campus shall have adequate water supply, proper drainage system, and electricity supply including power back-up system.

(9) There shall be a central workshop or maintenance cell in the campus, equipped suitably as per the requirements of the college or institution, along with site-engineer (as per the **Sixth Schedule**), appropriate technical staff or outsourced staff for the maintenance-related works in the areas such as electrical, plumbing, carpentry, sanitary, civil works, water supply, waste management, drainage, housekeeping, and other matters.

(10) The Siddha Medical College or institution shall be fully functional and shall provide teaching and training to students of Siddha as per the course curriculum and syllabus as specified by the Commission by establishing an educational ecosystem and shall be ready to impart education as per the minimum essential standards specified by the Commission.

(11) An educational ecosystem of the Siddha Medical College or institution shall be established in which all stakeholders of the college or institution, all the Departments, and other units or sections of the college or institution shall function in coordination and collaboration with each other to provide comprehensive education to students in an ideal academic environment.

7. Official Contact Details.- (1) Every official communication shall be made through the official contact number and official e-mail ID of the Siddha Medical College or institution.

(2) Each Siddha Medical College or institution shall have an official mobile number for the head of the college or institution, the Dean or Director or Principal.

(3) Each Siddha Medical College or institution shall have an official e-mail ID created in the pattern as shown below.-

[Year of establishment of the college unique college ID provided by MARBISM@service provider/ domain
(Eg. 2023sid00001@gmail.com)]

(4) Siddha Medical College or institution shall communicate to the National Commission for Indian System of Medicine or autonomous boards under the National Commission for Indian System of Medicine or Secretariat of the National Commission for Indian System of Medicine through official mobile number and official e-mail ID only.

(5) Communication through the mobile numbers and e-mail IDs other than official mobile number and official e-mail ID shall not be entertained.

(6) The National Commission for Indian System of Medicine or Autonomous Boards shall communicate to the Siddha Medical College or institution only through official mobile number of the head of the college or institution (Dean or Director or Principal) and official e-mail ID of the Siddha Medical College or institution.

(7) The National Commission for Indian System of Medicine may instruct the Siddha Medical College or institution for separate or exclusive mobile number and or e-mail ID for a particular activity; such exclusive contacts shall be used for that specified purpose or period only.

8. Bank Accounts.- (1) There shall be independent official bank accounts in the names of the Siddha Medical College or institution and the attached teaching hospital separately for non-government institutions.

(2) In case, a drug manufacturing unit (commercial production) is attached to the Siddha Medical College, the drug manufacturing unit shall maintain a separate bank account.

(3) Every official account mentioned in sub-regulations (1) and (2) shall be either in nationalised banks or any commercial banks approved by the Reserve Bank of India.

- (4) All official transactions (income and expenditures) of respective units, college, hospital, and drug manufacturing unit, if any, shall be in specified official accounts.
- (5) All types of fees for students, including penalties, if any, shall be collected through the official bank account.
- (6) The Siddha Medical College or institution shall have to issue receipts for all fee payments, including penalties, if any, received from the students.
- (7) All types of institutional expenditure, such as salaries of teaching, non-teaching staff, hospital staff, payments to outsourcing agencies, purchases, payments of taxes, maintenance, and establishment expenditure, and other expenditure, shall be through the official bank account.
- (8) The annual audit of accounts shall be audited by a registered chartered accountant firm or audit firm.
- (9) The details of transactions and the annual audit report shall be made available to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine in such manner specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.
- (10) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall consider only those transactions that are reflected in institutional official bank accounts for assessment and rating purposes.

9. Information Technology Cell and infrastructure.- (1) The Siddha Medical College or institution shall have an Information and Technology Cell equipped to manage all Information and technology related activities and attend to information and technology related issues of the college or institution. The minimum requirement of staff shall be as per the **Sixth Schedule**.

- (2) The Siddha Medical College or institution shall have an internet connection with broad-band connectivity and bandwidth not less than 500 mbps.
- (3) The Information and Technology Cell shall maintain the website of the Siddha Medical College or institution, Hospital Management System Software (compatible with Ayushman Bharath Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry and Unique Health Identification Number), Learning Management System, digital library, smart boards and multimedia projectors, virtual laboratories, intranet, local area network connectivity, biometric or Aadhaar enabled biometric or iris recognition or face recognition attendance system, closed-circuit television and other items as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
- (4) The Information and Technology Cell shall be in a position to interface or connect online platforms such as Learning Management System, Hospital Management System or Hospital Information Management System Software (compatible with Ayushman Bharath Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry and Unique Health Identification Number), Biometric or Aadhaar enabled biometric or iris recognition or face recognition attendance system, or any other systems specified by the National Commission for Indian System of Medicine with online platforms or information technology systems run by the National Commission for Indian System of Medicine as per their specifications or to the central server designated by the commission or command and control centre of the commission and shall provide real time transfer of data or relevant data to the commission and its autonomous boards as required and to coordinate virtual meetings, webinars, video recording of lectures and practical or clinical demonstrations, virtual or hybrid modes of visitation or assessment, etc., and all other Information and technology related activities. The authentication of the patients shall be made through the Ayushman Bharat Health Account (ABHA) number.
- (5) The Information and Technology Cell shall support all sections of the college in which information and technology support is essentially needed, including Human Resource and Development Cell of the Siddha Medical College or institution.

10. Biometric Attendance System.- (1) Biometric or Aadhaar enabled biometric attendance system or iris recognition or face recognition attendance system shall be installed as specified by the National Commission for Indian System of Medicine for marking attendance by teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students, and interns.

- (2) Biometric attendance devices shall be installed at the entrances of the Siddha Medical College and attached teaching hospital and shall be under closed-circuit television surveillance. These devices serve the purpose of recording attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff, postgraduate students, and interns.
- (3) The closed-circuit television shall be installed in such a way that the marking of attendance is clearly visible on both the face of the staff and the biometric attendance device.
- (4) The biometric attendance device as well as closed-circuit television feed shall be connected or aligned to command-and-control centre of the Commission. The commission or its autonomous boards shall have the power

to review the data stored at command-and-control centre and in the devices installed at colleges and to take necessary actions.

(5) Biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or autonomous boards of the National Commission for Indian System of Medicine on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the National Commission for Indian System of Medicine.

(6) For recording attendance of undergraduate students, devices as specified by the Commission shall be adopted.

11. Siddha Medical College or institution website.- (1) Every Siddha Medical College or institution shall maintain an exclusive website in the name of the college or institution.

(2) The college website shall be updated periodically and upload the details as specified by the National Commission for Indian System of Medicine and its autonomous boards.

(3) The National Commission for Indian System of Medicine shall capture the data continuously at different levels.

(4) It shall be the responsibility of the Siddha Medical College or institution to ensure that the data, information, and details available on the website are authentic and are uploaded on time as per the requirements of the National Commission for Indian System of Medicine.

(5) On or before the tenth of every month, the data pertaining to the previous month shall be updated or uploaded.

(6) The following details shall be maintained on the Siddha Medical College website, namely:-

(a) details of the head of the institution, the Principal or Dean or Director, and Medical Superintendent, including their name, date of birth, photograph, unique teacher's code, council registration number, educational qualification, designation, date of joining, experience, contact mobile number, e-mail ID, and other details;

(b) details of teaching staff, including their unique teacher's code, photograph, council registration number, date of birth, educational qualification, designation, date of joining, experience, teaching department, contact mobile number, e-mail ID, and other details;

(c) details of non-teaching staff of college and hospital staff including educational qualification, name of the post, department or section or unit and other details;

(d) details of the warden and deputy warden of hostels;

(e) specialties of the hospital and consultants, their out-patient department days, consultation timings;

(f) details of permission status, sanctioned student intake capacity, and affiliation;

(g) list of students admitted, merit-wise and category-wise, for the current and previous years;

(h) university examination results and a comparative graph with the previous three years;

(i) details of the research publications by the students or faculties in the last year;

(j) details of continuous medical education programmes, seminars, conferences, workshops, faculty development programmes, capacity building programmes, hands-on training, research projects, collaborative programmes, and any other academic or clinical programmes conducted by the institution in the last one year;

(k) accreditations, awards, achievements, and appreciations, if any, received by the institution;

(l) hospital patients' statistics and comparative data or graph with the previous three years;

(m) announcements of forthcoming events like seminars, workshops, and other events.

CHAPTER-III

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR THE SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION

12. Administrative Section.- (1) The administrative section of the Siddha Medical College or institution shall accommodate-

(a) room for the head of the institution (Principal or Dean or Director);

(b) room for personal assistant to head of the institution;

(c) visitor's room for visitors to head of the institution;

(d) staff committee room or meeting room;

(e) room for the office superintendent;

- (f) establishment and accounts section with cash counter;
- (g) waiting area or lounge for office visitors;
- (h) record room;
- (i) central store;
- (j) pantry;
- (k) toilets for office staff (male, female and differently abled persons separately).

(2) The total constructed area of administrative section shall be minimum 200 square meters for 60 students intake capacity, 250 square meters for 100 students intake capacity, 300 square meters for 150 students intake capacity and 350 square meters for 200 students intake capacity as mentioned in the **Second Schedule**.

13. Lecture Halls.- (1) There shall be five lecture halls or classrooms, each of which shall have an area of not less than 100 square meters area for 60 students intake capacity, 150 square meters area for 100 students intake capacity, 200 square meters area for 150 students intake capacity and 250 square meters area for 200 students intake capacity, and the requirements of the total constructed area are mentioned in the **Second Schedule** that is, minimum 500, 750, 1000 and 1250 square meters for 60, 100, 150, and 200 students intake capacity respectively.

(2) Each lecture hall or classroom shall have a seating capacity more than 20 per cent. of the students intake capacity. i.e., with seating capacities of 75 for 60 students intake capacity, 120 for 100 students intake capacity, 180 for 150 students intake capacity and 240 for 200 students intake capacity.

(3) All lecture halls or classrooms shall be information communication technology enabled classrooms equipped with information communication technology tools such as smart boards, audio-visual gadgets, internet connection or wireless fidelity facility, etc.

(4) All the lecture halls or classrooms shall be under closed-circuit television surveillance and the closed-circuit television coverage shall be for the entire classroom.

(5) The classroom shall not be too long or too wide.

(6) The seating arrangement in classrooms shall be gallery type or theatre type and may be preferably semi-circular so that every student has clear visibility of the teacher, the blackboard, and the smart board.

(7) The size of the central display in the classroom shall be in proportion to the classroom capacity and size and additional display may be arranged for the students sitting at the rear end.

14. Seminar or Conference or Examination or Yoga Hall.- (1) There shall be a multipurpose hall having a minimum area of 150, 300, 450, and 600 square meters, for 60, 100, 150, and 200 students intake capacity respectively with appropriate seating arrangements made available as mentioned in the **Second Schedule**.

(2) The multipurpose hall shall be used for the conduct of meetings, seminars, conferences, workshops, continuing medical education programmes, examinations, yoga training, college functions and other programmes.

(3) The multipurpose hall shall have audio-visual facilities, closed-circuit television, and toilet facilities.

15. Central Library.- (1) Each Siddha Medical College or institution shall have a central library with good ventilation, proper lighting, appropriate seating arrangements, well-arranged bookshelves and other facilities.

(2) The central library shall have a minimum area of 150 square meters for 60 students intake capacity, 250 square meters for 100 students intake capacity, 350 square meters for 150 students intake capacity, and 450 square meters for 200 students intake capacity, as mentioned in the **Second Schedule**.

(3) The central library shall have seating capacity more than 20 per cent. of its students intake capacity that is, with the seating capacity of 75 for 60 students intake capacity, 120 for 100 students intake capacity, 180 for 150 students intake capacity, and 240 for 200 students intake capacity.

(4) The Central library shall maintain a minimum of eight thousand books for 60 students intake capacity, ten thousand books for 100 students intake capacity, twelve thousand books for 150 students intake capacity, and fourteen thousand books for 200 students intake capacity.

(5) The minimum number of indexed scientific journals in the central library irrespective of intake capacity shall be ten, and such journals shall be indexed in PubMed or Web of Science or University Grants Commission Consortium for Academic and Research Ethics or Science Citation Index or Scopus or other indexed journals.

(6) Biometric attendance for all students and teaching staff shall be made available in the central library.

(7) A catalogue coding system (physical or automated) shall be made available at the library entrance.

(8) There shall be a display facility at an appropriate place in the library for newly arrived books.

- (9) All the newly arrived books are to be displayed for a specific duration as per the institutional library policy, or a minimum of fifteen days.
- (10) The seating arrangement in the reading room shall be in a unidirectional pattern, and face-to-face seating arrangements shall be avoided, or partitions shall be provided in the case of face-to-face seating arrangements.
- (11) The reading room table shall have an adequate number of charging ports for laptops.
- (12) All books and journals shall be kept on open shelves without locking to provide students with free access to books. Rare and out-of-print books, old manuscripts, and listed books may be kept on closed shelves.
- (13) The entire library shall be under closed-circuit television surveillance.
- (14) The library etiquette, institutional library discipline maintenance policy and instructions for library users approved by the college council shall be displayed prominently at the entrance of the library.
- (15) The minimum working hours of the library on all working days (Monday to Saturday) shall be from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. without any break.
- (16) On Sundays, the working hours for the library shall be 10 a.m. to 2 p.m. Hours specified in sub-regulations (15) and this sub-regulation are the minimum prescribed working hours; however, colleges may maintain extended library hours.
- (17) The central library shall also include a library office, seating arrangements for librarians and other library staff, dedicated space for new arrivals and books under maintenance or binding, book issue and return, separate toilets for male and female students, a hot and cold drinking water facility and other facilities.
- (18) The library shall keep all journals published by the Central Council for Research in Siddha, the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, the Central Council for Research in Unani Medicine, the National Institutes (Siddha, Ayurveda, Unani and Sowa-rigpa), and the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Institute of National Importance) in the library for students and staff.
- (19) The library services include book issue and return, indexing, copying facilities, a book reservation system, and assistance in using the library.
- (20) The library shall provide magazines and newspapers for non-teaching staff and suitable study and reading material, competitive examination books, and other books and magazines, for the students who are attending various competitive examinations.
- (21) Entire library shall be barrier free movement to facilitate, easy access to all people including differently abled students.
- (22) If the college is located on a university campus and the university library is in a separate building, then an exclusive wing for Siddha shall be provided in the university library with all the requirements as specified in this regulation.

16. Digital Library.- (1) The digital library shall have the minimum required area of 40 square meters for 60 students intake capacity, 50 square meters for 100 students intake capacity, 60 square meters for 150 students intake capacity and 70 square meters for 200 students intake capacity, as mentioned in the **Second Schedule**.

- (2) The digital library shall include office space and seating for the digital library in-charge, stations with computer systems having broad band connectivity, storage facilities for compact discs and headphone sets.
- (3) The digital library shall have 15 computer systems with stations for 60 students intake capacity, 25 computer systems with stations for 100 students intake capacity, 35 computer systems with stations for 150 students intake capacity and 45 computer systems with stations for 200 students intake capacity.
- (4) The digital library shall provide facilities for students to browse the internet and access e-journals, e-contents, e-books, educational compact discs, e-resources, etc.
- (5) The minimum working hours of the digital library on all working days (Monday to Saturday) shall be from 9 a.m. to 8 p.m. without any break.
- (6) On Sundays, the working hours for the digital library shall be 10 a.m. to 2 p.m.
- (7) The working hours mentioned in sub-regulation (5) and sub-regulation (6) are the minimum working hours. However, colleges or institutions may maintain extended library hours.

17. Teaching Departments.- (1) There shall be thirteen teaching Departments.

- (2) Each Department shall be provided with rooms or cubicles for teachers, a departmental library, working accommodations for non-teaching staff, practical laboratory, dissection hall, museum cum tutorial room, tutorial

room as per the requirements of the individual Department as specified in the **Second Schedule**, and all units or sections of one Department shall be located together in the Department with adequate space.

(3) The minimum area required for all thirteen Departments shall be 1425 square meters for 60 students intake capacity, 2650 square meters for 100 students intake capacity, 3600 square meters for 150 students intake capacity, 4550 square meters for 200 students intake capacity, and break-up area for each Department and their ancillary sections or units shall be as per the **Second Schedule**.

(4) Teachers shall be accommodated in their respective Departments, and each Head of the Department, Professor, Associate Professor, and Assistant Professor shall be provided privacy in a separate room or cubicle in their respective Departments.

(5) Each Professor, Associate Professor, and Assistant Professor shall be provided with area of at least 15, 13 and 10 square meters respectively.

(6) Open seating arrangements for teachers in the common hall, room, or Department shall not be permitted.

(7) Each Department shall be provided with computers, printers, and internet facilities.

(8) Each Department shall be provided with an electronic display (smart board or smart television or light emitting diodes display and the like) facility to display e-contents such as videos, images, posters, charts, subject related information, models, treatment methods, surgical procedures, pathological slides, instruments, preparation of medicines, medicinal plant images, herbarium, X-rays, diagnostic tools and other facility as applicable to each Department for effective teaching.

(9) Minimum equipment, instruments, chemicals, reagents, glassware, and other equipment, required for practical laboratories shall be as per the **Seventh Schedule** to the **Fourteenth Schedule**.

(10) Minimum models, specimens, and other items required for the departmental museum shall be as per the **Seventh Schedule**, the **Ninth Schedule**, the **Tenth Schedule**, the **Eleventh Schedule**, the **Twelfth Schedule**, and the **Thirteenth Schedule**.

(11) The Departments conducting practical training, shall maintain adequate facilities as per the student capacity to conduct all practicals listed in the syllabus.

(12) The working tables of all the practical laboratories of teaching Departments wherever applicable, should be of hard stone or stainless steel, and there should be an arrangement of proper shelves and running water taps in wash basins.

(13) The National Commission for Indian System of Medicine may revise the syllabus from time to time, and accordingly, the requirements for equipment and other facilities may vary. It is the responsibility of the institution or concerned Department to provide such facilities, specified by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

18. Language laboratory.- The language laboratory under the Department of Siddha Maruthuva Moola Thathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine) shall have computers with internet facilities, compact discs, audio-visual facilities, microphones, headsets, and other facilities to promote language skill, communication skill, and skill in phonetics and other skills, in Tamil or English, as the case may be.

19. Dissection hall.- (1) The dissection hall under the Department of Udal Koorugal (Anatomy) shall have proper ventilation, an exhaust facility, an adequate hand wash facility, and a storage tank or freezer to preserve 2-4 cadavers.

(2) A virtual dissection or e-dissection facility in the dissection hall may also be provided to augment the quality of training.

(3) There shall be one demonstration station in the dissection hall and one dissection station for 10 students, that is, 6, 10, 15, and 20 dissection stations for 60, 100, 150 and 200 students intake capacity, respectively.

(4) The demonstration station shall have shadow-less operation theatre lights and an inbuilt high-resolution closed-circuit television camera, and the dissection hall shall have a display unit (Smart Television, Light Emitting Diode screen, smart board and other facilities) that is, connected to the closed-circuit television camera.

(5) If it is required, the embalming facility may also be provided.

(6) The Udal Koorugal (Anatomy) Department shall have waste disposal facilities as per the norms.

20. Teaching Pharmacy (Gunapadam Marunthakaviyal Practical Laboratory).- (1) The teaching pharmacy under the Department of Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) shall be for teaching, demonstration, and training of students but not for commercial production of medicines.

(2) The medicines prepared as a part of practical training in teaching pharmacy shall not be administered to patients.

(3) In the event that the institution is attached to a pharmacy of commercial production, that pharmacy shall not be treated as a teaching pharmacy.

(4) The teaching pharmacy may preferably be located at the end of the college building on the ground floor or in a separate building on campus and shall be equipped with a proper exhaust system and fire and safety measures.

(5) The teaching pharmacy shall have adequate infrastructure and facilities as specified in the **Tenth Schedule** to conduct Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) practicals as per the syllabus.

21. Quality testing laboratory.- (1) The quality testing laboratory under the Department of Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) is a common facility for both Gunapadam Marunthiyl (Materia Medica and Pharmacology) and Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Departments.

(2) The Quality testing laboratory shall maintain all facilities, including equipment, instruments, chemicals, and reagents, as mentioned in the **Tenth Schedule** for quality testing of drugs and for demonstrative teaching and training.

22. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology).- The practical laboratory under the Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology), shall have poison or toxin detecting or analysing facility to study various poisons or toxins or food contaminants.

23. Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology) Department.- (1) In the college Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology) Department shall have Noi Naadal Noi Mudhal Naadal practical laboratory with adequate facilities as mentioned in the **Eleventh Schedule** for the students to pursue practical training as per the syllabus.

(2) The clinical or pathology laboratory of the attached teaching hospital shall not be considered as a Noi Naadal Noi Mudhal Naadal practical laboratory.

24. Nutrition laboratory.- Nutrition laboratory under the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health), with all minimum requirements as mentioned in the **Thirteenth Schedule** to analyse the nutritional value of diet, culinary medicine, and functional foods as per the list of practicals prepared by the department based on the syllabus.

25. Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear Nose Throat, Dentistry and Dermatology) Department.- The Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear Nose Throat, Dentistry and Dermatology) department shall maintain specimens in the museum cum tutorial room like gall stones, renal stones, tumours, etc. for teaching purposes.

26. Clinical Skill or Simulation Laboratory.- (1) Each Siddha Medical College or institution shall have a minimum constructed area of 125 square meters, 200 square meters, 275 square meters and 350 square meters for 60, 100, 150 and 200 students intake capacity respectively, as specified in the **Second Schedule** and shall be equipped with manikins or simulators as specified in the **Fourteenth Schedule**.

(2) The virtual or augmented reality facility may also be provided for effective teaching and training.

(3) The Clinical Skill or Simulation Laboratory shall have a proper storage facility for manikins, simulators, and other training materials or equipment or devices.

(4) The clinical skill or simulation laboratory shall accommodate the coordinator, office assistant provided with an adequate space, and attendant.

(5) There shall be an office and seating arrangement for staff, demonstration cum practice rooms mentioned in **Table** below to sub-regulation (6) and all demonstration cum practice rooms shall be equipped with smart board and other suitable audio-visual equipment or gadgets.

(6) There shall be a reception, a record-keeping facility, and shoe racks at the entrance with enough slots.

TABLE

Minimum Essential Requirements for Clinical Skill or Simulation Laboratory

Sl.No.	Students Intake Capacity	Demonstration cum Practice Rooms	
		Number	Capacity
(1)	(2)	(3)	(4)
1	60	1	Each demonstration cum practice room shall accommodate minimum 30 students
2	100	2	
3	150	3	
4	200	4	

27. Human Resource Development Cell.- (1) The Human Resource and Development Cell shall be with a minimum space of 130 square meters, 150 square meters, 170 square meters and 190 square meters for 60, 100, 150, and 200

students intake capacity, respectively, and the minimum break-up space for workshop area, office, store, circulation area and toilets as mentioned in the **Second Schedule**.

(2) The Human Resource Development cell shall serve as a Medical Education Technology Training Unit or Quality Input Programme Unit for teachers and an orientation cum training unit for medical, paramedical, technical, administrative, and supportive staff of the institution.

(3) The Human Resource Development Cell shall have an office with adequate space to accommodate the coordinator, office assistant and attendant.

(4) The Human Resource Development Cell Hall or Room shall be suitable for conducting workshops with a seating capacity of minimum 30 participants and be equipped with adequate furniture.

(5) The Human Resource Development Cell Hall or Room shall be equipped with an audio-visual system, multimedia projector or smart interactive board, computer, laptop, wireless fidelity connectivity, laptop charging points for participants, printer, copier, photographing facility, and video recording facility to develop e-teaching contents.

(6) The Human Resource Development Committee, comprising a chairman (the head of the institution- Principal or Dean or Director), a coordinator (Professor or Associate Professor), and members (one teaching faculty member from each professional, a medical superintendent or deputy medical superintendent and one person from administration or human resource department), shall be constituted by the institution, which shall plan, execute, and monitor the activities of Human Resource Development Cell. The committee may co-opt any expert or any other member as required.

(7) The term of the committee shall be two years, or as per institutional policies.

(8) The Committee shall identify the skills, techniques, or knowledge that are to be trained or oriented as per the guidelines issued by the National Commission for Indian System of Medicine for each category of employees, prepare the schedule, and announce and implement it accordingly.

(9) Category of employees of a Siddha Medical College and attached teaching hospital shall be as follows:-

(a) teaching staff, physical education instructor, yoga instructor, and library staff;

(b) administrative staff;

(c) nursing staff and lab technicians;

(d) therapists in Varmam, Puramaruthuvam, and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) therapy sections;

(e) technical staff, namely, information technology, electrical, plumbing, and other staffs;

(f) cook in the hospital kitchen (pathya unavu) including instant medicine preparation section;

(g) supportive staff, namely, gardener, drivers, security personnel, and other staff;

(h) menial staff, Group D, housekeeping, multi-tasking staff, attendants and other staff.

(10) The Human Resource Development Cell shall be provided with staff as specified in the **Sixth Schedule** for the smooth functioning of Human Resource Development Cell including planning of requirements, recruitment methodology and criteria, induction, training, and development.

(11) The technical support for operating multimedia projector and other Information and Technology related activities shall be obtained from the institutional Information and Technology cell.

(12) The Human Resource Development Cell ensures 360-degree approach and inclusive development of the institution by upscaling the skill of the employees through capacity building orientation and training.

28. Research and Innovation Cell.- (1) The Research and Innovation Cell shall have a room with minimum of thirty square meters as mentioned in the **Second Schedule** with adequate furniture and document storage facility.

(2) This cell facilitates activities such as innovation, incubation, research, documentation, publication, entrepreneur development and training and intellectual property rights.

(3) The college shall constitute Institutional Research and Innovation Committee with a coordinator, and members (coordinator for Research, Publication, and intellectual property rights, three faculty members, one from each professional and two students, one boy and one girl from each batch). The head of the institution (Principal or Dean or Director) shall be the chairman of the committee.

(4) The coordinator of the Research and Innovation Cell (a senior faculty, known for visionary and creative activity) shall be the coordinator of the Institutional Research and Innovation Committee.

(5) The Institutional Research and Innovation Committee shall identify or invite the innovative ideas from students, teachers and other staff of the college and facilitate to incubate or nurture the ideas and to translate to useful products or outcome.

(6) Innovations may be in teaching, training, diagnostics, therapeutic equipment, surgical equipment, dosage forms, technology, software, apps, assessment scales and other equipment.

(7) The coordinator of the Research and Innovation Cell shall have been undergone training conducted by the National Commission for Indian System of Medicine or as specified by the commission. If not, he or she shall undergo the same within a period of six months of the appointment as coordinator.

(8) Coordinator for Research, Publication and Intellectual Property Rights.- A faculty member of the college familiar with research, publication and Intellectual Property Rights or who have undergone training on these aspects shall be nominated as Coordinator.

(9) Every institution shall develop institutional policy to support activities related to innovation, incubation, research, publication, intellectual property rights, disbursement of research grants, research incentives, publication incentives, and other matters.

(10) The policy must be oriented to all stakeholders and developed implementation and monitoring mechanism.

29. Co-Curricular and Extra-curricular activities.- (1) The Institution shall provide adequate facilities for conducting of co-curricular and extra-curricular activities.

(2) Activities may include:

(a) physical education;

(b) recreational;

(c) National Service Scheme;

(d) activities of various clubs such as science club, environment club, fine Arts club, sports club, literary club, Tamil Language club, photography club, adventures club, animal lovers club, etc;

(e) community outreach programme;

(f) medical camps or village adoption or health awareness programme;

(g) field visit or survey;

(h) conducting seminar, workshop, brainstorming, symposium and other activities.

30. Common rooms for students.- Two common rooms, one for boys and one for girls separately, shall be provided with a minimum total area of 100 square meters, 200 square meters, 300 square meters and 400 square meters for 60, 100, 150, and 200 student intake capacity respectively as mentioned in the **Second Schedule**, required to accommodate a minimum of 20 per cent. of students intake capacity and adequate seating arrangements and attached toilets, shall be made available.

31. Staff amenities.- (1) Two common rooms, one for male and one for female separately, for teaching staff, shall be provided with a minimum total area of 50 square meters, 60 square meters, 70 square meters and 80 square meters for 60, 100, 150, and 200 student intake capacity, respectively, as mentioned in the **Second Schedule** and adequate furniture, seating arrangements, attached toilets, drinking water and refreshment facilities shall be made available.

(2) Adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for teaching staff, male and female, for non-teaching staff, male and female, shall also be provided in each floor.

(3) Sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

32. Student amenities.- (1) The institution shall make facilities like transportation, Bank or Automated Teller Machine, playground indoor and outdoor games, stationery store, cafeteria and other facilities.

(2) The institution shall provide adequate numbers of toilets at appropriate and easily accessible places in each floor separately for male and female students.

(3) The institution shall provide sanitary napkin dispenser and incinerator in female toilets.

33. Hostels.- (1) There shall be separate hostels for boys, girls and intern-boys and intern-girls in the campus with adequate accommodation, furniture, reading room, recreational facility, attached bath and toilet facility and security.

(2) Apart from college canteen mentioned in regulation 34, hostel may also maintain a separate mess if required.

(3) Interns to be provided separate hostels, preferably near the hospital, to perform assigned clinical duties conveniently.

(4) The colleges established before notification of these regulations, may continue the hostels in the campus or outside campus or in outsourced building.

34. Canteen.- (1) The institution shall make available canteen facility with sitting arrangement for about 100 persons for 60 and 100 students intake capacity and sitting arrangement for 200 persons for 150 and 200 students intake capacity and the minimum space required for the canteen shall be as specified in the **Second Schedule**, that is, 100 square meters for 60 students intake capacity, 150 square meters for 100 students intake capacity, 200 square meters for 150 students intake capacity and 250 square meters for 200 students intake capacity.

(2) If the college and hospital are on the same campus in such a case, the institution shall make available a common canteen, or if the hospital is on a separate campus, a separate canteen on hospital premises shall also be made available.

(3) The canteen shall have separate sections for teaching staff including consultants of the hospital.

35. Herbal Garden.- (1) The Colleges shall have a well-developed medicinal plant garden with minimum area of 2500 square meters for 60 students intake capacity and 4000 square meters for 100, 150 and 200 students intake capacity with demonstration room under the Department of Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) as mentioned in the **Third Schedule** and it shall have minimum two hundred and fifty species of medicinal plants including common and rare or endangered species.

(2) The medicinal plants in the garden shall be labelled with Quick Response code to provide the details of medicinal plants including local name, vernacular name, botanical name, family name, identification points, medicinal properties and other matters.

36. Closed Circuit Television.- (1) Closed-circuit television cameras shall be installed at biometric attendance systems installed area, classrooms, library, digital library, practical laboratories, clinical skill or simulation laboratory, corridors, examination hall, entrance and exit of college and hospital, reception and registration zone, out-patient zone, and pharmacy of the hospital.

(2) Installation may be made in other areas as per the requirement of the institution.

(3) Cameras shall be high-resolution and capable of daytime and night-time recording.

(4) The Digital Video Recorder shall have the capacity to store the data for at least of three months.

37. College Council.- (1) Every Siddha Medical College or institution shall have a College Council comprising of the head of the Departments, medical superintendent or deputy medical superintendent as members, and the head of the institution (Principal or Dean or Director) as chairperson.

(2) The College Council shall meet four times in a year to draw up the implementation strategy of the curriculum and training programme, the enforcement of discipline, and other academic matters and shall keep records of the same.

(3) The College Council shall organise regular interdepartmental meetings like grand rounds, statistical review meetings, clinical meetings, and periodical research reviews in the institution.

(4) The College Council shall plan, review and upgrade academic, healthcare, research and co-curricular or extra-curricular activities of the institution, strategic planning and implementations, students' performance and improvisation.

(5) The College Council shall review the annual (January to December) academic events of the Siddha Medical College or institution and prepare the academic audit report of the institution as per the guidelines of the National Commission for Indian System of Medicine and the institution shall submit the academic audit report in the prescribed format and in such manner to the National Commission for Indian System of Medicine within the timeframe, specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

(6) The area of the room required for the college council shall be at least 50 square meters for 60 students intake capacity, 100 square meters for 100 students intake capacity, and 150 square meters for 150 and 200 students intake capacity, as specified in the **Second Schedule**.

(7) Academic Committee.- (a) the college council shall constitute an academic committee comprising a vice principal, deputy director, deputy dean, if any, or senior faculty member as chairperson and one faculty member from each department as a member;

(b) the academic committee shall specify the planning, execution, and monitoring of teaching schedules from time to time;

(c) the teaching schedule shall be integrative in nature and shall be announced one month before the commencement of academic year;

(d) the teaching schedule shall be hosted on the institutional website over the Learning Management System portal.

38. Student Council.- (1) There shall be a Student Council which shall have a room having an area of at least 20 square meters as mentioned in the **Second Schedule** with adequate seating capacity, storage facility to maintain files shall be made available.

(2) The Student Council is the representative body of the student community of the college or institution, and it shall be a group of ambitious, hardworking, and dedicated students working together with a faculty advisor to provide a means for expression and assistance in college affairs, conduct various programme or institutional fest or activities, give opportunities for student experience in leadership and encourage student or faculty or community relations.

(3) The Student Council may make suggestions to the head of the institution (Principal or Dean or Director) in respect to welfare of students, discipline, hostel management, arts and sports, student's health, social activities, working of library, co-curricular and extra-curricular activities and other matters.

(4) The Student Council shall communicate its views, observations, and recommendations to head of the institution (Principal or Dean or Director) in respect to student concern matters through Student Welfare Officer (faculty member nominated by the institution).

(5) The Colleges shall constitute Student Council by selection process or as specified by the affiliated university.

(6) Institution shall have to develop policy for functionality the student council.

(7) Until guidelines are made by the university, the composition of the Student Council shall be as under:

(a) Chairman;

(b) Secretary; and

(c) Members (class representatives of all batches, literary club secretary, fine arts club secretary, sports club secretary, science club secretary, secretary of any other club, National Service Scheme representative, and additional member as per requirement).

39. Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell. - (1) Every Siddha Medical College or institution shall have Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell which is intended to support, guide and encourage students in academic, scholastic, social, emotional, personal, career development, and placements.

(2) Distinct care shall be given for new batch of students to become as confident professional, and to overcome academic learning related difficulties that they face in the initial phase of their undergraduate programme.

(3) Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell shall identify various opportunities for higher education and placements and advice the students accordingly.

(4) The Cell orients the students in preparation of various competitive examinations and to face interviews.

(5) The Siddha Medical College or institution shall constitute Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell as per the guidelines of the affiliated university.

(6) Until such guidelines are made by the University, the cell constituted by the college shall be constituted as follows:

(a) convener: a senior faculty; and

(b) members;

(i) three faculty members (one faculty from each professional, at least one female);

(ii) two student representatives (one male and one female) from each batch;

(iii) two representatives from Parent-Teachers Association.

(7) The Siddha Medical College or institution shall have the policy on the functionality of the Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell.

(8) The area for Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell shall be at least 25 square meters as mentioned in the **Second Schedule**.

40. Grievance Redressal Cell.- (1) The Siddha Medical College or institution shall establish Grievance Redressal Cell and constitute Grievance Redressal Committee.

- (2) There shall be complaint or suggestion boxes appropriately labelled including the details of next opening and shall be kept at appropriate places of the institution.
- (3) The complaint or suggestion box shall be periodically opened by the Grievance Redressal Committee, a record of complaints or suggestions, action taken report and the outcome shall be maintained.
- (4) The Siddha Medical College or institution shall have the policy of constitution of Grievance Redressal Committee and its functionality.
- (5) The Grievance Redressal Cell may use Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell room as a common facility for meetings and have separate almirah to keep related files and documents separately.

41. Pharmacovigilance Cell.- (1) Every Siddha Medical College or institution shall have an established Pharmacovigilance Cell having at least twenty square meters area as mentioned in the **Second Schedule**. The cell will function in association with the Regional or National or Central Pharmacovigilance Cell.

(2) The composition of pharmacovigilance cell shall be as under:

- (a) one senior faculty member from Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) or Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) or Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamumam (Forensic Medicine and Toxicology) as a coordinator;
- (b) one faculty member from each department of Maruthuvam (Medicine), Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose and Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), and Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) as members.

(3) The committee shall meet once in two months, identify adverse drug reactions and other related issues, analyse and report to the Regional or National or Central Pharmacovigilance as per the procedure.

42. (1) Committee against sexual harassment of Woman.- (a) every Siddha Medical College or institution shall have an Internal Complaint Committee against sexual harassment of women and it is mandatory as per Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013) for the creation of safe, equitable and inclusive campus environment;

(b) the Internal Complaint Committee shall deal the complaint or grievance pertaining to sexual harassment, sexual misconduct, and sexual assault committed by students, faculty staff and other staff and visitors on campus and shall create awareness on sexual harassment;

(c) the Committee shall ensure that there are confidential procedures are followed in receiving and handling of complaints;

(d) the Internal Complaint Committee shall be constituted as per University Grants Commission (Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women Employees and Students in Higher Educational Institutions) Regulations, 2015 and the responsibilities of the committee, process of making complaint and conducting enquiry, interim redressal, punishment, and compensation etc shall be as per related guidelines;

(e) committee against Sexual Harassment of the institution may use Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell room as a common facility for meetings and have separate almirah to keep related files and documents separately.

(2) **Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad.-** (a) ragging is a criminal offense. To curb the menace of ragging, it is mandatory for the college or institution to constitute an Anti-Ragging Committee and an Anti-Ragging Squad as per the University Grants Commission Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions Regulations, 2009 for vigilant monitoring and ensuring a safe environment for the freshers;

(b) the duties and responsibilities of the anti-ragging committee and squad, measures to be taken by the institution for prohibition and prevention of ragging, monitoring, and counselling mechanisms, complaining and reporting procedures, punishments, consequences in case of non-compliance etc, shall be as per the regulations as mentioned in (a) and related guidelines, circulars, communications as specified by University Grants Commission and the Commission from time to time.

43. Internal Quality Assurance Cell.- (1) Every Siddha Medical College or institution shall have Internal Quality Assurance Cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the institution.

(2) The composition of Internal Quality Assurance Committee shall consist of:-

- (a) the head of the institution (Principal or Dean or Director)- Chairperson;
- (b) medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent- Member;
- (c) three senior faculties (one from each professional course)-Members;
- (d) senior administrative staff (one from the college and one from the hospital)- Members;
- (e) one external expert on quality management- Member; and
- (f) a senior faculty member- Member secretary.

(3) The members and member secretary as mentioned in (c), and (f) shall be nominated by the head of the institution (Principal or Dean or Director).

(4) The membership of nominated members shall be for a period of two years from the date of constitution.

(5) The Internal Quality Assurance Committee shall meet once in quarter.

(6) Main functions of Internal Quality Assurance Cell are:-

- (a) development and application of quality parameters for various academic, clinical and administrative activities of the institution;
- (b) facilitating the creation of a learner-centric environment;
- (c) arrangement for 360-degree feedback on quality related institutional process;
- (d) sensitisation of stakeholders regarding quality assurance;
- (e) organisation of various quality input programmes;
- (f) documentation of all activities of the college leading to quality improvement;
- (g) coordinating quality related activities and dissemination of best practices; and
- (h) development of data-base.

(7) The Internal Quality Assurance Cell shall be a dynamic system for quality changes in the institution.

44. Human Resource (Minimum Requirement of Staff for College).- (1) There shall be at least of 30, 45, 69, and 89 full-time teachers appointed on a regular basis for 60, 100, 150, and 200 students intake capacity, respectively, with the addition of one part-time Biostatistician to teach Research Methodology and Medical Statistics, full-time yoga instructor (one yoga instructor for the 60, 100, and 150 students intake capacities, and two yoga instructors, that is, one male and one female, for the 200 students intake capacity), and one full-time physical education instructor or trainer as specified in the **Fifth Schedule**.

(2) The Biostatistician shall be with the minimum qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 and shall be working in the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health).

(3) The Physical education instructor shall be at least a bachelor's degree holder in physical education.

(4) The yoga instructor shall have at least qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022.

(5) The yoga instructor shall be working in the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) and shall serve in both the college and hospital.

(6) The head of the institution (Principal or Dean or Director) of each Siddha Medical College or institution shall undergo the orientation programme on Educational Administration conducted by the National Commission for Indian System of Medicine within the period specified by the Commission and it is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution. Failing which he or she shall not be considered for the post of head of the institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(7) The minimum number of non-teaching staff (technical and other staff) in various units or sections or departments of the college and their educational qualifications shall be as per the details specified in the **Sixth Schedule**.

(8) There shall be at least 46, 48, 66 and 72 non-teaching staff appointed on regular basis for 60, 100, 150 and 200 students intake capacity respectively.

45. Teaching days.- (1) The attendance of teaching staff shall be assessed in terms of teaching days.

- (2) Teaching days shall be calculated individually for every teacher and cumulatively for all teachers in the institution.
- (3) Teaching days shall be calculated as follows:-
- (a) 'Period of Calculation' shall be considered as the twelve months preceding the month of visitation or assessment;
- (b) working days of a teacher shall be considered from the attendance (biometric or Aadhaar enabled biometric or iris recognition or face recognition or any other as specified by the National Commission for Indian System of Medicine) available at the central server;
- (c) working days of an institution shall be considered as the total number of days in that particular assessment period minus official holidays of that period;
- (d) the holidays notified by the Central and State Governments and the holidays declared by the District Collector shall only be considered holidays;
- (e) the college shall have to upload any local official holidays etc., with a proper document within ten days of the declaration of the holiday in the manner as specified by the National Commission for Indian System of Medicine;
- (f) no request shall be considered after ten days;
- (g) data available on the central server shall only be considered for the calculation of individual teaching days as well as cumulative teaching days for the institution;
- (h) "Individual teaching days" are calculated based on the number of days a teacher attended the duties of the college as a full-time teacher during the period of calculation and the number of working days the teacher was attached to the institution during the period of calculation;
- (i) individual teaching days are calculated as per the formula given below:

Number of days attended the college as full-time teacher	X	100
Number of working days in the period the teacher attached to the institution		

- (j) every teacher shall have to attend at least 75 per cent. of working days as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022, and continuous absence for the rest of 25 per cent. from the teaching shall not be permitted except maternity leave and medical leave for prolonged illness;
- (k) the National Commission for Indian System of Medicine may constitute a Medical Board to examine and verify prolonged medical leave, if it is necessary;
- (l) the cumulative teaching days of the institution are calculated as per the below mentioned formula:

Total working days attended by all the teachers during the assessment period*	X	100
Total number of working days of all teachers of the institution during the assessment period#		

Explanation.-

* Total working days attended by all the teachers during the assessment period may be calculated by adding the individual attendance of all teachers;

Total number of working days of all teachers of the institution during the assessment period may be calculated by multiplying the number of working days in that assessment period by the minimum number of teachers specified for that particular student intake capacity. For example, if 30 teachers were present in the college for the entire period of assessment and the working days were 300 days for that assessment period of twelve months, then the total working days would be: 30X300=9000.

46. Relieving and replacement of teaching staff.- (1) The teaching staff shall be relieved on resignation as per the terms and conditions in the appointment order or within the notice period of a maximum of thirty days, whichever is less, except in the case of teachers with pending legal issues.

(2) The Siddha Medical Colleges withholding the staff beyond the specified period and not issuing a relieving order and experience certificate shall be liable for disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

- (3) If the teacher gets a Government appointment, he or she shall be relieved as per his or her request.
- (4) In the case of teaching staff relieved from the institution, the institution shall replace the vacant post with an eligible teacher within three months from the date of relieving the teacher. In the event of a delay in appointment, the college shall be penalised three times the minimum salary per month or as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian system of Medicine for each month of the delayed period.
- (5) The period of delay shall not be more than three months.
- (6) The delay beyond three months shall be treated as non-appointment.
- (7) The provision of three months' time for the appointment of teaching staff shall not be applicable in cases of vacancies due to the retirement of a teacher.

47. Experience of consultants and teaching staff for the period before the issue of letter of permission.-

- (1) Calculation of experience of the teaching faculty that- (a) if the teacher joined after receiving letter of intent, the teaching experience shall be counted from the date of joining;
 - (b) if the teacher joined before receiving the issuance of letter of intent, the teaching experience shall be counted from the date of issue of the letter of intent.
- (2) Calculation of experience of consultants that- (a) for the period prior to receiving the letter of intent, the teaching experience shall be counted for the period of actual work, up to a maximum of two years;
 - (b) if joined after receiving the letter of intent, experience shall be counted from the date of appointment.

48. Penalty etc.- The colleges involved in any malpractice with the payment of salary to teaching and other staff shall be penalised or initiated disciplinary action as per the recommendations of the disciplinary committee of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

49. Deputing teaching staff.- (1) The college or institution shall depute the staff on official duty under the following conditions, namely:

- (a) in cases of official assignment by the Commission or its autonomous boards;
 - (b) in the event that the Commission is conducting any training programme or capacity building programme or any other such programmes and if indicated to delegate the staff for such programmes.
- (2) In such cases, on-duty leave shall be sanctioned for the duty days specified in the official communication of the Commission, along with the days of travel.

CHAPTER-IV

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR AN ATTACHED TEACHING HOSPITAL

50. Attached teaching hospital in general.- (1) A fully functional teaching hospital attached to the Siddha Medical College or institution, fulfilling all the minimum essential standards as specified by the National Commission for Indian System of Medicine, shall offer clinical training to medical students and provide medical services including consultation, diagnosis (clinical and investigational), treatment (medical, procedural, and surgical), preventive health care, medicine dispensing, medical advice, counseling, nursing care, emergency care, public outreach activities, with proper documentation, and maintain hospital management systems. All related expenses shall be reflected in the official bank account of the hospital, and the hospital shall be ready to treat or attend any type of patient at any point in time with its manpower and infrastructure.

- (2) The teaching hospital shall fulfil all the statutory requirements of the concerned State, Union territory, or local authority to establish and run the hospital and submit updated copies of such permission or clearance to Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.
- (3) The concerned State or Union territory shall issue the No Objection Certificate or Essentiality Certificate to such applicant colleges after verifying the availability of such permission or clearance.
- (4) The attached teaching hospital shall be easily accessible to patients, and there shall be provision for free vehicular movement, including ambulances.
- (5) All entries and exits of the hospital shall be clearly demarcated and displayed appropriately.
- (6) There shall be proper and adequate parking facilities.
- (7) The entire hospital, including all entrances and exits, shall be wide enough and barrier-free for easy movement for non-ambulant (wheelchair, stretcher), semi-ambulant, visually impaired, and elderly persons.

- (8) All the corridors of the hospital should have a minimum width of eight feet to ensure easy movement and turning of stretchers.
- (9) Irrespective of the availability of staircases, escalators, or lifts, there shall be a ramp connecting all floors.
- (10) The ramp also must be at least eight feet wide with properly curved turning points to facilitate the free movement of the stretcher.
- (11) There shall be disabled-friendly toilets for males and females separately.
- (12) All the doors of toilets and bathrooms are to be openable to the outside to rescue the patients in case of emergencies.
- (13) There shall be a centralised announcement system connected to the entire hospital for emergency announcements and alerts.
- (14) The entire hospital shall be connected telephonically, and each unit shall have an intercom facility.
- (15) The entire hospital shall have a proper fire safety and fire extinguishing system.
- (16) Disaster prevention and disaster management measures shall be in place.
- (17) The attached teaching hospital shall make available cold and hot drinking water facilities and an adequate number of toilets for male and female (separately for patients, hospital staff, medical students, interns, doctors, and consultants) at appropriate places in the hospital.
- (18) The entire hospital shall have clear signage in at least two languages, including one in the local language, with appropriate pictorial displays.
- (19) Trained security should be deployed at appropriate places for the hours required. The details about patients' rights, responsibilities, and legal aspects of attacking medical professionals on duty shall be displayed in prominent places.
- (20) For the administrative purpose the hospital shall be divided into Reception and Registration Zone, Out-Patient Department Zone, Diagnostic Zone, In-Patient Department Zone, Procedural Management Zone, Administrative Zone and Service Zone.

51. Reception and Registration Zone.- (1) The Reception and Registration Zone shall have area at least 100 square meters for 60 students intake capacity, 150 square meters for 100 students intake capacity, 200 square meters for 150 students intake capacity, and 250 square meters for 200 intake capacity of the students as per the **First Schedule** and this zone shall accommodate reception and enquiry counter, registration and billing counter, medical record room, entrance lobby and circulation area etc.

- (2) (a) the attached teaching hospital shall make available **reception counter and enquiry counter** in a prominent place at the entrance of the hospital;
- (b) the receptionist must be preferably multi-lingual and well versed with all the services of the hospital, department or specialty-wise consultants and their days of out-patient departments, days and timings of availability of hospital services and other services;
- (c) the counter shall have a computer system with updated information on hospital services and a telephone connection with a call transfer facility;
- (d) the counter shall have a space for the Public Relations Officer, if any; and
- (e) a suggestion box, complaint box, or feedback box shall be provided in the counter area.
- (3) (a) there shall be an adequate number of registration and billing counters with waiting areas for central Out-Patient Department registration for new patients or clients, renewal of registration for old patients or clients, central In-Patient Department registration and admission, and billing and payments;
- (b) there shall be a computerised central registration system that facilitates the National Commission for Indian System of Medicine monitoring of real-time data;
- (c) If, the National Commission for Indian System of Medicine recommends any hospital management system or hospital information management system, the attached teaching hospital shall shift to the recommended software; and
- (d) the Hospital Management System or Ayush-Hospital Management Information System must be aligned with the National Ayush Morbidity and Standardised Terminologies Electronic Portal developed by Central Council for Research in Ayurvedic Sciences.

- (4) (a) all the medical records belonging to Out-Patient Department and In-Patient Department patients shall be maintained in medical record room by the hospital;
- (b) the hospitals that are not fully computerised shall maintain all medical records in physical form, and there shall be a medical record technician to maintain medical records;
- (c) the maintenance of physical records is not required, in fully computerised hospitals;
- (d) the hospital shall maintain department-wise case records of Out-Patient Department patients, In-Patient Department patients, laboratory, radiological or sonographic investigation reports, medicine dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, Varmam, Puramaruthuvam, and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) therapy section register, labour room register, operation theatre and minor operation theatre register, pharmacy stock register, medicine indent register, duty roster of hospital staff, birth or death certificate, and other records., so as to prove the genuine functional Siddha hospital fulfilling the norm as specified in sub-regulation (19) of regulation 52 and sub-regulations (16) and (17) of regulation 54; and
- (e) the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health), may access and analyse the hospital data from an epidemiological perspective.
- (5) (a) entrance lobby shall have an adequate number of seatings, provision for keeping wheelchairs and stretchers;
- (b) there shall be an adequate circulation area for free movement of medical, paramedical, and supportive staff, patients, students, interns, visitors, and for other purposes.

52. Out-Patient department Zone.- (1) The Out-Patient department Zone shall have constructed area of at least 400 square meters for 60 students intake capacity, 600 square meters for 100 students intake capacity, 800 square meters for 150 students intake capacity, and 1000 square meters for 200 students intake capacity as per the **First Schedule**

(2) The Out-Patient department Zone shall consist of Screening Out-Patient departments, department wise Out-Patient departments and their associated units, specialty Out-Patient departments, an online consultation facility, the office of the out-patient departments zone in-charge, a drug store or pharmacy or dispensary, a patient waiting area, an area for breast feeding, a store, a drinking water facility, separate male and female toilets for patients and staff and other facilities, with minimum space as per the **First Schedule**.

(3) Any senior faculty member from the Out-Patient Departments side authorised by the head of the institution (Principal or Dean or Director) shall be In-charge of the Out-Patient Department Zone.

(4) Out-Patient Department consultation room shall have adequate space and seating arrangement for preliminary consultation by interns and consultation by consultants and shall be equipped with an examination table with footstep stool, medical instruments and equipment, furniture, and other facilities, as specified in the **Twentieth Schedule**.

(5) Every Out-Patient Department consultation room shall have adequate space and furniture, preferably two interconnected chambers, one for preliminary consultation by interns (history taking, recording vital data, and examination) and the other for consultation by consultants.

(6) The hospital shall have a minimum of nine Out-Patient Departments, namely, Screening Out-Patient Department, Maruthuvam (Medicine), Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health), Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), and Avasara Maruthuvam (Emergency Medicine or Casualty).

(7)(a) every newly registered patient (except patients of emergency) shall be screened at the screening out-patient Department as per the institutional screening criteria and directed to the respective Out-Patient Department for consultation;

(b) the screening system shall facilitate patient consultation with the appropriate Out-Patient Department;

(c) screening shall be carried out by trained persons in case of colleges under establishment and by interns in the case of fully established colleges;

(d) screening criteria shall be developed by each Siddha institution in accordance with departmental Out-Patient Departments and existing Specialty Out-Patient Departments and shall be implemented after proper orientation and training for the concerned;

- (e) at the Screening Out-Patient Departments, the chief complaint, height, weight, body mass index, blood pressure, temperature, naadi nadai parisathanai (pulse reading), yakkai ilakkanam (temperament) and other basic parameters shall be recorded; for pulse reading, any reliable equipment or device is available that may be used;
- (f) an adequate number of screening counters in accordance with the patient flow shall be made available, that is, at least two counters for 60 and 100 students intake capacity, three for 150 students intake capacity and four for 200 students intake capacity;
- (g) the attached teaching hospital shall provide for each counter, a computer linked with hospital management software and instruments and equipment as per the **Twentieth Schedule**;
- (h) there shall be a token system for Out-Patient Department consultation, and patients or clients shall be directed to the respective Out-Patient Department by quoting the Out-Patient Department number;
- (i) the Screening Out-Patient Department shall provide opportunity for the first and second professional Bachelor of Siddha Medicine and Surgery students for early clinical exposure; accordingly, the teaching hospital shall provide adequate seating arrangements for the students;
- (j) as the clinical exposure and clinical training are different; the clinical exposure to the students for getting acquainted with the clinical atmosphere and to get trained in examinations of vital signs, body temperament and other matters; clinical training to the students shall train them in clinical diagnosis, correlation between diagnostic investigations and disease and treatment of the disease; and
- (k) the Screening Out-Patient Department shall function independently under the administrative control of the Resident Medical Officer or Deputy Medical Superintendent or designated Out-Patient department Zone In-Charge.
- (8) Maruthuvam (Medicine) Out-Patient Department shall function under the Department of Maruthuvam (Medicine), patients with general complaints or conditions as per the institutional screening criteria shall be required to consult the Maruthuvam (Medicine) Out-Patient Department.
- (9) (a) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Out-Patient Department shall function under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine);
- (b) patients with specific conditions, needs varma therapy, puramaruthuvam (external treatment), yoga maruthuvam (yoga therapy), kayakarpam or rejuvenation therapy, psychiatric therapy, and other special treatments as per the institutional screening criteria, shall be made to consult the Out-Patient Department;
- (c) other Out-Patient departments and Speciality Out-Patient Departments (if any) may refer the patients to the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Out-Patient department based on the need of such treatments;
- (d) in case of referral, the consultants of the Out-Patient Department shall work in coordination with the consultant who referred the case to the department; and
- (e) the Out-Patient department shall be attached with minor therapy or procedure room with adequate facilities to provide Out-Patient Department based varmam therapy, external therapy, special medicine, puramaruthuvam including thokkanam and other special treatments.
- (10) (a) the Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) Out-Patient Department shall function under the Department of Aruvai, Kan, Kaathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology);
- (b) if patients with specific conditions, needs aruvai (surgical) or agni (thermal) or karam (alkali or caustic) treatments, conditions related to kan (eye), kaathu (ear), mookku (nose), thondai (throat), pal (teeth), and thol (skin) as per the institutional screening criteria shall be referred to the Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology) Out-Patient Department; and
- (c) the Out-Patient Department shall be attached to a minor procedure room to carry out Out-Patient Department based minor surgical and parasurgical procedures.
- (11) (a) the Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Out-Patient Department shall function under the Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology);
- (b) ante-natal, natal, post-natal, and gynaecological problems as per institutional screening criteria, consult the Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Out-Patient Department; and

(c) the Out-Patient Department shall have an attached examination cum minor procedure room with toilet facility.

(12) (a) the Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Out-Patient Department shall function under the Department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics);

(b) paediatric patients (up to the age of eighteen years) with general complaints as per institutional screening criteria, shall be required to consult the Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Out-Patient Department; and

(c) there shall be adequate facilities for providing Siddha immune-boosting medicines and immunisation or vaccination.

(13) (a) the Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) Out-Patient Department shall function under the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) and this Out-Patient Department caters to the needs of people in terms of diet, lifestyle management, preventive and promotive healthcare and public health;

(b) Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department shall issue (Noi Anugavidhi Ozhukkam Health Card) through which yaakkai (body constitution or temperament) and muththathu based personalised or customised thinaï ozhukkam (geo-specific regulations), naal ozhukkam (day-wise regulations), kaala ozhukkam (season wise regulations), seasonal cleansing methods, unavu murai (diet), lifestyle modifications, occupational health, exercise, yoga, preventive measures and other procedures shall be prescribed;

(c) this Out-Patient Department shall not entertain any patients for prescribing medicines and treatment procedures;

(d) patients belonging to any other Department may be referred to the Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) Out-Patient Department for consultation on preventive or promotive healthcare, lifestyle and diet regulations, exercise, yoga and other procedures;

(e) the services of the consultants of the Out-Patient Department may be utilised in In-Patient Departments to provide advice in the perspective of diet and lifestyle management, preventive and promotive healthcare measures, and other related matters;

(f) the Out-Patient Department shall advise Siddha preventive or promotive or prophylactic medicines and measures in case of seasonal or epidemic outbreaks; and

(g) the Department may provide vaccination facility in coordination with the department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics); and

(h) the Out-Patient Department shall have cubicles at least 1, 2, 3, and 4 cubicles for 60, 100, 150, and 200 students intake capacity, respectively, for counselling purposes.

(14) (a) the Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) Out-Patient Department shall function under the Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology); and

(b) patients with poisonous conditions such as poisonous bites or stings, idumarunthu intoxication, toxic manifestations due to poruntha unavu (incompatible food), toxic symptoms or adverse effects due to drugs, and other conditions, as per institutional screening criteria, consult the Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) Out-Patient Department.

(15) (a) the Avasara Maruthuvam (Emergency Medicine or Casualty Unit) shall function under the Department of Maruthuvam; services of the consultants from other departments of the hospital shall be utilised as per the need;

(b) the emergency medicine or casualty unit shall function twenty-four hours and there shall not be any holiday for emergency medicine or casualty unit;

(c) there shall be observation beds, and such beds shall not be counted as In-Patient Department beds. The observation beds shall have at least two for 60 and 100 students intake capacity, three for 150 students intake capacity, and four for 200 students intake capacity;

(d) the Resident Medical Officer, Resident Surgical Officer and Emergency Medical Officer shall be posted round the clock to attend emergency cases;

(e) the institution may appoint Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (M.B.B.S) qualified doctor if required to fulfil the state rules related to clinical practice;

(f) the Unit shall be equipped with instruments and equipment as per the **Twentieth Schedule**; and

(g) the service of medical specialists under modern medical staff as per the **Fourth Schedule** to be utilised.

- (16) (a) each Siddha Medical College or Institution may have Specialty Out-Patient Departments or clinics;
- (b) the attached teaching hospital may provide a speciality Out-Patient Department in the name of the concerned diseases and therapeutic procedures for any Siddha faculty member belonging to the Departments, namely, Maruthuvam (Medicine), Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health), who are interested in offering clinical services, and having experience and exposure on the concerned disease or therapeutic procedure;
- (c) the attached teaching hospital may also provide a speciality Out-Patient Department in the name of concerned diseases and therapeutic procedures for any Siddha faculty member belonging to the Departments, namely, Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine), Udal Koorugal (Anatomy), Udal Thathuvam (Physiology), Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology), Gunapadam Marunthakkaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics), and Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology), who are interested in offering clinical services, and having experience and exposure on the concerned disease or therapeutic procedure;
- (d) the Specialty Out-Patient Departments mentioned in clauses (b) and (c) shall function under any one of the following departments, namely Maruthuvam (Medicine), Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) in accordance with clinical relevance. The respective head of the Department shall be the administrative head of that particular Specialty Out-Patient Department, and the respective department shall maintain all the records; and
- (e) Specialty clinics or Specialty Out-Patient Departments shall be over and above the minimum requirement hence it shall not be accounted under minimum area requirement of the hospital.
- (17) (a) the institution shall provide an online consultation facility through teleconsultation platforms;
- (b) the Out-Patient Department section shall be under the administrative control of the Out-Patient Department In-charge; and
- (c) the attached teaching hospital display the availability of specialist consultants, along with timings for teleconsultation, on teleconsultation platforms and institutional websites.
- (18) (a) every Siddha Medical College and Hospital shall have Drug Store or Dispensary or Pharmacy;
- (b) a designated faculty member of the Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Department or an exclusively appointed person (with BSMS qualification and five years of experience in Siddha pharmacy or dispensary or drug store) shall be in-charge of the drug store or dispensary or pharmacy;
- (c) there shall be a hospital formulary duly approved by the Drug Procurement or Purchase Committee;
- (d) the Drug Procurement or Purchase Committee shall consist of the heads of the departments of Maruthuvam (Medicine), Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health);
- (e) the committee shall meet once every three months and refresh or update the formulary as required;
- (f) the attached teaching hospital shall procure medicines from Good Manufacturing Practice-certified pharmacies; medicines prepared for demonstration purposes or by students as part of a practical training in teaching pharmacy or practical laboratory shall not be dispensed to patients, as such medicines are not prepared under Good Manufacturing Practice and not subjected to quality control standards;
- (g) there shall be facilities for weighing, compounding, packing, and dispensing of medicines;
- (h) qualified and trained pharmacists, as specified in these regulations, shall dispense the medicines;
- (i) the attached teaching hospital shall maintain a proper record of the removal of expired medicines shall be maintained;

(j) the attached teaching hospital shall provide an adequate seating arrangement for the drug store in-charge, interns, and students;

(k) pharmacy shall provide the medical students with exposure to medicine, medicine prescription, medicine dosage, anupanam or adjuvant, compounding, dispensing, shelf-life, and other matters; and

(l) the drug store and dispensary shall be computerised.

(19) (a) the ratio of students with out-patient Department patients attendance shall be 1:2, and the minimum per-day average number of patients in Out-Patient Departments as per student intake capacity of the institution shall be as mentioned in **Table** below;

TABLE

Minimum Essential Requirement of Out-Patient Department Patients Attendance

Student Intake Capacity (1)	Minimum per day Average Number of Patients in Out-Patient Department during Last One Calendar Year (300 days) (1:2 Student-Patient Ratio) (2)
Sixty	120
Hundred	200
One hundred and fifty	300
Two hundred	400

(b) the Out-Patient Department patient attendance data for the last one calendar year shall be calculated based on the average number of Out-Patient Department patients for 300 days.

53. Diagnostic Zone.- (1) The Diagnostic Zone shall have the constructed area as per the **First Schedule** that is, at least, 150 square meters for 60 students intake capacity, 175 square meters for 100 students intake capacity, 200 square meters for 150 students intake capacity, and 225 square meters for 200 students intake capacity.

(2) The Diagnostic Zone shall function under the Department of Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology).

(3) The head of the Department of Noi Naadal Noi Mudhal Naadal or a faculty member of Noi Naadal Noi Mudhal Naadal authorised by the head of the institution shall be the administrative head of the Diagnostic Zone and authenticate investigatory reports by interpreting in terms of Siddha principles.

(4) The Diagnostic Zone shall consist of a clinical laboratory, an imaging section, other diagnostics like electrocardiogram, and instruments as mentioned in the **Eighteenth Schedule** and **Nineteenth Schedule**.

(5) The Diagnostic Zone shall have a patient waiting area with adequate seating arrangements, an area for sample collection and processing, a counter for the issue of reports and payments, an office for the Diagnostic Zone in-charge, a store, and toilets for male and female patients separately.

(6) There shall be a biomedical waste management system as per the Biomedical Waste Management Rules 2016.

(7) The clinical laboratory to be well equipped with separate sections for conducting haematology, biochemistry, microbiology, pathology, and immunology related tests.

(8) The imaging section shall comprise X-ray (preferably digital) and ultrasonography as mentioned in the **Nineteenth Schedule**.

(9) The radiology section shall be as per the standards laid down under Atomic Energy Regulatory Board.

(10) The imaging section shall have a dress changing room; seating arrangements for radiology staff shall be made available.

(11) There shall be a proper display of mandatory information like the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) etc.

(12) The attached teaching hospital shall provide a separate section for other diagnostics like Electrocardiogram, and other facility.

(13) Siddha diagnostic equipment or devices for conducting naadi-parisothanai (pulse assessment or reading), siruneer parisothanai (neerkuri and neikkuri), manikkadai nool (Siddha anthropometry by measuring wrist

circumference), yakkai ilakkanam (assessment of body constitution or temperament) and other facilities also be used as per the need.

54. In-Patient Department Zone.- (1) In-Patient Department Zone shall have at least constructed area as per the **First Schedule** that is, 1250 square meters for 60 students intake capacity, 2000 square meters for 100 students intake capacity, 2750 square meters for 150 students intake capacity, and 3500 square meters for 200 students intake capacity and accommodate In-Patient Department wards, concerned procedure rooms, nursing station, clinical classroom etc as mentioned in these regulations.

(2) There shall be Department-wise wards having in-patient beds not less than the specified number of beds for respective departments as specified in these regulations.

(3) There shall be a clear demarcation between male and female beds; the Institution shall provide separate toilets for male and female patients and their attendants, and hot water facilities for baths.

(4) Hot and cold water for drinking purposes shall be made available in all In-Patient Department wards.

(5) Every twenty beds shall have a nursing counter or station, be provided with seating arrangements for nurses and interns, an intercom facility, a medicine storage facility, a medicine compounding facility, medicine trolleys, a wash basin, a record-keeping facility, and other facilities.

(6) Every ward shall have designated places for trolleys and biomedical waste management facility.

(7) the attached teaching hospital shall provide accommodation for night duty staff, that is, nursing staff, interns, and doctors or consultants.

(8) the attached teaching hospital shall provide an emergency nurse call-bell arrangement at appropriate places in the general ward (male and female) and every bed in the special, semi-deluxe, deluxe wards, if any.

(9) There shall be cloth washing and drying facility or laundry facility for In-Patient Department patients.

(10) For administrative purposes, the departmental In-Patient Department wards shall be grouped and maintained as detailed below:

(a) **Medical In-Patient Department Section.-** In-Patient Department wards of Maruthuvam (Medicine), Varmam-Puramaruthuvam-Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), and Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) are to be grouped and maintained under the Medical In-Patient Department Section; The minimum area required for Medical In-Patient Department section shall be 750 square meters (60 students intake capacity), 1250 square meters (100 students intake capacity), 1750 square meters (150 students intake capacity) and 2250 square meters (200 students intake capacity) as mentioned in the **First Schedule**;

(b) **Surgical In-Patient Department Section.-** In-Patient Department wards belonging to the Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology), and Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) are to be grouped and maintained under the Surgical In-Patient Department Section; The minimum area required for Surgical IP section shall be 500 square meters (60 students intake capacity), 750 square meters (100 students intake capacity), 1000 square meters (150 students intake capacity) and 1250 square meters (200 students intake capacity) as mentioned in the **First Schedule**.

(11) Departmental In-Patient Department wards with the minimum number of beds as specified by the National Commission for Indian System of Medicine shall be grouped and maintained under the Medical In-Patient Department section and the Surgical In-Patient Department section separately with the concerned ward procedure rooms.

(12)(a) every In-Patient department ward shall have an attached concerned ward procedure room to perform minor ward procedures and attached kitchen for medicine preparation i.e. four Department wise ward procedure rooms under Medical In-Patient Department section and two procedure rooms under Surgical In-Patient Department section; the major treatment procedures shall be performed in the procedural management zone; and

(b) each procedure room shall be well-equipped with instruments, equipments, devices, consumables, and medicines to provide in-ward procedures as per the need of concerned department along with basic tools and equipment for clinical examination.

(13) All In-Patient Department beds of that particular clinical department with the concerned procedure room shall be in one place so that the ward procedures may be administered to the patients in a convenient and efficient manner.

(14) In case the hospital is maintaining different categories of beds, such as general ward (male and female), special ward, semi-deluxe, deluxe, and other categories to accommodate different categories of patients, all such

categories of beds shall be kept at one place with concerned procedure rooms under the aforesaid sections, that is, Medical In-Patient Department section and Surgical In-Patient Department section separately.

(15) the grouping of wards under Medical and Surgical In-Patient Department sections shall be for minimising the duplication of instrument, equipment and human resources and facilitating the departments to offer specialty-wise services to patients conveniently, efficiently, effectively, and economically.

(16) The In-Patient Department of the hospital shall have the distribution of beds (Department wise) as mentioned in the **Table** below.

TABLE
Minimum Essential Requirement of In-Patient Department Beds-Department wise

Department	Distribution	Students Intake Capacity and In-Patient Department Beds			
		60	100	150	200
Medical In-Patient Department Section					
Maruthuvam	25%	15	25	38	50
Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	25%	15	25	38	50
Kuzhanthai Maruthuvam	05%	03	05	07	10
Nanju Maruthuvam	05%	03	05	07	10
Surgical In-Patient Department section					
Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam	20%	12	20	30	40
Sool and Magalir Maruthuvam	20%	12	20	30	40
Total number of beds		60	100	150	200

(17) The ratio of students to the number of beds, and In-Patient Department bed occupancy shall be 1:1 and forty per cent. respectively, as given in **Table** below and the distance between two beds in general ward shall not be less than one and a half meter.

TABLE
Minimum Essential Requirement of Beds and Bed Occupancy

Students Intake Capacity Per Year	Minimum Number of Beds in In-Patient Department on 1:1 Student-Bed Ratio	Minimum Per Day Average Number of Patients in In-Patient Department During Last One Calendar Year (365 Days) (40% Bed Occupancy)
(1)	(2)	(3)
Sixty	60 beds	24
Hundred	100 beds	40
One hundred and fifty	150 beds	60
Two hundred	200 beds	80

(18) To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient.

(19) The bed occupied by a patient at midnight shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before midnight that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied x 100

Number of beds x Number of days

- (20) (a) (i) Maruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Maruthuvam (Medicine);
- (ii) the consultants of Maruthuvam and related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit patients in this ward;
- (iii) the head of the Department of Maruthuvam (Medicine) shall be the administrative head of the Maruthuvam In-Patient Department ward and Intensive Care Unit section;
- (iv) the patients of the emergency or casualty out-patient Department or unit, if necessary, may be admitted in Maruthuvam In-Patient Department ward by the Avasara Maruthuvam Pirivu (emergency or casualty unit) for further observation and treatment. Consultants from relevant Department will attend and care the patient as per the nature of clinical condition;
- (v) Maruthuvam (Medicine) In-Patient Department ward shall have a separate Intensive Care Unit section, air-conditioned and provided with two to four beds as per their requirement for admitting such cases, with oxygen, vacuum, compressed air outlets at each intensive care unit bed and with sufficient electric points;
- (vi) intensive care unit section in Maruthuvam In-Patient Department shall have similar facilities of casualty as specified in the **Twentieth Schedule**.
- (b) (i) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine);
- (ii) the consultants of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) and the related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (iii) the head of the department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) shall be the administrative head of the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) In-Patient Department ward;
- (c) (i) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology);
- (ii) the consultants of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) and the related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (iii) the head of the department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) shall be the administrative head of the Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) In-Patient Department ward.
- (d) (i) Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology);
- (ii) the consultants of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and the related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit the patients in this ward;
- (iii) the head of the department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) shall be the administrative head of the Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) In-Patient Department ward;
- (iv) new-born babies are to be taken care of by Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) consultants.
- (e) (i) Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics);
- (ii) the consultants of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) and the related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit patients in this ward;
- (iii) the head of the department of Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) shall be the administrative head of the Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) In-Patient Department ward.
- (f) (i) Nanju Maruthuvam In-Patient Department Ward shall be under the Department of Sattam Saarntha Maruthuvam Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology);
- (ii) the consultants of Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) and related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, are authorised to admit patients in this ward;

(iii) the head of the Department of Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) shall be the administrative head of the Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) In-Patient Department ward.

(g) (i) the consultants of Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) Out-Patient Department and related Specialty Out-Patient Departments or Clinics if any, under the Department of Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) are authorised to admit normal individuals in Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) In-Patient Department ward, to administer seasonal cleansing therapies, preventive or promotive healthcare therapies, and rejuvenation therapies;

(ii) the consultants of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) In-Patient Department shall treat the individuals as mentioned in clause (i) in consultation with the consultants of Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health);

(iii) Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) are not authorised to admit any kind of patient in In-Patient Department wards;

(h) teaching faculties of Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology) teaching Department may teach or train second professional students in In-Patient Department wards in respect of Siddha diagnosis and diagnostic tools and methods during allotted clinical hours or non-lecture hours under intimation to the concerned Head of the Department.

(21) (a) there shall be a minimum of three clinical classrooms attached to In-Patient Department wards (minimum two clinical classrooms for Medical In-Patient Department section and minimum one clinical classroom for surgical In-Patient Department section) with Information and Communications Technology enabled, interactive panel or board or smart board, multimedia projectors or Liquid-Crystal Display projectors, other advanced audio-visual systems, desktop or laptop and internet connection and other facilities;

(b) clinical classrooms shall have the capacity to accommodate a clinical batch size or minimum 30 students for the conduct of clinical classes or bedside clinics;

(c) each clinical classroom should have an examination table, an X-ray view box, and common diagnostic tools (stethoscope, blood pressure apparatus, thermometer, torch light, tongue depressor, measuring tape, skin marking pencil, knee hammer, etc);

(d) the clinical classroom attached to Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) and Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) under the Surgical In-Patient Department Section, shall have interactive Closed-Circuit Television connected to the operation theatre and minor operation theatre for live demonstration of surgical and parasurgical procedures.

55. Procedural Management Zone.- (1) The Procedural Management Zone shall be comprising of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section, Aruvai Maruthuva Pirivu (Operation Theatre and Minor Operation Theatre), Magapperu or Prasava Arai (Labour room) and other therapy sections.

(2) (a) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall have two sub-sections, namely, Muththoda Samana Therapy Section (Cleansing Therapy Section) and Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy or Procedure Section (Varmam, External Therapy and Special Medicine Therapy or Procedure Section);

(b) the section shall have an area of at least 500 square meters for 60 students intake capacity, 575 square meters for 100 students intake capacity, 700 square meters for 150 students intake capacity, and 775 square meters for 200 students intake capacity, as per the **First Schedule** and the instruments, equipment, and other facilities shall be as per the **Seventeenth Schedule** and the manpower shall be as per the **Fourth Schedule**;

(c) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall provide treatment such as cleansing therapy, varmam therapy, external therapy, special therapies, yoga therapy, psychiatric therapy etc; however, some of the external treatment coming under aruvai maruthuvam (surgery) classification shall be done in Aruvai maruthuva pirivu (Minor Operation Theatre) based on the clinical condition of the patients;

(d) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall consist of reception, patients waiting room with adequate seating arrangement, consultation room, preparation room, therapy or procedure room separately for males and

females, storeroom, record room, toilets separately for males and females, drinking water facility (hot and cold), and provision for waste management;

(e) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall be a common facility for both Out-Patient Departments and In-Patient Department patients;

(f) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall be under the department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) and under the administrative control of the head of the department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) or designated faculty of the department or exclusively appointed specialist with post-graduation in the concerned subject;

(g) the reception counter should preferably be computerised with the hospital management system or hospital information management system and shall keep the schedule of therapies for the day and details of consultants, nurses, and therapists on duty;

(h) the consultation room in the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Therapy or Procedure Section shall be provided with adequate seating for consultants and interns, equipped with an examination table, diagnostic instruments such as a stethoscope, blood pressure apparatus, thermometer, weighing machine, knee hammer, torch light, and other facilities.

(i) every patient or client must undergo consultation to ensure fitness before and after undergoing external therapy procedures;

(j) the Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam therapy or procedure section shall have a medicine preparation room with proper exhaust facility, storage facilities, refrigerator, etc; there shall be arrangements for the supply of fresh drugs;

(k) there shall be a specified area for clean and dirty utilities, a washing area with hot water supply for cleaning used items, and a designated area and mechanism for biomedical management;

(l) Muththoda samana therapy section (cleansing therapy section) and Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) therapy or procedure section shall be provided with adequate space and privacy for changing dress and attached toilets wherever necessary according to the treatment procedure;

(m) the therapists shall be properly trained and shall undergo periodical health checks to rule out any contagious diseases and avoid cross-infection;

(n) there shall be room for therapists, male and female separately, with adequate seating arrangements, personal lockers, and attached baths and toilets;

(o) store to be maintained in this section for the storage of equipment, medicines, consumables, and other facilities;

(p) the attached teaching hospital shall make available an emergency kit at a prominent place, and drugs are to be periodically replaced to avoid expiry of medicines.

(3) (a) Aruvai Maruthuva Pirivu (Operation Theatre and Minor Operation Theatre) shall come under the Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology);

(b) the section provides general surgical, Siddha surgical and para-surgical procedural treatment facilities;

(c) the head of the Department of Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology) or the designated faculty of the department shall be the administrative head of this section;

(d) the attached teaching hospital shall make available a total constructed area of at least 175 square meters for 60 students intake capacity, 225 square meters for 100 students intake capacity, 275 square meters for 150 students intake capacity and 325 square meters for 200 students intake capacity as per the **First Schedule** and instruments, equipment and other facilities as per the **Sixteenth Schedule**;

(e) the section shall have reception, a waiting room for patients, a preparation room, an operation theatre with all instruments and equipment, aseptic measures, a post-operative recovery room, a scrub room, an instrument room, a surgeon and anaesthetist room, a nurse's room, an assistant's room, and other facilities;

(f) there shall be sterilisation and autoclave facilities; and

(g) there shall be an adequately equipped Minor Operation Theatre (Siddhar Aruvai Maruthuvam Procedure Room) attached to the operation theatre for providing Siddha surgical and para-surgical treatments as specified in the **Sixteenth Schedule**.

(4) (a) the Magapperu or Prasava Arai (Labour room) shall come under the Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and shall have the space of at least 50 square meters for 60 and 100 students intake capacity, 60 square meters for 150 students intake capacity and 75 square meters for 200 students intake capacity as specified in the **First Schedule** and instruments, equipment and facilities as per the **Fifteenth Schedule**;

(b) there shall be a reception, patient waiting room, patient preparation room, labour room, post-partum recovery room, neonatal care room, procedure room, instrument room, storeroom, toilets, and bathroom, sterilisation facility, drinking water facility; and

(c) the head of the Department of Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) shall be the administrative head of this section, and the designated faculty of the department shall be in-charge of the labour room.

(5) (a) the Physiotherapy Unit shall function under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine);

(b) the head of the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) or the designated faculty of the department shall be the administrative head of this unit and a physiotherapist shall be in-charge of this unit; and

(c) there shall be a space of at least 75 square meters for 60 students intake capacity, 100 square meters for 100 students intake capacity, 125 square meters for 150 students intake capacity, and 150 square meters for 200 students intake capacity as per the **First Schedule** and equipment or instruments for administering physiotherapy as per the **Seventeenth Schedule**.

(6) (a) the Siddhar Yogam Therapy section shall have a yoga teacher or instructor who shall in-charge of the section or unit, and the head of the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) or the designated faculty of the department shall be the administrative head of this section or unit;

(b) the section shall function under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine);

(c) the yoga therapy section shall have the space as prescribed in the **First Schedule**, that is, 50 square meters for 60 and 100 students intake capacity, 75 square meters for 150 students intake capacity and 100 square meters for 200 students intake capacity and the instruments, equipment, and facilities as specified in the **Seventeenth Schedule**; This section shall have waiting area, yoga therapy room, in-charge room, toilets, drinking water facility etc.,

(d) the consultants of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) or any other out-patient or in-patient department prescribe Siddhar Yogam Maruthuvam (Siddhar Yoga Therapy) and the yoga teacher or instructor will provide yoga therapy, sarapayirchi, and other procedures as per the prescription of the consultants;

(e) the section shall provide yoga therapy to the patients, yoga demonstrations and training to healthy individuals, staff, and students.

56. Administrative Zone.- (1) The Administrative zone shall have the space as specified in the **First Schedule** that is, at least 400 square meters for 60 students intake capacity, 450 square meters for 100 students intake capacity, 500 square meters for 150 students intake capacity, and 550 square meters for 200 students intake capacity, and shall accommodate the offices of the Medical Director, Medical Superintendent, Personal Assistant to the Medical Superintendent, Deputy Medical Superintendent, Resident Medical Officers, Resident Surgical Officer, Emergency Medical Officer, Matron, Assistant Matron, Office Superintendent, Accountant, and other office staff, biometric attendance system, doctor's lounge, intern's room, staff room, waiting lounge, meeting hall, store, toilet, pantry, and other facilities.

(2) The attached teaching hospital shall make available a doctor's lounge with adequate seating arrangements, attached toilets, recreational facilities such as television, newspapers, magazines and other facilities, and refreshment facilities like coffee vending machines, and other facilities.

(3) The attached teaching hospital shall make available adequate privacy for female consultants in doctor's lounge.

- (4) The attached teaching hospital shall provide interns room with adequate storage of personal belongings, furniture, and recreational facilities such as television, newspapers, magazines, and other facilities with attached toilets.
- (5) The attached teaching hospital shall provide a staff room for the hospital staff with adequate seating facilities and individual lockers or pigeon almirah compartments; the room shall be attached with toilets.
- (6) The Institution shall make available a meeting hall with well-equipped audio-visual facilities and online and offline conferencing systems to accommodate at least 30 members to participate in meetings for the conduct of hospital-related meetings and routine clinical meetings of hospital consultants.
- (7) The Institution shall make available a store with adequate storage facilities for maintaining hospital-related items and the store must have been computerised.
- (8) The hospital shall have an established biometric attendance system as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
- (9) All hospital staff and interns should mark their daily attendance in the specified biometric attendance system.

57. Service Zone.- (1) The Service Zone shall contain adequate space as specified in the **First Schedule**, that is, at least 50 square meters for 60 students intake capacity, 75 square meters for 100 students intake capacity, 100 square meters for 150 students intake capacity, and 125 square meters for 200 students intake capacity.

- (2) (a) pathyaunavu (Pathya Diet) including Instant Medicine Preparation Section shall have the head of the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics, (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) or a designated faculty member of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health), as in-charge of the pathyaunavu (pathya diet) section;
- (b) there shall be trained cooks and multi-tasking workers;
- (c) the Section shall contain adequate space and the necessary arrangements for washing, cleaning, cooking, packing, supplying, and other arrangements;
- (d) indent for pathyaunavu, including instant medicines like surasam, charu, kudineer, karkkam, utkali, and other items raised by respective wards on prescription by respective consultants, shall be prepared and supplied by the pathya diet section;
- (e) there shall be a directory or electronic display of Standard Operation Procedures for preparations available for ready reference;
- (f) there shall be arrangements for the supply of raw materials and fresh herbs for the preparation of surasam, charu, kudineer, karkkam, utkali, and other items;
- (g) cooks and other working staff shall undergo periodical health check-up.
- (3) The hospital may have a mortuary with cold storage to keep or preserve dead bodies or may have a memorandum of understanding with medical establishments that have a mortuary facility, and the staff for the mortuary may be outsourced.
- (4) The hospital may have their own ambulance service for twenty-four hours a day or may have a memorandum of understanding with authorised ambulance services.
- (5) (a) the Hospital shall have adequate system of biomedical waste management, as per the Biomedical Waste Management Rules, 2016;
- (b) the institution may have its own biomedical waste disposal system or may have a memorandum of understanding with the authorised biomedical waste management agencies.
- (6) The hospital shall have laundry with facilities for washing, drying, and pressing, storage of soiled and cleaned linens.
- (7) Housekeeping services for college, hospital and other units shall be provided with adequate housekeeping staff. The housekeeping staff may be on a contract basis or outsourced through registered outsourcing agencies.
- (8) (a) there shall be an independent centralised sterilisation unit capable of taking the total working load of operation theatres, casualty room, labour room, laboratories, out-patient department procedure rooms, in-patient department ward procedure rooms and other rooms where sterilisation is required;
- (b) the sterilisation unit shall have adequate equipment with separate ends for loading and unloading, sterile racks, packaging machine, instruments cleaning machine, steriliser, autoclave, pass box and tray and other facilities as required.

(9) (a) the college shall provide security services for the campus, college, hospital, and other units of the institution with trained security personnel in adequate numbers;

(b) the college may outsource security services through registered security agencies.

(10) (a) if the college and hospital are on the same campus, then a common maintenance cell as mentioned in sub-regulation (9) of regulation 6 shall be adequate; if not on the same campus, then a separate maintenance cell is required for the hospital;

(b) the maintenance cell shall take care of maintenance works related to civil, electrical, plumbing, carpentry, mechanical, sanitary, water supply, waste management, drainage, air conditioning, refrigeration equipment, and other facilities; and

(c) there shall be adequate space, equipment for maintenance, and suitable manpower, either appointed or outsourced.

(11) (a) for Medical Gases fixed cylinders for pipe gas supply and portable cylinders shall be appropriately placed;

(b) all gas pipelines shall be periodically maintained with proper records; there shall be a proper refilling and replacement system to ensure safety and uninterrupted supply.

(12) (a) photography and audio-visual recording facilities to document clinical presentations and clinical success stories shall be made available for academic and research purposes;

(b) the Section shall be equipped with a green backdrop, a suitable lighting system, a camera, a video camera, an audio recording system, and an audio-video editing facility;

(c) the college may outsource the staff for this section.

58. Human Resources for the Hospital. - (1) The hospital shall have at least essential requirement of hospital staff of 60, 72, 99, and 121 for 60, 100, 150, and 200 student intake capacity, respectively, as per the **Fourth Schedule**.

(2) The attached teaching hospital of the college or institution shall be under the academic, administrative, and disciplinary control of the Dean or Principal or Director as a Medical Director.

(3) The qualifications for the hospital staff shall as follows:- (a) the Medical Superintendent shall be a postgraduate with qualifications not less than those of a professor in any of the following subjects namely, Maruthuvam (Medicine), Sirappu Maruthuvam (Special Medicine), Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Siddhar Yoga Maruthuva (Siddhar Yogic Science), Puramaruthuvam (External Therapy or External Medicine), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum (Toxicology) or Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Thol Maruthuvam (Dermatology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) recognised by the National Commission for Indian System of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian Medicine with minimum three years of administrative experience as Head of the Department; or

A postgraduate in any of the following subjects, namely, Maruthuvam (Medicine), Sirappu Maruthuvam (Special Medicine), Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Siddhar Yoga Maruthuvam (Siddhar Yogic Science), Puramaruthuvam (External Therapy or External Medicine), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum (Toxicology) or Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Thol Maruthuvam (Dermatology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) recognised by the National Commission for Indian system of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian system of Medicine with ten years of experience as Deputy Medical Superintendent in Siddha Hospital; or

A Bachelor of Siddha Medicine and Surgery graduate with a Master degree or Master of Business Administration in Hospital Administration or Hospital Management or Hospital and Healthcare Management with ten years of experience as Deputy Medical Superintendent in Siddha hospitals (or) as Hospital Administrator or Human Resource Manager in a National Accreditation Board for Hospitals accredited multi-speciality hospital;

(b) the Medical Superintendent shall be a full-time regular incumbent and shall not be a teaching staff of any Department concurrently;

(c) a medical superintendent with postgraduation in Maruthuvam (Medicine), Sirappu Maruthuvam (Special Medicine), Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Siddhar Yoga Maruthuva (Siddhar Yogic Science), Puramaruthuvam (External Therapy or External Medicine), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) or Nanju Noolum

Maruthuva Neethi Noolum (Toxicology) or Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Thol Maruthuvam (Dermatology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) recognised by the National Commission for Indian system of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian system of Medicine, appointed or deputed from health services shall discharge duties under the Medical Director.

(4) (a) Deputy Medical Superintendent shall be a postgraduate in any of the following subjects namely, Maruthuvam (Medicine), Sirappu Maruthuvam (Special Medicine), Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Siddhar Yoga Maruthuva (Siddhar Yogic Science), Puramaruthuvam (External Therapy or External Medicine), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum (Toxicology) or Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Thol Maruthuvam (Dermatology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) recognised by the National Commission for Indian system of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian system of Medicine; or

Bachelor of Siddha Medicine and Surgery graduate with a Master's degree or Master of Business Administration in Hospital Administration or Hospital Management or Hospital and Healthcare Management with ten years of clinical or professional experience;

(b) the Deputy Medical Superintendent shall be a full-time regular incumbent and shall not be a teaching staff of any Department concurrently;

(c) a deputy medical superintendent with postgraduation in Maruthuvam (Medicine), Sirappu Maruthuvam (Special Medicine), Varma Maruthuvam (Varma Medicine), Siddhar Yoga Maruthuva (Siddhar Yogic Science), Puramaruthuvam (External Therapy or External Medicine), Siddhar Aruvai Maruthuvam (Siddha Surgery), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) or Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum (Toxicology) or Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology), Thol Maruthuvam (Dermatology) and Noi Anugavidhi Maruthuvam (Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) recognised by the National Commission for Indian system of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian system of Medicine, appointed or deputed from health services shall discharge duties under the Medical Superintendent.

(5) A candidate with Master of Business Administration degree in Human Resource Management or Operations Management or Health Care Management shall be appointed as Administrator for the general administration of the hospital, and the administrator shall discharge duties under the Medical Superintendent.

(6) A Siddha graduate (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) with five years of clinical or professional experience shall be appointed as Resident Medical Officer or Resident Surgical Officer or Emergency Medical Officer.

(7) Physiotherapist shall have the qualification minimum of Bachelor of Physiotherapy.

(8) Matron shall have Bachelor of Science in Nursing having ten years of experience or General Nursing and Midwifery with twelve years of experience, registered with the Nursing Council or Nursing in AYUSH or Indian System of Medicine or Siddha of duration not less than three years awarded by a recognised university or institution with ten years of experience in AYUSH or Indian System of Medicine or Siddha Hospital.

(9) Assistant Matron shall have Bachelor of Science in Nursing with five years of experience or General Nursing and Midwifery with seven years of experience, registered with the nursing council, or Nursing in AYUSH or Indian System of Medicine or Siddha of duration not less than three years awarded by a recognised university or institution with five years of experience in AYUSH or Indian System of Medicine or Siddha Hospital.

(10) A candidate with Bachelor of Science in Nursing or General Nursing and Midwifery registered with the Nursing Council or Nursing in AYUSH or Indian System of Medicine or Siddha of a duration not less than three years awarded by a recognised university or institution shall be appointed as nursing staff.

(11) A candidate with a Diploma or Degree in Medical Laboratory Technician shall be appointed as Laboratory technician.

(12) A candidate with Diploma or Certificate in Siddha Pharmacy from a recognised institution or 10 + 2 standard, having minimum five years of working experience in Siddha pharmacy or dispensary or drug store under qualified registered siddha medical practitioner shall be appointed as Pharmacist.

(13) Modern Medical Staff with a postgraduate degree or specialist in the concerned speciality or subject shall be engaged on a full-time or part-time or contract basis to extend their services in the concerned area or section or unit of the hospital as mentioned in the **Fourth Schedule**.

(14) The qualifications of hospital staff other than those on the above list shall be as per the **Fourth Schedule**.

CHAPTER-V

TIMELINES TO FULFILL THE ADDITIONAL MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS SPECIFIED IN THIS REGULATION BY SIDDHA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS ESTABLISHED BEFORE COMMENCEMENT OF THESE REGULATIONS

59. (1) The Siddha Medical Colleges or institutions established before the commencement of this regulation shall fulfil the additional minimum essential standards as mentioned in these regulations with required staff in a phase-wise manner within the specific timeline, except building infrastructure; all such additional standards may be accommodated in the existing building itself.

(2) The timeline mentioned in **Table** below to sub-regulation (3), to fulfil additional minimum essential standard requirements is the maximum, and no relaxation shall be given thereafter.

(3) The new construction to accommodate the additional units or sections or facilities or standards as per the minimum build-up area specified in these regulations shall be mandatory when the institution is applying for increase in number of seats in an existing course or start any postgraduate or new courses recognised by the commission.

TABLE

Timelines to comply the Additional Minimum Essential Standards by Siddha Medical Colleges or Institutions Established Before the Commencement of these Regulations.

Sl. No (1)	Standard/ Unit/ Section/ Facility (2)	Timeline for Fulfilling Additional Minimum Essential Standard Requirements (from the date of commencement of these regulations) (3)
Campus in General		
1	Central Workshop or Maintenance cell	Eighteen months
2	Closed Circuit Television	Six months
College		
3	Information technology Cell and Information technology Infrastructure	Six months
4	Digital Library	Eighteen months
5	Clinical Skill or Simulation Lab	Twenty-four months
6	Human Resource Development Cell	Eighteen months
7	Research and Innovation Cell	Eighteen months
8	College Council Room	Eighteen months
9	Students Council Room	Eighteen months
10	Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell	Eighteen months
11	Pharmacovigilance Cell room	Eighteen months
12	Language laboratory	Eighteen months
13	Nutrition Laboratory	Eighteen months

14	Gunapadam Marunthiyal Practical Lab	Eighteen months
15	Equipment and Instruments for Quality Testing Laboratory	Eighteen months
Hospital		
16	Screening Out-Patient Department	Immediate
17	Medical Record Room	Eighteen months
18	Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department	Immediate
19	Nanju Maruthuvam Out-Patient Department	Immediate
20	Minor therapy or procedure room (Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Out-Patient Department)	Six months
21	Minor procedure room (Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Out-Patient Department)	Six months
22	Minor procedure room (Sool and Magalir Maruthuvam Out-Patient Department)	Six months
23	Clinical Classrooms	Twenty-four months
24	In-Patient Department ward attached procedure rooms under Medical In-Patient Department section and Surgical In-Patient Department section	Twenty-four months
25	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam Therapy or Procedure Section	Twenty-four months
26	Equipment and Instruments for Physiotherapy Unit	Twenty-four months
27	Siddhar Yogam Therapy Section	Twenty-four months
28	Minor Operation Theatre (attached to Operation Theatre) for Siddha surgical and parasurgical procedures	Twenty-four months
29	Pathya Diet Centre	Eighteen months
30	Doctors Lounge	Twenty-four months
31	Interns Room	Twenty-four months
32	Hospital Staff Room	Twenty-four months
33	Hospital Meeting Hall in Administrative Zone	Twenty-four months

CHAPTER-VI

INSPECTION OR VISITATION OR ASSESSMENT OF FULLY ESTABLISHED EXISTING SIDDHA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

60. Inspection or Visitation or Assessment.- After commencement of this regulation, the fully established existing Siddha Medical Colleges or institutions under section 28 of the Act shall be categorised into two categories, that is, college or institution under 'Extended Permission' category and college or institution under 'Yearly Permission' category for inspection or visitation or assessment, permission and admission purposes.

(1)(a) a fully established college or institution under section 28 that have been permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine consecutively for the previous three years before the commencement of these regulations shall be considered as the college or institution under the extended permission category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(b) the provision of extended permission shall not be applicable for the institutions under the following conditions, namely:-

- (i) if the college or institution acted upon by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for India System of Medicine within the provisions mentioned in clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act;
- (ii) if any pending legal issues or disciplinary actions against the college or institution;
- (iii) if the college or institution violated the provisions of regulations on admission of students as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022 and counselling and admission guidelines issued by the National Commission for Indian System of Medicine;
- (iv) if the college or institution that have applied to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to increase number of seats or students intake capacity in undergraduate programme or course; and
- (v) if the Siddha Medical College or institution that have not deposited the annual inspection fee including digitisation fee for the year of extended permission in the bank account of the National Commission for Indian System of Medicine through the procedure specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (c) Siddha Medical College or institution under the category of extended permission shall be entitled to participate in counselling process to admit students every year as per the sanctioned intake capacity without seeking or obtaining permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine unless otherwise denied or specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as a result of annual inspection or visitation or assessment.
- (2) (a) fully established existing medical college or institution under section 28 of the Act that are not fulfilling the criteria as specified in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 60, shall be categorised under the yearly permission category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (b) the Siddha Medical College or institutions under the yearly permission category shall participate in counselling process to admit students every year, only after receiving permission for admission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (3) (a) *suo-motu* inspection or visitation or assessment carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year shall be for continuation of extended permission or granting of yearly permission for admitting students or for taking such measures under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act;
- (b) all the Siddha Medical Colleges or institutions, irrespective of category either extended permission or yearly permission, shall keep uploading (self-disclosure) data (real time or periodical) or information or documents on National Commission for Indian System of Medicine online portal in the format and timeline specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (c) all the Siddha Medical College or institutions, irrespective of category (extended permission or yearly permission), shall deposit the annual inspection or visitation fee (visitation fee plus digitisation fee) as given below within the time period and mode specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;
- (i) visitation fee: 2 lakh rupees for 60 students intake capacity; 3 lakh rupees for 100 students intake capacity; 4 lakh rupees for 150 students intake capacity and 5 lakh rupees for 200 students intake capacity;
- (ii) digitisation fee: 50,000 rupees;
- (iii) annual visitation fee in total shall be (visitation fee plus digitisation fee): 2,50,000 rupees, 3,50,000 rupees, 4,50,000 rupees, and 5,50,000 rupees for 60, 100, 150 and 200 students intake capacity respectively along with applicable taxes;
- (d) the Siddha Medical College or institutions categorised under extended permission category by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall submit an affidavit (as per the format and period of submission specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time) stating full compliance with all minimum essential standards mentioned in these regulations;
- (e) Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation or assessment (in the manner and mode as specified in the manual developed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time) every year at any time during the academic year to assess the fulfilment of minimum essential standards requirements mentioned in these regulations by the college or institution;

(f) the period of assessment shall be twelve months preceding the month of visitation or inspection or assessment; the data disclosed by the institute for the said twelve-month period shall be taken up for the assessment;

(g) Explanation: for the purposes of this regulation, if an institution is being assessed or inspected or visited in the month of August 2024, then the period of assessment shall be from the 1st day of August 2023, to 31st day of July, 2024;

(h) after assessment, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall communicate the decision of the assessment or inspection or visitation to the Siddha Medical Colleges or institutions under yearly permission category, ordinarily sixty days before the date of commencement of central counselling process by All-India Ayush Central Counseling Committee for admission every year;

(i) if a college under extended permission category, had not received any communication ordinarily sixty days before the central counselling by All-India Ayush Central Counseling Committee for admission every year, then its status of extended permission shall be deemed to have been granted and shall be allowed to participate in counseling and admission process as per the provision of the relevant regulations;

(j) during the process of assessment or visitation or inspection, any deficiency is found either in the documents or in the data or in the fulfilment of minimum essential standards or in the functionality of the Siddha Medical College or institutions under extended permission category and based on this, if the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine initiates any action due to non-fulfilment of minimum essential standards as per the clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act, in such case, the extended permission status shall be withdrawn for such college or institution and shall be categorised under 'yearly permission' category and all rules and regulations related to the yearly permission category shall be applicable; such institution may again attain 'Extended Permission' status only after fulfilling the conditions specified in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 60;

(k) Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall have the power to re-visit the institutions for assessment or inspection or visitation at any time and any number of times in the year;

(l) the colleges seeking permission to not admit students, or the college or institution has denied permission to admit students consecutively for five academic sessions by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, shall be treated as deemed to have been closed; if such college would like to restart, it shall undergo the process of new establishment under section 29 of the Act;

(m) the provision to rectify the defects mentioned under section 29 of the Act for new medical institutions shall not be applicable to the existing fully established institutions under section 28; as there shall be the minimum essential standards, no chance to "rectify the defects" shall be given to the fully established existing Siddha Medical Colleges or institutions under section 28; however, before issuing the order of denial of permission or reduction of seats, etc., an opportunity for preferring an appeal and hearing shall be given to such Siddha Medical Colleges or institutions;

(n) (i) if a Siddha Medical College or institution is aggrieved by the decision of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, may prefer an appeal to the Commission against such decision within a period of thirty days of the communication of such decision by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the sub-section (3) of the section 24 of the Act;

(ii) if a Siddha Medical College or Institution is aggrieved by any decision of the commission, may prefer an appeal to the Central Government against such decision within fifteen days of the communication of such decision by the Commission as per the sub-section (6) of the Section 9 of the Act.

CHAPTER-VII

RATING OF FULLY ESTABLISHED SIDDHA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

61. Rating.- (1) After the commencement of this regulation, every fully established existing Siddha Medical College or Institution possessing extended permission status, shall be rated every year.

(2) The rating process shall be carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, or any agency designated by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under section 28 of the Act, through the procedure based on the key areas and standards determined by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa qualitatively and quantitatively.

(3) The Medical Assessment and Rating Board for Indian system of Medicine shall identify independent rating agencies through a committee constituted for this cause by the Medical Assessment and Rating Board for Indian system of Medicine and make the list of rating agencies.

(4) The list of the independent rating agencies identified by the committee shall be placed before the National Commission for Indian System of Medicine from time to time by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (MARBISM) for the approval of the commission to finalise the list and draw up the “Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (MARBISM)-Empanelled Rating Agencies” and for related financial implications.

(5) The medical institutions eligible for rating as per the criteria mentioned in sub-regulation (1) shall provide access to such rating agency.

(6) The Siddha Medical College or institution shall be rated based on the criteria or standards over and above the minimum essential standards;

(7) The data uploaded by the institutions on the National Commission for Indian System of Medicine online platform shall be considered for rating purposes.

(8) The proportion of weightage between online data submitted by the institution and physical verification or assessment for rating shall be 70:30 (i.e. 70 per cent online data verification and 30 per cent physical verification).

(9) (a) after the assessment for rating, the Siddha Medical College or institution under extended permission category shall be graded into Grade ‘A’, Grade ‘B’, Grade ‘C’ or Grade ‘D’ based on the assessment score obtained by the college or institution and the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall make available on the Commission’s web site or in public domain, the assessment and ratings of medical colleges or institutions before the commencement of counselling for admissions by All-India Ayush Central Counselling Committee; the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall frame the format and procedure for uploading such data of assessment and rating on the National Commission for Indian System of Medicine website.

(b) Siddha Medical Colleges or Institutions that are not eligible for rating are,-

(i) undergoing establishment under the provisions of section 29 of the Act;

(ii) categorised under yearly permission category;

(iii) denied permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(iv) measures taken by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the provisions specified in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act.

(10) The Siddha Medical College or institution awarded Grade ‘A’ shall be entitled to charge a five percent development fee over and above the prescribed fee by the concerned fee fixation authority of the Central Government or the State Government or Union territory Administration as the case may be, from the students admitted during the years of possessing Grade ‘A’.

(11) If a deemed university or an autonomous institution is awarded Grade ‘A’ such medical institutions shall be eligible for curricular freedom, that is, modification of the “nice to know category” mentioned in the course curriculum and syllabus by the National Commission for Indian System of Medicine;

(12) The Siddha Medical Colleges or institutions graded ‘A’ and ‘B’ shall only be eligible for applying increase in student intake capacity in existing programmes or starting any new or postgraduate programmes recognised by the National Commission for Indian System of Medicine under the Act;

(13) The Siddha Medical College or institution of any grade, if acted upon by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine for the provisions in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act, the grade shall be deemed to have been withdrawn, and no communication shall be sent for the withdrawal of the grade; If such a college or institution continues to use the grade, such institutions shall be subjected to disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine;

(14) Siddha Medical College or institution shall be graded based on the rating score obtained by the college or institution as mentioned in the following **Table**.

TABLE
Rating Score and Grades

Rating Score	Grade
75 and above	A
50-74	B
25-49	C
Up to 24	D

(15) Annual rating fee shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the National Commission for Indian System of Medicine account in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine within the period specified by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine and the fee details are as under,-

- (i) undergraduate college with sixty students intake capacity: two lakh and fifty thousand rupees;
- (ii) undergraduate college with one hundred students intake capacity: three lakh rupees;
- (iii) undergraduate college with one hundred and fifty students intake capacity: three lakh and fifty thousand rupees;
- (iv) undergraduate college with two hundred students intake capacity: four lakh rupees.

CHAPTER-VIII

ESTABLISHMENT OF NEW SIDDHA UNDERGRADUATE MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

62. General.- Establishment of new Siddha Undergraduate Medical College or Institution shall be as per section 29 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 and the general considerations regarding establishment of new Siddha Medical College or institution as follows:-

- (1) The last date for receipt of applications for new schemes shall be as displayed on the National Commission for Indian System of Medicine website every year.
- (2) Applications submitted by a person (a university, society, trust, or any other body, but does not include the Central Government) shall be in the prescribed format, along with the applicable non-refundable application fee and processing fee as mentioned in regulation 66.
- (3) Incomplete applications shall not be entertained in any case.
- (4) There is no provision for withdrawal of applications after the last date and in such a case of withdrawal before the last date, the processing fee shall not be refunded.
- (5) Any document in the local language shall be submitted with a transcript in Hindi and English.
- (6) No person shall establish a new Siddha Medical College or institution without obtaining permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- (7) It is understood that, before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the Act, and the concerned regulations.

63. Pre-requisite.- (1) The application for establishment of the new Siddha undergraduate Medical College shall be for a student intake capacity of 60, 100, 150, and 200 seats per year.

- (2) At the time of submission of the application or proposal or scheme, the functional Siddha Hospital shall have been completed for a minimum of twenty-four months that is, not less than two years after establishment with proper registration.
- (3) The hospital shall obtain appropriate registration from the local authorities.
- (4) The following shall be considered for the two years of functionality of the hospital,-
 - (a) bank transactions depicting the salary of consultants and other hospital staff in a nationalised bank in an independent account in the name of the hospital;
 - (b) the bank transactions indicating the functionality of the hospital, such as periodic purchases of medicines and hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income etc;
 - (c) well documented (physical or electronic) hospital records, including patient attendance in Out-Patient Departments and In-Patient Departments, documents showing maintenance of the hospital, and renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities;
 - (d) the hospital shall have at least entry-level National Accreditation Board for Hospitals certification at the time of application;
 - (e) a certificate from the local authority certifying or approving the construction plan of the proposed buildings having the required construction area as per the **First Schedule** and the **Second Schedule** which shall be accommodated in the specified land, must be provided at the time of application.
- (5) The distance between any two Siddha Medical Colleges run by the same trust or society or university shall not be less than twenty-five kilometres.

64. Requirements of hospital with a minimum of two years of functionality.- The society or university or trust or any other body intended to establish a Siddha medical undergraduate college or institution may start the hospital in a phase-wise manner, that is to say-

(1) The hospital shall start with Out-Patient Departments of Maruthuvam (Medicine), Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai, Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health), Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology) and Avasara Maruthuvam (Emergency Medicine or Casualty Unit).

(2) With a minimum of thirty In-Patient Department beds with forty per cent. bed occupancy attached with an operation theatre, a minor operation theatre, a labour room, a clinical laboratory, an imaging section, a drug store, a varmam-puramaruthuvam-sirappumaruthuvam therapy or procedure section, a physiotherapy unit, and a Siddhar yogam therapy section.

(3) During the second year of the establishment of the hospital, the hospital shall enhance the In-Patient Department capacity gradually so that at the time of application, the hospital shall have 60 beds for 60 students intake capacity, 100 beds for 100 students intake capacity, 150 beds for 150 students capacity, and 200 beds for 200 students intake capacity.

(4) The gradual increase in the infrastructure and human resources shall be in not more than four stages, which shall be supported by appropriate documents such as land, construction, purchase of equipment, appointment of human resources, salary, and other hospital expenditures.

(5) At the time of submission of the application or proposal or scheme, the hospital shall be fully functional with all Out-Patient Departments, In-Patient Departments, and other units or sections with all the minimum essential standards mentioned for hospital in these regulations.

(6) The Out-Patient Department attendance, number of In-Patient Department beds and bed occupancy: At the time of application the hospital shall have the average Out-Patient Department attendance per day specified for each intake capacity as per sub-regulation (19) of regulation 52 that is, 120 patients per day for 60 students intake capacity, 200 patients for 100 students intake capacity; 300 patients for 150 students intake capacity and 400 patients for 200 students intake capacity, with minimum number of In-Patient Department beds, that is, 60 beds for 60 students intake capacity, 100 beds for 100 students intake capacity; 150 beds for 150 students intake capacity and 200 beds for 200 students intake capacity as per sub-regulation (16) of regulation 54 in these regulations and minimum average bed occupancy of 40 per cent. as per sub-regulation (17) of regulation 54.

(7) Two years of functionality shall be considered by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the preceding twenty-four months from the month of submission of the application or proposal or scheme.

Explanation.- For the purposes of this regulation, if submission of the application is in the month of October 2024, then two years of existence of the hospital and its functionality are calculated from October 1st, 2022, to September 30th, 2024;

65. Eligibility for making an application.- For making an application for establishment of new Siddha undergraduate Medical College or institution, a person or applicant (society or trust or university or any other body) shall be eligible if,-

(1) The applicant's one of the objectives shall be to impart education in the Indian System of Medicine.

(2) The applicant shall possess the minimum requirement of land according to student intake capacity as per regulation 4.

(3) The applicant shall either own or possess the land on lease for not less than thirty years in the name of the applicant body, and the same shall be renewed before expiry of the lease.

(4) In the case of Siddha Medical College or institutions having lease agreement for land, the institution shall not be granted permission for admission in the last five years of the lease period unless the institution submits a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submits the renewed lease agreement before the expiry of the lease period.

(5) The distance between any two Siddha Medical Colleges or institutions run by the same trust or society or university or any other body shall not be less than twenty-five kilometers.

(6) The applicant produces No Objection Certificate or Essentiality Certificate in **Form-C**, annexed to these regulations, obtained from the respective State Government or Union Territory Administration, which shall be submitted at the time of application.

(7) The applicant produces Consent of Affiliation in **Form-E**, annexed to these regulations, obtained from the respective University established under the Central Government or State Government or Union territory Administration statute for establishing a new Siddha Medical College, clearly mentioning the academic year or years for affiliation, which shall be submitted at the time of application; if the University itself is an applicant, consent of affiliation may not be required.

(8) The applicant fulfilled all minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified in the sub-regulation (1) of regulation 72 for the first phase of establishment at the time of application; further, the institution shall establish infrastructure, facilities, and manpower for the second, third and fourth phases in time as specified in the sub-regulation (2), (3) and (4) of regulation 72.

(9) The applicant furnishes an affidavit that the admission of students shall be made strictly on the basis of merit for National Eligibility cum Entrance Test qualified students through Central or State or Union territory counselling as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022.

(10) The applicant furnishes an affidavit that the land and buildings designated for Siddha Medical College and attached Teaching Hospital are exclusively for Siddha Medical College and attached Teaching Hospital and no other courses, programmes, or colleges except the National Commission for Indian System of Medicine approved programmes shall be conducted.

(11) The applicant furnishes an affidavit that the nomenclature of courses and teacher-student ratio will be kept as laid down in the concerned regulations.

(12) The applicant furnishes as an undertaking that the applicant has not already admitted students in any class, course, programme, or training of the proposed Siddha Medical College.

(13) The applicant shall be in a position to deposit a security deposit valid for five years in favour of "the National Commission Fund for Indian System of Medicine" as mentioned in the **Table** below.

TABLE
Details of Security Deposit as per Student Intake Capacity

Sl.No.	Student Intake Capacity	Security Deposit Amount (in Rupees)	Mode of Payment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	60	1.0 crore	Online transfer (NEFT/RTGS) in favour of "the National Commission Fund for Indian System of Medicine"
2	100	2.0 crore	
3	150	3.0 crore	
4	200	4.0 crore	

(14) The applicant understands that security amount shall be refunded to the institution only after the completion of five years since the establishment of the college.

(15) The security amount shall be returned to the college account without any interest after five years; provided that, there shall not be any financial grievance pending against the college or a pending penalty amount due to disciplinary action taken by the National Commission for Indian System of Medicine:

Provided further that a security deposit shall not be applicable to the colleges governed by the Central or State Government or Union territory Administration if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per the time-bound programme indicated by them.

66. Method of application and fee details.- (1) Any person or applicant who desires to establish a new Siddha Undergraduate Medical College or institution shall submit the application in **Form-A**, annexed to these regulations, online or offline or both within the time frame as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine along with all necessary documents and a non-refundable application fee (two lakh rupees) and processing fee (ten lakh rupees, fifteen lakh rupees, twenty lakh rupees and twenty-five lakh rupees for 60, 100, 150 and 200 student intake capacity respectively), shall be paid online (National Electronic Fund Transfer or Real Time

Gross Settlement) in favour of “the National Commission Fund for Indian System of Medicine” along with applicable taxes.

(2) The applicant shall provide an official e-mail ID and contact number, which shall be used for all official communication by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; these contact details are valid until the application or proposal, or scheme is approved or disapproved. (3) Once the scheme is approved, the college shall create an official e-mail ID as specified in regulation 7 and intimate it to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine along with an official mobile number, which shall be used for all official communications.

67. Processing of the application.- (1) All the received applications shall be provided with a temporary ID (year of application followed by "T" (Temporary), "S" (Siddha), followed by the serial number of applications received in that particular year).

Explanation.- The first application received in 2023 for the establishment of Siddha Medical College shall be numbered as 2023TS001; the second application as 2023TS002; and so on.

(2) The same temporary ID shall be quoted by the applicant in all official correspondence, and this temporary ID shall be valid up to the issue of a letter of permission or disapproval of the application by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(3) All the received applications shall be subjected to scrutiny by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the following criteria:

- (a) Applicant eligibility;
- (b) Pre-requisites;
- (c) Fulfilment of Minimum Essential Standards specified for the first phase of establishment;
- (d) Application fee and processing fee;
- (e) Supportive documents;
- (f) Hospital data;
- (g) Transactions in official bank accounts (separate account for hospital and college);
- (h) Any other as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

68. Issuance of Letter of Intent.- After the scrutiny, the applications shall be processed under the following two categories, that is, application fulfilling minimum essential standards and other requisites as per submitted data and applications with shortcomings:

(1) Applications fulfilling minimum essential standards and other requisites as per submitted data.- (a) the applicant college or institution fulfilling all the minimum essential standards and other requisite criteria as specified in these regulations shall be inspected or visited by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(b) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall verify the data and documents submitted by the applicant institution along with the application and the observations made by the visitors during visitation, and if found fulfilled, the applicant institution shall be issued a letter of intent by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under section 29 of the Act;

(c) in case any shortcomings are noticed by the visitors during inspection or visitation, the same shall be communicated to the applicant institution and an opportunity shall be given for rectification of defects except for the shortcomings mentioned in the clause (d) of sub-regulation (2) of regulation 68 and submission of compliance report;

(d) the compliance report, along with necessary documents submitted by the applicant institutions that have been given an opportunity for rectification of the defects, shall be subjected for scrutiny for the shortcomings specified, and if found fulfilled, the application is approved and a letter of intent shall be issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if not found fulfilled or the compliance report is not received within the time period as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the application shall be disapproved and rejected.

(2) Applications with shortcomings.- (a) the applications found to have shortcomings shall be communicated to the applicant college or institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for rectification and submission of compliance report;

(b) the compliance report, along with supporting documents submitted after rectification of shortcomings by the applicant college or institution within the specified timeline, the application and attached documents shall

be scrutinised again by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if found fulfilled, the applicant college or institution shall be inspected or visited;

(c) after visitation, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, shall examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors during inspection or visitation; if found fulfilled, the applicant college or institution shall be issued a letter of intent by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; if found not fulfilled, the application shall be disapproved and rejected;

(d) shortcomings of serious nature, like deficiencies in minimum essential standards such as non-functionality of hospital, inadequacy of land availability or land dispute, insufficient period of existence of the functioning hospital, non-availability of essentiality certificate or no objection certificate from the State Government or Union territory Administration, non-availability of consent of affiliation from the university, a deficiency in the constructed area of the college or hospital, etc. an opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved.

(3) No relaxation policy shall be applicable for new applications.

(4) The letter of intent shall be valid for that particular year only; if the applicant fails to obtain letter of permission, the issued letter of intent shall not be applicable for consecutive years, and in such a case, the applicant has to submit a fresh application for the establishment of a new college.

(5) The visitation fee and digitisation fee for visitation for issuing a letter of intent shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 60.

69. Issuance of a Letter of Permission.- (1) The Siddha Medical Colleges or institutions that received the letter of intent, shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards, the details of teaching, non-teaching, and hospital staff appointed as specified for the first phase of establishment of the institution, and the security deposit as mentioned in sub-regulation (13) of regulation 65 to the commission within sixty days of the communication of the Letter of Intent.

(2) Upon receipt of the compliance report along with all necessary documents, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct an inspection or visitation.

(3) After inspection or visitation, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report and the observations made by the visitors during visitation, and if it is found that the applicant institution is fulfilling all the requisite minimum essential standards, the institution shall be issued a letter of permission along with a National Commission for Indian System of Medicine unique Institutional ID (year of issue followed by 'SID' followed by a 5-digit serial number; for example, the ID for the first college received permission during the year 2024 shall be 2024SID00001; the second college 2024SID00002 and so on) including institutional login credentials for the National Commission for Indian System of Medicine online portal; if found not fulfilled the minimum essential standards, the application shall be disapproved and rejected.

(4) The applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months from the last date for submission of the application or proposal or scheme.

(5) The Siddha Medical College or institution received letter of permission shall intimate the official mobile number and the official e-mail ID created as specified in regulation 7 within ten working days to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (president.marbism@ncismindia.org) by quoting the National Commission for Indian System of Medicine unique Institutional ID, and thereafter all official correspondence shall be through these official mobile number and official e-mail ID only.

(6) The visitation fee and digitisation fee for visitation for issuing a letter of permission shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 60.

70. Appeal.- As per section 29 of the Act, the aggrieved applicant may prefer an appeal in the following situations in the manner, namely:-

(1) In case of disapproval of the scheme or application or proposal by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, or no order is passed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within a period of six months of submitting scheme or application or proposal for establishing new Siddha Undergraduate Medical College or institution, the aggrieved applicant may prefer an appeal to the National Commission for Indian System of Medicine within a period of fifteen days of such communication of disapproval or denial or after the lapse of six months period from the period of submission of the scheme.

(2) The appeal shall be submitted online, offline, or as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

(3) Upon receipt of the appeal, the commission shall examine the appeal, and the aggrieved applicant shall be given an opportunity for a hearing within a period of fifteen days; if the commission finds that the applicant is fulfilling all the minimum essential standard requirements, the commission may direct the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to consider the application; if the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the commission shall disapprove and reject the application; in any case, the commission shall communicate such a decision to the applicant within fifteen days of receipt of an appeal.

(4) In case of disapproval or denial by the commission or no order has been passed by the commission, within a period of fifteen days from the date of the preferring appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government within a period of seven days of such disapproval or the lapse period of fifteen days from the date of preferring an appeal.

71. Issue of Renewal of Permission.- (1) Once a letter of permission is issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to start a new Siddha Medical College or institution and admit first batch of students, that letter of permission shall be valid for one year and the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be renewed on a yearly basis under section 29 of the Act for admitting students until the institution attains the status of a fully established institution under section 28 of the Act as shown in the **Table** below to sub- regulation (8).

(2) The Siddha Medical College or institution received letter of permission shall submit compliance report on fulfilment of minimum essential standards for the second phase of the establishment of the institution;

(3) The compliance report shall be submitted to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine by the Siddha Medical College or institution prior to six months from the expiry of the letter of permission.

(4) Upon the receipt of compliance report, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation.

(5) After visitation the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall examine the compliance report submitted by the college or institution and the observations made by the visitors, and on fulfilment of the minimum essential standards, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue the first renewal of permission to admit the second batch of students as shown in the **Table** below to sub-regulation (8).

(6) The same procedure shall be followed for second and third renewal of permission to admit third and fourth batch of students.

(7) The Siddha Medical College or institution shall be considered and treated as a fully established institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under section 28 of the Act during the subsequent years after the third renewal as shown in **Table** below to sub-regulation (8) unless otherwise denied permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(8) In case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of establishment of the Siddha Medical College or institution, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny permission for admission for the next academic session.

TABLE

Letter of Intent, Letter of Permission and Renewal of Permission

Sl. No (1)	Section 28 and Section 29 (2)	Permission or Renewal of Permission (3)	Category (4)	Batch (5)
1	29	letter of intent	Institution under consideration	No admission
2		letter of permission	Institution under establishment	First batch
3		First renewal		Second batch
4		Second renewal		Third batch
5		Third renewal		Fourth batch
6	28	Fully Established Institution- Entitled for Rating		Fifth batch onwards

72. Phase-wise Requirements of Minimum Essential Standards for New Siddha undergraduate Medical Colleges or Institutions Under Establishment.- As a new Siddha undergraduate Medical College or institution under institution under establishment category, shall fulfil or establish all four phase-wise requirements mentioned in these regulations to become a fully established institution i.e. fulfilment of Phase-I, Phase-II, Phase-III and Phase-IV requirements to obtain letter of permission, first renewal of permission, second renewal of permission, and third renewal of permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to admit first batch, second batch, third batch and fourth batch of students respectively and to become a fully established institution; the details are as under:

(1) **Phase-I.-** Before the admission of the first batch of students, the Siddha undergraduate Medical college or institution shall have-

(a) a fully established National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers accredited (at least entry-level) Hospital with all minimum essential standards as mentioned for the hospital in **Chapter-IV**, the **First Schedule**, the **Fifteenth Schedule** to the **Twentieth Schedule**;

(b) hospital staff as specified in the **Fourth Schedule**; as far as consultants are concerned, a minimum of one qualified consultant or specialist doctor or clinical teacher shall be available in each of Maruthuvam (Medicine), Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), Aruvai, Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology), Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology), Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics), Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health) and Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology);

(c) the Departments of the first professional Bachelor of Siddha Medicine and Surgery, namely, (i) Siddha Maruthuva Moolathathuvam including Language Lab and Museum cum Tutorial room, (ii) Udal Koorugal including Dissection Hall, Practical Lab and Museum cum Tutorial room, (iii) Udal Thathuvam including Udal Thathuvam Practical Lab, Uyirvedhiyiyal Practical Lab and Tutorial room, and (iv) Noi Naadal Noi Mudhal Naadal including Nunnuyiriyal Lab, and Museum cum Tutorial room as specified in the **Second Schedule** and instruments or equipment as specified in the **Seventh Schedule**, the **Eighth Schedule** and the **Eleventh Schedule**;

(d) teaching staff with the requisite qualifications as specified in the **Fifth Schedule** that are required for the first professional subjects or departments shall be appointed;

(e) all non-teaching staff (except the staff required for second and third professional departments) with the requisite qualifications as specified in the **Sixth Schedule** shall be appointed;

(f) a minimum of two lecture halls with infrastructure and facilities as specified in regulation 13;

(g) a well-developed herbal garden having at least 250 species of common medicinal plants and endangered species as per the **Third Schedule**;

(h) an updated dynamic institutional website as per regulation 11;

(i) attendance system as specified in regulation 10;

(j) other sections or units or cells or facilities as specified in **Table** below with qualified human resources and fulfil other related minimum essential standards as specified in these regulations.

TABLE

Mandatory Requirements of Sections or Units or Cells in the Phase-I establishment

Sl. No (1)	Sections or Units or Cells (2)
1	Administrative section
2	Central library with minimum of 4000, 5000, 6000, 7000 books and journals for student intake capacity of 60, 100, 150 and 200 respectively
3	Digital Library
4	Clinical Skill/Simulation Laboratory (25 percentage of simulators or manikins)
5	Human Resource Development Cell
6	Information and Technology cell and Information and Technology infrastructure

7	Research and Innovation cell
8	Co-curricular and extra-curricular facilities
9	Student Amenities
10	Staff Amenities
11	Common rooms for boys and girls
12	Common room for teaching faculty
13	Examination or Multipurpose or Yoga or Conference Hall
14	College Council Room
15	Student Council Room
16	Student Support and Guidance including Career Guidance and Placement Cell
17	Pharmacovigilance Cell
18	Central workshop
19	Closed Circuit Television
20	Hostels
21	Canteen

(2) **Phase-II:** Before the admission of the second batch of students, the Siddha Undergraduate Medical College or institution shall have- (a) the departments of second professional Bachelor of Siddha Medicine and Surgery, namely, (i) Gunapadam Marunthiyal including Gunapadam Marunthiyal Practical Lab, Maruthuva Thavaraviyal Practical Lab and Museum cum Tutorial room, (ii) Gunapadam Marunthakaviyal including Teaching Pharmacy, Quality Testing Laboratory, and Museum cum Tutorial room, (iii) Noi Naadal Noi Mudhal Naadal including Noi Naadal Practical Lab, (iv) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum including Practical Lab and Museum cum Tutorial room, and (v) Noi Augavidhi including Research Methodology and Medical Statistics including Nutrition Lab and Museum cum Tutorial room as specified in the **Second Schedule** and instruments or equipment as specified in the **Ninth Schedule**, the **Tenth Schedule**, the **Eleventh Schedule** the **Twelfth Schedule** and the **Thirteenth Schedule**;

(b) teaching staff with the requisite qualifications as specified in the **Fifth Schedule** that are required for second professional departments shall be appointed;

(c) non-teaching staff required for second professional Departments with the requisite qualification as specified in the **Sixth Schedule** shall be appointed;

(d) at least three lecture halls (addition of minimum one lecture hall to the existing two in Phase-I) with facilities as specified in regulation 13;

(e) increase in central library books up to a minimum of 6000, 7500, 9000, and 10500 for student intake capacities of 60, 100, 150, and 200, respectively;

(f) the clinical skill lab shall be expanded with at least fifty per cent. of the manikins or simulators or devices as specified in the **Fourteenth Schedule**.

(3) **Phase-III:** Before the admission of the third batch of students, the Siddha Undergraduate Medical College or institution shall have- (a) increase in central library books up to a minimum of 7000, 8500, 10500, and 12000 for student intake capacities of 60, 100, 150, and 200, respectively;

(b) the clinical skill lab shall be expanded with at least seventy-five percent of the manikins or simulators or devices as specified in the **Fourteenth Schedule**.

(4) **Phase-IV:** Before the admission of the fourth batch of students, the Siddha Undergraduate Medical College or institution shall have-(a) the departments of the third professional Bachelor of Siddha Medicine and Surgery, namely, Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam and Kuzhanthai Maruthuvam and other sections or facilities as specified in the **Second Schedule**;

(b) teaching staff with the requisite qualifications as specified in the **Fifth Schedule** that are required for third professional departments shall be appointed;

- (c) non-teaching staff for third professional departments with the requisite qualification as specified in the **Sixth Schedule** of this regulation shall be appointed;
- (d) minimum five lecture halls (addition of minimum two lecture halls to the existing three in Phase I and Phase II) with facilities as specified in regulation 13;
- (e) increase in Central Library books up to a minimum of 8000, 10000, 12000, and 14000 for student intake capacities of 60, 100, 150, and 200, respectively;
- (f) a fully established clinical skill lab with all manikins or simulators or special devices as specified in the **Fourteenth Schedule**.

73. Condition.- Siddha Medical College or institution received letter of permission shall adhere to the following conditions namely:- (1) In case the parent society or trust or body that established the college wants to transfer the college to another society or trust or body, a prior no objection certificate from the National Commission for Indian System of Medicine shall be obtained.

(2) If the college wants to change the affiliating university or would like to apply for deemed university status, it shall obtain an no objection certificate from the National Commission for Indian System of Medicine before applying for the same.

CHAPTER-IX

INCREASE IN NUMBER OF SEATS OR STUDENTS INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMMES OR COURSES IN FULLY ESTABLISHED SIDDHA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS

74. Increase Student Intake Capacity.- Fully established institutions under section 28 of the Act, conducting undergraduate programme, that is, the Bachelor of Siddha Medicine and Surgery with the student intake capacities of 60, 100, and 150, shall be eligible to apply to increase student intake capacity in existing undergraduate programme under Section 29 of the Act and the pre-requisites shall be as follows,-

- (1) It shall be a fully established Siddha Medical College under section 28 of the Act with a students intake capacity of 60, 100, or 150.
- (2) The college or institution shall have completed at least four years and six months of undergraduate course or programme; however, the college owned or managed by the Central Government or State Government or Union territory Administration is exempted from fulfilling this pre-requisite criteria of completion of four years and six months of undergraduate course or programme.
- (3) The college shall be under the category of extended permission and have not been denied permission for admission or subjected to the provisions under clause (f), of sub-section (1) of section 28 of the Act by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the preceding five years, including the year of application.
- (4) The college shall be rated with a grade of "A" or "B" by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine during the year of application.
- (5) The college established building infrastructure and facilities for the additional standards mentioned in **Chapter-V**.
- (6) No person shall increase number of seats in Siddha Medical College or institution without obtaining permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

75. Eligibility.- For making an application under Section 29 of the Act, the college shall be eligible if,-

- (1) The applicant College or institution has obtained the essentiality certificate or no objection certificate for the proposed increase in student intake capacity in **Form-D**, annexed to these regulations, from the State Government or Union territory Administration.
- (2) The applicant College or institution has obtained the consent of affiliation in **Form-E**, annexed to these regulations, from the affiliated university (not applicable for deemed Universities).
- (3) The applicant College or institution has fulfilled all minimum essential standards, including the minimum number of teaching staff for the proposed student intake capacity (fulfilment may be in phases as specified in this regulation).
- (4) Admission of students for undergraduate programmes or courses is made strictly on the basis of the merit of National Eligibility cum Entrance Test qualified students through the Central Government or State Government or Union territory Administration counselling as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Siddha Education) Regulations 2022.

(5) The maximum number of admissions shall not exceed the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

76. Method of Application.- (1) The college shall submit the application to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for increasing number of seats or students intake capacity or admission capacity in **Form-B**, annexed to these regulations, within the specified period, along with the non-refundable application fee and processing fee (with applicable taxes), a security deposit, and the documents specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(2) Incomplete applications and applications received after the last date shall not be considered.

(3) There is no provision for withdrawal of an application after the last date, and in such a case of withdrawal before the last date, the processing fee shall not be refunded.

(4) It is understood that before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the Act and concerned regulations.

(5) Application fee and security deposit details are given in the following **Tables**.

TABLE-1

Application Fee and Processing Fee for Increase in Number of Seats

Existing Student Intake Capacity (1)	Application Fee (2)	Processing Fee for the Proposed Student Intake Capacity			
		60 students intake capacity (3)	100 students intake capacity (4)	150 students intake capacity (5)	200 students intake capacity (6)
60	2 Lakh	-	5 Lakh	10 Lakh	15 Lakh
100		-	-	5 Lakh	10 Lakh
150		-	-	-	5 Lakh
200		-	-	-	-

TABLE-2

Security Deposit for Increase in Number of Seats

Existing Student Intake Capacity (1)	Security Deposit for the Proposed Intake Capacity (in Rupees)			
	60 students intake capacity (2)	100 students intake capacity (3)	150 students intake capacity (4)	200 students intake capacity (5)
60	-	1 Crore	2 Crore	3 Crore
100	-	-	1 Crore	2 Crore
150	-	-	-	1 Crore
200	-	-	-	-

(6) The security deposit shall be refunded after five years to the institutional official bank account without interest; provided, there shall not be any financial grievance pending against the college or a pending penalty amount due to disciplinary action by the National Commission for Indian System of Medicine:

Provided that a security deposit shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union territory Administration if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time-bound programme indicated by them.

(7) The non-refundable application fee, processing fee, and security deposit shall be paid to the National Commission for Indian System of Medicine account through National Electronic Fund Transfer-NEFT or Real Time Gross Settlement-RTGS in favour of "the National Commission Fund for Indian System of Medicine".

(8) The process of applications as well as the issue of letter of intent, letter of permission, first renewal, second renewal, and third renewal shall be as per **Chapter-VIII**.

(9) The visitation fee and digitisation fee for visitation for issuing a letter of intent and letter of permission for an increase in student intake capacity shall be as per clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 60.

CHAPTER-X

PENALTY AND DISCIPLINARY ACTIONS

77. (1) The Siddha Medical College or institution shall comply with the regulations, directions, instructions and adherence to the timeline issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine.

(2) Non-compliance action includes following, namely:-

(a) non-compliance with regulations;

(b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of undergraduate Siddha medical education and practices, exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc;

(c) failure to maintain minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc., in accordance with these regulations;

(d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine;

(e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine;

(f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for Indian System of Medicine.

(3) For any of the non-compliance as specified in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-compliance act or omission by the medical institution, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall either penalise the medical institution or take such action as per clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act namely: -

(a) impose monetary penalty not exceeding one crore rupees;

(b) issue warning;

(c) withhold process of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years;

(d) reduce the number of seats to be admitted by the Siddha Medical College or institution in the next academic year;

(e) stop the admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic year;

(f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;

(g) withhold or withdrawal of rating of the Siddha Medical Colleges or institutions for a period up to five academic years; and

(h) if any attempt from the institution side to pressurise the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the National Commission for Indian System of Medicine through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the Siddha Medical College or institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.

FIRST SCHEDULE

[See regulation 5, regulation 51, regulation 52, regulation 53, regulation 54, regulation 55, regulation 56, regulation 57, regulation 63, and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF AN ATTACHED TEACHING HOSPITAL OF A SIDDHA MEDICAL COLLEGE

Sl. No	Particulars	Constructed/Built up Area in Square Meters (Sq. Mt)			
		60	100 students	150 students	200 students

		students intake capacity	intake capacity	intake capacity	intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reception and Registration Zone					
	Entrance lobby and circulation area includes				
1	Reception and Enquiry counter with Public Relations Officer	100	150	200	250
2	Registration and Billing counter				
3	Waiting area				
4	Medical record room and space for medical record technician				
Out-Patient Department (OPD Zone)		400	600	800	1000
5	Screening Out-Patient Department	15	20	30	40
6	Maruthuvam Out-Patient Department	25	40	50	60
7	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam Out-Patient Department (with attached minor therapy/procedure room for Out-Patient Department based procedures)	40	50	60	70
8	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Out-Patient Department (with attached procedure room for Out-Patient Department based surgical and para-surgical procedures)	40	50	60	70
9	Sool and Magalir Maruthuvam Out-Patient Department (with attached minor procedure room)	40	50	60	70
10	Kuzhanthai Maruthuvam Out-Patient Department	25	40	50	60
11	Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department (with cubicles for counselling)	25	40	50	60
12	Nanju Maruthuvam Out-Patient Department	25	40	50	60
13	Avasara maruthuvam (Emergency or Casualty Out-Patient Department)	25	25	30	35
14	Drug store/Dispensary/Pharmacy	40	50	60	80
15	Out-Patient Department Zone in-charge office	100	195	300	395
16	Online consultation facility				
17	Waiting lounge for patients with drinking water facility, and area for breast feeding.				
18	Area for wheelchair and stretcher, area for keeping house-keeping materials				
19	Separate male and female toilets for patients, staff, and students/interns				
20	Store				
21	Speciality Out-Patient Departments	20 sq.mt/speciality OP (Space mentioned for speciality OPD is over and above the minimum essential requirement, hence will not be counted under minimum constructed area)			

Diagnostic Zone					
22	Clinical laboratory	150	175	200	225
23	Radiology or Imaging section				
24	Other Diagnostics such as Electrocardiogram etc.,				
25	Waiting area for patients				
26	Diagnostic zone in-charge office				
27	Counter for issuing reports				
28	Toilets separately for male and female				
In-Patient Department (IPD Zone)		1250	2000	2750	3500
A. Medical IP Section					
29	Area required to accommodate allotted IPD beds in Maruthuvam, Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam and Nanju Maruthuvam IPD wards	750	1250	1750	2250
30	Ward procedure rooms (four) with kitchen				
31	Nursing counter and store				
32	Area for seating interns				
33	Room for night duty doctors/consultants				
34	Room for night duty nursing staff				
35	Room for night duty interns				
36	Clinical classrooms (minimum two)				
37	Circulation area and corridors				
38	Toilets attached to wards (male and female separately)				
39	Area for drinking water facility, trolleys/ stretchers, clean and dirty utility, housekeeping materials, biomedical waste disposal, laundry etc.,				
B. Surgical IP Section					
40	Area required to accommodate allotted IPD beds under Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam and Sool and Magalir Maruthuvam	500	750	1000	1250
41	Ward procedure rooms (two) with kitchen				
42	Nursing counter and store				
43	Area for seating interns				
44	Room for night duty doctors or consultants				
45	Room for night duty nursing staff				
46	Room for night duty interns				
47	Clinical classrooms (minimum one)				
48	Circulation area and corridors				
49	Toilets attached to wards (male and female separately)				
50	Area for drinking water facility, trolleys or stretchers, clean and dirty utility, housekeeping				

	materials, biomedical waste management facility, laundry etc.,				
Procedural Management Zone					
51	A. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy Section (Muththoda Samana Therapy Section and Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy/Procedure Section)	500	575	700	775
52	B. Aruvai Maruthuva Pirivu [Operation Theatre and Minor Operation Theatre (Siddhar Aruvai Maruthuvam Procedure Room) for Siddha surgical and para-surgical procedures]	175	225	275	325
53	C. Magapperu Arai or Prasava Arai (Labour Room)	50	50	60	75
54	D. Physiotherapy Section	75	100	125	150
55	E. Siddhar Yogam Therapy	50	50	75	100
Administrative Zone					
56	Medical Director room	400	450	500	550
57	Medical Superintendent room				
58	P.A to Medical Superintendent room				
59	Deputy Medical Superintendent room				
60	Resident Medical Officer) or Resident Surgical Officer room				
61	Matron room				
62	Assistant Matron room				
63	Office space for Superintendent				
64	Office space for Accountant and other staff				
65	Waiting lounge for the visitors				
66	Doctor's lounge				
67	Intern's room				
68	Staff room				
69	Meeting hall				
70	Pantry				
71	Store				
72	Toilets				
Service Zone					
73	Hospital kitchen: Pathya Unavu including instant medicine preparation section	50	75	100	125
74	The other provisions in the service zone				
	Total	3200	4450	5785	7075

THE SECOND SCHEDULE

[See regulation 5, regulation 12, regulation 13, regulation 14, regulation 15, regulation 16, regulation 17, regulation 26, regulation 27, regulation 28, regulation 30, regulation 31, regulation 34, regulation 37, regulation 38, regulation 39, regulation 41, regulation 63, and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF A SIDDHA MEDICAL COLLEGE

Sl. No	Department or Section or Unit	Constructed/Built up Area in Square Meters (Sq. Mt)			
		60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Administrative section				
	Head of the Institution (Principal or Dean or Director) room including anteroom and attached toilet				
	Personal Assistant to head of the institution				
	Visitors lounge for visitors to head of the institution				
	Staff committee room or Meeting room				
	Vice Principal or Deputy Dean or Deputy Director (If any)				
	Office superintendent	200	250	300	350
	Office-establishment and accounts section and cash counter				
	Waiting area for office visitors				
	Record room				
	Central store				
	Toilets for office staff				
	Pantry				
2	Lecture halls (Classrooms)				
	Five Lecture halls	500 (5X100)	750 (5X150)	1000 (5X200)	1250 (5X250)
3	Seminar or Conference or Examination or Yoga Hall (Multipurpose hall)	150	300	450	600
4	Library				
	Central library	150	250	350	450
	Digital library	40	50	60	70
5	Teaching departments	1425	2650	3600	4550
	Siddha Maruthuva Moolathathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine) Department with a. Departmental library b. Tutorial room c. Language laboratory	75	125	150	175
	Udal Koorugal (Anatomy) Department with a. Dissection Hall	125	250	350	450

b. Practical lab c. Museum cum Tutorial room				
Udal Thathuvam (Physiology) Department with a. Udal Thathuvam (Physiology) Practical Lab b. Uyirvedhiyiyal (Biochemistry) laboratory Lab c. Tutorial room	175	350	475	600
Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) Department with a. Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) Practical Lab b. Maruthuva Thavaraviyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy) Practical Lab c. Herbarium and Museum cum Tutorial room	175	350	475	600
Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics) Department with a. Teaching Pharmacy (Gunapadam Marunthakaviyal Practical Lab) b. Quality Testing Laboratory c. Museum cum Tutorial room	175	350	450	550
Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal (Pathology) Department with a. Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical Lab b. Nunnuyiriyal (Microbiology) Practical Lab c. Museum cum Tutorial room	175	350	475	600
Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Department with a. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Practical Lab b. Museum cum Tutorial room	50	100	150	200
Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health) Department with a. Nutrition Lab b. Museum cum Tutorial room	100	150	200	250
Maruthuvam (Medicine) Department with Tutorial room	75	125	175	225
Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External therapy and Special medicine) Department with Tutorial room	75	125	175	225
Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology) Department with Museum cum	75	125	175	225

	Tutorial room				
	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Department with Tutorial room	75	125	175	225
	Kuzhantai Maruthuvam (Paediatrics) Department with Tutorial room	75	125	175	225
6	Clinical skill/Simulation Laboratory (Common area + demo cum practice room)	125 (75+50X1)	200 (100+50X2)	275 (125+50X3)	350 (150+50X4)
7	Human Resources and Development Cell (HRDC) (Workshop area + office, store, circulation area, toilet)	130 (80+50)	150 (100+50)	170 (120+50)	190 (140+50)
8	Research and Innovation Cell	30	30	30	30
9	College Council Meeting Room	50	100	150	150
10	Student Council Room	20	20	20	20
11	Student Support and Guidance Cell including Career Guidance and Placement Cell (SSGC) room	25	25	25	25
12	Pharmacovigilance Cell-Room	20	20	20	20
13	Common rooms for students (Boys and Girls separately)	100 (50+50)	200 (100+100)	300 (150+150)	400 (200+200)
14	Common rooms for teaching faculty (Male and Female separately)	50 (25+25)	60 (30+30)	70 (35+35)	80 (40+40)
15	College Canteen	100	150	200	250
	Total	3115	5205	7020	8785

Note: 1. For Central workshop (see regulation 6), Information Technology cell (see regulation 9) and Internal Quality Assurance cell (see regulation 43), an adequate space separately for each shall be provided by the college or institution as per their requirement.

2. The Student Support and Guidance Cell including Career Guidance and Placement room may be a common facility for Grievance Redressal Cell (see regulation 40) and Committee Against Sexual Harassment (see regulation 42) for their meetings and keeping related records and documents.

THE THIRD SCHEDULE

[See regulation 35 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF HERBAL GARDEN

Sl. No	Particulars	Minimum Required Area in Square Meters (Sq. Mt)			
		60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Herbal garden (a well-developed herbal garden with minimum 250 species of medicinal plants with demonstration room of 25 to 50 sq.mt)	2500	4000	4000	4000

THE FOURTH SCHEDULE

[See regulation 52, regulation 55, regulation 58 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF HOSPITAL STAFF IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL

Sl. No	Department or Section or Unit	Minimum Requirement of Hospital Staff (Intake capacity wise)			
		60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Zone					
1	Medical Director	Principal or Dean or Director as per sub regulation (2) of regulation 58.			
2	Medical Superintendent	One	One	One	One
		Full-time regular incumbent other than the teaching staff. Qualification as per sub regulation (3) of regulation 58.			
3	Deputy Medical Superintendent	One	One	One	Two
		Full-time regular incumbent other than the teaching staff. Qualification as per sub regulation (4) of regulation 58.			
4	Administrator	One	One	One	Two
		Qualification as per sub regulation (5) of regulation 58.			
5	Consultants	Teachers of Maruthuvam, Varmam Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam, Kuzhanthai Maruthuvam, Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum and Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics Departments			
6	Matron or Nursing Superintendent	One	One	One	One
		Qualification as per sub regulation (8) of regulation 58.			
7	Assistant Matron	One	One	Two	Three
		Qualification as per sub regulation (9) of regulation 58.			
8	Office Superintendent (Graduation with five year of administrative experience)	One	One	One	One
9	Clerical staff (Graduation with computer knowledge) and Account staff (B. Com or M. Com with computer knowledge)	One	Two	Three	Four
10	Storekeeper (Minimum 12 th Standard)	One	One	One	One
Modern Medical Staff					
11	Medical specialist	One (full time or part time or on contract basis)			
12	Surgical specialist	One (full time or part time or on contract basis)			
13	Obstetrician/Gynaecologist	One (full time or part time or on contract basis)			

14	Anaesthesiologist	One (full time or part time or on contract basis)			
15	Pathologist	One (full time or part time or on contract basis)			
16	Radiologist	One (full time or part time or on contract basis)			
Reception and Registration Zone					
17	Receptionist cum Telephone Operator (Graduate with computer knowledge and communication skill)	Two	Two	Three	Four
18	Registration cum Billing Clerk (Graduate with computer knowledge)	One	Two	Three	Four
19	Medical Record Technician (with graduate degree) (Medical Record Technician is not required in case of fully computerised hospital)	One	One	One	One
Out-Patient Department Zone (OPD Zone)					
20	Resident Medical Officer	One	One	One	One
		Qualification as per sub regulation (6) of regulation 58.			
21	Emergency Medical Officer	One	One	One	One
		Qualification as per sub regulation (6) of regulation 8.			
22	Nursing staff (One for casualty and one for Sool and Magalir Maruthuvam Out-Patient Department)	Two	Two	Two	Two
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
23	Pharmacist in Dispensary or Pharmacy or Drug store	Two	Two	Three	Four
		Qualification as per sub regulation (12) of regulation 58.			
Diagnostic Zone					
24	Lab Technician	Two	Two	Three	Four
		Qualification as per sub regulation (11) of regulation 58.			
25	Lab Attendant (with 10 th standard)	One	One	Two	Two
26	X-Ray Technician (minimum diploma in X-ray technician course)	One	One	One	One
27	Dark room Assistant (plus two with Biology) (in case of non-digital x-ray unit)	One	One	One	One
28	Nursing staff for Ultrasonogram and Electrocardiogram	One	One	One	One
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
In-Patient Department Zone (IPD Zone)					
Medical In-Patient Department Section					
29	Resident Medical Officers	Two	Two	Two	Two
		Qualification as per sub regulation (6) of regulation 58.			

30	Nursing staff (One for every ten beds)	Four	Six	Nine	Twelve
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
31	Ward boy or Ayah (One for every twenty beds)	Two	Three	Four	Six
Surgical In-Patient Department Section					
32	Resident Surgical Officer	Two	Two	Two	Two
		Qualification as per sub regulation (6) of regulation 58.			
33	Nursing staff (One for every ten beds)	Two	Four	Six	Eight
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58..			
34	Ward boy or Ayah (One for every twenty beds)	One	Two	Three	Four
Procedural Management Zone					
Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy or Procedure Section					
35	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam specialists	Teachers of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam department			
36	Nursing staff	One	One	One	Two
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
37	Therapist (certificate in Skill council of India for therapist or certificate course in masseur or trained person in external therapy)	Four (2 male+ 2 female)	Eight (4 male + 4 female)	Twelve (6 male + 6 female)	Sixteen (8 male + 8 female)
38	House Officer or Clinical Registrar or Senior Resident (with BSMS degree)	One	One	One	One
39	Attendant (minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
Aruvai Maruthuva Pirivu (Operation Theatre and Minor Operation Theatre)					
40	Aruvai maruthuvam specialists	Teachers of Aruvai Maruthuvam including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam department			
41	Nursing staff	One	One	Two	Two
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
42	OT Attendant (minimum 10 th standard and trained)	One	One	Two	Two
43	Dresser (minimum 10 th standard and trained)	One	One	Two	Two
Magapperu or Prasava Arai (Labour room)					
44	Sool and Magalir Maruthuvam Specialists	Teachers of Sool and Magalir Maruthuvam department			
45	Nursing staff	One	One	Two	Two
		Qualification as per sub regulation (10) of regulation 58.			
46	Ayah	One	One	Two	Two
Physiotherapy Unit					

47	Physiotherapist (minimum Bachelor in Physiotherapy)	One	One	Two	Two
48	Attendant (minimum 10 th standard and trained)	One	One	Two	Two
Service Zone					
49	Pathya unavu-cook	Two	Two	Three	Four
50	Multi-tasking worker	One	One	One	One
	Total (Excluding teachers from teaching departments and including six modern medical staff)	60	72	99	121
<p>Note: 1. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, attendant/peon, cook, gardener, maintenance staff etc. may be obtained by outsourcing.</p> <p>2. If required, operation theatre technician with bachelor or diploma course in operation theatre technician and operation theatre assistant one year certificate course in operation theatre technician may be appointed in operation theatre on full-time, regular basis.</p> <p>3. Varma specialist and Bone setter may be appointed (preferably with BSMS qualification) in Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu Maruthuvam Procedure or Therapy section on contractual or regular basis.</p>					

THE FIFTH SCHEDULE

[See regulation 44 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF TEACHING STAFF IN A SIDDHA MEDICAL COLLEGE

Teaching Department	Minimum Essential Requirement of Teaching Staff											
	60 students intake capacity			100 students intake capacity			150 students intake capacity			200 students intake capacity		
	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1. Siddha Maruthuva Moola Thathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)	1 or 1		1 Siddha + 1 Tamizh / English	1	1	1 Siddha + 1 Tamizh / English	1	1	2 Siddha + 2 Tamizh / English	1	2	2 Siddha + 2 Tamizh / English
2. Udal Koorugal (Anatomy)	1 or 1		1	1	1	1	1	2	1	2	2	
3. Udal Thathuvam (Physiology)	1 or 1		1 Siddha + 1 Biochemistry	1	1	1 Siddha + 1 Biochemistry	1	1	2 Siddha + 2 Biochemistry	1	2	2 Siddha + 2 Biochemistry
4. Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology)	1 or 1		1 Siddha + 1 Botany/Pharmacognosy	1	1	1 Siddha + 1 Botany/Pharmacognosy	1	1	2 Siddha + 2 Botany/Pharmacognosy	1	2	2 Siddha + 2 Botany/Pharmacognosy
5. Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)	1 or 1		1	1	2	1	1	3	1	2	3	
6. Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology)	1 or 1		1 Siddha + 1 Microbiology	1	1	1 Siddha + 1 Microbiology	1	1	2 Siddha + 2 Microbiology	1	2	2 Siddha + 2 Microbiology

7.Sattam Saarntha Maruthuvam in Nanju Maruthuvam (Forensic Medicine and Toxicology)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
8.NoI Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
9.Maruthuvam (Medicine)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
10.Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu maruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine)	1 or 1	1	1	1	2	1	2	3	2	2	4
11.Arurai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry and Dermatology)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
12.Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
13.Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	1 or 1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Sub total	13	17	13	13	19	13	20	36	20	26	43
Total		30		45		69			89		
<p>Note: 1. Apart from the above, Yoga Instructor on full time basis (One for 60,100,150 student intake capacity and two i.e.,1 male and 1 female for 200 student intake capacity) in the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam, One Biostatistician on part time basis in the Department of Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics, and One Physical Education Instructor on full time basis shall be engaged in the college;</p> <p>2. Wherever additional Professors or Readers are available in the department, the additional Professor may be considered against the requirement of Reader or Lecturer and additional Reader may be considered against the requirement of Lecturer in the same department. For example- in a college with 100 student intake capacity, if there are three Professors or one Professor and two Readers or one Professor, one Reader and one Lecturer against the requirement of one Professor, one Reader and one Lecturer in the Department of Udal Koorugal, the college is fulfilling the requirement of faculty in this department and there is no shortcoming of faculty in Udal Koorugal department.</p> <p>3. Additional Professor or Associate Professor (Reader) or Assistant Professor (Lecturer) available in any other Department, shall not be counted or considered in the department where there is a shortage of faculty.</p>											

THE SIXTH SCHEDULE

[See regulation 6, regulation 9, regulation 27, regulation 44 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF NON-TEACHING STAFF (TECHNICAL AND OTHER STAFF) IN A SIDDHA MEDICAL COLLEGE

Sl. No	Department or Section or Unit	Minimum Requirement of Non-Teaching Staff (Students intake capacity wise)			
		60 students	100 students intake	150 students intake	200 students

		intake capacity	capacity	capacity	intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Administrative section					
1	Personal Assistant or Personal Secretary to Principal or Dean or Director (Graduation with Secretarial Training)	One	One	One	One
2	Office Superintendent (Graduation with five year of administrative experience)	One	One	One	One
3	Clerical staff (Graduation with computer knowledge) and Account staff (B. Com or M. Com with computer knowledge)	Three	Four	Five	Six
4	Attendant (minimum 10 th standard)	One	Two	Three	Three
B. Central Library					
5	Librarian (with M. Lib.Sc or B. Lib. Sc with five years of Library experience)	One	One	One	One
6	Assistant Librarian (with B. Lib.Sc)	One	One	Two	Three
7	Library Attendant (minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
C. Teaching Departments (13)					
(1) Siddha Maruthuva Moola Thathuvam (Basic Principles of Siddha Medicine)					
8	Attendant (with minimum 10 th standard)	One	One	One	One
(2) Udal Koorugal (Anatomy)					
9	Lab Assistant (minimum 12 th standard with Biology)	One	One	Two	Two
10	Lab Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
(3) Udal Thathuvam (Physiology)					
11	Lab Technician (Udal Thathuvam Lab) (with minimum Diploma in Medical Laboratory Technology)	One	One	One	One
12	Lab Attendant (Udal Thathuvam Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
13	Lab Technician (Uyirvedhiyiyal Lab) (with minimum DMLT)	One	One	One	One
14	Lab Attendant (Uyirvedhiyiyal Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
(4) Gunapadam Marunthiyal (Materia Medica and Pharmacology) and Herbal Garden					
15	Lab Assistant (Gunapadam Marunthiyal Lab) (12 th Standard with Biology or Chemistry)	One	One	One	Two
16	Lab Attendant cum Museum Keeper (Gunapadam Marunthiyal Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
17	Lab Assistant (Maruthuva Thavaraviyal Lab) (12 th Standard with Biology)	One	One	One	One
18	Lab Attendant cum Herbarium, Museum Keeper (Maruthuva Thavaraviyal Lab)	One	One	Two	Two

	(with minimum 10 th standard)				
Herbal Garden under Gunapadam Marunthiyal Department					
19	Gardener	One	One	One	One
20	Multipurpose worker	Two	Two	Two	Two
(5) Gunapadam Marunthakaviyal (Materia Medica and Pharmaceutics)					
21	Instructor (Teaching Pharmacy) (with BSMS)	One	One	One	One
22	Lab Assistant (Teaching Pharmacy) (12 th standard with Biology or Chemistry)	--	--	One	Two
23	Lab Attendant cum Museum Keeper (Teaching Pharmacy and Museum) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
24	Lab Technician (Quality Testing Laboratory) (with B. Pharm or M. Pharm)	One	One	One	One
25	Lab Attendant (Quality Testing Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	One	One
(6) Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology)					
26	Lab Technician (Noi Naadal Lab) (with DMLT)	One	One	One	One
27	Lab Attendant cum Museum Keeper (Noi Naadal Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
28	Lab Technician Nunnuyiriyal Lab) (with DMLT)	One	One	One	One
29	Lab Attendant (Nunnuyiriyal Lab) (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
(7) Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology)					
30	Lab Assistant (minimum 12 th standard with Biology)	One	One	One	One
31	Lab Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
(8) Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)					
32	Lab Technician (Nutrition Lab) (with DMLT)	One	One	One	One
33	Lab Attendant cum Museum Keeper (with minimum 10 th standard)	One	One	One	One
(9) Maruthuvam (Medicine), (10) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu maruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine), (11) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology), (12) Sool and Magalir maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) and (13) Kuzhanthai maruthuvam (Paediatrics)					
34	Attendant (with minimum 10 th standard)	One	One	Two	Two
D. Clinical Skill or Simulation Laboratory					
35	Coordinator (BSMS graduate preferably with training/orientation on handling of manikins and simulators)	One	One	One	One
36	Office Assistant (Graduation with computer knowledge)	One	One	One	One
37	Attendant (with minimum 10 th standard)	One	One	One	One

E. Human Resource Development Cell					
38	Coordinator (BSMS graduate with MBA or any graduate with MBA)	One	One	One	One
39	Office Assistant (graduation with computer knowledge)	One	One	Two	Three
40	Attendant (with minimum 10 th standard)	One	One	One	One
F. IT Cell including Digital Library					
41	Information Technology Officer (B.E or B.Tech Computer Science or Master in Computer Application)	One	One	One	One
42	Information Technology Assistant (BSc Computer science or Bachelor in Computer Application)	One	One	Two	Three
43	Multi-Tasking Staff	One	One	One	One
G. Central workshop or Maintenance Cell					
44	Site Engineer (with B.E/B.Tech preferably civil)	One	One	One	One
	Total	46	48	66	72

Note: Additional staff like sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multipurpose worker etc. may be obtained by outsourcing.

THE SEVENTH SCHEDULE

[See regulation 17 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR DISSECTION HALL AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF UDAL KOORUGAL (ANATOMY)

Sl.No.	Instruments and Equipment	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Dissection Hall					
1	Tank with a capacity to preserve 2-4 bodies	Essential			
2	Dissection Sets	Ten	Fifteen	Twenty-two	Twenty-nine
3	Dissecting Table				
	a. Full size with stainless steel top or marble top	Three	Four	Six	Eight
	b. Half size with stainless steel top or marble top	Seven	Eleven	Sixteen	Twenty-one
4	X-ray viewing box	Three	Four	Five	Six
5	Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ – fine pointed Chisel bone dissector	Assorted			
6	Surgical gloves	As required			
7	Surgical blade	As required			
8	Disposable syringe and needle	As required			
9	Wash Basin	As required			

10	Preservative Chemicals	As required			
11	Glass jars	Assorted			
12	Stools for students preferably revolving	As required			
13	Embalming Machine (optional)	One			
14	Band saw (optional)	One			
15	Hand saw	One			
16	Histology slides	Assorted			
17	Binocular Microscope	Four	Six	Eight	Ten
18	Furnitures and other equipment	Assorted			
Note: The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain adequate facilities including equipment, instruments, specimens etc., according to student intake capacity for smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.					
B. Museum cum Tutorial Room					
1	Specimens such as skeleton, bones, joints, preserved organs etc.,	As required			
2	Models	As required			

THE EIGHTH SCHEDULE

[See regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR UDAL THATHUVAM (PHYSIOLOGY) PRACTICAL LABORATORY, AND UYIR VEDHIYIAL (BIOCHEMISTRY) PRACTICAL LABORATORY UNDER THE DEPARTMENT OF UDAL THATHUVAM (PHYSIOLOGY)

Sl.No.	Equipment and Instruments	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Udal Thathuvam Practical Laboratory					
1	Microscope with oil immersion	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
2	Westergren's pipette for Erythrocyte Sedimentation Rate	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
3	Westergren's stand	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
4	Haematocrit Tube	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
5	Packed Cell Volume Pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
6	Sahli's Haemoglobinometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
7	Haemocytometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
8	Stethoscope	Ten	Twenty	Thirty	Forty
9	Clinical Thermometer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
10	Knee Hammer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
11	Blood Pressure Measuring Apparatus	Ten	Twenty	Thirty	Forty
12	Tuning forks	Ten	Twenty	Thirty	Forty
13	Electrocardiograph	One	One	Two	Two

14	Stop watches	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
15	Weighing machine	One	Two	Three	Four
16	Height measuring stand	One	Two	Three	Four
17	Balance-Electronic	One	Two	Three	Four
18	Snellen chart	Two	Two	Four	Four
19	Centrifuge with speed control	One	Two	Three	Four
20	pH Meter (Electric)	One	Two	Three	Four
21	Newton's colour wheel	One	Two	Three	Four
22	Sterilizer	One	One	Two	Two
23	Peak expiratory flow meter	One	Two	Three	Four
24	Spirometer	One	Two	Three	Four
25	Urinometer	One	Two	Three	Four
26	Compass aesthesiometer	One	One	Two	Two
27	Thermal aesthesiometer	One	One	Two	Two
28	Hand grip dynamometer	One	One	Two	Two
29	Harvard step	One	One	Two	Two
30	Lancet pen	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
31	Disposable syringe and needles	As required			
32	Needle destroyer	As required			
33	Refrigerator	One	One	One	One
34	Cover slips	As required			
35	Glassware	Assorted			
36	Microslides	As required			
37	Reagents	As required			
38	Torch	As required			
39	Measuring tape	As required			
40	Blotting paper	As required			
41	Revolving stools for students	As required			

Note: The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain adequate facilities, including equipment, instruments, chemicals, reagents, etc., according to student intake capacity for smooth conduct of the practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

B. Uyir Vedhiyiyal Practical Laboratory

1	pH meter	One	Two	Three	Four
2	Chromatography	One	One	Two	Two
3	Electrophoresis unit	One	One	Two	Two
4	Centrifuge with speed control	One	Two	Three	Four
5	Microscope with oil immersion	Two	Four	Six	Eight
6	Colorimeter	One	Two	Three	Four
7	Water bath	One	Two	Three	Four
8	Bunsen burner	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
9	Ryle's Tube	One	One	Two	Two
10	Ultraviolet Visual Spectrophotometer	One	One	One	One

11	Electronic balance	One	Two	Three	Four
12	Physical balance	One	Two	Three	Four
13	Incubator	One	One	Two	Two
14	Hot plate	One	Two	Three	Four
15	Flame photometer	Optional			
16	Refrigerator	One	One	One	One
17	Electrolyte analyser	Optional			
18	Micropipette (fixed and variable volume)	Two each	Two each	Four each	Four each
19	Hot air oven	One	One	Two	Two
20	Spirit lamp	Three	Six	Nine	Twelve
21	Water distillation unit	One	One	One	One
22	Reflux condenser	One	Two	Three	Four
23	Measuring cylinder	Assorted			
24	Pipette	Assorted			
25	Standard flask	Assorted			
26	Conical flask	Assorted			
27	Beaker	Assorted			
28	Test tube stand	As required			
29	Test tube	As required			
30	Test tube holder	As required			
31	Test tube rack	As required			
32	Funnel	As required			
33	Folinwu tube 25 ml	Various capacity (as required)			
34	Glass dropper	As required			
35	Tripod stand	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-Five
36	Reagents	As required			
37	Stools for students preferably revolving	As required			

Note: The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

THE NINTH SCHEDULE

[See regulation 17 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR MARUTHUVA THAVARAVIYAL (MEDICINAL BOTANY AND PHARMACOGNOSY) PRACTICAL LABORATORY, GUNAPADAM MARUNTHIYAL (MATERIA MEDICA AND PHARMACOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF GUNAPADAM MARUNTHIYAL (MATERIA MEDICA AND PHARMACOLOGY)

Sl.No.	Equipment and Instruments	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Gunapadam Marunthiyal Practical Laboratory					
1	Kalvam				

	a. Small	Two	Four	Eight	Ten
	b. Medium	Ten	Twenty	Thirty	Forty
2	Yanthiram				
	a. Thula yanthiram	One	One	Two	Two
	b. Avi yanthiram	Two	Three	Four	Five
	c. Valuka yanthiram	Two	Three	Four	Five
3	Distillation apparatus	One	One	One	One
4	Idi karuvi (for Pounding)	Five	Ten	Fifteen	Twenty
5	Centrifuge	Two	Four	Six	Eight
6	Pestle and mortar	Ten	Twenty	Thirty	Forty
7	Soxhlet apparatus with heating unit	One	One	Two	Two
8	Centrifuge tube	As required			
9	Test tube	Assorted			
10	Test tube holder	Assorted			
11	Test tube rack	Assorted			
12	Conical flask	Assorted			
13	Glass rod	As required			
14	Dropper	As required			
15	Beaker (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml)	As required			
16	Measuring jars (glass) (10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml)	As required			
17	Measuring jars (plastic/ fibre) (10 ml, 25 ml, 100 ml, 500 ml)	As required			
18	Heating device				
	a. Gas stove	As required			
	b. Bunsen burner	As required			
	c. Induction stove	As required			
19	Balance				
	a. Physical	One	One	Two	Two
	b. Electronic	One	Two	Three	Four
20	Refrigerator	One	One	One	One
21	Vessels				
	a. Copper	Assorted			
	b. Steel	Assorted			
	c. Iron	Assorted			
	d. Earthen	Assorted			
22	Ladle, Spatula, Spoon etc.,	Assorted			
23	Juice extractor	As required			
24	Glass jars	Assorted			
25	Pasteur pipette 1 ml	As required			
26	Pipette	As required			
27	Funnel	As required			

28	Round bottom flask with iron mesh	As required			
29	Watch glass 80 mm	As required			
30	Platinum wire	As required			
31	Brush	As required			
32	Filter paper	As required			
33	pH indicator paper	As required			
34	Knives	Assorted			
35	Steel plates	Assorted			
36	Enamel tray	Assorted			
37	Areca nut cutter	As required			
38	Chopping pad	Assorted			
39	Surgical gloves	As required			
40	Water bath	One	One	Two	Two
41	Spirit lamp	As required			
42	Chemicals and reagents	As required			
43	Almirahs and racks for storage	As required			
44	Fire extinguisher	One			
B. Maruthuva Thavaraviyal Practical Laboratory					
Plant Anatomy					
1	Trinocular microscope with digital camera	One	One	Two	Two
2	Field magnifier	Six	Ten	Fifteen	Twenty
3	Compound microscope	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
4	Watch glass	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
5	Microslides	Five boxes	Ten boxes	Fifteen boxes	Twenty boxes
6	Cover glass	Five boxes	Ten boxes	Fifteen boxes	Twenty boxes
7	Slide box with permanent slides	Required as per the syllabus			
8	Plastic dropper bottle-10 ml	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
9	Petri dishes-set	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
10	Chemicals and reagents	As required			
Plant Taxonomy					
11	Dissection Microscope	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
12	Enamel trays	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
13	Hand magnifier	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
14	Dissection box with brushes, needles and razor or blades	Thirty	Fifty	Seventy-five	Hundred
15	Formaldehyde (Preservation)	As required			
Chromatography					
16	Thin Layer Chromatography Chamber	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
17	Thin Layer Chromatography pre-coated plates (box)	One	Two	Three	Four
18	Thin Layer Chromatography glass plates	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty

19	Mortar and Pestle	Five	Ten	Fifteen	Twenty
20	Reagent bottle	Ten	Twenty	Thirty	Forty
21	Micropipette	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
22	Conical flask	Five	Ten	Fifteen	Twenty
23	Beaker-250 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
24	Beaker-100 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
25	Glass funnel	Ten	Twenty	Thirty	Forty
26	Measuring cylinder-10 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
27	Measuring cylinder-25 ml	Ten	Twenty	Thirty	Forty
28	Whatsman filter paper roll	One	Two	Three	Four
29	Capillary tube (box)	One	Two	Three	Four
30	Glassware, Chemicals, and reagents	As required			
Miscellaneous					
31	Electronic balance	One	Two	Three	Four
32	Spirit lamp	Four	Eight	Ten	Fifteen
33	Ocular micrometer	One	Two	Three	Four
34	Stage micrometer	One	Two	Three	Four
35	Refrigerator	One			
36	Camera Lucida prism type and mirror type (optional)	One			
37	Revolving stools for students	As required			
Herbarium					
38	Wooden Field press	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
39	Vasculum/Botanical box	Five	Ten	Fifteen	Twenty
40	Plant press	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
41	Gardening tools for herbal garden (Spade, hand hoes, rake, crowbar, garden scissors, secateurs, water hose, hand sprinkler, sand bond etc.)	As required			
Note: The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.					
C. Museum cum Tutorial Room					
1	Mooligai (Herbs)	Specimens			
2	Thathu (Metals and Minerals)	Specimens			
3	Jeevam (Animal derivatives)	Specimens			
4	Herbarium cabinet with 26 alphabetical cases	100 specimens	150 specimens	200 specimens	250 specimens
5	Permanent microslide specimens	Twenty			
6	Specimens for Maruthuva Thavaraviyal	Assorted			
Note: Poisonous substances should be preserved in the museum safely in locked display shelf cabinet					

THE TENTH SCHEDULE

[See regulation 17, regulation 20, regulation 21 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR GUNAPADAM MARUNTHAKAVIYAL (MATERIA MEDICA AND PHARMACEUTICS) TEACHING PHARMACY (PRACTICAL LABORATORY), QUALITY TESTING LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF GUNAPADAM MARUNTHAKAVIYAL (MATERIA MEDICA AND PHARMACEUTICS)

Sl.No.	Equipment and Instruments	60students intake capacity	100 students intake capacity	150students intake capacity	200students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Gunapadam Marunthakaviyal Teaching Pharmacy (Practical Laboratory)					
1	Kalvam				
	a. Small	Ten	Twenty	Thirty	Forty
	b. Medium	Ten	Twenty	Thirty	Forty
	c. Porcelain	Five	Ten	Fifteen	Twenty
	d. Thaptha kalvam	Two	Four	Six	Eight
2	Yanthiram				
	a. Avi yanthiram	One	Two	Three	Four
	b. Thula yanthiram	One	Two	Three	Four
	c. Sudar thyla karuvi	One	Two	Three	Four
	d. Valuka yanthiram	One	Two	Three	Four
3	Distillation apparatus	Two	Four	Six	Eight
4	Idi karuvi for pounding	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
5	Moosai (Different size)	Ten	Twenty	Thirty	Forty
6	Pudam (Different kinds)	Ten	Ten	Ten	Ten
7	Blower	Two	Four	Six	Eight
8	Heating devices				
	a. Gas stove	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Thirty
	b. Induction stove	As required			
	c. Aduppu (Charcoal or Viraku)	Two	Four	Six	Eight
	d. Hot plate	As required			
9	Balance				
	a. Physical	One	Two	Three	Four
	b. Electronic	One	Two	Three	Four
	c. Chemical	One	One	Two	Two
10	Vessels, jars, plates, tray etc.				
	a. Brass	Assorted			
	b. Copper	Assorted			
	c. Steel	Assorted			
	d. Iron	Assorted			
	e. Mud/Earthen	Assorted			
	f. Frying pan	Assorted			
	g. Spatula	Assorted			
	h. Ladle and spoon	Assorted			

	i. Steel plates	Assorted			
	j. Enamel tray	Assorted			
	k. Plastic tray	Assorted			
	l. Jars or Containers	Assorted			
11	Grinding machines				
	a. Mixer grinder	One	Two	Three	Four
	b. Wet grinder	One	One	Two	Two
12	Pyrometer	Assorted			
13	Thermometer	As required			
14	Refrigerator	One	One	One	One
15	Knives	Assorted			
16	Scrappers	Assorted			
17	Hand stirrer	Assorted			
18	Chopping pad	Assorted			
19	Measuring equipment (Different volume)	Assorted			
20	Porcelain jars for fermentation purpose	Assorted			
21	Sieves (Different size and numbers)	Assorted			
22	Juice extractor	Assorted			
23	Pressure cooker	Assorted			
24	Fire extinguisher	One			
25	Spirit lamp	Assorted			
26	Almirahs and Racks for storage	Assorted			

Note: 1. "Puda saalai" shall be maintained in the suitable area in the college premises to demonstrate different pudam.

2. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, etc., for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

3. Fire safety measures shall be available.

B. Quality Testing Laboratory

1	Tablet disintegration tester
2	Tablet friability tester
3	Tablet hardness tester
4	Tablet dissolution tester
5	Alcohol determination apparatus
6	Volatile oil determination apparatus
7	Bulk density tester
8	Boiling point and Melting point determination apparatus
9	Viscometer
10	Moisture determination apparatus
11	Muffle furnace
12	Refractometer
13	Electronic balance
14	Physical balance
15	Magnetic stirrer

16	Hot air oven
17	Refrigerator
18	Glass or Steel distillation apparatus
19	Liquefied Petroleum Gas cylinder with burners
20	Water bath (Temperature controlled)
21	Heating mantles or Hot plates
22	Thin Layer Chromatography apparatus for with all accessories
23	Paper chromatography apparatus with all accessories
24	Sieve size 10 to 120 with sieve shaker
25	Centrifuge
26	Dehumidifier
27	pH meter (digital)
28	Limit test paper
29	Pycnometer or Specific gravity bottle
30	Hydrometer
31	Rotatory shaker
32	Pyrometer
33	Pestle and mortar
34	Glassware (as required)
35	Microscope (binocular)
36	Dissecting microscope
37	Compound microscope
38	Aluminium slide trays
39	Stage micrometer
40	Ocular micrometer
41	Camera Lucida (prism and mirror type) (Optional)
42	Chemicals (as required)
43	Soxhlet apparatus with heating unit
44	Conductivity meter
45	Nephelometer and turbidimeter
46	Titration tube
47	Vernier caliper
48	Hot plate
49	Ultraviolet Spectrophotometer (Optional)
50	Microslide cabinet
51	Dissection box
52	Microtome
53	Pipette
54	Slide with cover slip
55	Hydrion pH paper
56	Test tube and test tube rack
57	Spatula and spoon

58	Filter paper
59	Spirit lamp
60	Round bottom glass with iron mesh
61	Platinum wire
62	Watch glass
63	Bunsen burner
64	Tripod stand
65	Silica crucible

Note: 1. Department shall provide facilities to demonstrate traditional methods of quality assessments

2. The listed items in the **Table** are the minimum standard requirements. Quality Testing Laboratory shall maintain all facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., for quality analysis of drugs, demonstrative teaching and for drug analysis and research.

3. Quality Testing Laboratory shall be a common facility for Gunapadam Marunthiyal and Gunapadam Marunthakaviyal departments.

C. Museum cum Tutorial Room

1	Mooligai	Specimens
2	Ulogankal	Specimens
3	Karasaram	Specimens
4	Padanangal	Specimens
5	Uparasam	Specimens
6	Vaippu charakkugal	Specimens
7	Higher order of Siddha medicines (Parpam, Chenduram, Chunnam, Pathangam, Kattu etc.,)	Samples in glass jars
8	Kuppi puda karuvi	One
9	Kuzhi thyla karuvi	One
10	Mezhugu thyla yanthiram	One
11	Chenduram erikkum karuvi	One
12	Pathanga karuvi	One
13	Dravaga yanthiram	One
14	Vaaluka yanthiram	One
15	Dhoopa yanthiram	One
16	Avi yanthiram	One
17	Thula yanthiram	One
18	Sudar thyla karuvi	One
19	Pudam-Models	Different kinds
20	Agal	Assorted
21	Kuppi	Assorted
22	Adaippan	Assorted
23	Chatti	Assorted

Note: Poisonous substances should be preserved in the museum safely in locked display shelf cabinet

THE ELEVENTH SCHEDULE

[See regulation 17, regulation 23 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR NOI NAADAL NOI MUDHAL NAADAL (PATHOLOGY) PRACTICAL LABORATORY, NUNNUYIRIYAL (MICROBIOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF NOI NAADAL NOI MUDHAL NAADAL (PATHOLOGY)

Sl.No.	Equipment and Instruments	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Noi Naadal Noi Mudhal Naadal (Pathology) Practical Laboratory					
1	Binocular microscope	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
2	Microscope with oil immersion	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
3	Monocular microscope with oil emersion lens 20 (e)	Fifteen	Twenty-five	Forty	Fifty
4	X-ray view box	One	One	Two	Two
5	Sahli's square tube (Haemoglobinometer)	Thirty	Fifty	Fifty	Fifty
6	Haemoglobin pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
7	White Blood Cell pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
8	Dropper	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
9	Red Cell pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
10	Improved Neubauer chamber	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
11	Incubator	One	Two	Three	Four
12	Wintrobe's tube	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
13	Pasteur's pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
14	Centrifuge Graduated Machine	One	Two	Three	Four
15	Westergren's pipette	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
16	Westergren's stand	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
17	Urinometer	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
18	Autoclave	One	One	One	One
19	Cell counter (haemo-auto analyser)	One	One	One	One
20	BP Apparatus	Five	Ten	Fifteen	Twenty
21	Stethoscope	Five	Ten	Fifteen	Twenty
22	Thermometer	Ten	Twenty	Thirty	Forty
23	Thermal scanner	One	Two	Three	Four
24	Tongue depressor	Five	Ten	Fifteen	Twenty
25	Stopwatch	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
26	Physical Balance	One	One	Two	Two
27	Electronic balance	One	One	Two	Two
28	Hot air oven	One	One	Two	Two
29	Bunsen Burner	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
30	Refrigerator	One	One	One	One
31	Sterile vessels or bottle to collect samples	As required			
32	Torch	As required			
33	Measuring Tape	As required			

34	Weighing machine	One	One	One	One
35	Tuning Forks	Assorted			
36	Nasal speculum	As required			
37	Laryngoscope	As required			
38	Catheters	As required			
39	Probes	Assorted			
40	Sterile disposable lancet or needle	Assorted			
41	Glass rod	Assorted			
42	Syringe needle destroyer	As required			
43	Cover slip	As required			
44	Cleaned slides	As required			
45	Litmus paper	As required			
46	pH indicator paper strips	As required			
47	Test tube, Test tube holder, Test tube rack	Assorted			
48	Funnel	As required			
49	Conical flask	Assorted			
50	Glass Jars with lid of different sizes	Assorted			
51	Capillary Tubes	Assorted			
52	Rubber teat	Assorted			
53	Magnifying lens	As required			
54	Multi sticks	As required			
55	Siddha diagnostics				
	a. Neerkkuri-Neikkuri test kit (Bowl, sterile urine container, piece of coconut leaf mid rib, cold pressed wooden mortar expressed sesame oil)	As required			
	b. Manikkadai nool test kit (inelastic twine)	As required			
56	Revolving stools for students	As required			

Note: 1. Department shall provide all kind of facilities to demonstrate or train the students on application of Siddha diagnostic methods

2. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.

B. Nunnuyiriyal (Microbiology) Practical Laboratory

1	Autoclave (vertical)	One	One	Two	Two
2	Hot air oven	One	One	One	One
3	Incubator (Bacteriological)	One	Two	Two	Two
4	Refrigerator	One	One	Two	Two
5	Microscope (binocular with oil immersion)	Thirty	Fifty	Seventy-five	One hundred
6	Laminar airflow vertical chamber (optional)	One	One	One	One
7	Water bath	One	One	One	One
8	Colony counter	One	One	One	One
9	Venereal Disease Research Laboratory	One	Two	Two	Two

	Test Rotator (180rpm)				
10	Physical balance	One	One	Two	Two
11	Bunsen burner	Fifteen	Twenty	Twenty-five	Thirty
12	Centrifuge	One	Two	Two	Two
13	pH meter	One	Two	Three	Three
14	Staining tray or rack	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
15	Deep freezer (-20c)	One	One	One	One
16	Colorimeter	One	One	Two	Two
17	Magnetic stirrer	Two	Two	Three	Three
18	Vortex mixer	Two	Two	Three	Three
19	Distillation unit	One	One	One	One
20	Orbital shaker	One	Two	Three	Four
21	Gas stove with cylinder	One	One	Two	Two
22	Microwave oven	One	One	Two	Two
23	Micropipette (fixed & variable volume)	Assorted			
24	Petri dishes (glass)	As required			
25	Cavity slides	As required			
26	Microscopic glass slides	As required			
27	Cover slips	As required			
28	Test tubes (15 ml, 30 ml)	Assorted			
29	Pipettes glass graduated	As required			
30	Conical flask (100 ml, 250 ml, 500ml, 1L)	Assorted			
31	Beaker (100 ml, 250 ml, 500 ml)	Assorted			
32	Funnel	As required			
33	Spirit lamp	As required			
34	Almirah	As required			
35	Electronic balance- digital	One	Two	Three	Four
36	Triple beam balance (1gm-100gm)	One	Two	Three	Four
37	Rough balance (100gm-1Kg)	One	Two	Three	Four
38	Pressure cooker (15L)	One	One	Two	Two
39	Inoculation chamber	One	Two	Three	Four
40	Anaerobic jar with vacuum pump	One	One	Two	Two
41	Measuring cylinder	Assorted			
42	Inoculation loop	As required			
43	Spatula, Spoon	Assorted			
44	Dropper	As required			
45	Distilled water	As required			
46	Cedar wood oil	As required			
47	Chemicals and reagents	As required			
48	Staining kit	As required			
49	Media	As required			
50	Test kits or Serological kits	As required			

51	Revolving stools for students	As required
<p>Note: 1. The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.</p> <p>2. Safety measures shall be ensured against microbial contaminations.</p>		
C. Museum cum Tutorial Room		
1	Pathological specimens and models	As required
2	Typical X-Ray or Computed Tomography or Magnetic Resonance Imaging -images	As required

THE TWELFTH SCHEDULE

[See regulation 17 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR SATTAM SAARNTHA MARUTHUVAMUM NANJU MARUTHUVAMUM (FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY) PRACTICAL LABORATORY AND MUSEUM CUM TUTORIAL ROOM UNDER THE DEPARTMENT OF SATTAM SAARNTHA MARUTHUVAMUM NANJU MARUTHUVAMUM (FORENSIC MEDICINE AND TOXICOLOGY)

Sl.No.	Equipment and Instruments	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Practical Laboratory					
1	Test tubes	As required			
2	Test tube stands and holders	As required			
3	Glass Jar 200ml	As required			
4	Stainless Steel spoon	Assorted			
5	Glass Plate (Small)	Assorted			
6	Spirit lamp	Ten	Fifteen	Twenty	Twenty-five
7	Glass bowl	As required			
8	Plastic spotter container	Twenty	Thirty	Forty	Fifty
9	Stomach Wash Tube	Two	Two	Four	Four
10	Ryle's tube	Two	Two	Four	Four
11	Glass Beaker 200ml	As required			
12	Specimen Jar (medium)	Ten	Ten	Twenty	Twenty
13	X-ray view box	One	One	Two	Two
14	Compound microscope	Five	Eight	Twelve	Sixteen
15	Dropper	As required			
16	Physical balance	One	One	One	One
17	Digital weighing scale	One	One	One	One
18	Spatula	Assorted			
19	Enamel Trays	Assorted			
20	Almirahs and Racks for Storage	Assorted			
21	Artery Forceps (Big)	Four	Four	Four	Four
22	Conical Flask	As required			
23	Magnet Pieces	As required			
24	Glass rod	As required			
<p>Note: The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain facilities including equipment, instruments, chemicals/reagents etc., according to student intake capacity for the smooth conduct of practicals listed in the syllabus and for demonstrative teaching.</p>					

B. Museum cum Tutorial Room		
1	Skeleton model	Male-one, Female-one
2	Weapons (pistol, revolver, rifle, short gun, hammer, iron rod, chopper knife, sickle, spear, sword, razor, and axe etc)	Models*
3	Injury and toxic materials	Images
4	Toxic substances- specimen (Metals, Minerals, Animals and Plants)	Specimens*
5	Forensic medicine	Models
6	Human organs (Lung, Heart, Kidney, Liver, Uterus etc)	Specimens
Note: In the museum, *poisonous substances or harmful weapons in models and specimens should be preserved safely in locked display shelf cabinet		

THE THIRTEENTH SCHEDULE

[See regulation 17, regulation 24 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR NUTRITION LABORATORY UNDER THE DEPARTMENT OF NOI ANUGAVIDHI INCLUDING RESEARCH METHODOLOGY AND MEDICAL STATISTICS (PRINCIPLES AND DISCIPLINES OF DISEASE PREVENTION AND PUBLIC HEALTH)

Sl. No	Equipment or Instruments	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Nutrition Laboratory					
1	Digital weighing Scale	One	One	One	One
2	Kjeldahl system (Digestion unit + distillation unit)	One	One	One	One
3	Digital Muffle Furnace	One	One	One	One
4	Soxhlet Fat Extraction System	One	One	One	One
5	Abbe's Digital Refractometer	One	One	One	One
6	Flame Photometer	One	One	One	One
7	Hot Air oven	One	One	One	One
8	Refrigerator	One	One	One	One
9	Water bath	Two	Two	Four	Four
10	Grinder	One	One	Two	Two
11	Magnetic stirrer	Two	Two	Four	Four
12	Hot Plate	Two	Two	Four	Four
13	Digital pH meter	One	One	One	One
14	Vacuum filter system	One	One	One	One
15	Sonicator	One	One	One	One
16	Fume hood	One			
17	Desiccator	One	One	One	One
18	Vortex mixer	One	One	One	One

19	Viscometer	One	One	One	One
20	Refrigerated centrifuge	One			
21	Digital Polarimeter	One			
22	Burette	Twenty	Thirty	Forty	Fifty
23	Glass pipette	Twenty	Thirty	Forty	Fifty
24	Micropipette (Different Capacities)	Five each	Five each	Five each	Five each
25	Heating mantle (Different Capacities)	Five each	Five each	Five each	Five each

Note:1. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain facilities including equipment, instruments, etc., according to student intake capacity for practical training or demonstrative teaching;

2. Facilities for practical training in preparation of culinary medicines/functional food may also be provided

B. Museum cum tutorial room

1	Information on thinai ozhukkam, naal ozhukkam and kaala ozhukkam
2	Information Siddha concepts related to public health
3	Information on unavae marunthu; marunthae unavu concept
4	Information on Siddha preventive medicines
5	Information on Siddhar kayakarpam
6	Information on Siddhar attangayogam
7	Siddha diet regimen for vatham, pitham and kabam body constituents
8	Information on Nutritious and balanced diet
9	Information on Bio-cleansing and detoxification measures in Siddha
10	Information on National Health Programmes
11	Information on vector borne diseases
12	Information on communicable diseases
13	Information on non-communicable diseases
14	Information on medicinal plants, uses and importance in preventive and promotive healthcare perspective
15	Specimens- Thirithoda samana porul
16	Specimens under six tastes and its influences over the body
17	Specimens- Medicines nourishing seven body constituents
18	Specimens- Preventive medicines in Siddha
19	Specimens- Fumigation drugs in Siddha
20	Specimens of vatha porul, pitha porul and kaba porul used in diet
21	Specimens- Kayakarpam
22	Specimens- Nava dhaniyangal and siru dhaniyangal
23	Models based on the syllabus
24	Any other model/specimen/information as decided by the department

THE FOURTEENTH SCHEDULE

[See regulation 17, regulation 26 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF MANIKINS, SIMULATORS, TRAINERS, OR SPECIAL DEVICES FOR CLINICAL SKILL LABORATORY IN THE COLLEGE

Sl. No	Name of the Manikins or Simulator or Trainers or Special Devices	60 students intake capacity	100 students intake capacity	150 students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Third (Final) Professional					
A. Maruthuvam Section					
1	Chest auscultation trainer	One	One	Two	Two
2	Abdominal examination trainer	One	One	Two	Two
3	Injections and Intravenous trainer	Two	Four	Six	Eight
4	Intravenous infusion and calculation of drip rate	One	Two	Three	Four
5	Cardiopulmonary Resuscitation Training	Two	Three	Four	Five
6	Oxygen therapy	One	One	Two	Two
7	Aerosol therapy or nebulization	One	One	Two	Two
B. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Section					
1	Full body manikin -Multipurpose (for demonstration of thokkanam, podi thimirthal, varma therapy and applicable Puramaruthuvam procedures etc.)	One	One	Two	Two
2	Enema trainer	Two	Two	Three	Four
C. Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Section					
1	Ryle's tube insertion	One	One	Two	Two
2	Early management of trauma and trauma life support	One	One	One	One
3	Pleural and Ascitic fluid aspiration	One	One	Two	Two
4	Urinary catheterization – Male	One	Two	Three	Four
5	Urinary catheterization – Female	One	Two	Three	Four
6	Basic Incision and Suture Trainer	Two	Three	Four	Five
7	Basic Wound Care	One	One	Two	Two
8	Basic Bandaging	One	One	Two	Two
9	Incision and Drainage trainer	Two	Three	Four	Five
10	Basic fracture and dislocation management trainer	One	One	Two	Two
11	Prostate examination trainer	One	One	Two	Two
12	Per-rectal examination trainer	One	One	Two	Two
13	Special devices				
	a. Ophthalmoscope	One	Two	Three	Four
	b. Fundoscope	One	Two	Three	Four
	c. Dermo scope	One	Two	Three	Four
	d. Ear Nose Throat examination set	One	Two	Three	Four
D. Sool and Magalir Maruthuvam Section					

1	Per speculum and per vaginal examination trainer	One	One	Two	Two
2	Visual inspection of cervix	One	One	Two	Two
3	Intra uterine contraceptive device insertion and removal trainer	One	One	Two	Two
4	Obstetric examination trainer	One	One	Two	Two
5	Episiotomy trainer	Two	Three	Four	Five
6	Normal labour	One	One	One	One
7	Intra uterine insemination (IUI) trainer	One	One	Two	Two
8	Examination of breast lump	One	Two	Three	Four
E. Kuzhanthai Maruthuvam Section					
1	Paediatric Intravenous infusion and calculating drip rate	One	One	Two	Three
2	Neonatal resuscitation	One	One	Two	Three
F. Noi Nadal Noi Mudhal Naadal Section					
1	Nursing trainer for decubitus	One	One	Two	Two
2	Blood sampling	One	One	Two	Two
G. Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum Section					
1	Documentation and certification of trauma	Two	Three	Four	Five
2	Diagnosis and certification of death	Two	Three	Four	Five
3	Legal documentation related to emergency cases	Two	Three	Four	Five
4	Certification of medico-legal cases	Two	Three	Four	Five
5	Establishing communication in medico-legal cases with police, public health authorities, and other concerned departments	Two	Three	Four	Five
Note: The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. However, as per the requirement, the college may increase number of manikin/ simulators for providing clinical skill to the students.					

THE FIFTEENTH SCHEDULE

[See regulation 55 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR MAGAPPERU/PRASAVA ARAI (LABOUR ROOM) UNDER THE DEPARTMENT OF SOOL AND MAGALIR MARUTHUVAM (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL

Sl.No. (1)	Equipment and Instruments (2)	Minimum Required Quantity (3)
1	Shadow less Lamp	One
2	Suction Machine (Neonatal)	One
3	Oxygen Cylinder and Mask	One
4	Foetal Toco Cardiograph	One
5	Radiant Warmer	One
6	Photo therapy Unit	One

7	Weighing Machine (Paediatric)	One
8	Patient trolley	Two
9	Anaesthesia trolley	One
10	Infantometer	One
11	Vacuum extractor	One
12	Foetal Doppler	One
13	Low cavity forceps	Two
14	Steriliser	Two
15	Mackintosh rubber sheet	Assorted
16	Instruments for Labour and Episiotomy. (Scissors, forceps, needle holders etc.)	Assorted
17	Baby tray	Two
18	Nebuliser	One
19	Foetoscope	Five
20	Auto Clave	One
21	Drums	Assorted
22	Instrumental Trolley	Assorted
23	Operation Theatre tables and head Up and head Low facility	One
24	Pulse Oximeter	One
25	Resuscitation kit	One
26	Boyle's apparatus	One
27	Electrocautery	One
28	Medical Termination of Pregnancy Suction Machine	One
29	Anaesthesia Kit	One
30	Blunt and Sharp Curettes	Ten
31	Dilators set (Hegar's, Hawkins)	Five
32	Sims's Speculum	Five
33	Cysco's Speculum	Five
34	Anterior Vaginal Wall retractor	Five
35	Uterine sound	Five
36	Volsellum	Five
37	Medical Termination of Pregnancy Suction Curette	Five
38	Retractors abdominal (Doyne's etc.)	Five
39	Sponge holding forceps	Five
40	Green armytage forceps	Five
41	Uterus holding forceps	Five
42	Kocher's forceps	Five
43	Artery forceps (Long, short, Mosquito)	Five each
44	Scissors- different sizes	Five
45	Forceps obstetrics	Five
46	Endotracheal tubes	Five
47	Cord Cutting appliances	Five
48	Intrauterine Contraceptive Device removing hook	Five

49	Bladder Sound	Five
50	Blood Pressure measuring apparatus	Two
51	Human Immunodeficiency Virus kit for emergency patients	Assorted
52	Plain and Hole towels	Assorted
53	Towel Clips	Assorted
54	Catguts and Thread	Assorted
55	Needles	Assorted
56	Needles Holders	Assorted

Note: 1. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain and provide all facilities including equipment, instruments, chemicals, medicines etc., for conducting labour, and for providing clinical training.

2. Aseptic procedures/practices shall be followed in Labour room

THE SIXTEENTH SCHEDULE

[See regulation 55 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR ARUVAI MARUTHUVA PIRIVU (OPERATION THEATRE AND MINOR OPERATION THEATRE) UNDER THE DEPARTMENT OF ARUVAI INCLUDING KAN, KATHU, MOOKKU, THONDAI, PAL AND THOL MARUTHUVAM (SURGERY INCLUDING OPHTHALMOLOGY, ENT, DENTISTRY AND DERMATOLOGY) IN THE ATTACHED TEACHING HOSPITAL

Sl.No. (1)	Equipment and Instruments (2)	Required Quantity (3)
A. Operation Theatre for [General surgical procedures including Siddha surgical procedures viz. Aruvai (Excision), Keeral (Incision), Salaagai idal (Probing), Varthi vaiththal (Insertion of medicated wick/cloth), Chuttigai (Cauterization), and Urinchal (Sucking)]		
1	Operation table	One
2	Spotlight (Shadow less ceiling fitted)	One
3	Needle holding Forceps (big- medium-small)	Four each
4	Dressing drums of Assorted size	Two each
5	Drum stand	Two each
6	IV Stand	Two
7	Scissors straight (Tailor)	Four
8	Scissors curved of different sizes	Five each
9	Stitch removal scissors	Five each
10	Pointed scissors	Four
11	Dissection or Curved forceps	Four each
12	Rectangular tray	Assorted
13	Stitching Needle	Twenty
14	Probes (Copper, Silver)- Assorted size	Five each
15	Artery Forceps (small, big, medium)	Four each
16	Barron Pile's Gun	Two
17	Autoclave	One
18	Weighing machine	One
19	Proctoscope – various sizes	Four
20	Stethoscope	Two

21	BP Apparatus	One
22	Gabrial Syringe	One
23	Nasal speculum	Four
24	Ear speculum	Four
25	Eye wash glasses	Ten
26	Aural syringe	Assorted
27	Electric sterilizers	Two
28	Vaporizer	One
29	Nebulizer	Two
30	Emergency power back up facility	Assorted
31	Emergency light	Four
32	Fire Extinguisher	Two
33	Refrigerator	One
34	X-ray View Box (double)	Two
35	Revolving Stool	Six
36	Vertical BP Instrument	One
37	SS containers	Assorted
38	Surgical blades	Assorted
39	Gluteal retractors	Assorted
40	Rubber catheters	As required
41	Suturing Needle (straight or curved) of Assorted size	As required
42	Surgical Thread	As required
43	Blood Pressure Apparatus Handle of different size	As required
44	Needle holder	As required
45	Kidney trays	As required
46	Surgical spirit	As required
47	Gauze roll	As required
48	Cotton roll	As required
49	Scissors	As required
50	Povidone-Iodine solution	As required
51	Chuttigai (Cauterisation) instruments	As required
52	Surgical gloves	As required
53	Face mask	As required
54	SS trays	Assorted
55	Medicine trolley	As required
56	Instrument for urinjal (sucking)	Assorted
57	Waste bin	Assorted
B. Minor Operation Theatre (Siddhar Aruvai Maruthuvam Procedure Room) for specific Siddha Surgical and Para-surgical Procedures		
1	I. Kuruthi vaangal (Bloodletting) Section	
	a. 18-gauge needle	As required
	b. Bandage roll	Assorted
	c. Spirit	As required

	d. Gauze roll	Assorted
	e. Cotton roll	Assorted
	f. Padikara neer	As required
	g. Tourniquet	As required
	h. Scissors	Assorted
	i. Blood Pressure measuring apparatus	One
	j. Stethoscope	One
	k. Kidney tray	Assorted
	l. Measuring flask	Assorted
	m. Cotton holding forceps	Assorted
	n. Hole towel	As required
	o. Micro pore plaster	As required
	p. Mackintosh Sheet	As required
	q. Surgical Gloves	As required
	r. Clotting Time and Bleeding Time Kit	As required
	s. Procedure table	One
	t. Footstep stool	One
	u. Procedure chair	One
2	II. Attai vidal (Leech application) Section	
	a. Nalla Attai (Aquarium for storage of Attai)	As required
	b. Bandage roll	Assorted
	c. Gauze roll	As required
	d. Blood Pressure measuring apparatus	One
	e. Stethoscope	One
	f. Scissors	Assorted
	g. Kidney tray	Assorted
	h. Hole towel	As required
	i. Manjal or Turmeric powder	As required
	j. Kariuppu powder	As required
	k. Ellu powder	As required
	l. Vengara podi	As required
	m. Padikara podi	As required
	n. Putru man	As required
	o. Uvar man	As required
	p. Kaavi man	As required
	q. Micro pore plaster	As required
	r. Surgical Gloves	As required
	s. 23-gauge needle	As required
	t. Clotting Time and Bleeding Time kit	As required
	u. Procedure table	One
	v. Footstep stool	One
	w. Procedure chair	One

3	III. Kombu kattal (Splinting) and Murichal (Resetting of bones and joints) Section	
	a. Bamboo splints	Assorted
	b. Wooden splints	Assorted
	c. Gauze roll	Assorted
	d. Cotton roll	Assorted
	e. Bandage roll	Assorted
	f. Scissors	Assorted
	g. Forceps (artery, curved, dissecting)	Assorted
	h. Stainless Steel containers	Assorted
	i. X-Ray viewing box	As required
	j. Kidney tray	Assorted
	k. Blood Pressure Measuring Apparatus	One
	l. Stethoscope	One
	m. Procedure table	One
	n. Footstep stool	One
o. Procedure chair	One	
4	IV. Kaaram (Medicated Caustics) including Kaaranool Section	
	a. Hole towel	As required
	b. Surgical Gloves	As required
	c. Gauze roll	Assorted
	d. Bandage roll	Assorted
	e. Padikara neer	As required
	f. Scissors	Assorted
	g. Cotton holding forceps	Assorted
	h. Panchaloga kaaram applicator and other applicators	As required
	i. Kaaranool thread	As required
	j. Probe	Assorted
	k. Tray	Assorted
	l. Procedure table	One
	m. Footstep stool	One
	n. Procedure chair	One
5	V. Kattuthal (Bandaging)Section	
	a. Surgical spirit	As required
	b. Gauze roll	Assorted
	c. Cotton roll	Assorted
	d. Scissors	Assorted
	e. Padikara neer	As required

Note: 1. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain facilities including equipment, instruments, medicines etc., for conducting Siddha surgical and para-surgical procedures and providing clinical training.

2. For other procedures under 25 types of Siddhar Aruvai Maruthuvam such as **Thokkanam** (Physical manipulation), **Vedhu** (Steaming), **Pugai** (Fumigation), **Otradam** (Foementation), **Pottanam** (Medicated pouch), **Peechal** (Enema), **Seelai** (Medicated plaster), **Kalimbu** (Medicated paste), **Neer** (Medicated liquid), **Kali** (Medicated dough), **Pasai** (Ointment), **Podi** (Medicated powder), and **Oothal** (Blowing), the facilities of **Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy or Procedure Section** may be utilised.

3. Aseptic procedures/practices shall be followed in Operation Theatre and Minor Operation Theatre.

THE SEVENTEENTH SCHEDULE

[See regulation 55 and regulation 72]

**MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR
VARMAM, PURAMARUTHUVAM AND SIRAPPU MARUTHUVAM THERAPY/PROCEDURE SECTION
UNDER THE DEPARTMENT OF VARMAM, PURAMARUTHUVAM AND SIRAPPUMARUTHUVAM
(VARMAM THERAPY, EXTERNAL THERAPY AND SPECIAL MEDICINE IN THE ATTACHED
TEACHING HOSPITAL.**

Sl. No	Equipment or Instrument	Student Intake capacity			
		60students intake capacity	100 students intake capacity	150students intake capacity	200 students intake capacity
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Muththoda Samana Therapy Section (Cleansing Therapy Section)					
I	Kazhichal or Peechu or Virechanam Section				
1	Procedure table (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
2	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
3	Enema kit	As required			
4	Enema stand (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
5	BP apparatus (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
6	Stethoscope (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
7	Rubber sheet	As required			
8	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
9	Toilets (Male and Female separately)	As required			
II	Vaanthi or Chaththi or Vamanam Section				
1	Vamanam therapy chair or Peedam (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
2	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
3	Measurement jars	Assorted			
4	Vessels or bowls	Assorted			
5	BP apparatus (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
6	Stethoscope (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
III	Nasiyam Section				
1	Procedure table/ Nasiya peedam (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
2	Nasiyam applicator	As required			
3	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)	Two (1 M+1 F)
Note: The listed items in the table are the minimum essential standard requirements. The department shall maintain all facilities including equipment, instruments, furniture, consumables, medicines, requisites for medicine preparation etc., for providing					

cleansing therapy in efficient manner;					
B. Varmam, Puramaruthuvam and Sirappu maruthuvam Therapy or Procedure Section					
I	UNIT-1 Thokkanam (Physical manipulation/massage therapy), Kizhi vaithal (Medicated pouch), Ennai ozhukku (Oil pouring), Ennai kattal (Oil pooling), Thaarai (Oil dripping), Podi thimirthal (Medicated powder massage) Section				
1	Thokkanam table (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
2	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
3	Procedure stool (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
4	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
5	Materials for Ennai kattal	As required			
6	Materials for kizhi vaithal	As required			
7	Thaarai vessels (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
8	Gas cylinder with burner (for Male section and Female section separately)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)	Ten (5M+5F)
9	BP apparatus (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
10	Stethoscope (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
11	Facilities for preparing medicines	As required			
II	UNIT-2 Vedhu (Steaming) Section				
1	Steam bath chamber (Lying type) (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)
2	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)
3	Stem bath Chamber (Sitting type) (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)
4	Steam generator (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)
5	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Six (3M+3F)	Eight (4M+4F)
6	BP Apparatus (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
7	Stethoscope (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
8	Raw materials or drugs for vedhu	As required			
III	UNIT-3 Varmam (Physical manipulation of varma points) Section				
1	Procedure stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
2	Procedure table (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)

3	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
4	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
5	BP Apparatus	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
6	Stethoscope	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
IV	UNIT-4 Kattu (Bandaging), Patru (Poultice), Poochu (Smearing), Kalimbu (Ointment), Neer (Medicated fluid), Pasai (Medicated cream), Kali (Medicated dough), Podi (Medicated powder), Oothal (Blowing), Pottanam (Medicated pouch) and Seelai (Medicated cloth) Section				
1	Procedure table (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
2	Procedure stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
3	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
4	Gauze bandages	Assorted			
5	Cotton roll	Assorted			
6	Scissors	Assorted			
7	Surgical gloves	As required			
8	Enamel Tray	Assorted			
9	Surgical spirit	As required			
10	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Four (2M+2F)	Four (2M+2F)
11	Gas stove	As required			
12	Facilities for preparing medicines	As required			
V	UNIT-5 Otradam (Foementation) Section				
1	Procedure table (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
2	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
3	Procedure stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
4	Cloth to make bundle	As required			
5	Scissors	Assorted			
6	Enamel tray	Assorted			
7	Gas stove (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
8	Frying pan	Assorted			
9	Spatula or Spoon	Assorted			
10	Materials used for Otradam like husk, sand etc.,	As required			
11	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
VI	UNIT-6 Pugai (Fumigation) Section				
1	Pugai/Fumigation chamber	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)

	(Whole Body-Sitting/lying) (for Male section and Female section separately)				
2	Facility to induce medicated pugai (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
3	Procedure table (for local application) (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
4	Footstep stool (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
5	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)	Two (1M+1F)
6	Exhaust fan	As required			
7	Charcoal	As required			
8	Drugs to be fumigated	As required			
VII	UNIT-7				
	Mai (Collyrium), Kalikkam (Eye salve), Nasikaparanam (Nasal snuff) Section				
1	Procedure table (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)
2	Footstep stool	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)
3	Procedure stool (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)
4	Mai applicator	As required			
5	Kalikkam applicator	As required			
6	Nasikaparanam applicator	As required			
7	Facilities for preparing medicines	As required			
8	Medicine trolley (for Male section and Female section separately)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)	Two (1 M+1F)
VIII	UNIT-8				
	Siddhar Yogam Therapy Section				
1	Yoga mat	Five	Ten	Fifteen	Twenty
2	Yoga folded blanket	Five	Ten	Fifteen	Twenty
3	Yoga foam rollers	As required			
4	Yoga exercise ball	As required			
5	Yoga wheel	As required			
6	Yoga wedge	As required			
7	Yoga bolster	As required			
8	Yoga belt or straps	As required			
9	Yoga-Resistance band	As required			
10	Meditation cushion	As required			
11	Yoga anti-gravity wall rope full set	As required			
12	Yoga head stand bench	One	One	Two	Two
IX	UNIT-9				
	Physiotherapy Unit				
1	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation	One			
2	Interferential Therapy Machine	One			

3	Electrical stimulator	One
4	Quadriiceps table	One
5	Ankle exerciser	As required
6	Finger exerciser	As required
7	Ultrasound machine	One
8	Infrared lamp	Two
9	Shoulder pulley	As required
10	Shoulder wheel	As required
11	Parallel bar	One
12	Staircase trainer	One
13	Walking aids	As required
14	Activities Daily Living Kit	As required
15	Wax bath	One
16	Swiss ball	As required
17	Thera band	As required
18	Peg boards	As required
19	Wobble boards	As required
20	Dumbbells of different weights	Assorted
21	Static cycle	One
22	Wheelchair	One
23	Weight cuffs of different weights	Assorted

Note: 1. The listed items in the **Table** are the minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain all facilities including equipment, instruments, medicines etc., for performing Siddha varmam/ puramruthuvam/ sirappumaruthuvam procedures, providing yoga therapy, physiotherapy and for extending clinical training to the students.

THE EIGHTEENTH SCHEDULE

[See regulation 53 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR CLINICAL LABORATORY UNDER THE DEPARTMENT OF NOI NAADAL NOI MUDHAL NAADAL (PATHOLOGY) IN THE TEACHING HOSPITAL

Sl. No (1)	Equipment and Instruments (2)
Haematology or Pathology Section	
1	Fully or semi-automated haematology analyser
2	Binocular microscope
3	Colorimeter
Biochemistry Section	
1	Fully or semi-automated biochemistry analyser
2	Electrolyte analyser
3	Centrifuge
4	Hot air oven
5	Chemiluminescence or Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
6	Glycated haemoglobin (HbA1c) analyser or Card based

Microbiology Section	
1	Binocular microscope
2	Incubator
3	Autoclave (vertical)
4	Hot air oven
5	Automated blood culture system
6	Bio-safety cabinet

Note: 1. The listed items in the **Table** are minimum essential standard requirements. However, the department shall maintain all facilities including equipment, instruments, medicines etc., for conducting routine haematological, pathological, biochemical, and microbiological diagnostic tests.

2. The requirement of equipment and instruments mentioned for clinical laboratory in the **Eighteenth Schedule** is applicable only for the new colleges to be established after notification of this regulation; All existing colleges (before notification) are permitted to continue with the existing facilities in clinical laboratories; however, they are allowed to upgrade the facilities as per their requirements in the future.

3. For higher diagnostic tests, the college may have a tie-up with the nearest National Accreditation Board for Laboratories - accredited diagnostic laboratory.

4. Siddha diagnostic equipment or devices for supporting Naadi parisothanai, Siruneer parisothanai, Yakkai ilakkanam etc. (if any) are to be utilised.

THE NINETEENTH SCHEDULE

[See regulation 53 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR RADIOLOGY/IMAGING SECTION UNDER THE DEPARTMENT OF NOI NAADAL NOI MUDHAL NAADAL (PATHOLOGY) IN THE TEACHING HOSPITAL

Sl. No (1)	Equipment/Instrument (2)	Requirements (3)
1	X-Ray unit with machine and accessories	Essential
2	Ultrasound scan	Essential
3	Electrocardiogram	Essential
4	Digital X-ray	Optional

Note: For higher imaging studies such as Computed tomography, Magnetic resonance imaging, Positron Emission Tomography, Doppler etc., college may have tie-up with nearest National Accreditation Board for Laboratories accredited diagnostic centre;

THE TWENTIETH SCHEDULE

[See regulation 52, regulation 54 and regulation 72]

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS: REQUIREMENT OF EQUIPMENT AND INSTRUMENTS FOR OUT-PATIENT DEPARTMENTS IN THE TEACHING HOSPITAL

Sl. No (1)	Out-Patient Department (2)	Equipment/Instrument (3)	Required Quantity (4)
1	Maruthuvam (Medicine)	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One

		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning fork	Assorted
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
		Manikkadai nool	Assorted
		Body temperament assessment chart	One
2	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam therapy, External therapy and Special Medicine)	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning fork	Assorted
Surgical gloves	As required		
Face mask	As required		
Manikkadai nool	Assorted		
Body temperament assessment chart	One		
3	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry)	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One

	and Dermatology)	Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Instruments for ano-rectal examination	Assorted
		Ophthalmoscope or Fundoscope	One
		Ear Nose Throat examination set	One
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Tuning fork	Assorted
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
		Cheatle's forceps	Four
		Manikkadai nool	Assorted
		Body temperament assessment chart	One
4	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Stethoscope	Four
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Ten
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Lamp stand	One
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
		Sim's speculum	Two
		Cusco's speculum	Two
Gynaecological examination table	One		
Manikkadai nool	Assorted		
Body temperament assessment chart	One		

5	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics)	Stethoscope	Two
		Paediatric stethoscope	Four
		Blood Pressure Measuring Apparatus with different cuff	Two
		Blood Pressure Measuring Apparatus with Paediatric cuff	Two
		Knee Hammer	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Measuring tape	Two
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Neonatal weighing scale	One
		Paediatric weighing scale	One
		Infantometer	One
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
Body temperament assessment chart	One		
6	Nanju Maruthuvam (Clinical Toxicology)	Stethoscope	Two
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Three
		Measuring tape	One
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
		Manikkadai nool	Assorted
		Body temperament assessment chart	Two

7	Noi Anugavidhi Maruthuvam (Siddha Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Healthcare and Public Health)	Stethoscope	Two
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
		Torch	One
		X-Ray viewing box	One
		Thermometer	Two
		Thermal scanner	One
		Pulse oximeter	One
		Tongue depressor	Three
		Measuring tape	One
		Height measuring stand	One
		Weighing machine	One
		Examination table	One
		Surgical gloves	As required
		Face mask	As required
		Manikkadai nool	Assorted
		Body temperament assessment chart	One
		Pini Anugavidhi ozhukkam-Health card	As required
8	Avasara Maruthuvam (Casualty)	Motorised bed 4 section with sub-mattress(observation beds)	As per requirement (see sub-regulation 15 of regulation 52)
		Footstep stool	As per number of beds
		Intravenous (IV) stand with stainless steel rod and castor base	As per number of beds
		Wheelchair	As required
		Patient transfer stretcher trolley	As required
		Drug trolley	As required
		Portable X-Ray Machine	One
		Suturing set	As required
		X-Ray View Box	One
		Multipara monitor	Two
		Suction Machine	One
		Suction catheter	As required
		Resuscitation kit	As required
		Oxygen unit with nasal hood/mask	As required
		Laryngoscope	One
		Endotracheal tube	As required
		Ambu bag with different mask	As required
		Defibrillator	One
		Electrocardiogram and Monitor	Two
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Two
Neonatal or Paediatric Blood Pressure Measuring Apparatus cuff	One		

		Stethoscope	Two
		Torch	Two
		Examination Table	One
		Intensive Care Unit Thermometer	Two
		Tongue depressor	Two
		Weight and height measuring stand	One
		Measuring tape	Two
		Knee hammer	Two
		Emergency medicine	As required
9	Screening Out-Patient Department	Stethoscope	Three
		Blood Pressure Measuring Apparatus	Three
		Clinical thermometer	Three
		Thermal scanner	Three
		Height measurement stand	Two
		Weighing machine	Two
		Temperament assessment chart	As required
		Naadi recording equipment (if any)	One (Optional)
		Manikkadai nool	As required
<p>Note: The listed items in the Table are the minimum essential standard requirements. However, Out-Patient Department shall maintain all facilities including equipment, instruments, medicines etc., for conducting Out-Patient Department related clinical activities and for providing clinical training;</p> <p>2. Common facility to perform siruneer parisothanani (neerkkuri, neikkuri) for Out-Patient Departments shall be provided.</p>			

FORM-A

[See regulation 66]

APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NEW SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION(UNDERGRADUATE)

Sl.No. (1)	Particulars (2)	Details (3)
Part-I: Applicants Details		
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with Pin code	
3	Official Telephone Number and Mobile Number	
4	Official E-mail ID	
5	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
6	Composition of the Trust or Society	
7	Registration or incorporation of the trust or society of the applicant body (Number and date, if any)	

8	Type of institution (Government or Government Aided or Private or Deemed University)	
9	Is there any other Siddha Medical College run by the same trust or society or university	Yes or No
	If yes, mention the distance between two colleges	
	Provide Global Positioning System link of the college along with print copy of the same	
10	Financial Capability: Balance Sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust or Society. Details of the financial resources to be furnished.	
11	Annual Audit Report (Enclose copy of audit report of last three years)	
12	Means of financing the project:	
	Contribution of the Applicant (attach proof)	
	Grants (attach proof)	
	Donations (attach proof)	
	Equity (attach proof)	
	Term Loans (attach proof)	
	Other Sources, if any (attach proof)	
Part-II: Fee Details		
13	Application Fee Transaction ID	
	Processing Fee Transaction ID	
	Any other fee specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine from time to time	
Part-III: Essential Requirement Details		
14	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
15	Validity of Essentiality Certificate or No Objection Certificate	From ----- To ---- ----
16	Name and address of affiliating University	
	Date of Consent of Affiliation for the scheme	
	Years of Consent of Affiliation for the scheme	From ----- To ---- ----
Part-IV: Details of the proposed College		
17	Name of the proposed Siddha Medical College	
18	Complete address with pin code	
19	Name of the Principal of the proposed college	
20	Proposed annual student intake capacity (60 or 100 or 150 or 200)	
21	Official telephone number and mobile number	
22	Official e-mail ID	
23	Provide Global Positioning System link of the College and Hospital along with print copy of the same	
24	Total area of the land	
25	Land is on lease or own	

	If it is on lease, years of lease	
	Tax paid receipt of land, prior to two years from the last date of submission of application	
	Non-encumbrance certificate	
26	Category of Land (Tier I and Tier II) - attach proof from the local authority	
27	Relevant building permissions from the concerned authorities	
28	Attach the true copy of building plan approved by local authority and endorsed by the architect	
Part-V: Establishment of the College (Phase-I) Details		
29	Administrative section	
30	Central library	
31	Digital library	
32	Teaching Departments:-	
	Siddha Maruthuva Moolathathuvam including Language Laboratory and Museum cum Tutorial Room	
	Udal Koorugal including Dissection Hall, Practical Laboratory, and Museum cum Tutorial Room	
	Udal Thathuvam including Udal Thathuvam Practical Laboratory, Uyirvedhiyiyal Practical Laboratory and Tutorial Room	
	Noi Naadal Noi Mudhal Naadal including Nunnuyiriyal Laboratory and Museum cum Tutorial room	
33	Lecture halls	
34	Herbal garden	
35	College website	
36	Biometric Attendance System (as specified by the commission)	
37	Hostels (Boys and Girls separately)	
38	Canteen	
	Other requirements:-	
39	Examination or Multipurpose or Yoga or Conference Hall	
40	Clinical Skill or Simulation Laboratory with twenty-five per cent simulators or manikins	
41	Information Technology infrastructure	
42	Human Resource Development Cell Room	
43	Research and Innovation Cell Room	
44	Student amenities	
45	Staff amenities	
46	Common room for Boys and Girls separately	
47	Common room for Teaching faculty members	
48	College Council room	
49	Student Council room	
50	Student Support and Guidance Cell room	
51	Internal Quality Assurance Cell room	
52	Pharmacovigilance Cell room	
53	Central workshop	

54	Closed-circuit television facility	
55	Human resources of the college:-	
	Teaching staff (as per Phase-I requirement)	
	Non-teaching staff	
Part-VI: Banking Details of the College		
56	Name of the account	
	Account number in college name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the bank with IFSC code	
Part-VII: Details of the Hospital		
57	Name of the attached hospital of the proposed college	
58	Date of establishment of the hospital	
59	Registration certificate of the hospital (attach the copy)	
60	Proof of ownership of existing hospital (attach the copy)	
61	Panchayat license	
62	Hospital building occupancy certificate	
63	Hospital building completion certificate	
64	Pollution control certificate	
65	Fire safety certificate	
66	Bio-medical waste management agreement	
67	Renewal of the necessary permission from local or concerned authorities and validity period (attach proof)	
68	National Accreditation Board for Hospitals Certificate (level, validity, and date)	
69	Permission for X-Ray unit	
70	Bed strength in In-Patient Departments :-	
	Maruthuvam In-Patient Department	
	Varmam, Puramaruthuvam and Siraapumaruthuvam In-Patient Department	
	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam In-Patient Department	
	Sool and Magalir Maruthuvam In-Patient Department	
	Kuzhanthai Maruthuvam In-Patient Department	
	Nanju Maruthuvam In-Patient Department	
71	Out-Patient Department :-	
	Maruthuvam Out-Patient Department	
	Varmam, Puramaruthuvam and Siraapumaruthuvam Out-Patient Department including minor therapy room	
	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam Out-Patient Department including minor procedure room	
	Sool and Magalir Maruthuvam Out-Patient Department including examination cum procedure room	
	Kuzhanthai Maruthuvam Out-Patient Department	
	Noi Anugavidhi Maruthuvam Out-Patient Department	
	Nanju Maruthuvam Out-Patient Department	
	Avasara Maruthuvam Out-Patient Department	

	Screening Out-Patient Department	
	Specialty Out-Patient Department (if any, specify)	
72	Total number of Out-Patient Department attendance in the last two years from the date of application	
73	Average number of Out-Patient Department per day in the last two years from the date of application	
74	Average bed occupancy in the last two years from the date of the application	
75	Clinical laboratory	
76	Radiology or Imaging Section	
77	Pharmacy or Drug store or Dispensary	
78	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam Therapy or Procedure Section	
79	Aruvai Maruthuva Pirivu (Operation theatre and Minor operation theatre)	
80	Magapperu arai or Prasava arai or Labour room	
81	Physiotherapy Section	
82	Siddhar Yogam Therapy Section	
83	Human resources in the hospital	
	A. Hospital staff existing and relieved for two years before submission of application (with details of name, designation, section or unit, qualification, experience, appointment order, joining letter and date, relieving letter and date, state registration certificate or teachers code in applicable cases), Zone-wise,-	
	Administration zone	
	Reception and Registration Zone	
	Out-Patient Department Zone	
	In-Patient Department Zone	
	Diagnostic Zone	
	Procedural Management Zone	
	Service Zone	
	B. Modern Medical Staff Details	
84	Hospital Record (tick whichever is applicable)	Computerised or Manual
Note: If the hospital is established phase wise: Furnish the details of phase wise establishments of the hospital with all proof as mentioned in these regulations (see regulation 64)		
Part-VIII: Banking Details of the Hospital		
85	Name of the Account	
	Account number in hospital name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the Bank and IFSC code	
	Following details are required for two years or 24 months prior to the date of submission of application:-	
	a. Details of salary paid to hospital staff (month-wise)	
	b. Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof)	
	c. Details of purchase of hospital consumables (attach indents and payment proof)	
	d. Details of payment of relevant taxes (attach copy)	

	e. Details of hospital income (attach copy)			
	f. Employees Provident Fund and Employees State Insurance details			
86	Whether Hospital established or developed phase-wise		Yes/No	
	If yes, provide details phase-wise details			
	Phase or Stage	Period		Details of Establishment of Development
		From	To	
	First			
	Second			
	Third			
Fourth				

Signature of applicant

Full Name

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust or society.
3. Annual reports and audited balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership/lease agreement deed.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital with Hospital Registration Certificate and its validity period.
7. Certified copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration at the proposed site for the applied academic session.
8. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by recognised University established under any Central Government or State Government or Union territory statute for establishing a new Siddha Medical College for the applied academic session.
9. Accreditation certificate issued by National Accreditation Board for Hospitals.
10. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
11. Furnish affidavit stating that the land and buildings designated for Siddha Medical College and attached teaching hospital are exclusively for conducting Siddha courses recognised by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa or National Commission for Indian System of Medicine.
12. Furnish affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility-cum-Entrance Test merit and only through counselling (Central Government or State Government or Union territory Administration as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
13. Furnish affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the Commission specified in the concerned regulations.
14. Furnish affidavit that has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed Siddha Medical College.

15. Furnish an undertaking that the institution is in a position to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of National Commission for Indian System of Medicine.
16. Proof of application fee and Processing fee remitted.
17. Copy of bank transaction for the last two year of official bank account: College and Hospital
18. Copy of biometric attendance of hospital staff for the last two years
19. Other enclosures as per the various parts of application form (please indicate details):-
- Distribution of land with survey number.
 - Proof for category of land such as Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, a certificate obtained from local authorities.
 - Non-encumbrance certificate.
 - Tax paid receipt for land and hospital building.
 - Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
 - Area statement certificate authorised by architect.
 - Panchayat license for establishment of hospital.
 - Hospital Building Occupancy Certificate.
 - Hospital Building Completion Certificate
 - Fire safety certificate.
 - Disaster management certificate (if any).
 - Pollution control certificate.
 - Permission for Radiology unit in the hospital.
 - Biomedical waste management agreement.
 - College and hospital building occupancy certificate.
 - College and hospital building completion certificate.
20. Any other documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Note: All copies shall be self-attested

Form-B

[See regulation 76]

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN AN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME IN A SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION.

1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete address with PIN code	
	Official Telephone number and Official Mobile number	
	Official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation of trust or society (number and date etc)	
5	Name and address of the Siddha Medical College	
6	Category of permission status: Extended Permission or Yearly Permission at the time of submitting application or scheme or proposal	
7	Institution has rated as Grade 'A' or Grade 'B' at the time of submitting application or scheme or proposal	

8	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
9	Name and address of Affiliating University Date of first affiliation Date of affiliation for the new scheme or proposal	
10	Year of admission of first batch for undergraduate course	
11	Month and year of course completion of first batch of admitted students	
12	Number of seats approved and date of recognition by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine for existing undergraduate course	
13	Name of the course of study applied for the increase in seats or student intake capacity or admission capacity	
14	Number of seats applied for an increase in seats or student intake capacity or admission capacity (60 or 100 or 150 or 200), specify	
15	Details of: a. Additional financial allocation b. Additional space, equipment, and other infrastructural facilities in respect of increase in student intake capacity c. Recruitment of additional staff (teaching staff, non-teaching staff and hospital staff) in respect of increase in student intake capacity	
16	Fee details:- Application fee Transaction ID Processing fee Transaction ID	
17	Any other relevant information	

Signature of Applicant

Full Name

Designation

Place:

Date:

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration in the prescribed format.
2. Attested copy of the 'Consent of Affiliation' from the recognised University to which the college or institution is affiliated in the prescribed format.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, National Commission for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate degree course.
5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility-cum-Entrance Test merit and only through counselling (Central Government or State or Union territory Administration as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
6. Affidavit stating that the human resources as per student-teacher ratio shall be maintained in respect of increase in student intake capacity as mentioned in concerned regulations.
7. Proof of application fee and processing fee remitted.
8. Other enclosures, -

- a. Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees and renewed copy of trust or society registration or incorporation.
 - b. Certified copy of the land documents as a proof of ownership or lease agreement deed.
 - c. First hospital registration certificate or renewed as a proof of ownership of existing hospital.
 - d. Fire safety certificate.
 - e. Disaster management certificate (if any).
 - f. Pollution Control certificate.
 - g. Biomedical waste management agreement.
 - h. College and hospital building occupancy certificate.
 - i. College and hospital building completion certificate.
 - j. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
 - k. Area statement certificate authorised by architect.
 - l. Purchase bills of equipment, instruments etc for the increase in intake capacity in existing undergraduate programme.
 - m. List of medicines prepared or purchased with bills for the last one year.
 - n. List of raw drugs purchased with bills for the last one year.
 - o. Intent register for the last one year (college and hospital).
 - p. Stock register for the last one year (college and hospital).
 - q. Consolidated data of hospital: Patient data (out-patient departments, in-patient departments, and bed occupancy) for the last one year
 - r. Tax paid receipt for land, building including hospital building.
 - s. Furnish an undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the National Commission for Indian System of Medicine.
 - t. Furnish an undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations including new minimum essential standards with building infrastructure specified in the timeline under chapter-V in accordance with the proposed intake capacity.
9. Other enclosures of the documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Note: All the copies shall be self-attested.

FORM-C

[See regulation 65]

(To be issued by State Government/UT)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO ESTABLISH A NEW UNDERGRADUATE SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION

Ref. No.....

Dated.....

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Government or Government Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the proposed Siddha Medical College or Institution	
	Address of the proposed College or Institution	
	Proposed student intake capacity (60 or 100 or 150 or 200)	
4	Whether the applicant is already running Siddha Medical College (s)	Yes or No
5	If yes, what is the distance between the nearest college and the proposed college (if the distance is 25 Km or less than 25 Km No Objection Certificate or Essentiality Certificate shall not be issued)	

Other details		
6	Number of Siddha institutions already existing in the State	
7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Doctors (registered Siddha medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Siddha Medical college	Poor or Adequate
10	Registration number of the hospital	
11	Restrictions imposed by the State government, if any, on students who are not domiciled in the state from obtaining admissions in the state, have to be specified.	

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----- (name of the applicant) for the establishment of ----- (name of the proposed college or institution) at ----- (address of the proposed college or institution) with student intake capacity of ----- (60 or 100 or 150 or 200). This certificate is issued in consideration of above details, facts, or conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine of National Commission for Indian System of Medicine.
2. College shall not have any other colleges or conduct any other courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit National Eligibility-cum-Entrance Test eligible students as per the regulation or guidelines or policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards/National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.
6. In case of change over the college to other society or trust, prior no objection certificate shall obtain from the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
7. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Siddha Medical College as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine.
8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(Signature of the Competent Authority)

Office Seal

Date:

Place:

FORM-D

[See regulation 75]

(To be issued by State Government/UT)**ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN AN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME IN A SIDDHA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION**

Ref. No.....

Dated.....

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant	
2	Address	
3	Subject of application	To Increase the Student Intake Capacity From----- To-----
4	Name and address of the college or institution in which the applicant intended to increase the student intake capacity in existing undergraduate programme	
5	Year of establishment of the college or institution	
Other Details		
6	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union territory	
7	Doctors (registered Siddha medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Siddha Medical College	Poor/ or Adequate

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to -----(name of the applicant) for increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from -----to ----- in the existing Undergraduate Programme conducted by ----- (name of the college or institution) at -----(address of the college or institution).

This certificate is issued in consideration of the above details, facts and conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
2. College shall not have any other colleges or conduct any other courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit National Eligibility-cum-Entrance Test eligible students as per the regulation or guidelines or policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards/National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.

6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Siddha Medical College as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the College with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Signature of the Competent Authority

Office Seal

Date:

Place:

FORM-E

[See regulation 65 and 75]

CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application to establish a new Siddha college or to increase student intake capacity in existing undergraduate programme in a Siddha Medical College or Institution)

Sl.No.	University Details	
1	Name of the University	
2	Address	
3	Type of University	Central Government or State Government or Deemed-Government or Deemed-Private or Private State
4	Contact Details	
5	Contact Person (Name and Designation)	
	Mobile number	
	e-mail ID	
6	Year of Establishment	
7	Existing Faculties	
8	Accreditation if any	
9	Number of Ayurveda, Siddha, Unani and Sowa-Rigpa colleges affiliated to the University till date.	

CONSENT OF AFFILIATION

The university on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to..... (name of the college or institution) with student intake capacity of (60 or 100 or 150 or 200) undergraduate seats of the proposed college or increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from..... to..... in already existing undergraduate programme.

The consent of affiliation is issued for the academic year(s).....

Consent of affiliation is issued on the following conditions:

1. The college shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

2. The college shall admit National Eligibility-cum-Entrance Test eligible students only through counselling process (the Central Government or State Government or Union territory Administration) as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations and guidelines.
3. The college shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as per the curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
4. The colleges shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of counseling and admission process.
5. Prior 'No Objection Certificate' shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other University or applying for Deemed status.
6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree for the last student.

Registrar

(Signature with seal)

Place:

Date:

Dr. B. L. MEHRA, Secy. I/C

[ADVT.-III/4/Exty./062/2024-25]

[Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024, the English version will be treated as the final.]